Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9] सप्तम् विधान सभा के नवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

शुक्रवार

दिनांक 12 अक्टूबर, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री नानालाल ।

नये उद्योगों की स्थापना

35. **श्री नानालाल** (राजसमन्द) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उद्योग स्थापित करने के क्या माप-दण्ड हैं ?

(2) विगत तीन वर्ष में राज्य में कच्चे माल पर आधारित कौन-कौन से उद्योग कहाँ-कहाँ लगाये गये हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उदयपुर जिले की रेलमगरा तहसील में कपास की उपज को देखते हुए कोई उद्योग लगाने का विचार राज्य सरकार कर रही है ? यदि हाँ, तब कब और कौन सा उद्योग लगाने का विचार है ?

राज्यमन्त्री, उद्योग, (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु निम्न मार्गदर्शक बिन्दु निर्धारित हैं :

(क) राज्य में उपलब्ध विस्तृत संसाधनों (खनिज, पशुधन, वन, आदि) का अधिकतम उपयोग हो सके ।

(ख) रोजगार की सम्भावनायें बढ़ सकें और जन शक्ति का यथासम्भव उपयोग हो सके ।

(ग) राज्य में अधिकाधिक क्षेत्रीय विकास सन्तुलन स्थापित हो सके ।

(घ) औद्योगीकरण से सरकार के वित्तीय साधनों में भी वृद्धि हो सके ।

(च) खादी व ग्रामोद्योग, हाथ कर्घा, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं वृहत् उद्योगों को इसी क्रम में प्रोत्साहित किया जाता है ।

Page No.2

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(2) कच्चे माल पर आधारित उद्योग की अलग से सूचना राज्य स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(3) जी नहीं।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उद्योग स्थापित करने के आधार बताये हैं, मैं जान सकता हूं कि इस आधार पर आपने कहाँ-कहाँ विगत सालों में उद्योग लगाये हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप प्रश्न का भाग (1) देखें, श्रीमन्, तो उसमें पूछा गया है, "उद्योग स्थापित करने के क्या मापदण्ड हैं ?" अध्यक्ष महोदय, उद्योग स्थापित करने के मापदण्ड की कोई निश्चित सूची या उनका कोई ब्यौरा नहीं है। इस बात का कोई मापदण्ड निश्चित नहीं किया हुआ है। सरकार की तरफ से कुछ गाइड लाइन्स दी हुई हैं। मैंने सिर्फ उन गाइड लाइन्स की यहाँ पर चर्चा की है, सदन को बताई हैं। मेरे पास अभी विस्तृत जानकारी नहीं है कि उन गाइड लाइन्स के आधार पर राज्य में उद्योगों की स्थापना कहाँ कहाँ हुई है ? दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जहाँ जो कच्चा माल ज्यादा होता है वहाँ उसी से सम्बन्धित उद्योग लगाये जाते हैं। कहीं यदि सरसों का ज्यादा उत्पादन होगा तो वहाँ तेल मिल ज्यादा होंगी। तो ये तो ऐसी मोटी-मोटी बातें हैं जो सभी लोगों की जानकारी में हैं। इस बात की सूचना उपलब्ध नहीं है कि गाइड लाइन्स के आधार पर उद्योगों की राजस्थान में कहाँ-कहाँ स्थापना हुई है।

श्री नानालाल : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि जानकारी पूरी नहीं है, यह भी कहा कि जहाँ कच्चा माल उपलब्ध है वहाँ उद्योग लगते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उद्योग लगे हैं, आपने संसाधनों की उपलब्धता और रोजगार मिलने का जो आधार बताया है उस आधार पर कौन-कौन से जिले में आपने उद्योग स्थापित किये हैं ? यह बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई आधार नहीं बताया। इन गाइड लाइन्स को मानने के लिये कोई बाध्य नहीं है। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इस पर तो विचार कर सकती है कि जहाँ कच्चा माल उपलब्ध है वहीं सारे उद्योग न लगाये जायें ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सब्सिडी का सवाल है, इनकम टैक्स रिलीफ का सवाल है इनके लिये कुछ बैंड लगे हुए हैं। उदाहरण के लिये सिरोही जिले में उद्योग लगाने में काफी तेजी आयी है, प्रगति हुई है हालांकि वहाँ पर केवल लाइम स्टोन्स ही उपलब्ध है। उनके अलावा दूसरे उद्योग भी वहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लगा रहे हैं। इसके लिये सरकार की तरफ से कच्चा माल उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री नानालाल : उद्योग लगाते हैं उसमें जमीन का ख्याल सबसे पहले किया जाता है। आपने इन बातों को देखा है, जो उद्योग जहाँ लगे हैं और कच्चा माल जहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वहीं सारे उद्योग लगा रहे हैं ? आपकी कोई नीति...

Page No.3

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, उद्योग दो तरह से लगाये जाते हैं, एक तो है, स्टेट सैक्टर के तहत लगाये जाते हैं और दूसरा है, प्राइवेट सैक्टर द्वारा लगाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्राइवेट एन्टरप्रेन्योर यदि कहीं उद्योग लगाता है तो उसे दूसरी जगह के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न....

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है उसने कच्चे माल का कहीं सर्वेक्षण किया है ? सर्वेक्षण की कोई नीति है सरकार की कि कच्चा माल जहाँ ज्यादा मिलने की सम्भावनाएं हैं उस आधार पर वहाँ उद्योग लगाया जाना चाहिये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे पास इस समय विस्तृत जानकारी नहीं है कि कहाँ पर कौन सा उद्योग लगाया जा सकता है, किस प्रकार का उद्योग लगाया जा सकता है, परन्तु उद्योग विभाग में मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रकार का साहित्य उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न....

श्री राजबहादुर : कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है, कोई पोलिसी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गोपाल पचेरवाल।

नगरपालिका बूंदी का ऑडिट

36. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) नगरपालिका बूंदी के चुनाव के बाद से अब तक कितनी बार ऑडिट कराया गया ?

(2) ऑडिट रिपोर्ट में कितने गबन व भ्रष्टाचार के मामले किन-किन कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध पाये गये तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

राज्य मन्त्री स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युमन सिंह : (1) नगरपालिका, बूंदी का चुनाव के बाद दो बार ऑडिट कराया गया।

(2) ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सर्व श्री अमर सिंह यादव, अधिशासी अधिकारी एवं श्री तैयब अली, स्टोर कीपर (क.लि.) व श्री प्रताप सिंह, सब नाकेदार के विरुद्ध कुछ मामले पाये गये। श्री अमर सिंह यादव, अधिशासी अधिकारी एवं श्री तैयब अली, स्टोर कीपर को नियम 16 के अनुसार आरोप पत्र दिये गये हैं एवं श्री प्रताप सिंह के विरुद्ध नगरपालिका ने अनुशासनिक कार्यवाही कर गबन की राशि को जमा करा लिया एवं दण्ड स्वरूप इनकी दो सालाना वेतन वृद्धियाँ रोक दी गयी हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस-किस गबन में किस-किस को दोषी माना ? दूसरा, गबन की राशि कितनी और कब जमा करायी गयी ? और तीसरा, गबन करने वालों की रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई और अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऑडिट दो तरह के होते हैं। एक जो जनरल ऑडिट है और

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दूसरा स्पेशल ऑडिट। बूंदी नगरपालिका का स्पेशल ऑडिट हुआ 1.4.81 से 15.11.81 तक। इसकी रिपोर्ट 21.6.83 को डायरेक्टोरेट के अन्दर प्राप्त हुई। उस रिपोर्ट के ऊपर हमने ई. ओ. का जवाब तलब किया। उसका जवाब आने के बाद उसे हमने अधीक्षण विभाग को भेजा जिसको उन्होंने सन्तोषजनक नहीं पाया। उस आधार पर उन्होंने लिखकर भेजा कि इनका जवाब सन्तोषजनक नहीं है। उसके ऊपर 29.9.84 को रूल 16–सी.सी.ए. के तहत उसको आरोप-पत्र जारी कर दिया गया।

जैसा आपने पूछा, इसकी तीन कैटेगरीज हैं। एक, अनियमित खर्चा, दूसरा, स्टोर के अन्दर फिजिकल वैरिफिकेशन में सामान कम पाया जाना, तीसरा, एक आदमी से किराये के 1700 रुपये वसूल करके जमा नहीं करना और एडवर्टाइजमैंट पर ज्यादा खर्चा करना, इन्क्रीमेंट का कर्मचारियों को ज्यादा लाभ देना। इन सब की कुल राशि दो लाख उन्तालीस हजार ऑडिट के अन्दर पाई गयी है जिसके लिए सी.सी. ए. रूल 16 के तहत कार्यवाही जारी है।

श्री गोपाल पचेरवाल : जब तक यह कार्यवाही जारी रहेगी तब तक इन कर्मचारियों को वर्तमान पद से हटाने की कार्यवाही करेंगे ताकि गलत काम न हो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का साल-डेढ़ साल पहले ही वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया है। जहां तक सब नाकेदार का सवाल है उसके दो इन्क्रीमेंट रोक दिये गये हैं। उसको किस पोस्ट पर लगाया जा सकता है यह एग्जामिन करने की बात है। जहां तक बाकी कर्मचारियों का सवाल है उनको हटाने के आदेश आज ही जारी कर देंगे। वे वहां निश्चित रूप से नहीं रहने चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय ने जिन अपराधों का वर्णन किया-गबन और सामान-चोरी, क्या यह आई. पी. सी. के अन्तर्गत अपराध नहीं है? इतने सीरियस अपराध होने के बावजूद एफ. आई. आर. लॉज नहीं कराई? उनको इतने सस्ते में क्यों छोड़ना चाहते हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : गबन की जहां तक बात है केवल एक व्यक्ति, सब नाकेदार ने करीब 1127 रुपये 40 पैसे किराये के वसूल करके जमा नहीं कराये। नगरपालिका के चेयरमैन महोदय ने आदेश दिया कि इनके दो ग्रेड इन्क्रीमेण्ट रोक लिये जायं। यह सजा उनको दी गयी। गबन का तो केवल यही मामला सामने आया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एफ. आई. आर. क्यों नहीं लॉज कराई?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आवश्यक नहीं है। चेयरमैन ने कोई निर्णय ले लिया, सजा दे दी, उसके बाद एफ. आई. आर. लॉज कराना आवश्यक नहीं है। चेयरमैन ने यह निर्णय ले लिया कि पैसा जमा करा दिया जाय, फिर क्या आवश्यकता है?

श्री गोपाल पचेरवाल : इस तरह जमा करा देंगे तो क्या उसको माफ कर देंगे? जनता का पैसा है, उसका इस तरह दुरुपयोग करेंगे, उनको इस तरह माफ कर देंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनके ऊपर अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार बोर्ड को है। जब एक डिसि-प्लीनरी एक्शन लिया जा चुका है उस सूरत में एक ही मामले में दो सजायें नहीं दी जा सकतीं। इसलिए अब आई. पी. सी. के तहत उनके खिलाफ केस रजिस्टर करने से कोई लाभ नहीं।

श्री गोपाल पचेरवाल : मंत्री महोदय बता दें, क्या नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य मैम्बर साहबान ऑडिट रिपोर्ट में दोषी माने गये हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : आपके द्वारा एक सवाल पूछा गया। क्या क्रिमिनल प्रॉसिजर कोड में इस तरह के निर्देश हैं कि कॉग्निजेबल आफेंस की जान-कारी जिस किसी को हो जाय, वह पुलिस में उसकी इत्तला दे ? जब आप यह उचित समझते हैं कि क्रिमिनल आफेंस हुआ है तो उसकी इत्तला पुलिस में नहीं देना क्या कोई आफेंस नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : यह कानून की व्याख्या का प्रश्न है। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 37

श्री सूरजा राम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)
प्रश्न संख्या 38

श्री राम सिंह विश्नोई

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरिसिंह (193)

नये स्टेडियमों का निर्माण

39. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1983-84 व 1984-85 में राज्य के किन-किन जिलों में खेल कूदों के नवीन स्टेडियम निर्माण किये गये हैं ?

(2) सरकारी की स्टेडियम निर्माण की क्या नीति है ?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) वर्ष 1983--84 और 1984-85 में निम्न स्थानों पर नवीन स्टेडियम बनाये जा रहे हैं :—

1983--84 : जोधपुर, कांकरौली, चूरू।

1984--85 : अजमेर, पाली, बिलाड़ा, तिलवासनी (जोधपुर), बाड़मेर, करौली तथा अलवर।

(2) जिन-जिन जिलों से कोई भी संस्था अथवा जिलाधीश आदि से स्टेडियम निर्माण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उन्हें केन्द्र सरकार से अनुदान दिलाये जाने का प्रयास किया जाता है।

श्री हरिसिंह : आज आप जो स्टेडियम बनाते हैं वह शहर की पॉपुलेशन के आधार पर बनाते हैं या अन्य कोई क्राइटेरिया है इनके बनाने का ? 1984-85 में किस क्राइ-

(श्री हरिसिंह)

टेरिया के आधार पर स्टेडियम बनाये हैं ? जहां स्टेडियम बनाये हैं वहां से अधिक पॉपुलेशन के शहर में सरकार स्टेडियम बनाने का सोचती है, जैसे भरतपुर ? भरतपुर में स्टेडियम की मांग चली आ रही है। अभी खेल मंत्री जी वहां गये थे तो आश्वासन देकर आये थे कि स्टेडियम बनाने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, स्टेडियम बनाने की मांग के सम्बन्ध में प्रस्ताव किसी भी संस्था अथवा जिलाधीश से आते हैं तो उनका अनुमोदन करके केन्द्र सरकार के पास भेज दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में स्टेडियम बनाने के जो सिद्धान्त हैं वह उनके पत्र संख्या एफ. 6/10/83 --डी/एस. पी./ 4 अगस्त, 1983 में हैं। उसके तहत राज्य सरकार एप्लीकेशन भेजती है। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि खेल मंत्री जी भरतपुर पधारे थे। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भरतपुर में केसरी दंगल हुआ था तो खेल मंत्री जी वहां पधारे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि विचार किया जायेगा। यह नहीं कहा था कि बना ही दिया जायेगा। यदि वहां से जिलाधीश महोदय या कोई भी संस्था, जैसा निवेदन किया, हिसाब से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजती है तो केन्द्र सरकार को निश्चित रूप से भेजेंगे। राजस्थान सरकार स्टेडियम बनाने के लिए खुद की तरफ से कुछ नहीं कर रही है।

जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि कोई क्राइटेरिया है कि बड़े शहरों में बनाये जायं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लैटर के साथ अपेंडिक्स 6 है उसमें यह सब दिया हुआ है, जो स्टेडियम बनाये जायेंगे उनकी सैंक्शन होगी, बड़ा शहर कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर स्टेडियम है या नहीं, जो संस्था बनाना चाहती है उसके अकाउंट्स वगैरह की जांच होगी, नगरपालिका क्षेत्र है तो उसकी एप्रूवल होगी, टाउन प्लानर से होगी, स्पोर्ट्स कौंसिल से होगी, उसके बाद राज्य सरकार केन्द्र सरकार को भेजती है। जहां तक भरतपुर का सवाल है, जिलाधीश या स्पेसिफिक एजेन्सी, संस्था स्टेडियम बनाने को तैयार है तो प्रस्ताव भिजवायें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : प्रस्ताव आ चुका है।

श्री हरिसिंह : 5 तारीख को भरतपुर में जिलाधीश के सामने 10 हजार रुपये देने की घोषणा हुई है।

श्री चेतराम मीणा : यदि जिलाधीश के सामने घोषणा हुई है तो कोई प्रस्ताव आयेगा तो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हरिसिंह : सरकार के पास वहां से रिकमण्डेशन आई हुई है, प्रार्थना पत्र आया हुआ है उस पर क्या विचार हो रहा है ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि मेरी जानकारी के अनुसार जो प्रोफार्मा है उसके अनुसार मूव नहीं किया और आप कह रहे हैं कि

(श्री चेतराम मीणा)

किया है, तो मैं उसे देख लूंगा। लेकिन जो प्रोफार्मा की शर्तें दी हुई हैं उस तरह से मूव नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री दाऊ-दयाल जोशी।

विगत 2 वर्षों में क्रय की गई औषधियां

५०.**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) की अनुपस्थिति में] : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा सन् 1983-84 एवं अगस्त, 1984 तक किन-किन कम्पनियों से कितने मूल्य की क्या-क्या औषधियां क्रय की गई ? क्या इस हेतु नियमानुसार टेन्डर आदि प्राप्त किये गये थे ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) औषधियां क्रय करते समय क्या उक्त खरीद की विस्तृत विज्ञप्तियां समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई थीं ? यदि हां, तो किन-किन समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई ?

चिकित्सा मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : आप हैं क्या दाऊदयाल जोशी ?

(1) चिकित्सा विभाग में दवाइयों की खरीद हेतु राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया हुआ है जिसमें वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी सम्मिलित हैं। उक्त समिति प्राप्त हुई निविदाओं की विस्तार रूप में जांच कर व दवाइयों के मिश्रण व उनकी उपयोगिता को ध्यान में रख कर सूची अनुमोदित करती है। उक्त अनुमोदित सूची समस्त अधिकारियों को उनके अधीनस्थ चिकित्सालयों के लिए आवश्यक दवाइयों की खरीद हेतु भेजी जाती हैं। वर्ष 1983-84 एवं अगस्त, 1984 तक औषधियों के क्रय हेतु टेन्डर नियमानुसार आमंत्रित किये गये थे तथा 25 फर्म उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किये गये। राज्य में 182 क्रय अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न फर्मों से दवाइयां विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्रय की जाती हैं।

(2) जी हां। टेन्डर नोटिस राज्य के जन-सम्पर्क कार्यालय के माध्यम से निम्नलिखित समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाये गये—

1. राजस्थान पत्रिका, जयपुर
2. समाचार जगत, जयपुर
3. इन्डियन एक्सप्रेस, देहली।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : **अध्यक्ष** महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो मेरी सवाल पूछने की मंशा थी उस मंशा को छूआ ही नहीं है। मेरा सवाल यह था कि सन् 1983-84 एवं अगस्त, 1984 तक किन-किन कम्पनियों से कितने-कितने मूल्य की क्या-क्या औषधियां क्रय की गई ? उनकी सूची मांगी थी वह सूची तो आपने दी नहीं। प्रश्न यह था कि कौन-कौन सी किस अवधि में औषधियां खरीदीं और कितने कीमत की खरीदी थीं ? पहले यह बतायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता तो हैं नहीं। मन्शा तो आपने

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अपनी बनाई है। यह इतनी बड़ी सूची है, ढाई सौ पेज की वह मैं आपको दे दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह आप हमें पहले दे देते तो हम उसको देख लेते····

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसको देखने के बाद तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : भाई-भतीजों वाली कम्पनियों से दवाइयां खरीदी हैं यह साबित करने की कोशिश करते ····

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कृपापूर्वक सुनें····

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो कागज बता रहे हैं वह हम कैसे मान लें कि वह वास्तव में सूची है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कहें, तो अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत कर दूं ?

श्री गोपाल पचेरवाल : जी हां।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जमादार जी, यह सूची आप अध्यक्ष महोदय को दे दीजिये।

भाई-भतीजे वाली कोई बात नहीं है, 9 बड़े-बड़े अधिकारी उच्च स्तरीय कमेटी में हैं, टॉप के सर्जन हैं, टॉप के फिजीशियन्स हैं उनकी कमेटी बनाई है। श्रीमन् के राज के समय में तो तीन व्यक्तियों की कमेटी थी, हमने नौ व्यक्तियों की बनाई है, जिसमें वित्त अधिकारी हैं, इन्डस्ट्री का लेखाधिकारी है, जिसमें हैल्थ का अधिकारी है जिसमें प्रोफेसर है, जिसमें लेखाधिकारी है। इन सबको रखकर, काफी छान-बीन के पश्चात्, काफी सर्वे के पश्चात् यह लिस्ट निकाली जाती है। भाई–भतीजा इसमें कहीं आड़े नहीं आता है। यह चार्जेज आप महीने भर बाद जब चुनाव आयें तब बाहर लगाना।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अपने आप में बहुत महत्त्वपूर्ण है। जब तक डिटेल्ड सूची नहीं देखी जाती तब तक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछे नहीं जा सकते। इसीलिये सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न के साथ देखने के लिये सूची मांगी थी। कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें। क्वेश्चन ब्रान्च में यह सूची नहीं आई कि किस-किस कम्पनी की दवाइयाँ खरीदीं और कितने अमाउन्ट की खरीदीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, औषधियाँ तो जिलाधिकारी खरीदते हैं। समिति तो केवल रेट कान्ट्रेक्ट तय करती है, सूची भेज देती है और फिर वह अधिकारी····

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बांसवाड़ा के जिलाधिकारी ने दवाइयाँ किस कम्पनी से खरीदीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपको सारी कम्पनियों की सूची प्रस्तुत कर दूँगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बांसवाड़ा के जिलाधिकारी ने किनसे दवाइयाँ खरीदीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : बांसवाड़ा तो एक जिला है, राजस्थान के तो 27 जिले हैं।

Page No.9

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बहुत ही विस्तृत है। आप....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आप कृपापूर्वक इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये ताकि सूची देखकर प्रश्न कर सकें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि स्थगित करने के प्रश्न पर मैं निर्णय करूँगा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, नकली दवाइयाँ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमन्, आपका एक्सीडेन्ट इतना भयंकर हुआ था। आप हमारी दवाइयों से ही बचे हैं....

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा भारी षड़यन्त्र है। अभी भी नकली इंजेक्शन्स बन रहे हैं नकली दवाइयां बन रही हैं। और लोग उन्हें खा-खा कर मर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दवाइयों के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में अक्टूबर में कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर माह फरवरी तक सारी कार्यवाही कर ली जाती है लेकिन 1983–84 में आपने दवाइयाँ खरीदने के लिए अप्रेल और अप्रेल से भी आगे की अवधि बढ़ाई। नम्बर एक। मेडिसन्स ड्रग कॉन्स्टीट्यूएंट के बेसिस पर नहीं खरीदीं आपने केवल रेपर के आधार पर खरीदने के निर्देश दिये हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि थोड़ा-सा विलम्ब हुआ है....

श्री कैलाश मेघवाल : क्यों ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : फरवरी में कार्यवाही पूर्ण हो जानी चाहिए, अप्रेल में हुई। विलम्ब इसलिये हुआ कि कमेटी के कान्स्टीट्यूशन में थोड़ा सा टाइम लग गया। कमेटी बैठ कर यह तय करती है कि क्या क्या चीज अधिक उपयुक्त रहेगी, कौन सी उपयुक्त नहीं रहेगी। बाकी....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न....

श्री कैलाश मेघवाल : कान्स्टीट्यूएंट ऑफ मेडिसन्स के हिसाब से होता है। आपने केवल रेपर को देखकर खरीदने के आदेश दिये। यह प्रक्रिया अक्टूबर में प्रारंभ होकर फरवरी में फाइनल हो जाती है, इसकी अवधि क्यों बढ़ाई गई ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रश्न के उत्तर में मैंने हिन्दी का शब्द यूज किया है, आपने उसे अंग्रेजी में कहा है, "टेन्डर्स की विस्तार रूप में जाँच कर व दवाइयों के मिश्रण" का मतलब वही है जो आपने कहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य।

गरीब व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु ऋण

41. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : [श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) की अनुपस्थिति में] : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4 आर. एच. सी. 83-84 ऋण 1017 दिनांक 7-7-1983

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

में निर्धारित शर्तों के अनुसार गरीब व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु रुपये 5,000/–का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा (कोटा) की ग्राम पंचायत इटावा ने उक्त आदेश के तहत ऋण उपलब्ध कराया है ? यदि हाँ, तो कृपया उक्त विकास विभाग के आदेश की प्रति तथा जिन व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया गया उसकी प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ऋण विकास विभाग के पत्र की निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर केवल प्रभावशाली व्यक्ति, पंचायत के नौकर व ठेकेदारों को ही उपलब्ध कराया गया है ?

(4) क्या उक्त दी गई राशि का उपयोग हुआ ? यदि हाँ, तो उक्त मामले में बरती गई अनियमितता के लिए कौन व्यक्ति दोषी है तथा उसे क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी ?

राज्य मंत्री पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हाँ।

(2) जी हाँ। विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 4 (11) आर. एच. सी./83-84/ऋण/1017 दिनांक 7-7-1983 तथा जिन व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया गया उसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हाँ। उक्त दी गई राशि का उपयोग किया जा चुका है।

(स्वीकृत ऋण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इस पंचायत समिति में कितने लोगों को राशि दी गई और इटावा पंचायत के कितने लोगों को दी गई ?

श्री शीशराम ओला : आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही उत्तर दिया गया है। 15 व्यक्तियों को यह राशि उपलब्ध कराई गई है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इन लोगों को कितनी आय है ? अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय एक फर्जी काम को सपोर्ट करना चाहते हैं। जिन पन्द्रह लोगों को लोन दिया गया ये सारे के सारे ठेकेदार और सरकारी कर्मचारी हैं। यह नियम है कि जिनकी आय 4,000 से ज्यादा है उनको लोन नहीं दिया जा सकता। उनको दूसरी किश्त भी दे दी गई। उनके पक्के मकान बने हुए हैं, आज से पाँच-पाँच, आठ-आठ, दस-दस साल पहले के और पचास-पचास हजार के मकान हैं। क्या मन्त्री महोदय इसकी जाँच कराने को तैयार हैं कि जिन लोगों को लोन दिया गया है उनको नियमानुसार दिया गया है और उनकी आय साढ़े तीन सौ रुपये से कम है ?

श्री शीशराम ओला : मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, 7-7-83 को यह सूचना प्रकाशित की गई थी कि जिनकी मासिक आय 350/-रु. तक है उनको भवन निर्माण हेतु लोन दिया जा सकता

(श्री शीशराम ओला)

है और वे 5,000/-रु. के लिये आवेदन कर सकते हैं। यह राशि 31-3-84 तक व्यय की जानी थी। 12-9-83 तक पंचायत समिति में एप्लीकेशन भेज दी गई। 15 व्यक्तियों के नाम दिये गये, उनमें आठ आदमी अनुसूचित जाति के हैं, दो माइनोरिटी के हैं और पाँच व्यक्ति दूसरे हैं। एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है जिसकी आय 270/- मन्थली थी, वह डेली वेजेज पर नौकर है। यह जो लोन दिया गया है यह वसूली योग्य है। यह कोई सब्सिडी नहीं है। पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास करके जिन्होंने कर्जा माँगा था उन 15 व्यक्तियों के नाम दिये थे। उन्हें कर्ज देना उचित समझा गया। इनमें 8 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वह ठेकेदार हैं या नहीं, उनके पास एक-एक या दो दो मकान हैं या नहीं ? उनको आपने पाँच-पाँच हजार रुपये का ऋण दे दिया।

श्री शीशराम ओला : आप जो फर्मा रहे हैं इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप किन्हीं व्यक्तियों का नाम दें कि उन्हें कर्ज देना गलत है तो इसकी मैं जाँच करवा लूंगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, ये 15 के 15 लोग ऐसे हैं जिनके पूर्व में पक्के मकान बने हुए हैं। इसका सबूत यह है कि एक भी मकान नक्शे के अनुसार बना हुआ नहीं है। चार पंचायत समिति के कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह पाँच सौ रुपये से अधिक है। इनमें कई ठेकेदार हैं और कुछ व्यक्ति इटावा से बाहर के रहने वाले हैं। इनके नाम हैं जयरामदास पुत्र श्री हंसानन्द सिंधी, नानक राम पुत्र हंसानन्द सिंधी। इनको भी पाँच-पाँच हजार रुपये का लोन दिया गया है।

श्री शीशराम ओला : आप निराधार कह रहे हैं। आपको कोई शंका है कि घोटाला हुआ है तो मैं इसकी जाँच करवा लूंगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपने जो नक्शा दिया है क्या एक भी मकान उस नक्शे के अनुसार बना हुआ है ?

श्री शीशराम ओला : मैंने निवेदन किया, 15 आदमियों को कर्जा दिया गया है, उनके नाम मौजूद हैं। उनमें 8 अनुसूचित जाति के हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय प्रश्न को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लोन जो दिया गया है वह गलत लोगों को दिया गया है। इनमें चार ठेकेदार हैं। एक व्यक्ति है रामनारायण, जिसके पास तीन मकान है। वह लाइट डेकोरेशन का काम करता है। दूसरा नाथूलाल ठेकेदार है, रामप्रसाद काण्ट्रेक्टर है इनको लोन दिया गया है। निर्धारित नक्शे के अनुसार एक भी मकान नहीं है। इनके पचास-पचास हजार के मकान बने हुए हैं। क्या इनको लोन देने में गलती नहीं हुई ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सरकारी मशीनरी से मेरे पास

(श्री शीशराम ओला)

आई है वह मैंने अर्ज कर दी। अगर माननीय सदस्य को सन्तोष नहीं है तो मुझको लिख कर देवें। मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैंने प्रश्न दिया तो क्या इसकी पूरी जानकारी नहीं होनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि उनकी जानकारी यह है और निश्चित रूप से सही है। आप इसको गलत साबित करना चाहते हैं तो लिखकर दे दीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : लिखकर देना जरूरी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : जरूरी नहीं है।

(व्यवधान)

सदन के समक्ष जो माननीय सदस्य ने कहा है उस आधार पर आप जाँच करवा लीजिये।

श्री शीशराम ओला : ठीक है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरा निवेदन सुन लीजिये। मेरी जानकारी सही है। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। एक भी मकान नक्शे के अनुसार नहीं बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जाँच करवाने का आश्वासन दिया है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : घोटाले को दबाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें। आसन पैरों पर है। कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ :(× × ×)याद रखना।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : यहाँ टिकट थोड़े ही बंट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

प्रश्न संख्या 42.

श्री चुन्नीलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री राजबहादुर।

भरतपुर नगर का मास्टर प्लान

43. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर नगर के लिये क्या नगर आयोजना विभाग की ओर से कोई मास्टर प्लान अब तक तैयार हुआ है ?

× × ×) अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजबहादुर)

(2) ऐसे किसी मास्टर प्लान के तैयार करने का कार्य कितने वर्षों से चल रहा है ? अब तक मास्टर प्लान नहीं बनने का क्या कारण है ?

(3) क्या भरतपुर शहर के लिए कोई ड्रेनेज योजना अब तक बनी है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई कदम उठाया है ?

राज्य मन्त्री, नगर आयोजना (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी हाँ, नगर आयोजना विभाग द्वारा भरतपुर का ड्राफ्ट मास्टर प्लान बनाया जा चुका है।

(2) यह कार्य सन् 1966 में शुरू हुआ था। तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में व अन्य प्राथमिकता के कारण कार्य में विलम्ब हुआ। अब ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार हो चुका है।

(3) वर्ष 1974-75 में एक स्टोर्म वाटर कम सलेज ड्रेनेज स्कीम 96·67 लाख की जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा बनाई गई, जो धनाभाव के कारण लागू नहीं की जा सकी। अब यह योजना मूल्य सूचकांक बढ़ने के कारण लगभग दो करोड़ रुपये की होगी।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का भाग (1) बिल्कुल साफ है भरतपुर नगर के लिये क्या नगर आयोजना विभाग की ओर से कोई मास्टर प्लान अब तक तैयार हुआ है ? इन्होंने जवाब दिया है कि भरतपुर का ड्राफ्ट मास्टर प्लान बनाया जा चुका है। दूसरी बात यह है कि सन् 66 से लेकर अब तक वह मास्टर प्लान बनता ही रहा और अब तक वह ड्राफ्ट मास्टर प्लान ही बनकर तैयार हुआ है तो यह योजना कब तक पूरी तैयार हो जायेगी। मास्टर प्लान को जब फाइनल किया तो क्या वहाँ के जन प्रतिनिधियों से आपके सम्बन्धित विभाग ने कोई सलाह मशविरा लिया या उनसे कोई सुझाव मांगे ? नहीं तो क्यों ? और क्या आप जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल करने की मंशा रखते हैं ? तीसरा मेरा प्रश्न यह है, आपने जो बताया कि 96 लाख की योजना थी वह अब दो करोड़ की हो गयी है तो इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ? अध्यक्ष महोदय, मैं तो मन्त्री महोदय से यह चाहूंगा कि वह इन तीनों प्रश्नों का जवाब दे दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इनके तीसरे प्रश्न का जवाब दे दूँ क्योंकि यह प्रश्न ड्रेनेज से सम्बन्धित है और इनके क्षेत्र से सम्बन्धित है। मेरा यह निवेदन है कि यह प्रश्न मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। यह तो पी. एच. ई. डी. से सम्बन्धित है इसलिये जितनी सूचना नगरपरिषद के द्वारा प्राप्त हो सकती थी वह मैं बता रहा हूं। जो पी. एच. ई. डी. से सम्बन्धित है उसके लिये सेपरेट नोटिस देकर उस विभाग से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जहां तक मास्टर प्लान का सवाल है उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसमें विलम्ब जरूर हुआ है क्योंकि पहले अलवर को विकसित करने को प्राथमिकता देने का तय हुआ। वहां पर उद्योगों का विकास करने के लिये पहले तैयारी करना जरूरी था, सड़कें वगैरह बनानी थीं। पहले उसका मास्टर प्लान बना। एन. सी.

Page No.14

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आर. की स्कीम की वजह से उस एरिया को प्राथमिकता दी गई। हमारे पास में स्टॉफ की बहुत कमी थी और पहले अलवर का काम था, अलवर के नीचे ही भरतपुर आता है। अब मास्टर प्लान का ड्राफ्ट बन गया है और उसके लिये जो एडवाइजरी कौंसिल है उसके सदस्य अभी तो सरकारी अधिकारी हैं। अब हम एडवाइजरी कौंसिल को शीघ्र एक्सपैण्ड कर रहे हैं। यह बात सही है कि इस समय एडवाइजरी कौंसिल में जन प्रतिनिधियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं। राज्य सरकार अब शीघ्र ही जन प्रतिनिधियों को इसमें शरीक करने के लिये कार्यवाही करेगी और इसको एक्सपैण्ड किया जायेगा। जब इस ड्राफ्ट प्लान को फाइनेलाइज किया जायेगा उस समय तक सर्वप्रथम एडवाइजरी कौंसिल को एक्सपैण्ड करेंगे और जन प्रतिनिधियों को, जनता के नुमाइन्दों को उसमें लिया जायेगा। इसमें कोई एडीशन, आलट्रेशन या तरमीम करनी होगी तो वह उसके बाद की जायगी। डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट प्लान अभी पब्लिश कर दिया है, अभी का मतलब है विद इन सिक्स्थ मन्थ तैयार हुए हैं।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय मेरे प्रश्न के जवाब को साइड ट्रैक कर रहे हैं। मैं ड्रेनेज की बात नहीं कर रहा हूं। अगर यह प्रश्न दो मन्त्रियों से सम्बन्धित था तो दो विभागों से जवाब बनवाकर मन्त्रीजी जवाब देते। यह 96 लाख की स्कीम थी। अब दो करोड़ की हो गयी है, इसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : अब यह दो करोड़ का फिगर ही कोई अन्तिम फिगर थोड़े ही है। आगे भी बढ़ सकता है।

श्री राजबहादुर : यह और भी बात आगे बढ़ गयी। अध्यक्ष महोदय, एडवाइजरी कौंसिल में जन प्रतिनिधि अभी तक नहीं हैं। यह स्कीम सन् 66 से लेकर 84 तक बनती ही रही फिर भी एडवाइजरी कौंसिल में जन प्रतिनिधि नहीं हैं। खैर पहले की बात तो छोड़ो, सन् 80 के बाद, जब इसका ड्राफ्ट प्लान बन रहा था, आपको जन प्रतिनिधियों को लेना चाहिये था। अब वह कब फाइनेलाइज होगा। होगा, जल्दी इसकी क्या गारन्टी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, ड्राफ्ट मास्टर प्लान बन कर तैयार हुआ है। यह कुछ माह बाद यानि 6 महीने में तैयार होगा। प्रायोरिटी देकर इसकी प्रक्रिया जो सन् 66 में शुरू हुई थी बीच में दूसरी योजना के कार्य हाथ में लेने से उसमें देरी हुई। अब यह जल्दी ही हो जायेगा। इसमें गारन्टी की जो बात है वह तो यह है कि मैं सदन के सामने कह रहा हूं और अध्यक्ष महोदय के सामने कह रहा हूं कि यह 6 महीने में तैयार हो जायेगी। यह कोई गीत लिखने की बात तो है नहीं कि बैठे और लिख दिया।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने यह कहा कि अलवर की वजह से भरतपुर में काम नहीं हो सका। सन् 66 से लेकर 84 तक अलवर में काम चला, यह एन. सी. आर. का कब काम शुरू किया उसमें भरतपुर को शामिल क्यों नहीं किया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एन. सी. आर. के तहत भरतपुर को तो शामिल नहीं किया लेकिन भरतपुर की कुछ तहसीलों को इसमें लिया गया। हमारे मुख्य

Page No.15

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मन्त्रीजी ने एन. सी. आर. की मीटिंग में कहा था तो कुछ तहसीलों को इसमें लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, एन. सी. आर. का पार्लियामैन्ट में एक्ट पास हुआ है। आपने कल ही अखबारों में पढ़ा होगा, उसके लिये एक बोर्ड बना है, वह निर्णय लेगा इसमें कौनसे एरिया लेने हैं। इन सभी की इकजाई सूचना मेरे पास नहीं है। अलवर में जो काम है, एन. सी. आर. की स्कीम के तहत बहुत आवश्यक काम था। इसलिये पहले अलवर का मास्टर प्लान बना। इसमें एरिया अब आगे कौन कौनसा लेना है वह देखना है।

श्री राजबहादुर : तो सन् 66 से लेकर अब तक यह तय नहीं हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो खुद ही एडमिट कर रहा हूं कि इसमें विलम्ब हुआ है। मैंने अपने उत्तर में कहा है कि इसमें देरी हुई है वह भी इसलिये कि प्रायोरिटी फिक्स करने की बात थी। अब इसमें जल्दी कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न

श्री चाव खां

भरतपुर जिले में नवीन सड़कों का निर्माण

44. श्री चाव खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला भरतपुर में 1984-85 में किन किन तहसीलों में कौन कौनसी सड़कें मन्जूर की गई हैं? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला भरतपुर की तहसील कामां में चालू वर्ष में जो सड़कें मन्जूर की गई हैं उन पर कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा।

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) जिला भरतपुर में 1984-85 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की वार्षिक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची (प्रपत्र 'क') सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला भरतपुर की तहसील कामां में स्वीकृत कार्यों के तखमीनों की स्वीकृति के तुरन्त बाद कार्य शीघ्र शुरू कर दिये जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि दूसरी जगह तो सड़कें बन गयी हैं फिर मेरे क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में इतनी देरी क्यों की गयी है? मेरा क्षेत्र सड़कों की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। सड़कों की स्वीकृति देकर मेरे ऊपर अहसान थोपते हैं कि हमने आपके यहां पर सड़कों की स्वीकृति दे दी है मगर अभी तक वहां पर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र कामां हमारे देश का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है वहां पर हरियाणा और यू. पी. से लोग आते हैं। दूसरी जगह तो सड़कें हैं पर मेरे क्षेत्र में सड़कों का अभाव है। कामां से जो जुड़े हुए प्रान्त हैं हरियाणा और यू. पी. वह तो सड़कों से जुड़े हुए हैं पर मेरा क्षेत्र सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं है। वहां पर एक भी नई सड़क नहीं बनी है।

(श्री चाव खां)
अब यह सड़कों की मन्जूरी देने की बात बता रहे हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, भरतपुर जिले में 28 सड़कें स्वीकार की गयी हैं उनमें से अकेली कामां तहसील में चार सड़कें स्वीकृत हुई हैं। 28 सड़कों में से कामां तहसील की चार सड़कें स्वीकृत हुई हैं वह कम नहीं हैं। जो धनराशि दी गयी है, वह टोटल 192.75 लाख की जो राशि रखी है उसमें से अकेले कामां के हिस्से में जहां 26·30 लाख रुपये की राशि आनी चाहिये थी वहां उसको हमने अब 36 लाख रुपये कर दिया है। जहां तक लम्बाई का सवाल है भरतपुर जिले की 9 तहसीलों में जहां सड़कें स्वीकृत हुई हैं में तो लम्बाई 16 किलोमीटर है वहां कामां के लिये 24 किलोमीटर रखी है। इसमें कहां पक्षपात हुआ है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सड़कों की मन्जूरी की गयी है वह मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि आपके द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर तय की है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो सड़कें कई वर्ष पहले पूरी हुई थीं और केन्द्र से पैसा भी मिला था, कामां तहसील की दो सड़कें हैं अमरका से जुरहेरा और कदावर से अमरका और दूसरी नौगांवा अलवर तक, यह 8 वर्ष पहले मन्जूर हुई थी। यह अभी तक कितनी पूरी हुई है ?

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि मैंने कामां क्षेत्र में चार सड़कें दी हैं। वह बता दें कि कौन कौन सी हैं ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए मैंने हर तहसील का विवरण दिया है, निर्वाचन क्षेत्र का नहीं। मैंने तहसील कामां का भी वर्णन किया है।

श्री राजबहादुर : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कामां तहसील के बारे में पूछा है।

श्री चेतराम मीणा : कामां तहसील की जो चार सड़कें हैं वह गोपालगढ़ से पापला, गोपालगढ़ से पीपल खेड़ा, गोपालगढ़ से लाडमका और एप्रोच रोड टू अमरका।

श्री चाव खां : यह जो तीन सड़कें बताई हैं यह मेरे क्षेत्र में नहीं आतीं।....

श्री अध्यक्ष : मेरा भी ऐसा ही अन्दाजा था कि नहीं आतीं।

श्री चाव खां : श्री मुरादखां विधायक महोदय ने और मन्त्री महोदय ने मिल कर मेरे साथ आघात किया है, को तीन सड़कें दी हैं और जो गोपालगढ़ से पीपलदा तथा गोपालगढ से लाडमका तथा गोपालगढ से पापड़ा जहां मैं चाहूं वहां दीजिए मैं इन सड़कों को नहीं चाहता। सड़कों की बजाय मुझे सड़कें ही दे दीजिये लेकिन जिसको दी हैं मैं इनको नहीं चाहता। अगर आप देते हैं तो अलग से दे दीजिए। मैं कामां क्षेत्र में चाहता हूँ। पहाड़ी से अंजनी तथा कामां से कदमकुण्डी जो तीर्थ स्थानों में आते हैं केवल 10 कि. मी. ही है।

Page No.17

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगला प्रश्न ।

श्री **चाव खां** : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया....

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी मौन रह गये, इसका मतलब जवाब आ गया ।

श्री **हंसराज शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज अगला प्रश्न ।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । मननीय सदस्य ।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाई माधोपुर क्षेत्र में····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इसमें प्रश्न नहीं है । अगला प्रश्न । आर्डर, आर्डर ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठ जायें । कृपया बैठ जायें ।

श्री चाव खाँ : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो दें ।

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया, माननीय सदस्य ।

अगला प्रश्न । श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, श्री कैलाश मेघवाल ।

वन विभाग में कथित घपलों में कार्यवाही

45. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा, करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य वाहन चालक तकनीकी कर्मचारी संघ ने वन विभाग में करोड़ों रुपयों की हेराफेरी और घोटालों के आरोप वाला एक ज्ञापन गत माह अप्रेल, मई, 1984 में सरकार को प्रस्तुत किया था ? यदि हाँ, तो कृपया ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) राज्य सरकार ने इस ज्ञापन पर अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

राज्य मंत्री वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(1) जी हां । ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) राज्य सरकार ने दिनांक 26-5-84 को निदेशक सतर्कता (वन) विभाग को उच्च स्तरीय विस्तृत जांच के निर्देश दे दिये हैं । जांच अभी जारी है ।

(ज्ञापन के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला इसलिए

(श्री कैलाश मेघवाल)

है कि यह ज्ञापन जिसने दिया है वह है श्री अभयसिंह राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ। यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी दुर्भावना से नहीं पढ़ रहा हूं। उनके वाहन चालकों का ही अध्यक्ष है। अध्यक्ष ने इसके पहले भी और आखिर में इस तरह की स्थिति पैदा की है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें लिखा है, वन विभाग, राजस्थान में करोड़ों रुपयों का घोटाला। इस तरह का आरोप पत्र बना कर इनको बांटना पड़ा है। मैं आपके सामने स्थिति इसलिए रखना चाहता हूँ कि जयपुर में कुछ वाहन पड़े हैं 54 से। कोई नर्सरी में खड़े हैं, उनके सारे ढांचे ही रह गये हैं। कोई कहीं बाग में पड़ा है उसका सारा ढांचा ही पड़ा रह गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई जलेबी चौक में पड़ा है उसका सारा ढांचा ही रह गया। इस तरह से वन विभाग में सैकड़ों वाहन हैं वह कहीं न कहीं पड़े हैं। अब मोडस आपरेण्डी क्या है ? मोडस आपरेण्डी यह है कि राजकीय वाहनों को कन्डम करने के लिए किलो मीटर निर्धारित है और उसके मापदण्ड निर्धारित हैं। उसके पहले वाहनों को छोड़ दिया। उनमें से सामान गायब हो गये। उसी ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने वाहनों का दुरुपयोग किया और उनके पुर्जे निकाल कर बदल दिये। कई लोगों ने वाहनों के सामान बेच दिये। आज वह जर्जर पड़े हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 1981 में भी इन आरोपों के आधार पर एक आरोप पत्र, जिनका जिक्र इसमें किया गया है,—आपको दिया गया था 21–9–81 को। यह आरोप पत्र भी संयोजक श्री सत्य नारायण पारीक वाहन चालक कर्मचारी संघ, जयपुर ने दिया था। तब से वह मसला आपके सामने है। उसी की शुरुआत की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ज्ञापन में। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आप यह बतायें कि आपके विभाग में कब से यह वाहन हैं ? मेरी सूचना तो है, 54 से है, क्या 54 से लगाकर अभी तक वन विभाग में कोई वाहन कन्डम हुए हैं या नहीं ? और कन्डम हुए हैं तो उनकी क्या पोजीशन है ? इनके नीलामी के आदेश दिये या नहीं ? 21–9–81 को आपने जांच कराई थी उसके परिणाम कब आये ? अब मई में आदेश दिये हैं इसके लिए तो कितने समय में जांच पूरा करने के आदेश दिये हैं ? इन मुद्दों पर जवाब दें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आरोप अभी सदन के सामने बताये हैं और कुछ अंश पढ़कर सुनाये हैं। मुझे जब आरोप मिले तो मैंने तीन दिन के भीतर ही एडीशनल आई. जी. के रेंक के व्यक्ति, जो कि हमारे यहां विजिलेन्स में हैं, को उसकी जांच के आदेश दिये। जिस व्यक्ति को जांच का कार्य सौंपा गया, आप मानेंगे कि इतने बड़े आरोप पत्र में अभी समय लगेगा। इसलिए वह उसकी स्टडी कर रहे थे। उसी बीच में आफिसर का ट्रान्सफर हो गया। दूसरे अभी आये हैं। कल ही मैंने पूरी स्थिति की जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हम बहुत थोड़े ही समय में एक टीम लगाकर उसकी पूरी जांच करेंगे। इसलिए जहां तक आरोप के मुद्दे हैं उनके ऊपर अभी कुछ

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

नहीं कहना ही मैं मुनासिब समझता हूं। जो भी जांच के बाद निष्कर्ष आयेगा, जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

दूसरी बातें आपने जनरल बातें कही हैं कि वाहन पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, पड़े हुए हैं। क्योंकि गैराजों का अभाव है इसलिए वाहन दफ्तरों के बाहर पड़े हैं। कुछ तो गैराज में हैं वह वहां पड़े हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि कन्डम होने की स्थिति में हैं। अध्यक्ष महोदय, कन्डम वाहनों को कन्डम करने की प्रक्रिया, जैसा माननीय सदस्य अभी कुछ फर्मा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी परेशानियां होने के कारण उन वाहनों को कन्डम नहीं किया जा सका। राज्य सरकार की एक उच्च स्तरीय कमेटी इसकी बनी है चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में, उस कमेटी के पास में जब सारे मसले आये, कइयों के माइलोमीटर खराब पड़े हैं, कई जगह लाग बुक्स नहीं हैं—इस तरह की बातें सामने आई तो 15-15 साल की पुरानी बातें हैं, तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 15-9-84 से दस साल पुराने जितने भी वाहन पड़े हैं, उनको मौके पर जो कमेटी बनी हुई है वह देखकर कन्डम करेगी। हमने उनसे निवेदन किया है कि हमारे यहाँ जो वाहन पड़े हैं दस साल से पुराने वह कमेटी आकर देखें और उनको कन्डम करे। मैंने आज ही गैराज सुपरिन्टेन्डेन्ट को कहा है कि वह सब वाहनों का निरीक्षण करके कन्डम करने की कार्यवाही करे ताकि बेकार के जो कन्डम व्हीकल्स पड़े हैं इससे कुछ आमदनी राज्य सरकार को हो सके।

जहां तक 21-9-81 के आरोप पत्र का सवाल है वह कोई आरोप पत्र नहीं था। उनकी कुछ मांगें थीं, मैकेनिक होने चाहिए गैराज होने चाहिए आदि। तो उसके ऊपर सरकार जैसे-जैसे धन उपलब्ध होगा कार्यवाही करेगी। ....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न

जिला नागौर में चरागाह विकास कार्यक्रम

46. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या भेड़ एवं ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर की संचालन परिषद् ने अपनी बैठकों में भेड़ चरागाह विकास हेतु भूखण्ड ग्राम आचीणा, पंचायत समिति मूंडवा के संबंध में कोई प्रस्ताव पास किया ? यदि हां, तो किस प्रकृति का ?

(2) क्या भूखण्ड आचीणा (हंसापा का भोमिया जी) भेड़ चरागाह विकास हेतु राजस्व मंत्री द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया स्थगन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आचीणा भेड़ चरागाह विकास भूखण्ड पर तारबन्दी एवं टांके का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत सरपंच ग्रामवासियों व जिला विकास अभिकरण के प्रस्ताव के बिना ही आरम्भ कर दिया

(श्री महाराम चौधरी)

गया ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए सरकार ने सूचना दे दी है। प्रश्न को स्थगित किया गया।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में आ जाय।

(12.00 मध्यान्ह)

श्री बाल चन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कौन से नम्बर का है ?

श्री बाल चन्द्र आर्यवीर : सैंतालीस नम्बर।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बाल चन्द्र आर्यवीर एवं **श्री अनंग कुमार जैन**।

पिडावा रेफरल अस्पताल की व्यवस्था में सुधार

47. श्री बाल चन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिड़ावा, जिला झालावाड़ कस्बे में रैफरल अस्पताल में मेल व फीमेल डाक्टर्स तथा अन्य स्टाफ की कमी है ? रेफरल अस्पताल हेतु स्टाफ के कितने पद सृजित है और उनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि अस्पताल में बिजली लगाने का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है जिससे बीमारों को परेशानी होती है और उपचार में भी व्यवधान होता है ? सुचारु विद्युत व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री खेत सिंह राठौड़) : (1) जी नहीं। पिड़ावा उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (रेफ़रल अस्पताल) में चिकित्सकों के पद व अन्य पैरा मेडिकल के 14 पद सृजित है। वर्तमान में चिकित्सकों को दो पद रिक्त हैं, जिन पर पदस्थापन हेतु भी आदेश जारी किये जा चुके है। एक पद लेबोरेटरी टेक्निशियन का रिक्त है, जिसे भी शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं।

बिजली की सुचारु व्यवस्था कर दी गई है।

श्री बाल चन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने सूचना दी है, यह बिलकुल गलत है, वहां पर मैं होकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : आप जाकर आये, उसके बाद में आदेश हुए होंगे।

श्री बाल चन्द्र आर्यवीर : अभी जाकर आया हूं। वह तो मेरे क्षेत्र से बिलकुल लगा हुआ क्षेत्र है। कब किये आपने आदेश ?

श्री खेत सिंह राठौड़ : यह सही है कि आपका प्रश्न आने के पश्चात मैंने दो डाक्टरों को वहां लगा दिया है। जनतन्त्र में आखिरकार यही तो हुआ करता है, आपने अपनी ड्यूटी अदा की और मैंने अपना फर्ज अदा किया।

श्री बाल चन्द्र आर्यवीर : वे डाक्टर वहां पहुँच जायेंगे, क्या ऐसी मैं आशा करूँ ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : डॉ० अशोक गर्ग और डॉ० भगवान सहाय को वहां लगा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे अवश्य वहां जायेंगे। यदि ड्यूटी ज्वाइन न करें तो आप कृपा पूर्वक फर्मा दें, मैं दूसरों को लगा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जायं।

श्री बाल चन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर वहाँ पहुँचते नहीं हैं और ट्रान्सफर केन्सल करवा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 4 देखें)

(12·03 म. प.)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बीकानेर में सड़क निर्माण कार्य

37. **श्री सुरजा राम टाक** (नौखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1)क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में स्थित निम्नलिखित गांव चूरू-नागौर जिले की सीमा से लगते हुए हैं जहां ग्रामीण लोगों को आने जाने के कोई सुगम मार्ग उपलब्ध नहीं हैं:—

1. धावरिया से लालगढ़ (वाया मनसर)
2. नोखा वाया धुकलियां से मैनसर
3. पाचु से नापासर (वाया नोखा मण्डी)
4. साधासर (वाया मसूरी) डूंगरगढ़

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनता की सुविधार्थ इन मार्गों पर शीघ्र सड़क निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने तथा लिंक रोड़ निर्माण योजना के अन्तर्गत उपरोक्त अंकित कस्बों में सड़कों का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ? ऐसा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 एवं 2) जी हाँ।

आवश्यकतानुसार एवं साधन उपलब्ध होने पर यथानुसार सड़क निर्माण करवाये जा रहे हैं :—

(1) धावरिया से मनसर तक सड़क राज्य कृषि विपणन बोर्ड बना रहा है तथा मैनसर से लालगढ़ तक सड़क मास्टर प्लान से प्रस्तावित है।

(सार्व. नि. राज्य मंत्री)

(2) नोखा वाया घुपालियां-मैनसर सड़क मास्टर प्लान में प्रस्तावित नहीं है ।

(3) पांचु से नापासर वाया नोखा मंडी देशनोक सड़क डामर की बनी हुई है ।

(4) सादासर से डूंगरगढ़ वाया मंसूरी सड़क का निर्माण राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है ।

(5) उपरोक्त योजना में सिर्फ मेनसर गांव सड़क से नहीं जुड़ा है । मास्टर प्लान में मैनसर को जोड़ने का प्रस्ताव है। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कार्य प्रगति पर है। पूर्ण होने पर ये गांव सड़क से जुड़ जावेगा।

जैसलमेर नेशनल पार्क

38. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले में स्थित नेशनल पार्क की स्थापना कब हुयी, इसकी क्या योजना है एवं इसमें कितना क्षेत्र शामिल किये जाने का प्रस्ताव है ? अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है व इस पर कितना खर्चा किया जा चुका है ? कृपया भावी कार्यक्रम की रूपरेखा सदन की मेज पर रखें ।

(2) नेशनल पार्क का अन्तिम चरण कब तक पूरा होना है एवं इसमें कितनी जमीन सम्मिलित की जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि नेशनल पार्क, जो राष्ट्र का ही नहीं वरन् विश्व की एक विशिष्ट उपलब्धि होगी उसके कार्य को पूरा करने में शिथिलता बरती जा रही है ? यदि हां, तो शिथिलता के क्या कारण हैं ? क्या सरकार युद्ध स्तर पर कार्य चला कर इसके कार्य को यथा शीघ्र सम्पन्न करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में नेशनल पार्क स्थापित करने के आशय की प्रारम्भिक विज्ञप्ति दिनांक 8-5-1981 को की जा चुकी है । हक हकूक के बारे में जांच जारी है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार अब प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान में करीब 310 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित करने की योजना है। 31 मार्च 1984 तक रुपये 98.66 लाख व्यय किया गया। भावी कार्यक्रम की रूप रेखा सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) मूल योजना के अनुसार इसका अंतिम चरण वर्ष 1986-87 तक पूरा होना था एवं इसमें करीब 310 वर्ग किलो मीटर जमीन सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ।

(3) जी नहीं । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार योजना को पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(कार्यक्रम की रूपरेखा हेतु कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

सवाईमाधोपुर जिले में डकैतियां

42. श्री कुन्जीलाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

सन् 1980-81 से अब तक सवाई माधोपुर जिले में कितनी डकैतियाँ पड़ी हैं ? उनमें से कितनी डकैतियों का माल बरामद किया गया है व कितनी डकैतियों का माल बरामद होना शेष है ? कृपया थानेवार सूची सदन के पलट पर रखें।

उत्तर

सन् 1980-81 से सितम्बर, 1984 तक जिला सवाई माधोपुर में कुल 67 डकैतियों के मामले पंजीबद्ध हुये। इनमें से 19 डकैतियों में माल बरामद हो गया। शेष डकैतियों का ब्यौरा जिनमें माल बरामद नहीं हुआ है की थानेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(थानेवार सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सुजानगढ़ कस्बे में औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त भूमि

39. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में औद्योगिक क्षेत्र के लिये जमीन अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो यह जमीन कहां पर स्थित है, इसका रकबा कितना है और यह किन लोगों के स्वामित्व व कब्जे में है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस जमीन का स्वामित्व एवं कब्जा अधिकतर गरीब लोगों का है जिनके आवास भी इन्हीं जमीन पर हैं और उन्हें वहां से हटा दिया जाने पर वे बेघर हो जायेंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस जमीन के मुआवजे की दरें बहुत ही कम तय की गई हैं और वह भी अभी तक नहीं चुकाई गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में औद्योगिक क्षेत्र के लिये भूमि अवाप्त की गई है। यह भूमि सुजानगढ़ सालासर रोड़ पर स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 47 बीघा 17 बिस्वा है। अब यह भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की है तथा दिनांक 26-3-81 से रीको के कब्जे में है।

(2) निगम द्वारा अवाप्त की गई जमीन पर खातेदारान के कुछ कच्चे मकान बने हुए थे, जिसका उचित मुआवजा निगम द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

(3) अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी को उनके द्वारा दिये गये, अवार्ड के मुताबिक राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि० द्वारा भुगतान किया जा चुका है।

Page No.24

जिला झुंझुनूं के अकाल ग्रसित ग्राम

40. श्री मालाराम (नीमकाथाना) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झुन्झुनूं के कितने ग्रामों को अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण अकाल-ग्रस्त घोषित किया गया है ? कृपया पंचायत समितिवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति खेतड़ी के कितने ग्राम अकालग्रस्त घोषित किये गये एवं कितनों में राहत कार्य किस-किस प्रकार के खोले गये ?

(3) उक्त अकालग्रस्त ग्रामों में क्या-क्या राहत प्रदान की गई ?

उत्तर

(1-2-3) जिला झुन्झुनू के किसी ग्राम को अभी तक अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। फसल खरीफ की गिरदावरी के लिए सामान्य समयावधि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। राजस्थान के फैमिन कोड के पैरा 7 के तहत खरीफ की फसल में क्षति होने के कारण उत्पन्न होने वाली अभाव-स्थिति का प्रथम प्रतिवेदन 31 अक्टूबर तक एवं अन्तिम प्रतिवेदन 30 नवम्बर तक जिलाधीश के द्वारा सहायता विभाग को प्रेषित करने का प्रावधान है। खरीफ की गिरदावरी समाप्त होने एवं अभावस्थिति के बावत अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद ही राज्य सरकार अभावस्थिति की घोषणा करने के सम्बन्ध में निर्णय करेगी।

रूपान्तरण शुल्क की अधिक जमा राशि की वापसी

41. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर कीर्ति नगर को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, सोडाला न्यू सांगानेर गेट रोड, जयपुर द्वारा भूमि रूपान्तरण शुल्क दर 6/- रुपये प्रति गज की दर से राज्य कोष में जमा कराया था ? यदि हां. तो कब और कितनी राशि जमा कराई ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार, द्वारा भूमि रूपान्तरण संशोधित दर रु. 4.80 पैसे प्रति गज रखा गया है ? यदि हां, तो फिर उक्त सोसाइटी से प्राप्त अधिक राशि कितनी है ? निर्धारित राशि से अधिक राशि वापस सोसाइटी को दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा वापस कब तक लौटाई जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। समिति द्वारा पूर्व में कृषि भूमि के रूपान्तरण हेतु निर्धारित 10/ रु. प्रतिगज के हिसाब से कुल 1,24,412.50 पैसे निम्नानुसार जमा करवाये हैं:—

Page No.25

(सहकारिता मंत्री)

चालान नम्बर	दिनांक	राशि
1.190	21-8-74	25000.00
2.205	29-8-74	7834.00
3.1029	31-8-76	42750.00
4.341	5-2-75	3466-00
5.588	11-10-75	45362-50
	कुल योग:	124412.50

निर्धारित दर 10 रुपये प्रतिगज के हिसाब से समिति को कुल 181500 रु. जमा करवाने थे।

(2) जी हां। समिति को संशोधित दरों के अनुसार कुल 87120/ रु. जमा कराने चाहिये थे। समिति द्वारा जमा अधिक राशि जो 37292.50 पैसे है को समिति को वापिस करने हेतु मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जालौर जिले में मजमा. ए. आम अभियान

42. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा हाल ही में जालौर जिले में सहकारी बैंकों द्वारा लोगों को दिए गए अनुदान एवं ऋणों को मौके पर मजमा-ए-आम अभियान में तस्दीक करने का कार्यक्रम चलाया गया है? अगर हां, तो कब से कब तक?

(2) जालौर जिले की सात पंचायत समितियों में उक्त अभियान कब-कब शुरू किया जाकर कब तक सम्पूर्ण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त अभियान में सातों पंचायत-समितियों में कुल कितने गड़बड़ घोटाले के मामले पकड़े गए हैं? उस बारे में सरकार द्वारा किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गई है एवं भविष्य में कब तक क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हाँ। यह कार्यक्रम 1.9.84 से 30.8.84 तक चलाया गया था।

(2) जालौर जिले की सात पंचायत समितियों में उक्त अभियान उनके सामने अंकित दिनांकों को प्रारम्भ कर समाप्त किया गया :—

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	कब से कब तक
1.	जालौर	1.9.84 से 21.9.84 तक
2.	आहोर	1.9.84 से 30.9.84 तक
3.	सायला	1.9.84 से 29.9.84 तक
4.	भीनमाल	1.9.84 से 24.9.84 तक

(सहकारिता मन्त्री)

1	2	3
5.	रानीवाड़ा	1.9.84 से 29.9.84 तक
6.	सांचोर	1.9.84 से 28.9.84 तक
7.	जसवंतपुरा	1.9.84 से 16.9.84 तक

(3) उक्त अभियान के अन्तर्गत जिले की सात पंचायत समितियों में अब तक 340 मामले रु. 4.61 लाख के गबन के प्रकाश में आये। इनमें से 134 मामले रु. 1.28 लाख के निर्णीत किये गये। 6 मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई। इसके अतिरिक्त राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 75 के 158 मामले धारा 70 के 18 मामले व धारा 74 के **3** मामले दर्ज किये जाकर सहकारी अधिनियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इन मामलों में धारा 70 के अन्तर्गत जाँच हेतु आदेश सहायक रजिस्ट्रार, जालौर द्वारा शीघ्र जारी किये जा रहे हैं। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। धारा 74 के अन्तर्गत जिनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई है तथा जिनके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना दे दी गई है उनकी सूचियाँ संलग्न हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिला कोटा में "मजमा-ए-आम" अभियान

44. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में विभाग द्वारा मजमा-ए-आम लगाया जा रहा है ? यदि हाँ, तो किस उद्देश्य से ?

(2) अब तक किस-किस सहकारी समिति/पंचायत समिति में मजमा-ए-आम लगाया जा चुका है तथा उसके क्या परिणाम सामने आये ? जनता व किसानों को इससे क्या लाभ हुआ ?

उत्तर

(1) जी हाँ, राज्य सरकार के निर्णयानुसार यह अभियान निम्न उद्देश्यों से चलाया गया—

1. ग्राम सेवा सहकारी समितियों में हुए धन के दुरुपयोग, गबन एवम् कपट का पता लगाना।

2. एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वितरित सहकारी ऋणों से क्रय की गई सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन (कम से कम 20 प्रतिशत)

3. ग्रामीण जनता को ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, अल्पकालीन, मध्यकालीन ऋण वितरण एवम् खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में विचार जानना एवम् सुझाव आमन्त्रित करना।

4. ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा पास बुकें सदस्यों को जारी करना तथा उनको ता-तारीख पूर्ण करना।

5. मूलधन से अधिक ब्याज नहीं लेने बाबत जन प्रसारण एवम् इसकी क्रियान्विति।

(सहकारिता मंत्री)

6. सहकारी समितियों में सदस्यता वृद्धि करना।

(2) कोटा जिले में अब तक 12 पंचायत समितियों की 263 सहकारी समितियों में मजमा-ए-आम लगाया जा चुका है जिसकी पंचायत समिति वार सूची परिशिष्ट 1 से 12 पर संलग्न है। प्राप्त परिणामों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इस अभियान से समिति के सदस्य कृषकों को निम्न लाभ हुए—

1. उनकी शिकायतों का निराकरण मौके पर किया गया।

2. उन्हें ता-तारीख पास बुकें मौके पर जारी की गई। प्रस्तुत की गई अपूर्ण पास बुकों को पूर्ण किया गया।

3. समिति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये धन के गबन/दुरुपयोग एवम् कपट के मामले सामने आये। जिसमें अधिकांश का मौके पर ही निराकरण किया गया।

4. सदस्यों द्वारा क्रय किये गये पशुओं का भौतिक सत्यापन मौके पर कर ऋण के सही उपयोग की जाँच की गई।

5. कमजोर वर्ग के लोगों को सदस्य बनाया गया।

6. मूलधन से अधिक ब्याज नहीं लिये जाने सम्बन्धी सरकार के निर्णय की प्रभावित सदस्यों को जानकारी कराई गई जिससे वे इसका लाभ उठा सकें।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)।

जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियों की बैठकें

45. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियों की बैठकें नियमानुसार कितने समय में होनी चाहिये?

(2) बारां उप-खण्ड में उपखण्डीय जन अभाव अभियोग व सतर्कता समितियों की बैठक गत दो वर्षों में कितनी बार हुई है?

उत्तर

(1) जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियों की बैठक नियमानुसार प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जानी चाहिये।

(2) बारां उपखण्ड में उपखण्डीय जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियों की बैठक गत दो वर्षों में दो बार हुयी है।

अलवर जिले के थानों में विभिन्न अपराधों के दर्ज प्रकरण

46. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) अलवर जिले के थानों में 1 मार्च, 1984 से 15 सितम्बर, 1984 तक भिन्न-भिन्न अपराधों यथा चोरी, डकैती, नकबजनी, हत्या व बलात्कार की कितनी एफ. आई. आर. दर्ज की गई हैं?

(2) उक्त अपराधों में से कितने अपराधों में तफतीश जारी हैं एवं कितनों में चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं एवं कितने में एफ. आर. लगा दी गई हैं? कृपया संख्यावार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(श्री जीतमल जैन)

उत्तर

(1 एवं 2) वांछित सूचना की तालिका संलग्न है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें ।)

ग्राम पंचायत इटावा को नगर-पालिका में क्रमोन्नति

47. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की ग्राम पंचायत इटावा को ग्राम झाडोल. खोड़ावदा, डोली तथा डडवाड़ा मिलाकर नगरपालिका में क्रमोन्नत किये जाने की मांग वहाँ की जनता समय-समय पर करती रही हैं ?

(2) यदि हाँ, तो उक्त पंचायत को अभी तक नगरपालिका में क्रमोन्नत नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त पंचायत को शीघ्र नगरपालिका में क्रमोन्नत करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) पूर्व में जिलाधीश की राय के अनुसार इटावा ग्राम पंचायत को नगर-पालिका क्षेत्र में परिवर्तित नहीं करने का निर्णय लिया गया था । वर्तमान में विधिवत प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नगरपालिका कैथून में विभिन्न पदों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जाँच

48. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द्र आर्य (डग) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रशासक, नगरपालिका, कैथून द्वारा दिनांक 4 अप्रेल, 1984 को स्वायत्त शासन विभाग से निम्न पदों की स्वीकृति चाही गई थी । जो प्रदान कर दी गई—

1. नाकेदार	1
2. नाकागार्ड	4
3. सब-नाकेदार	4
4. सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक	1
5. कनिष्ठ लिपिक	1

(2) यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रशासक, नगरपालिका द्वारा उक्त पदों की भर्ती में भयंकर अनियमितताएँ किये जाने की शिकायतें हुई हैं ? यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों, और अब कब तक जाँच करा कर आवश्यक कार्यवाही कराने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । स्वीकृति 4 अप्रेल, 1984

(स्वायत्त शासन मंत्री)

के पत्र पर नहीं दी गई। एक अन्य पत्र के आधार पर 2 नाकेदार, 3 सब-नाकेदार, 1 सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक, 1 कनिष्ठ लिपिक व एक वरिष्ठ लिपिक के पद तदर्थरूप से, नियमानुसार भरने की स्वीकृति (एन. ओ. सी.) दी गई थी।

(2) जी हां। इस विषय में शिकायत प्राप्त हुई थी। जिलाधीश कोटा ने जाँच कराई है। निदेशालय द्वारा भी जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

अजमेर नगर में हुई विभिन्न हत्यायें, आगजनी, चोरी व लूट की वारदातें

49. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1980 से जनवरी, 1984 तक अजमेर नगर में कितनी हत्यायें, आगजनी, दुर्घटनाएँ, चोरी, लूट की वारदातें दर्ज की गयीं ? कृपया विभिन्न घटनाओं की वर्षवार संख्या सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन प्रकरणों में से कितने प्रकरण में अनुसंधान जारी है व कितनों का कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

झालावाड़ में बस स्टेण्ड के पास मांस की दुकानें

51. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग)

श्री अनंग कुमार जैन (झालावाड़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ में मोटर स्टेण्ड के बिल्कुल निकट मांस की खुली दुकानें लगी हैं और खुले में बकरे काटे जाते हैं और भयंकर गन्दगी होने के कारण आम जनता तथा यात्रियों को परेशानी होती है ?

(2) क्या उक्त मांस की दुकानें खोलने की नगरपालिका झालावाड़ से स्वीकृति प्राप्त की गई ?

(3) क्या साथ ही एक मन्दिर भी अवस्थित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दुकानों को शीघ्र हटाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु नगरपालिका द्वारा सफाई की व्यवस्था है।

(2) पालिका अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति दी गई है।

(3) जी हाँ। दुकानों की भूमि एक वर्ष के लिए किराये पर दी हुई है। इसके बाद ही नगरपालिका द्वारा इस बारे में विचार किया जा सकेगा।

Page No.30

नगरपालिका समदड़ी द्वारा जारी पट्टों की जांच

52. श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, नगरपालिका, समदड़ी (बाड़मेर) ने प्लाट्स के अनियमित रूप से पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हाँ, तो कितने ? इससे नगरपालिका को कितना नुकसान हुआ ?

(2) क्या जिलाधीश, बाड़मेर द्वारा अध्यक्ष, नगरपालिका समदड़ी द्वारा दिये गये अनियमित पट्टों की जाँच की गई है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या राज्य सरकार अध्यक्ष, नगरपालिका समदड़ी को दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो क्या और कब ?

उत्तर

(1) जी हाँ ! नगरपालिका घोषित करने की घोषणा से माह जुलाई, 83 तक कुल 94 पट्टे जारी किये गये हैं । पालिका को नुकसान होने के बारे में जाँच अधिकारी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है ।

(2) जी हाँ ! राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 21 (3) के अन्तर्गत उप-जिलाधीश, बालोतरा को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है । जहाँ नियमानुसार कार्यवाही जारी है ।

(3) जाँच पूर्ण होने पर निर्णयानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी ।

रामगढ़ बंधे पर नौकायन कार्यक्रम

53. वैद्य श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जमवारामगढ़ बाँध पर जो जल क्रीड़ा से सम्बन्धित नौकायन आदि का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, उसकी अब तक क्या प्रगति रही है ?

उत्तर

रामगढ़ झील का जल क्रीड़ा स्थल के रूप में विकास किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को 19-4-1983 को भेजी गई थी । यह रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है । इस पर शीघ्र निर्णय लिये जाने हेतु नियमित रूप से सरकार को निवेदन किया जाता रहा है ।

कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध अनियमितताओं की जाँच

54. श्री तेजपाल यादव (चौमू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा के गत बजट सत्र में अतारांकित प्रश्न सं. 1680 अ. ता. के उत्तर में पंचायत विभाग के कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध विस्तृत जाँच करवाने का आश्वासन दिया गया था । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या अब सरकार शीघ्र किसी निष्पक्ष अधिकारी से यह जांच करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

Page No.31

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में उप विकास आयुक्त (प्रशा.–2) को आदेश क्रमांक 706 दिनांक 31–3–84 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

(2) जाँच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

ग्राम पंचायत, मारवाड़ जंक्शन द्वारा जारी पट्टे

55. **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, मारवाड़ जंक्शन हेमलीयावास कलां ने पूर्व में मारवाड़ जंक्शन में पट्टे सिर्फ 50 पैसे व एक रुपये गज में दिये गये थे ? यदि हां, तो कृपया जारी पट्टों का विवरण सदन के पटल पर रखें। क्या वहां की जनता ने जिलाधीश, पाली को यह पट्टे निरस्त करने हेतु आवेदन किया था ? यदि हां, तो आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

(2) जिन तारीखों में यह पट्टे दिये गये उस समय मारवाड़ जंक्शन में भूमि विक्रय की जो रजिस्ट्रियां हुईं उसमें किन-किन दरों से रजिस्ट्रियां हुईं ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत, मारवाड़ जंक्शन हेमलियावास कलां द्वारा जमीनों के पट्टे 25 पैसे से लेकर 10/-रुपये प्रति वर्ग गज मीटर की दर से विक्रय किये गये थे, जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। जिलाधीश को शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच उप खण्ड अधिकारी, सोजत से करवाई गई। जिलाधीश, पाली द्वारा तत्कालीन प्रशासक श्री छैल सिंह के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। जाँच की कार्यवाही जिलाधीश, पाली के यहाँ विचारधीन है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

ग्राम पंचायत धिनोई के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध शिकायतों की जांच

56. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री महादेव यादव, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत धिनोई, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना में गेहूं के वितरण में घोटाले व गबन करने की शिकायतें संबंधित अधिकारियों को की गई थीं ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध की गई जांच के क्या परिणाम रहे और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अन्य शिकायतों में एक शिकायत स्वयं के ट्रैक्टर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

एवं रिश्तेदारों के लड्ढों से पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों के लिए पत्थर डलवाने के संबंध में भी थी ? यदि हां, तो पद के दुरुपयोग करने के बारे में इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री यादव द्वारा ग्राम पंचयात से और चारों गांवों के निवासियों से खुर्रे तथा अन्य निर्माण कार्य हेतु जन सहयोग के रूप में राशि एकत्रित की गई और उक्त कार्य में पंचायत के सीमेन्ट का उपयोग किया ? यदि हां, तो इन अनियमितताओं के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो इसके लिए कौन दोषी है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सन् 1982 में सदन को बताया था कि पत्रावली खो जाने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी ? क्या यह सही है कि उक्त पत्रावली अब मिल गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त समस्त शिकायतों को किसी दूसरे निष्पक्ष उच्चाधिकारी से समस्त कार्यों की एम्बी बनाकर (नपाई कराकर) पुनः तत्काल जांच कराना चाहेगी। यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। विकास अधिकारी, गोविन्दगढ़ द्वारा दिनांक 8-10-84 को जांच रिपोर्ट जिलाधीश, जयपुर को भिजवाई है जो उनके यहां विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन जिलाधीश, जयपुर के यहां विचाराधीन हैं।

(3) उपरोक्त शिकायत में इस प्रकार का कोई विन्दु सम्मिलित नहीं था।

(4) जी हां, पत्रावली जिलाधीश कार्यालय में मिल जाने के पश्चात् 'विकास अधिकारी पं. स., गोविन्दगढ को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच कराई गई है। जांच अधिकारी द्वारा दि. 8-10-84 को भेजा गया जांच प्रतिवेदन जिलाधीश, जयपुर के यहां विचाराधीन है।

(जांच रिपोर्ट हेतु कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पंचायत समितियों के वाहन

57. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी**(कोटा) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला परिषद्, अजमेर व उसके क्षेत्राधिकार की पंचायत समितियों के कुल कितने वाहन, कार, जीप आदि हैं और उनमें से कितने सुचारु रूप से कहां-कहां पर किस-किस के कार्य आ रहे हैं ?

(2) किन-किन पंचायत समितियों में वाहन (जीप) बेकार (कन्डेम्ड) पड़े है और वहां जनहित में कब तक नये वाहन की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

(पंचायत राज्य मंत्री)

उत्तर

(1) जिला परिषद, अजमेर व उसकी क्षेत्राधिकार की पंचायत समितियों के पास कुल 19 वाहन हैं, जिनमें एक कार तथा 18 जीपें सम्मिलित है उनमें से 10 वाहन जिला परिषद् एवं निम्नलिखित पंचायत समितियों में चालू हालत में काम कर रही है:—

जिला परिषद्, अजमेर	कार–1
पंचायत समिति, पीसांगन	जीप–2
पंचायत समिति, अराई	जीप–1
पंचायत समिति, श्रीनगर	जीप–2
पचायत समिति, मसूदा	जीप–1
पंचायत समिति, सिलोरा	जीप–2
पंचायत समिति, भिनाय	जीप–1

जिला परिषद् की कार जिला परिषद् के प्रमुख तथा सचिव के व जीप संबंधित पंचायत समितियों के प्रधान व विकास अधिकारी एवं प्रसार अधिकारियों के द्वारा कार्य में ली जा रही है।

(2) निम्नलिखित पंचायत समितियों के वाहन (जीप) बेकार (कन्डेम्ड) पड़े हुये है:—

पंचायत समिति, पीसांगन	जीप–2
पंचायत समिति, श्रीनगर	जीप–1
पंचायत समिति, जवाजा	जीप–1
पंचायत समिति, मसूदा	जीप–2
पंचायत समिति, सिलोरा	जीप–1
पंचायत समिति, भिनाय	जीप–1
पंचायत समिति, केकड़ी	जीप–1
कुल	9

पंचायत समिति, केकड़ी एवं जवाजा के अतिरिक्त सभी पंचायत समितियों को नये वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है।

तारागढ़ विकास योजना, अजमेर

58. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में तारागढ़ विकास योजना के संदर्भ में तारागढ़ सम्पर्क सड़क के दोनों ओर, तारागढ़ पर तथा आस-पास की पहाड़ियों पर पहाड़ों को सुन्दर बनाओ योजना व सामान्य कार्य-क्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु बीज व पौध लगाई गयी है ?

(2) यदि हां, तो इस हेतु कितने गड्ढे किस-किस स्थल में अब तक खोदे जाकर वहां पर बीज अथवा पौध द्वारा वृक्षारोपण किया गया है ? किस-किस स्थल एवं क्षेत्र की कन्टूर बन्दी की जा चुकी है, गडढों के अलावा कितना-कितना बीज व पौध किस-किस स्थल व क्षेत्र में किस–किस माध्यम से लगाई गयी है और इन कार्यों में वन विभाग कुल कितना खर्च दिनांक 20-9-1984 तक कर चुका है और अन्य स्रोतों अथवा कार्यक्रमों से उपलब्ध राशि में से कितनी राशि दिनांक 20-9-1984 तक व्यय की जा चुकी है ?

(3) वन विभाग के अलावा किस-किस सरकारी अथवा गैर-सरकारी एजेन्सियों को तारागढ़ विकास से सम्बद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु दिनांक 20-9-84 तक कितनी-

(श्री कैलाश मेघवाल)

कितनी पौध, बीज एवं आर्थिक सहयोग कब-कब दिया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां

(2) तारागढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में 95,000 रनिंग मीटर लंबी कन्टूर ट्रेन्चेज खोदी गई है तथा निचले इलाके और सड़क के किनारे 2,40,000 खड्डे खोदे गये । ट्रेन्चेज पर 5 क्वि. बीज जिसमें 4 क्विन्टल अकेशिया सेनेगल, 50 किलोग्राम ढाक, 20 किलोग्राम अकोशिया ल्यूकोफ्लोया, 3 किलोग्राम खैर, 20 किलोग्राम पारकिनसोनिया तथा 7 किलोग्राम प्रोसोपिस जूलीफलोरा के बीज थे । बोये गये । इस वर्षा काल में इस क्षेत्र में 2.40 लाख पौधे रोपित किये गये है । इन कार्यों पर वन विभाग ने अब तक 2, 46, 450.00 रुपया राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम से तथा 96336/- रुपया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से व्यय किया गया ।

(3) तारागढ़ क्षेत्र में नेहरू युवक केन्द्र ने एक क्विन्टल बीज जिसमें 20 किलोग्राम अकोशिया सेनेगल, (Acacia senegal) तथा 80 किलोग्राम प्रोसोपिस जूलीफलोरा के बीज थे, की बुवाई के साथ-साथ 100 पौधों का भी रोपण किया । इसी प्रकार सिंचाई एवम् सार्वजनिक निर्माण ने डिक्सन टैंक के दोनों ओर 5,000 पौधे रोपित किये । नेहरू युवक केन्द्र तथा सिंचाई सार्वजनिक निर्माण विभाग को बीज व पौधे वन विभाग से उपलब्ध हुए ।

कोटा जिले में विभागीय भवनों का रख-रखाव

59. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में कौन कौन से भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग के कब्जे में हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) उक्त भवनों के रख रखाव व मरम्मत पर गत 3 वर्षों में कहां-कहां कितनी कितनी धनराशि व्यय की गयी व मरम्मत का आधार क्या था ?

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश भवन जीर्णशीर्ण हालत में हैं जिनकी मरम्मत होना आवश्यक है ? क्या विभाग ने गत 3 वर्षों में कोई योजना बनाकर राज्य सरकार को प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो किन-किन भवनों के लिये कब-कब कितनी-कितनी धनराशि की मांग की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एवं (2) :कोटा जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कब्जे के भवनों की सूची (प्रपत्र "क") सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं, सभी भवनों की हालत सन्तोषप्रद है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

ग्राम पहाड़िया से सांगानेर तक सड़क निर्माण

60. श्री रामकंवर बैरवा (फागी): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव पहाड़िया, तहसील फागी में चेजा पत्थर की खाने हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अगर पहाड़िया गांव को पक्की सड़क से सांगानेर से जोड़ दिया जावे तो इससे चार ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पक्की सड़क से जुड़ जावेंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार की नीति सभी ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों को पक्की सड़क द्वारा जोड़ने की है ?

(4) क्या यह सही है कि इस पक्की सड़क के बनने पर पहाड़िया क्षेत्र की खानों का माल सांगानेर तक आ सकेगा ?

(5) ऐसी स्थिति में सरकार कब तक उक्त सड़क का निर्माण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) से (5) राज्य सरकार की नीति चायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की हैं पहाड़िया गांव सांगानेर-मालपुरा सड़क से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है पहाड़िया गांव से माल सड़क द्वारा ही सांगानेर आता हैं अन्य किसी सड़क का प्रस्ताव नहीं हैं।

पाली जिले की पंचायत समितियों में राहत कार्य

61. भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में वर्ष 1980 से 1984 के दौरान मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में कितने कार्य राहत कार्यों के तहत प्रारम्भ कराये गये ? कृपना ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये व कितने अपूर्ण रहे ?

उत्तर

(1) एवं (2) पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन, देसूरी व रानी पंचायत समितियों में वर्ष 80 से 84 तक जो अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करवाये गये उनकी अभिकरणवार संख्या निम्न प्रकार है :—

नाम अभिकरण	प्रारम्भ किये गये कार्यों की संख्या
सा. निर्माण विभाग	54
सिंचाई विभाग	100
वन विभाग	44
भू-संरक्षण विभाग	80
योग	278

कार्यों का विवरण संलग्न है। (प्रपत्र "क")

(विवरज के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

Page No.36

क्रय-विक्रय संघ, लि. द्वारा आलू की खरीद

62. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय संघ लि. द्वारा वर्ष 1983-84 में कोल्ड स्टोरेज के लिए उत्तर प्रदेश से आलू खरीदा गया था ? यदि हां, तो वह आलू किसके द्वारा, कितनी मात्रा में, कितनी राशि का, किस भाव में खरीदा गया है व उन पर प्रति किलो कुल कितना खर्चा आया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त आलू घटिया किस्म का तथा अधिक कीमत पर खरीदा गया है जिस से संघ को काफी नुकसान रहा है ? यदि हां, तो बाजार में संघ का आलू अब किस भाव में बेचा गया है तथा कुल कितना नुकसान हुआ है ?

(3) उपरोक्त आलू किस मण्डी से खरीदा गया है तथा जयपुर तक लाने में कितना रुपया किराये के रूप में दिया गया है ? आलू क्रय करने गये विभागीय अधिकारियों पर विभाग का टी. ए., डी. ए. पर कितना खर्चा हुआ ? कृपया विभागीय अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ। वह आलू. यू. पी. को-आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन के माध्यम से 5227.89 क्विन्टल 82 रु. प्रति क्विन्टल के हिसाब से 4,25,24 3.25 रु. का खरीद गया था। उस पर अन्य खर्च प्रति किलो 26 पैसे आया।

(2) जी नहीं। आलू की बिक्री वर्ष 84-85 में जारी है। बाजार भाव से अब तक आलू 80/ रु. से 105/ रु. प्रति क्विन्टल की दर से बेचा गया है। हानि/लाभ की जानकारी आलू पूरा बिकने पर ही उपलब्ध हो सकेगी।

(3) आलू आगरा तथा मथुरा जिले के निकटवर्ती आलू उत्पादन क्षेत्र के काश्तकारों से क्रय किया गया है तथा आलू के लाने पर 62,217.92 पैसे व्यय हुए। आलू क्रय करने गये विभागीय अधिकारियों परटी. ए., डी. ए. में 3702.10 पैसे खर्चा हुआ है तथा सहायता के लिये जो कर्मचारी गये उन पर टी. ए., डी. ए. पर कुल 5669.62 पैसे व्यय हुए। सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, कालाखो में कथित गबन एवं अनियमितताओं की जांच

63. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, कालाखो (कुशाला का बास) के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा लाखों रुपये का गबन का मामला सहकारी निरीक्षक/ऑडिटर द्वारा जाँच के दौरान पकड़ में आया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई

(श्री रंगजी मीणा)

थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मामले को राज्य सरकार द्वारा उठा लिया गया है ? यदि हां तो किस आधार पर ?

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे सहकारिता अभियान के दौरान गबन व अनियमिततायें तथा फर्जी ऋण वितरण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनका किस प्रकार निस्तारण किया जा रहा है ?

उत्तर

(क) जी हाँ। मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हाँ। प्राप्त शिकायतों के निपटारे हेतु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

भीलवाड़ा जिले की सहकारी समितियों की बाकियात की वसूली

65. श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) **श्री बंसी लाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले की किन-किन सहकारी समितियों में ऑडिट द्वारा की गई जांच के दौरान किन-किन व्यक्तियों में कब से कितनी बाकियात निकली है ?

(2) उक्त बाकियात में से आज तक कितनी वसूली हुई, शेष वसूली किन कारणों से नहीं की गई ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की 188 सहकारी समितियों में ऑडिट द्वारा की गई जाँच के दौरान 290 व्यक्तियों में 16,43,-197.59 रु. बाकी निकलते हैं। जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त बकायात में से 77,480-47 रु. वसूल हो चुके हैं व शेष बकाया राशि की वसूली हेतु मामलों में सहकारी समितियां अधिनियम 1965 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

नगरपालिका कानोड में ऑडिट आक्षेप

66. श्री भैरोंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नगरपालिका कानोड़, जिला उदयपुर के लेखों में वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक काफी ऑडिट आक्षेप रहे हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या ऑडिट

(श्री भैंरुसिंह गुर्जर)

आक्षेप थे ? उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। सर्व श्री पार्श्व कुमार नागोरी नाकेदार व श्री लियाकत अली, सहायक राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध गबन के आक्षेप थे। इनसे राशि मय ब्याज वसूल की गई है एवं विभागीय कार्यवाही नगरपालिका में विचाराधीन है।

नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा विकास कार्यों पर व्यय

67. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास, बीकानेर के कार्य क्षेत्र में कौन-कौन से मोहल्ले आते हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) वर्ष 1981-82 से अगस्त, 1984 तक विकास कार्यों पर मोहल्ले वार किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ?

(3) वर्ष 1981-82 से 1984-85 का वर्षवार बजट प्रावधान कितना रखा गया तथा आयोजना व गैर-आयोजना मद में कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) योजना एवं बस्तीवार सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है, सूची "अ"

(2) विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है, सूची "ब"

(3) विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है, सूची "स"

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर स्थित डिस्पेन्सरी

68. **श्री भैरुलाल मीणा** (उदयपुर-ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर में एक छोटी डिस्पेंसरी क्रियाशील है ? यदि हां, तो उसमें औसतन रोजाना कितने मरीज आते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि डिस्पेंसरी में दो डाक्टर हैं जिनके बैठने व मरीजों को देखने के पर्याप्त कमरे उपलब्ध नहीं है ?

(3) क्या इस डिस्पेंसरी में मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हाँ। औसतन 105 मरीज रोजाना आते हैं।

(2) यह सही है कि वहां दो चिकित्सक कार्यरत हैं। पर यह सही नहीं है कि

Page No.39

(चिकित्सा मंत्री)

उनके बैठने व मरीजों को देखने हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

(3) डिस्पेन्सरी भवन कृषि उपज मण्डी द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो पर्याप्त है। मंडी द्वारा अतिरिक्त कमरों के निर्माण का अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला नागौर में ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना

69. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

ग्राम पंचायत, मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत नागौर जिले में वर्ष 1983-84 तथा इससे पूर्व कितने पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़े जा चुके हैं। शेष मुख्यालयों को कब तक सड़क मार्ग से जोड़ने का सरकार का विचार है? कृपया पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

नागौर जिले में वित्तीय वर्ष 1983-84 तक 299 ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़कों से जोड़े जा चुके हैं। वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर शेष पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जावेगा।

बगड़ी ग्राम को सड़क से जोड़ना

70. **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले के बगड़ी ग्राम को सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल था?

(2) यदि हां, तो बगड़ी को सड़क से नहीं जोड़ने का क्या कारण है? इस वर्ष इस सड़क पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

नये उद्योगों की स्थापना हेतु सुविधायें

71. **श्री सूरजाराम टांक** (नोखा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में अधिक उद्योग हेतु उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए गत तीन वर्षों में क्या-क्या नई सुविधाएँ प्रदान की गई?

(2) बीकानेर जिले में देश व प्रदेश के अन्य भागों में आकर उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए सरकार अब और क्या-क्या सुविधाएँ प्रदान करने का विचार रखती है?

(3) बीकानेर जिले की तहसील नोखा में कौन-सा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया एवं वहाँ पर उद्योग लगाने हेतु सरकार क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध करवाने जा रही है?

(श्री सूरजाराम टाँक)

(4) बीकानेर जिले में कौन-कौन से उद्योग ऐसे है जिन्हें निर्धारित दर पर कच्चा माल उद्योग विभाग की स्वीकृति के उपरांत दिया जाता है ? पिछले सत्र 1982-83, 1983-84, 1984-85 में कौन-कौन से उद्योगों को कितना-कितना कच्चा माल किस-किस किस्म का दिया गया ? कृपया ऐसे उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या कलकत्ता की भांति राज्य के पिछड़े औद्योगिक जिले बीकानेर में लगने वाले भारी उद्योगों पर पांच साल तक बिक्री कर माफ करने की सुविधा सरकार प्रदान करेगी ?

(6) जिले की तहसील नोखा मंडी में उद्योगों की भारी बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार विद्युत पावर/जल सुविधा और अधिक उपलब्ध करवाने की योजना पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) राज्य के सभी जिलों में, जिसमें बीकानेर जिला भी सम्मिलित है, में गत तीन वर्षों में उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई नवीन सुविधाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बीकानेर जिले में देश व प्रदेश के अन्य भागों से आकर उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को आकृष्ट करने हेतु बिचवाल औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु 73 एकड़ भूमि प्राप्त की जा रही है तथा बीकानेर जिले में शीघ्र ही एक और औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बीकानेर के विकास हेतु मास्टर प्लान बीकानेर के अन्तर्गत प्रावधानित औद्योगिक क्षेत्रों को रीको के माध्यम से विकास हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) बीकानेर जिले की तहसील नोखा के नोखा कस्बे में औद्योगिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र में विकसित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है। इसी प्रकार से देशनोख नगरपालिका क्षेत्र में वहाँ की नगरपालिका ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। इस औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। इन क्षेत्रों के विकसित होने पर अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं के समान सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

(4) बीकानेर जिले में लोहा, इस्पात, फेटी ऐसिड कोयला पर आधारित लघु उद्योग ऐसे हैं, जिन्हें निर्धारित दर पर कच्चा माल उद्योग विभाग की स्वीकृति के उपरान्त दिया जाता है। वर्ष 1982-83, 1983-84 व 1984-85 में जिन लघु औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल आवंटित किया गया है, उनकी, उपलब्ध सूचना के अनुसार, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(6) प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में पानी, बिजली आदि आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। नोखा मण्डी में भी ऐसी

(उद्योग मन्त्री)

सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें।

अकाल राहत कार्यों के तहत सराड़ा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण

72. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अकाल राहत कार्यों के तहत निर्वाचन क्षेत्र सराड़ा की किन-किन सड़कों पर वर्ष 1981-82 व 1983-84 में कितना-कितना व्यय किया गया, इन सड़कों में से अकाल राहत कार्यों के तहत कितनी सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी अधूरी हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जिला उदयपुर में अकाल राहत कार्यों के तहत निर्वाचन क्षेत्र सराड़ा में जिन सड़कों पर वर्ष 1981-82, 82-83 एवं 83-84 पर व्यय किया गया है उनकी सूचना (प्रपत्र 'क') सदन के पटल पर रख दी गई है। इनमें समय एवं साधनों की सीमा के तहत ही कार्य कराया गया है।

अकाल राहत व्यवस्था के तहत सहायता कार्य अभावग्रस्त लोगों को राहत देने के लिए कराये जाते हैं। अतः इनका प्रयोजन योजनागत कार्यों से भिन्न रहता है।

(सूचना हेतु कृपया परिशिष्ट 19 देखें।)

बनास पुल का निर्माण

74. श्री कमलेन्द्रसिंह (बल्लभनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाईमाधोपुर-दौसा-जयपुर मार्ग पर बनास का पुल कब तक पूरा किया जायेगा ? इस अधूरे पुल पर अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

(2) बोंली से निवाई सड़क पर कार्य कितने वर्षों से चल रहा है ? इस सड़क पर कितनी राशि खर्च हो चुकी है ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर-दौसा-जयपुर मार्ग पर बनास नदी पर पुल जून, 1986 तक पूरा किये जाने की सम्भावना है। इस अधूरे पुल पर माह अगस्त, 1984 तक 67,83,367/- की राशि व्यय हो चुकी है।

(2) बोंली, निवाई सड़क पर 18.50 कि.मी. में से सवाईमाधोपुर जिले के अन्तर्गत 13.50 कि.मी. भाग में वर्ष 1978 से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई 5.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति से कार्य चल रहा है तथा इस स्वीकृति में से माह अगस्त, 1984 तक इस सड़क पर 4,12,762/- रुपये का व्यय किया जा चुका है। सड़क का कार्य पूर्ण है। पुलियों का कार्य एक पुलिया के अलावा पूर्ण है तथा वह मार्च, 85 तक पूरा हो जायेगा। इसी सड़क पर ढील नदी पर पुल का कार्य फिर भी शेष रह जायेगा जिसके निर्माण की अभी स्वीकृति नहीं हुई है।

स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

76. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983 एवं अगस्त 1984 तक कितने युवकों को विभिन्न किस्म का रोजगार उपलब्ध करा कर कुल कितने रुपयों का ऋण स्वीकृत किया गया ? कृपया जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर जिले में वर्तमान में ऐसे कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं एवं अभी तक ऋण उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण रहे हैं ? कृपया जिले का पंचायत समितिवार व्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को विद्युत् कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, जो कि लघु उद्योग लगाना चाहते हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक विद्युत् कनेक्शन एवं ऋण उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में अब तक 15,054 युवकों को 23.65 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। जिलेवार ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण की संख्या का विवरण संलग्न है।

(2) सीकर जिले में वर्तमान में 310 स्वीकृत आवेदन पत्र ऋण वितरण हेतु बकाया पड़े हुए हैं। भारत सरकार द्वारा गत वर्ष राजस्थान राज्य के लिए इस योजना में लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य 10,000 का निर्धारित किया था एवं राज्य सरकार ने इन लक्ष्यों का जिलेवार विभाजन कर सीकर जिले के लिए 350 युवकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्रकरणों में पूंजी विनियोजन अनुदान उपलब्ध न कराये जाने के कारण अधिक मात्रा में स्वीकृत आवेदन-पत्र बकाया पड़े हुए हैं जिनका सीकर जिले के लिए पंचायत समितिवार विवरण निम्न है :—

क्र० सं०	पंचायत समिति का नाम	लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या
1.	श्री माधोपुर	37
2.	खण्डेला	9
3.	नीमकाथाना	41
4.	पिपराली	15
5.	फतेहपुर	19
6.	लक्ष्मणगढ़	22
7.	छोद सीकर	125
8.	दातारामगढ़	42
	कुल	310

(उद्योग मन्त्री)

(3) जी हां, इस योजना में चयनित अभ्यर्थियों को लघु उद्योग लगाने हेतु विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिया जा चुका है एवं शीघ्रातिशीघ्र विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से इस योजना में ऐसे अभ्यर्थियों को जिनको पूर्व में ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ऋण उपलब्ध नहीं हुआ है, उन्हें भारत सरकार से हाल ही में प्राप्त निर्देशों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र अब ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें।)

सुखाड़िया विश्वविद्यालय को अनुदान

77. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या विश्वविद्यालयी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सुखाड़िया विश्वविद्यालय को वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं आई.सी.ए.आर.से कितना-कितना अनुदान प्राप्त हुआ ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या देश के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के मुकाबले अनुदान की यह राशि कम मिलती रही है ? यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) आवश्यकतानुसार पर्याप्त अनुदान मिलता है। अन्य कृषि विश्वविद्यालयों को प्राप्त होने वाली राशि की कोई जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) **श्री भगवान दास शास्त्री**, सदस्य विधानसभा की ओर से टोडाभीम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सेवारत दो नर्सों के साथ बलात्कार के मामले पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न करना,

(2) **श्री हरीश शर्मा**, सदस्य विधानसभा की ओर से—कोटा जिले के बेरोजगार युवकों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण न दिया जाना,

(3) **सर्वश्री नाथूसिंह एवं भंवरलाल शर्मा**, सदस्य विधानसभा की ओर से—किसानों से बाजरे की सरकार द्वारा खरीद नहीं करना व उचित संख्या में डिपो नहीं खोला जाना,

(श्री अध्यक्ष)

(4) **श्री गोपालसिंह** सदस्य, विधानसभा की ओर से–जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री, निम्बाहेड़ा के मजदूरों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से 9 मजदूरों की मृत्यु

(5) **सुश्री पुष्पा जैन** सदस्या, विधानसभा की ओर से–सिरसी ग्राम की बलाई जाति की 9 वर्षीय बच्ची को फरार कर उसकी हत्या किये जाने से जनता में आतंक,

(6) **श्री देवीसिंह भाटी** सदस्य, विधानसभा कि ओर से–बीकानेर जिले में अकाल के कारण पेयजल व चारे के अभाव का संकट,

(7) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर,** सदस्य, विधानसभा की ओर से–डग कस्बे में दिनांक 14-9-84 को हरिजन महिला की गुण्डों द्वारा घर में घुस कर पिटाई,

(8) **श्री बंशी लाल पटवा,** सदस्य, विभान सभा की ओर से—भीलवाड़ा मेवाड़ टैक्सटाइल मिल की तालाबन्दी से श्रमिकों में बेरोजगारी व असन्तोष,

(9) **श्री महाराम चौधरी,** सदस्य, विधान सभा की ओर से—नागौर क्षेत्र में विद्युतिकृत ग्रामों में सिक्यूरिटी जमा कराने के पश्चात् भी कनेक्शन न देना,

(10) **सर्वश्री मेघराज तावड़, फतेसिंह, बहादुर सिंह और राव कमलेन्द्र सिंह** सदस्य, विधान सभा की ओर से—श्री कालू वीरभा भील व उसके पुत्रों की सवर्णो द्वारा हत्या से आक्रोश,

(11) **श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य,** विधान सभा की ओर से—केवल देव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पासपेत्यूसस घास के कारण पक्षियों का नहीं उतरना,

(12) **श्री महावीर प्रसाद जैन,** सदस्य, विधान सभा की ओर से–बनेड़ा तहसील के के जगत सागर सिंचाई तालाब को तोड़ने से नुकसान,

(13) **श्री अनंग कुमार जैन** सदस्य, विधान सभा की ओर से–जिला चिकित्सालय, झालावाड़ को क्रमोन्नत न करने से जनता में असन्तोष,

(14) **श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री रघुवीर सिंह कौशल,** सदस्य, विधान सभा की ओर से–राजस्थान शिक्षक संघ की मांगों पर निर्णय न लेने से आन्दोलन,

(15) **श्री राम कुमार बैरवा,** सदस्य, विधान सभा की ओर से–जयपुर, अजमेर व टौंक जिले में अकाल से उत्पन्न स्थिति,

(16) **श्री हंस राज शर्मा,** सदस्य, विधान सभा की ओर से–सवाई माधोपुर नगर परिषद् क्षेत्र में काश्तकारों की भूमि का मुआवजा दिये बिना कृषि मण्डी का निर्माण,

(17) **श्री चुन्नी लाल जेलिया,** सदस्य, विधान सभा की ओर से–ग्राम दंतोर जिला

(श्री अध्यक्ष)

बीकानेर में बिजली लाइन बन्द होने से किसानों को परेशानी,

(18) **श्री कैलाश मेघवाल** सदस्य, विधान सभा की ओर से-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के कर्मचारी श्री मांगी लाल को 14 माह का वेतन नहीं दिये जाने से आमरण अनशन,

(19) **श्री त्रिलोक सिंह एवं उम्मेद सिंह** सदस्य, विधान सभा की ओर से-रतनगढ़ से सीकर कच्चे बस रूट की बस अलसर में न जाना,

(20) **श्री गोपाल पचेरवाल**, सदस्य, विधान सभा की ओर से–राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित दवाइयों की दुकान पर अवधि पार दवाइयाँ अधिक कीमत पर विक्रय किया जाना।

इन स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा,

(21) **श्री हीरा लाल आर्य**, सदस्य विधान सभा की ओर से–इटावा कस्बे के ट्यूब वैल में खराबी के कारण अपर्याप्त पानी सप्लाई।

इस आशय का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था जिसका उत्तर प्राप्त हो गया है। उत्तर का अध्ययन किया जा रहा है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र, अधिसूचनाएं।

स्थगत प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह अकाल की भंयकर स्थिति के बारे में दिया है, उसमें सरकार से जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर आप स्वयं निर्णय लेंगे और सरकार से वक्तव्य दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मेरे क्षेत्र में आपसे भी भीषण अकाल है इसलिये उचित यही है कि सरकार से जानकारी ले ली जाय।

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। सरकार तो टालना चाहती है, क्योंकि पैसा खर्च होगा। अगर फेमिन की स्थिति के बारे में भी यहां नहीं सोचा जाता है तो फिर क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, 6-7 दिन का तो सैशन है।

श्री अध्यक्ष : आप और हम समझते है, माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वहां की हालत....

श्री अध्यक्ष : समय नहीं लें।

श्री देवीसिंह भाटी : समय किस का लें। वहां पर....

श्री अध्यक्ष : बैठ जाये। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी ज्यादती होगी हमारे साथ।

श्री अध्यक्ष : बैठ जावें, माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय बैठने से क्या होगा । हमारी गायें हैं वे घोली पड़ रही हैं, वे बैठ रही है । और आदमी हैं वे भी मरने जा रहे है इसके उपरान्त भी अगर सरकार का उत्तर नहीं आता है तो हमारे बैठने से क्या होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय न लें । अधिसूचनायें । श्री चन्दनमल वैद ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचनायें

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूँ :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ 4 (11) रेव/कोल/83 पार्ट दिनांक 23 अगस्त, 1984 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय नियम, 1975 संशोधन किये गये हैं ।

(2) अधिसूचना संख्या एफ 4 (23) रेव/कोल/किये गये हैं; 84 दिनाँक 25 अगस्त, 1984 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश शर्तें), 1955 में संशोधन किये गये है ।

(3) अधिसूचना 4(11) राज/उप/83 दिनांक 22 सितम्बर, 1984 जिसके द्वारा अधिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) उपनिवेशन, बीकानेर को (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अन्तर्गत उपनिवेशन आयुक्त एवं कलेक्टर कृत्यों का पालन एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी । अधिसूचनायें सदन में पेश करेंगे ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (परिवहन राज्य मंत्री, : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 उप धारा (1) के अन्तर्गत गृह विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 5 (28) गृह-7/84 दिनाँक 14 सितम्बर, 1984

(2) अधिसूचना संख्या प. 5(29) गृह-7/84 दिनाँक 20 सितम्बर, 1984

(3) अधिसूचना संख्या प. 5(30) गृह 7/84 दिनाँक निल ।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवँ लेखे आदि । मुख्य मंत्री जी ।

प्रतिवेदन एवं लेखे आदि

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

से मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर का बाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1982-83 सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति का प्रतिवेदन।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : दो और हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 की उपधारा 5 के अन्तर्गत श्री मोहनलाल जोशी, लोकायुक्त, राजस्थान की, उक्त अधिनियम की धारा 12 (4) द्वारा यथा अपेक्षित वर्ष 1980-81 के दौरान उनके द्वारा कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में अष्टम वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त एव उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 की उपधारा 5 के अन्तर्गत श्री मोहनलाल जोशी, लोकायुक्त, राजस्थान की, उक्त अधिनियम की धारा 12(4) द्वारा यथा अपेक्षित वर्ष 1981-82 के दौरान उनके द्वारा कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में नवम् वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूँ।

समिति का प्रतिवेदन

राजस्थानके विश्व विद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी सेवा की विशेष शर्तें, '(संशोधन विधेयक 1984 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। मुख्य मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो इसको प्रस्तुत मैं कर दूँ।

श्री अध्यक्ष : आप सदस्य हैं क्या प्रवर समिति के ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं।

श्री अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य जो प्रवर समिति के सदस्य हों वे प्रस्तुत कर दें। वित्त मंत्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1984 कर प्रवर समिति का प्रतिवेदन, यथा संशोधित विधेयक सहित उपस्थापित करता हूँ।

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री शोभराज मल को 11 अक्टूबर, 1984 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिये अनुमति सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि. श्री शोभराज़ मल, माननीय सदस्य, विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 11 अक्टूबर, 1984 से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : रेट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से अवकाश ग्रहण कर सकते हैं क्या ? वे कल से अवकाश पर है।

(व्यवधान)

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री चन्दनमल वैद।

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश सन् 1984 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1984) को प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : बृजसुन्दर शर्मा, वित्त मंत्री।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुर : स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1984) को प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूँ ।

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक ।

आज दो विधेयक विचारार्थ लिए जायेंगे और दोनों का पारण भी आज ही होगा । लगभग अपने पास पाँच घण्टे का समय है, इसलिए प्रत्येक विधेयक को ढाई घण्टे की सीमा में हमें पारित करना होगा । इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब अपने विचार प्रगट करें तो समय का ध्यान रखें ताकि ढाई घण्टे के पश्चात् सम्बन्धित विधेयक को पारित किया जा सके ।

राजस्थान उपनिवेशन (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 पर निम्नांकित सदस्य परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

श्री कैलाश मेघवाल, श्री गुलाबचन्द कटारिया, डॉ. उजला अरोड़ा, श्री नाथूसिंह ।

माननीय श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी दिया था ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी (विराम) अगर आपकी तैयारी नहीं हो तो पहले किसी माननीय सदस्य को पहले अवसर दे दें ।

श्री देवीसिंह भाटी : पहले जिनका नाम लिया था वे बोल लें । उसके बाद मैं बोल लेता ।

श्री अध्यक्ष : श्री कटारिया । कटारिया जी की सदैव तैयारी रहती है इस विषय पर उनको मैं आमन्त्रित करता हूं ।

परिनियत संकल्प

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 मई, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान उपनिवेशन (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1984) को अस्वीकार करता है ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला मेरा निवेदन है कि जब 20 अप्रेल को हमारा यह हाउस चल रहा था उसके ठीक 13

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिन बाद इस आर्डिनेन्स को लाने के पीछे क्या हेतु था ? वैसे लिख तो यह दिया है, अति आवश्यक था । राज्यपाल महोदय ने ऐसा क्या महसूस किया, 13 दिन में ऐसी कौनसी बात हो गई थी जिसके कारण आर्डिनेन्स लाये ? मेरा ऐसा मानना है कि शायद आर्डिनेन्स जारी करने की जो हमारी मंशा है, जिस समय से इसका प्रावधान किया है उसको आप लिये फिरें इस लोकतंत्र की प्रणाली में, यह एक मखौल और मजाक बनाने के लिये आप आर्डिनेन्स निकालते हैं । जब हाउस चल रहा था तो उसी समय इस बिल को लाया जा सकता था, इस पर विचार किया जा सकता था और उन सारी परिस्थितियों, जिनके कारण से अनर्थ होने वाला था उस क्षेत्र में, से उसको हम बचा सकते थे बनिस्पत इसके आर्डिनेन्स के माध्यम से संशोधन लाकर और उसके रीजन्स देकर कि चूंकि परिस्थितियाँ ऐसी खराब हो गई थी इसलिये 4 मई के दिन आपने यह आर्डिनेन्स जारी किया ।

अब इस आर्डिनेन्स में है क्या वास्तव में ? आपने केवल यही तो है इसमें कि खातेदारी राइट्स चेंज कर रहे हैं वह बिना कलेक्टर की परमिशन के नहीं कर सकेंगे । यह प्रावधान तो इससे पहले वाले बिल में भी था । यदि कोई व्यक्ति कलेक्टर की परमिशन के बिना अपने खातेदारी राइट्स चेंज कर देता था तो उस पर आपने पैनल्टी इम्पोज कर रखी थी । और उस पैनल्टी के आधार पर वह रेगुलेराइज करता था । लेकिन इस बात को खतम करके, कलेक्टर की परमिशन से वह अपने खातेदारी राइट्स को चेंज करा सकता है उसके लिए उस किसान के पैसे कैसे अर्न किये जायं, ज्यादा से ज्यादा अमाउन्ट कैसे मिले इसके लिये इसमें प्रावधान करने की कोशिश की है । आपने बताया कि 25 बीघा जमीन है उसमें पानी लगता है, उसको आपने 25 बीघा की रेट 20 हजार रुपया खातेदारी राइट्स ट्रांसफर करने की उस किसान पर लगायी है । जो असिंचित जमीन है उस पर आपने 25 बीघा तक के 4000 रु. इम्पोज किये । उसके आधार पर वह अपने खातेदारी राइट्स चेंज करा सकता है । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वर्षों तक तपस्या के बाद और हिस्सेदारी के बाद जब उस क्षेत्र के लोगों को कहीं अपना भाग्य दिखाई दिया, उन्होंने किसी तरह से जमीन पर काश्त की तो उसको आपने बैक डेट में....

(व्यवधान)

आश्चर्य तो यह है, यह समझ में नहीं आता, जब आपने यह आर्डिनेन्स निकाला तो उसमें तो 360 दिन लिखा है, इस आर्डिनेन्स के 13-क में आपने लिखा है, "अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय, धारा 13 की उप धारा" के उल्लंघन में कोई अन्तरण या उप पट्टा किया गया है या भार सृजित किया गया है वहां ऐसा अन्तरण, उप पट्टा या भार, कलेक्टर के द्वारा उसे ऐसे प्रारम्भ से 360 दिन के भीतर अन्तरणकर्ता, पट्टा कर्ता या, यथास्थिति, भार सृजित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है ।" यानी आर्डिनेन्स में तो आप लिखते हैं 360 दिन तो हमें यह समझ में नहीं आया, यह तो आपका बिल आया है इसमें आप लिख रहे हैं 514 दिन, यह आखिर किस कारण से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अन्तर रहा ? 360 दिन आपने पूर्व में निश्चत किये हैं, उसमें उसका ट्रांसफर हो जायेगा लेकिन अब आप इस बिल में लिख रहे हैं 514 दिन तक आपने बैक डेट में छूट देकर के उससे पैसा अर्न करने के लिये रास्ता बनाया है। मेरी यह मंशा है कि क्या वास्तव में सरकार ने इस 13 क के द्वारा जो रेट दी है, क्या वास्तव में सरकार ने इस 13 क से वहां के लोगों की आने वाली समस्याओं, परेशानियों को हल करने का रास्ता निकाला है या राज्य सरकार द्वारा उन लोगों से अधिक से अधिक धन कैसे संचित किया जा सकता है, उनसे कैसे पैसे लिये जा सकते हैं इसलिये और जिन लोगों ने पहले आलरेडी खातेदारी राइट्स चेंज कर दिये थे उन लोगों के भी पुरानी तारीखों से 514 दिन बैक से लेकर भी आप स्थानान्तरण को वैध करने जा रहे हैं ? इसका मतलब या तो यह है कि आप इस तरह के जो ट्रांसफर होंगे उनको आप वैलिड करने की दृष्टि से उन लोगों को आमन्त्रित कर रहे हैं जिससे लोग अपने पैसे के आधार पर यहां की जमीन पर्चेज करें। वहां के लोकल लोग, जिन्होंने वर्षों तक परेशानियां भुगती थीं, हाथ से पूंजीपति लोग आकर जमीन निकाल लें, वह आपको पैसा भर-भर कर दें। इसमें भी आपने एक और सुविधा दी है कि वह चार किश्तों में पैसा जमा करा दें। उसके लिये आपने अवधि दी है कि वह अपनी सारी रकम चार किश्तों में जमा करा दें लेकिन उसके साथ-साथ आपने यह दिया कि अगर वह एक साथ जमा करायेगा तो 25 प्रतिशत की उसको छूट मिलेगी। मेरी ऐसी मान्यता है कि शायद इसके द्वारा आपने केवल अपनी दुकानदारी चलाने के लिये और पैसा कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्न किया जाये और जो पहले इस प्रकार के ट्रांसफर हो गये उनको कानूनी जामा पहनाने की दृष्टि से आपने यह प्रयत्न किया है। मेरी ऐसी मान्यता है कि इसमें कम से कम जो आपने पहले प्रावधान कर रखा था उसी के आधार पर कुछ मिनिमम पैनल्टी इम्पोज करते हजार रुपया, दो हजार रु., और उस आधार पर उसको अगर ट्रांसफर करते तो वास्तव में आप उस क्षेत्र के किसानों का आप भला करते। केवल आपने अपने पैसे कमाने की दृष्टि से और पूंजीपति लोगों को इन्वाल्व करने के लिये कि वह इस सरसब्ज एरिया में आकर घुस जायं, चाहे वे इन्फिलट्रेटर हों, चाहे बाहर के लोग आकर घुसें, जैसे आसाम को तबाह किया वैसे ही पैसा लेकर यहां आकर यहां के लोगों को तबाह करके अपने खातेदारी राइट्स प्राप्त कर लें और उसके आधार पर इस बार्डर एरिया को परेशान करें, इसलिये यह किया है। मेरी यह मान्यता है कि आप इस पर फिर से विचार करिये। यह जो आपने पैसे इम्पोज किये हैं इसके स्थान पर जो भी मिनिमम आज तय कर के उसके आधार पर निर्णय लें। इस आधार पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस अध्यादेश को आप स्वीकार न करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूसिंह

(अनुपस्थित)

श्री देवीसिह ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 मई, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान उपनिवेशन (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1984) को अस्वीकार करता है ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है इसके पूर्व यह जो आर्डिनेन्स निकाला है उससे पूर्व सारी बातों को सोचना चाहिये था कि इसके नतीजे क्या निकलेंगे। बार-बार इस प्रकार से आर्डिनेन्स लाते हैं उससे काश्तकार का भला होने जा रहा है या नही होने जा रहा है, यह कोई नहीं देखता है। अब काश्तकार ने किस परिस्थिति में जमीन बेची है, बेचने वाले और खरीद करने वाले कौन हैं, यह सब देखना होगा। जो आपने पूर्व में इसमें प्रोविजन कर रखा था कि विदाउट कन्सेन्ट ऑफ क्लेक्टर और कमिश्नर अगर कोई जमीन बेचेगा तो उसके ऊपर 500 रुपया पैनल्टी इम्पोज होगी। उसको, चलो, आपने दो हजार रुपया कर दिया, कोई एतराज वाली बात नहीं है। परन्तु आपने तो एक दुकानदारी खोल दी कि इस प्रकार की आप इल्लीगल सेल कीजिये। जो बाहर से मोस्टर्ली, अध्यक्ष महोदय, पंजाब के लोगबाग आते हैं वे ही खरीद करते हैं। वे और ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे और काश्तकारों के हाथ से ये जमीनें निकलती जायगी। या तो आप इस पर पूर्ण बिलकुल पाबन्दी लगा दीजिये कि जमीन बेच ही नहीं सकते हैं या ऐसी परिस्थिति हो, कोई अगर कोई विधवा हो या कोई अपाहिज हो जो इस प्रकार की जमीन पर काश्त नहीं कर सकता हो, उसे अलाउ किया जाय। परन्तु ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी उसके उपरांत जिन्होंने ये जमीनें बेच दीं बगैर परमिशन के, उनको आप रेगुलेराइज किस आधार पर कर रहे हो कि 20 हजार रुपये 25 बीघा के जमा करवा दीजिये और ट्रांसफर रेगुलेराइज करवा लीजिये। तो, अध्यक्ष महोदय, इससे लोगों को एक रास्ता मिल जायेगा कि इस दफा सरकार ने रेगुलेराइजेशन किया है और आइन्दा भी यह सरकार मौका देगी। इससे पंजाब के लोगबाग खरीददार आ रहे हैं और जमीन खरीद रहे हैं। आप एक चीज सोच लीजिये जो इस प्रकार की जो भी बिक्री हो रही है, जो भी खरीद-फरोख्त हो रही है उसे हमें रोकना है। यह बिल्कुल मानस आप बना लीजिये, लेकिन यह मानस आप बना नहीं पा रहे हैं बार-बार उसके अन्दर संशोधन करते हैं। कभी तो आपने 500 रुपया पैनल्टी इम्पोज कर दी, कभी आपने उस पर दो हजार रुपये पैनल्टी तय कर दी। अब उसके अन्दर यह कर दिया कि एक दफा जिस अलाटी ने उस जमीन की पूरी कीमत दी है सरकार को और अगर उसने सेल कर दी है तो फिर आप उसका 20 हजार रुपया प्रति मुरब्बा का जमा करवाइये और उसे रेगुलेराइज करवा लीजिये। अध्यक्ष महोदय, अब उन्होंने इसके अन्दर एक प्रोविजन और कर दिया, छूट दे दी कि जब इस प्रकार का 1983

Page No.53

(श्री देवीसिंह भाटी)

के अन्दर यह जो बिल लाये थे उसके बाद में जब जब रजिस्ट्री और जब बेचान वगैरह हुए हैं उसके 514 दिनों के अन्दर आप इस प्रकार अप्लाई कर दीजिये। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं परिचित हैं कि लोगबाग जो खरीदे हुए मुरब्बे हैं उनके अन्दर ऐसी बेनामी करनी है या खरीददारी करनी है, सरकार के सामने प्रस्तुत करनी है कि हमारा यह सौदा पूर्व में हो चुका, इकरारनामा लिखा जा चुका है, उस आधार पर यह सारी छूट दी गई है। सिर्फ राज्य सरकार तो यह है कि हमें इसमें 20 हजार रुपये प्रति मुरब्बे का मिलता है, यह फायदा सरकार सिर्फ अपना सोचती है काश्तकारों के हित के लिये सोचने के लिये कतई तैयार नहीं हैं। मैं तो यह कहता हूं कि या तो यह सरकार बिल्कुल इसके ऊपर स्थिर रहे कि हम किसी भी काश्तकार को यह जमीन बेचने देंगे नहीं। जब आपने पूर्व में यह पाबन्दी लगा रखी है तो आप उसके अन्दर फिर यह छूट दे रहे हैं सिर्फ पैसा चार्ज करके प्रति मुरब्बा 20 हजार देते ही वह रेगुलेराइज हो जाएगी। आपने जो नियम कानून कायदे भंग किये वह कोई मायने नहीं रखते अब यही सोच कर आज पंजाब से काफी लोग-बाग आ रहे हैं और वह खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इस प्रकार की रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं कि अभी हम करवा लेंगे तो आइन्दा समय में हम सरकार के ऊपर फिर दबाव डालेंगे इस प्रकार के प्रलोभन में और फिर दुबारा इस प्रकार की छूट दे दी जाएगी। तो इस प्रकार की जो आप मंशा रखते हैं कि काश्तकारों को परमिशन नहीं मिले, उसको हम रोकें, इस प्रकार से कतई यह रास्ता नहीं है और न यह रोका जा सकता है। आप बिल्कुल इसके ऊपर स्थिर रहिए कि किसी भी प्रकार का बेचान हुआ है उन्हें हम किसी भी हालत में अलाऊ नहीं करेंगे। आज आप किये जा रहे हैं, फिर आप दुबारा उन्हें मौका दे रहे हैं दुबारा उनको एन्करेज कर रहे हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसके ऊपर पुनः विचार करके जन-मत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय। उत्तर देंगे मन्त्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं उत्तर दूंगा लेकिन माननीय सदस्य कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, मैं समझता हूं बाद में कर लेंगे या पहले जैसी आप इजाजत दें।

श्री आत्माराम चौधरी (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसमें संशोधन की बात है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार 30 साल के बाद में यह संशोधन लाई है यह बहुत बड़ी बात है। यह किसानों के जो अवैध ट्रांसफर्स हो गये थे स्थानान्तरण हो गये थे उनको वैध करने के लिए 30 साल, जिसमें जनता पार्टी का रूल भी आया, कांग्रेस का राज भी रहा, बाद भी इस अमेण्डमेंट का श्रेय हमें ही मिला इस गवर्नमेंट को मिला, इस सदन को मिला, यह एक बड़ी बात है। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा, यह ठीक है कि मरते हुए आदमी को जिला दिया। जमीन जो है वह राज्य सरकार के अधिकार में जा रही थी वह किसानों के अधिकार में रह गई यह अच्छा किया परन्तु वह काश्तकार के अधिकार में है क्या? अगर काश्तकार को बेचने का ही राइट नहीं है। 13-ए में यह है, कालोनाइजेशन अधिनियम 54 के तहत

(श्री आत्माराम चौधरी)

ही है कि 7 साल के बाद काश्तकारों को खातेदारी राइट मिल जाते हैं। जब सात साल के बाद खातेदारी राइट मिल जाते हैं तो फिर राज्य सरकार से या कलेक्टर से परमिशन की क्या जरूरत है। अगर परमिशन की जरूरत है तो फिर यह खातेदारी राइट क्या हुए ? राज्य सरकार ने खातेदारी राइट दे दिये और उसमें यह कन्डीशन रख दी कि सात साल के बाद में उसको खातेदारी राइट मिल जायेंगे। जिस समय जमीन अलाट हुई तो उसने खेती या कुछ किया, 7 साल के बाद खातेदारी राइट मिल गए। खातेदारी राइट दो तरह के होते हैं क्या ? खातेदारी राइट्स दूसरे काश्तकारों को हैं और एक कोलोनाइजेशन के काश्तकारों को हैं। यह दो तरह के खातेदारी राइट्स हैं क्या ? खातेदारी राइट तो एक ही तरह के होते हैं। अगर खातेदारी मिल गयी तो खातेदारी राइट रहे क्या ? अगर खातेदारी राइट मिलने के बाद में काश्त नहीं कर सकता तो कब करेगा ? फिर परमिशन की क्या जरूरत है ? अगर परमिशन की जरूरत है तो फिर यह जिस तरह से कंडीशन्स रखी हुई है कि इन-इन कंडीशन्स के तहत कलेक्टर मंजूरी देता है, राज्य सरकार मंजूरी देती है तो फिर क्यों नहीं विधान सभा द्वारा वे कंडीशन रख दी जावें और वह बता दी जावें, जो पूरी करें उसको चेंज कर दें तो यह समझ में आने वाली बात नहीं है। इस तरह से दो तरह की खातेदारी पैदा कर रहे हो। राजस्थान के अन्दर जिस तरह से मैंने पहले निवेदन किया कि यह मरते हुए आदमी को कुछ दिन के लिए जिला दो, उस तरह की बात है। आज उसकी जमीन तोड़ रहे हो। इसलिए तोड़ रहे हो कि उसने परमिशन नहीं ली। किस बात की परमिशन ? परमिशन ही लेनी है तो फिर खातेदारी क्या है ? जमीन में काश्तकार फसल नहीं काट सकता, जमीन से मिट्टी नहीं निकाल सकता। जमीन में कोई चीज नहीं दबा सकता, वह जमीन को इधर से उधर नहीं कर सकता तो फिर खातेदारी राइट्स क्या हुए ? तो मरे हुए आदमी को जिला जरूर दिया पर ये जो अधिकार हैं, जो किसानों के फण्डामेंटल राइट्स हैं उसमें राजस्थान टिनेंसी एक्ट ही पिछड़ा हुआ है। इसमें 13-ए जैसी धारायें जोड़-जाड़ कर लोगों को बगैर मतलब के तंग किया जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा, यह राहत दे दी कि 20 हजार रुपये प्रति मुरब्बा देने के बाद उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उन पर जो केसेज चल रहे हैं वह विथड्रा कर लेंगे पर इसके बाद क्या होगा ? क्या 20 हजार रुपये देने के बाद में फिर दूसरी तरह की खातेदारी मिलेगी ? इसके बारे में कानून बिल्कुल चुप है। 30 हजार रुपये देने के बाद फिर दुबारा बेच नहीं सकता तो फिर यह किस तरह का कानून हुआ ? यह राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट है इसके अन्तर्गत जिन्होंने जमीनें खरीदी हुई हैं, जिन्होंने मार्केट रेट पर जमीनें ली हुई हैं उन्होंने वह जमीन बेच दी तो उनके ऊपर भी धारा 13 लागू होकर के गवर्नमेंट उसको बेदखल कर देती है तो इस का सेंस क्या है, इसका मतलब क्या है ? इस तरह से किस तरह से यह पैरा बना दिया ? यह संशोधन करके भी नहीं करने जैसी बात हो रही है। जब से राजस्थान में आर. टी. ए. बना और जमींदारों को काश्त के अधिकार दिये वह अधिकार देकर भी नहीं देने जैसे हो गए। आज बड़े जमींदार बैठे हैं, छोटे जमींदारों और राज्य वाले जागीरदार

(श्री आत्माराम चौधरी)

में क्या फर्क है, यह कोई बता दे, तो मैं मान जाऊँगा। वही सब कुछ है, ढाँचा बदल गया है। सिर्फ जागीरदार जो पहले छोटा होता था, आज जागीरदार राज हो गया है। राज्य की जागीरदारी में इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है कि यह जो कोलोनाइजेशन एरिया है इसमें कोई जमीन खरीदी हुई है मार्केट रेट पर भी ली है उसको भी यह आज बेदखल कर रहे हैं, जिनको न तो ट्रांसफर में मिली हुई है उनको भी यह आज बेदखल कर रहे हैं। इसके साथ-साथ यह और रखा है इन्होंने कि 54 के ट्रांसफर को री-ओपन और कर सकते हैं। 20-30 साल के बाद गड़े मुर्दे उखाड़ोगे आप। 30 साल तक आपने क्यों नहीं एप्लाई किये थे कानून? आज ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? राहत देने के नाम पर 30 साल पुराने केसेज खोल रहे हो। 30 साल पहले जो ट्रांजेक्शन हो गए उनको इस एक्ट के जरिए दुबारा खोलोगे, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है, इससे बड़ा कुठाराघात किसानों पर क्या हो सकता है? यह कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। यह इस तरह का कानून है जिसको आप कुछ भी कह सकते हो, कोई भी संज्ञा दे सकते हो। पर यह धारा चलने वाली है नहीं। आज किसानों के फण्डामेंटल राइट्स हैं किसी को राहत देना या नहीं देना यह कम्पेरेटिव टर्म्स हैं। आज जैतसर में जो लाखों रुपये की जमीन-जायदाद है वह नाजायज कब्जे की है, किसी ने धेला-पैसा दिया नहीं, उस जमीन पर कब्जे हो गए हैं और गवर्नमेंट 5-10 साल के बाद रेगुलराइज कर देती है। कोई कुछ भी पैसा नहीं देता और उस को रेगुलराइज करने के बाद वह बेच भी सकता है। सारे अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। कोलोनाइजेशन एरिया के अन्दर धारा 13 के अन्दर जिसने पूरे पैसे दे दिये और सात साल के बाद उन्होंने कहा है कि खातेदारी भी हो जायेगी। सात साल के बाद भी जिसने बेच दिया 14 साल की उम्र कैद होती है उम्र कैद से आधी सात साल का पीरियड थोड़ा बहुत पीरियड नहीं है। उसके सात साल के पीरियड पूरा होने में बाद भी उसको परमिशन लो। परमिशन लेकर पैसा-भर के भी फिर भी उसको खातेदारी राइट मिल जायेंगे क्या? वैसे जनरल अण्डरस्टेंडिंग यह है कि मिल जायेंगे पर नहीं मिलेंगे। सात साल के बाद पूरे पैसे भर दिये हैं सात साल गुजर गए उसके बाद भी, उसको 30 हजार रुपये रेगुलेराइज कराने के बाद भी उसको खातेदारी राइट दिये हैं, दूसरे नम्बर का माना है। इस सन्दर्भ में रेगुलराइजेशन करने के बाद भी उसको खातेदारी राइट नहीं मिले, यह कितना बड़ा अन्याय है और कितनी बड़ी बात है। इसके लिए हम झगड़ा करके ले रहे हैं किसान के लिए।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मरते हुए के तलवार लटकती हुई रख दी हर टाइम।

श्री आत्माराम चौधरी : सन 1954 का कालोनाइजेशन एक्ट है उसमें 13 जो धारा है, वह गलत है। इस गलत धारा को तरमीम नहीं कर सकते आप। जिसने मार्केट रेट से जमीन खरीदी है उसको आप बेदखल कर रहे हैं। जिन्होंने जमीन एक दूसरे से ली हुई है, पूरा रुपया दिया है उनका यह हाल है। सात साल हो गए, पूरा पैसा दे दिया

Page No.56

(श्री आत्माराम चौधरी)

उसके बावजूद भी आप उसको खातेदारी राइट नहीं दें। उसको खातेदारी राइट आप दें। यह मेरी राज्य सरकार से विनती है कि यह कानून गलत है। गलत कानून सही नहीं कर सकते। यह धारा 13 क्यों लगवाई है जिसको खातेदारी राइट्स मिल गये हैं उसको जमीन दे दी बेचे कुछ को आपको देना तो चाहिए था उसको मालिकाना हक। कम से कम खरीदने और बेचने का राइट उसको होना चाहिए। यही मतलब खातेदारी का राजस्थान में है क्या ?

दूसरी इसमें रि-ओपन की बात है कलेक्टर को इस अमेण्डमेंट के थ्रू। यह 1954 का बना हुआ एक्ट है। इसको टोटल तीस साल हो गये। तीस साल के अन्दर जो ट्रांजेक्शन हो गये हैं उसको फिर दुबारा रि-ओपन करेंगे। एक तरफ तो रेगुलेराइज करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप यह बात कर रहे हैं कि जो कुछ हो गया उसको किसी तरह से निपटाना है और दूसरी तरफ उसको फिर रि-ओपन कर रहे हो। तो यह रि-ओपन वाला तो बिलकुल ही मामला गलत है। यह बात समझ में नहीं आती है। पहले बन्दोबस्त का कानून था। बन्दोबस्त करना अच्छा है। पांच साल, पन्द्रह, बीस साल में कागजों में दुरुस्ती हो करके ठीक हो जाये तीस साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो काश्तकारों की क्या हालत होगी यह बात सोचने के काबिल नहीं है।

तीसरी यह है कि कलेक्टर को पावर है। जमीन हमारे कब्जे में है। हम कलेक्टर से पूछने जायें कलेक्टर कौन होता है पूछने वाला। अगर कोई इस तरह की दरख्वास्त दे, यह मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार या किसी ऑफिसर के दिमाग में ऐसी बात है, कन्डीशन, क्राइटेरिया है। जिस कन्डीशन पर आप परमिशन देते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कोई है तो आप बतावें। जिन को परमिशन दी है, वह किन-किन परिस्थितियों में दी है। जिनको नहीं दी उनको किन परिस्थितियों में नहीं दी। यह एप्लीकेबल नहीं है। न ही एप्लीकेबल है और यह एप्लीकेबल कभी हो नहीं सकता। जिसको जमीन बेचनी है वह अपने हिसाब से बेचता है। अपने हिसाब से खरीदता है। परमिशन के चक्कर में वह दस साल तक घूमता फिरेगा, न उसको परमिशन मिलेगी न वह उसको बेचेगा। जिस मकसद के लिए वह जमीन को बेच रहा है वह पूरा नही होगा। तो ये दोनों, तीनों बातें इस तरह की हैं जो 13-ए है वह बिल्कुल गलत है। यह ठीक है कि राज्य सरकार ने 34 साल के बाद इसको सुधार लिया है।

इसी तरह से फ्रेगमेन्टेशन का एक्ट है। यह राजस्थान टिनेंसी एक्ट प्रेक्टिकेबल नहीं है। यह राजस्थान टिनेंसी एक्ट एक तरह से मरते हुए आदमी को थोड़ी देर जिला देने वाली बात है। स्पष्ट करने वाली बात है। यह क्लाज खत्म होना चाहिए। गवर्नमेन्ट को दुबारा इसको रिकन्सीडर करना चाहिए। एक कमेटी बिठावें जो कि इस सारे टिनेन्सी एक्ट को देखे कि कहाँ-कहाँ इसको लागू किया गया। मैं समझता हूं इसने मुश्किलात पैदा कर दी है। लोगों का जीवन दूभर हो गया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में लोगों को यह अधिकार देना चाहते हैं, अगर गवर्नमेन्ट में सद्बुद्धि है तो इसको दुबारा

(श्री आत्माराम चौधरी)

रिकन्सीडर करके इसको दुबारा प्रेक्टिकेबल बनाये। जो मुर्दा कानून है मुर्दे जो क्लाज हैं उसको खत्म करने वाला है तो इसमें जितने संशोधन करेंगे उतनी ही गलतियाँ होंगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। श्री चतुर्भुज ।........

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, संशोधन के बारे में मैं कहना चाहूंगा। जैसा माननीय सदस्य ने कहा राजस्थान के गरीब किसानों के लिए........

श्री अध्यक्ष : यह कालोनाइजेशन के बारे में है। उपनिवेशन नहरी क्षेत्र विषय के बारे में।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ भी नहरी क्षेत्र है। उसके अन्दर आज पटवारी सिंचाई के लिए एक पानी चलाता है, नहीं भी चलाता है। एक जिम्मेदारी आई है उस पर परन्तु उसका कोई अता-पता नहीं चलता है। इसलिए मेरा विचार है और राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहूँगा कि संशोधन के लिए जो आपने कहा है, राजस्थान में काश्तकार की हालत सुधरनी चाहिये ताकि अशिक्षित लोगों की जिन्दगी बच सके। ऐसा कोई तरीका निकाला जाये जिससे जुल्म न हों और राजस्थान में जो अशिक्षित और गरीब लोग हैं उनके हित में उचित कार्यवाही की जाये और उसमें सुधार किया जाये। यही मैं निवेदन करना चाहूँगा।........

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय। कालोनाइजेशन के बारे में है। आगे विचार कर लेना जब पारण के स्तर पर आये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस अध्यादेश को ही नामन्जूर करने के लिए अपने प्रस्ताव रखे हैं। मुझे इस बारे में यह निवेदन करना है कि अध्यादेश लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ढाई महीने असेम्बली का सैशन चलने के पश्चात् जब सत्र समाप्त हो गया तो उसके पश्चात् सरकार ने यह महसूस किया कि काश्तकारों को यह राहत देना अतिआवश्यक है। इसलिए उसे यह आर्डिनेन्स निकालना पड़ा। इस आर्डिनेन्स के निकालने के पहले राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, सन् 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत यह प्रावधान थे कि बिना कलेक्टर की इजाजत लिये आप किसी जमीन को बेच नहीं सकते, ट्रान्सफर नहीं कर सकते और रहन रख नहीं सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको उस जमीन से बेदखल कर दिया जायेगा। यह बहुत ही सख्त प्रोविजन था। यह प्रोविजन होते हुए भी कई काश्तकारों ने जमीनें बेच दीं, ट्रांसफर कर दी। एक ही ट्रान्सफर नहीं, ट्रान्सफर के बाद फिर ट्रान्सफर हो गयी। इस प्रकार से काफी बड़ी तादाद में नहरी क्षेत्रों के अन्दर काश्तकारों ने जमीन ट्रांसफर कर दी तो सरकार ने यह महसूस किया कि इन काश्तकारों को अगर बेदखल किया जायेगा तो बहुत बड़ा मामला बन जायेगा और लोगों,

(श्री खेतसिंह राठौड़)

काश्तकारों के साथ बहुत बड़ा न्याय नहीं हो सकेगा, उनको असुविधा होगी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनहित और काश्तकारों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 13-ए सैक्शन जोड़ा जिसके तहत 5 अगस्त, सन 1983 के पूर्व जिन्होंने जो ट्रान्सफर कर लिये हैं जो अवैध थे उनको वैध करने के लिये वह या तो यह फीस, जिसे कम्पाउन्डिंग फीस कह दीजिये या सम्मन फीस कह दीजिये, जमा करा दें तो उसको वैध करार कर दिया जायेगा। इसके लिए काश्तकारों को छूट दे दी कि 180 दिनों के अन्दर-अन्दर आप एप्लाय कर दीजिये। जिनकी 180 दिन में एप्लीकेशन आ जायेगी उन सारी एप्लीकेशन पर ध्यान देकर उनको रेगुलेराइज कर दिया जायेगा। उनके लिये यह रखा गया, सब सोच-विचारने के पश्चात् कि ज्यादा किसान के ऊपर वजन न पड़े। यह तय किया गया 20,000 रुपया सिंचित जमीन, 25 बीघा जिसे एक मुरब्बा कहते हैं, उसके लिये बीस हजार रुपये और असिंचित भूमि के लिये चार हजार रुपये। यह रेट रखी गयी। साथ ही यह भी तय कर दिया गया कि अर्द्ध-वार्षिक किश्तों में चार किश्तों में वह काश्तकार रुपया जमा करा दे। इस प्रकार जब यह रुपया जमा करा दे तो जो उसकी जमीन अवैध थी वह वैध हो जायेगी और उसको राइट्स मिल जायेंगे। यह भी तय कर दिया था कि यदि काश्तकार एक मुश्त पैसा जमा करा देगा तो उसको 25 प्रतिशत छूट दे दी जायेगी। इस प्रकार से जो बड़ी तादाद में अवैध कब्जे किये हुए बैठे थे उनको यह सहूलियत मिल गयी। इस प्रकार से एप्लीकेशन इन्वाइट की गयी। तब गंगानगर की तरफ से यहीं महानुभाव, जो हनुमानगढ़ से तशरीफ लाते हैं, और इनके कई साथियों ने शामिल होकर सरकार से यह रिक्वेस्ट की कि इस मियाद को और बढ़ाया जाये क्योंकि हमारे कई ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने एप्लाई नहीं किया है उनको और मौका दिया जाय जिससे वे एप्लीकेशन दे दें। तब इसकी मियाद और बढ़ायी गई। यों करते-करते अब 30 दिसंबर, 1984 तक की मियाद रखी गयी है। इस दरमियान जो भी काश्तकार एप्लाई कर देगा, उसके केस को देखकर कलेक्टर उसका नियमन कर देगा। यह एक बहुत बड़ी सहूलियत दी है इस आर्डिनेन्स के तहत। इसलिए मेरा, श्रीमन् आपसे यह निवेदन है, आपने जो यह कहा कि यह आर्डिनेन्स नहीं लाना चाहिये था। यह काश्तकारों के हित में लाया गया। उस आर्डिनेन्स को रिप्लेस करने के लिये आज मैं यह बिल प्रस्तुत करने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मुझे यह विश्वास है कि आप मुझे आज्ञा प्रदान करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे, उनके बारे में मंत्री महोदय अपने कुछ विचार सदन के समक्ष रखें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरा एग्जामिनेशन ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण मुद्दे की बातें हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो पॉइन्ट इन्होंने यह उठाया कि कलेक्टर से परमिशन की आवश्यकता क्यों है....

श्री आत्माराम चौधरी : आप एक-एक प्रश्न का जवाब दीजिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहला तो आपने यह पूछा था कि कलेक्टर से परमिशन की आवश्यकता क्यों है ? आवश्यकता इसीलिये है, हम नहीं चाहते । जैसा कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि ये जमीनें बेच-बेच करके अन्य राज्यों के काश्तकार ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ आ जायेंगे । उनसे बचने के लिये ही हमने यह प्रॉविजन रखा है कि 5 अगस्त के पहले से तो इस तरह नियमन हो जाय उसके बाद उनको, हर एक को परमिशन लेनी ही पड़ेगी । वह परमिशन लेने का मतलब यही है कि अन्य लोग, बाहर के लोग कम से कम आएँ । उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही परमिशन का प्रॉविजन रखा गया है ।

दूसरा, आपने कहा कि जो पहले सब हो गये हैं उनको आप रि-ओपन क्यों कर रहे हैं । रि-ओपन करने के लिये बहुत कम केसेज हैं, ज्यादा हैं भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे केसेज भी हैं जिनको कलेक्टर स्वयं ने जो परमिशन दी थी वह इल्लिगल थी, अवैध थी । उन केसेज को रि-ओपन करने का प्रश्न आता है, बाकी कोई केसेज रि-ओपन नहीं किये जायेंगे ।

तीसरा, आप कहते हैं कि काश्तकार को खातेदारी के हक मिल जायेंगे....

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : पास जाकर पूछ लीजिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुझे विभाग ने यह बतलाया है कि ज्यों-ज्यों जिन-जिन व्यक्तियों ने अवैध ट्रान्सफर करवाये थे, जब यहाँ फीस जमा करवादी है, वे ट्रांसफर वैध हो जाते हैं तो वैध हो जाने के पश्चात् उनको दूसरे काश्तकारों की तरह ही वही हक रहेंगे ।

श्री आत्माराम चौधरी : नहीं रहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । आसन पैरों पर ।

श्री आत्माराम चौधरी : वैध क्या होगा, वह बता दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : किसान का प्रश्न है । हम सब जानते हैं कि खातेदार के क्या अधिकार होने चाहिए । वह लम्बा चौड़ा विषय है । आपने सुझाव दे दिये, महत्वपूर्ण मुद्दा था, सदन के सामने आ गया है ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो राज्य सरकार ने दुकान खोल ली । क्या 20 हजार रुपये देने के बाद कार्यवाही शुरू हो जायेगी । एक तरफ यह कह रहे हैं कि काश्तकार के हित के लिए हमने यह किया है । कहाँ काश्तकार का हित देखा ? इन्होंने तो बनिये की दुकान खोल ली आप इस प्रकार 20 हजार रुपये लीजिए और उसको रेग्युलेराइज कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : अपने पास घोड़ा नहीं हो तो पाँच हजार रुपये आप खर्च करें तो

(श्री अध्यक्ष)

थोड़ा खरीद सकते हैं तो अपना हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पेनल्टी का पूर्व में ही प्रावधान है। उसके साथ 20 हजार रुपये किस बात के लिये जाएँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएँ। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, दो-एक मुद्दे उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अभी और आयेगा....

(व्यवधान)

ऑर्डर बैठ जायं।

अभी एक ही वाचन हुआ है। और आयेंगे आपके सामने।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। कृपया।

प्रश्न यह है कि परिनियत संकल्प को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकृत किया गया।

विधेयक पर विचार

मंत्रीजी, प्रस्ताव।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि निवेदन किया कि सरकार ने अपनी मन्शा बताई है कि इसमें काश्तकार का हित देखना है, काश्तकार के भले के लिए हम यह कर रहे हैं। आपने काश्तकार के भले के लिए नहीं किया बल्कि उसको ऐसा नियमों में बांध करके छोड़ दिया है कि वह चक्कर लगाता रहे। एक तो आपने यह परमिशन का प्रोविजन रखा है उसके अन्दर जो प्रोजिसर बना हुआ है उस हिसाब से उसे परमिशन मिलती नहीं है। आखिर उसे रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत दिये बगैर अभी भी किसी काश्तकार को परमिशन नहीं मिलती, It is a fact. यह हम अब नहीं कर सकते क्योंकि आपस में एडजस्टमेन्ट की बात है, अण्डरस्टेंडिंग की बात है। अध्यक्ष महोदय, जब परमिशन नहीं मिलती है उसके बाद में इन्होंने यह प्रोविजन कर दिया कि अगर उसने विदाउट परमिशन सेल कर दी तो हम उसके ऊपर यह पेनल्टी इम्पोज करेंगे। जब उसका नियम यह है, वह जो गलती करता है उसके लिए आपने पेनल्टी का प्रोविजन कर रखा है, इसके अन्दर 2 हजार रुपये पेनल्टी का प्रोविजन कर रखा है। जब आपने दो हजार रुपये की पैनल्टी का प्रोविजन कर रखा है

(श्री देवीसिंह भाटी)

तो फिर आप 20 हजार रुपये किस बात के ले रहे हैं। अगर सरकार मुझे समझा दे, कन्विन्स कर दे तो हम मान लें। अध्यक्ष महोदय, यह कहीं भी नहीं होता है, चाहे आप शहरी क्षेत्र ले लीजिये, चाहे आप इण्डस्ट्रीज में ले लीजिये, किसी भी मामले में ले लीजिये। जिसके लिये पेनल्टी रखी गई है, एक पेनल्टी ही ली जाती है। 20 हजार रुपया प्रति मुरब्बा किस बात का लिया जा रहा है? कौन-से काश्तकार का इससे भला हो रहा है? अब एक तरफ जब इसका प्रोविजन कर रखा है कि काश्तकार उसको सेल नहीं कर सकता और विदाउट परमिशन अगर सेल करता है तो उसे यह पेनल्टी देनी पड़ेगी।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसमें बताया कि जिस प्रकार से पूर्व में विदाउट परमिशन हजारों काश्तकारों ने ऐसी इल्लिगल सेल की, डॉक्यूमेन्ट आपस में लिख लिये, बेचान कर दिया। इसके लिए भविष्य में क्या कर रहे हैं? उसको कैसे रोक पायेंगे और उस जमीन का क्या होगा? पूर्व में जो आर्डिनेन्स लाया गया था, पूर्व में बिल लाया गया था उसके अनुसार यह था कि 13-ए के अन्दर जो काश्तकार विदाउट परमिशन ऑफ क्लेक्टर और कमिश्नर बेचान कर देगा वह लैंड एक्वायर कर ली जायेगी, और काश्तकार के अधिकार छीन लिये जायेंगे। यह तो आपने पूर्व में कर रखा था।

(12.58 म. प.)

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सभापति, पदासीन)

अब काश्तकार फिर उस जमीन को बेचेगा, फिर आप दुबारा अमेन्डमेन्ट लायेंगे और उसके द्वारा फिर वही प्रक्रिया चालू रहेगी। यह जो आप दुकानदारी खोल कर बैठना चाहते हैं, इससे काश्तकार का कोई भला होने वाला नहीं है। आप यह देखिये, मैंने पूर्व में जैसा निवेदन किया कि बिलकुल राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर, कालोनाइजेशन एरिया में ऐसे बेचान को रोकना है, जिससे दूसरे राज्यों के काश्तकार आकर खरीदते हैं, वे खरीद नहीं सकें। यहाँ तक मैं सहमत हूँ। परन्तु आप एक तरफ पेनल्टी लगाते हैं उस पर 20 हजार रुपया प्रति मुरब्बा लेते हैं यह किस बात का है। आप दो हजार रुपया पेनल्टी लीजिये। सभापति महोदय, बिल्कुल यह बात है इसके अन्दर प्रोविजन है जैसा कि पूर्व में था कि 500/ रुपये आपको इसके लिए पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, इसके बाद में आपने इसका दो हजार कर दिया। अब यह जो 20 हजार रुपये आप ले रहे हैं यह बिल्कुल गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। आप जब मर्जी आये 20 हजार कर दें। कल फिर एक अमेन्डमेन्ट ले आयेंगे उसमें 40 हजार कर देंगे। यह तलवार ऐसी आपने लटका कर छोड़ दी है। राज्य सरकार ने यह सोच लिया कि जो नियम, कायदे, कानून तोड़ता है उसको चाहे वह एन्करेज होता हो, हमें तो पैसा चाहिए....

(1.00 म. प.)

(श्री देवीसिंह भाटी)

उसके अन्दर नियम और कानून कायदे ताक पर रख दो। किस प्रकार से पैसे लेंगे यह आपने नियम बना लिये। इसलिये, सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस प्रकार के जो बार-बार अमेंडमेंट लाते हैं, काश्तकार का हित नहीं देखते हैं, सिर्फ राजकोष का हित देखते हैं।

दूसरा मैंने यह पूछा कि अगर आप आयन्दा उसके अन्दर कोई भी संशोधन लाते हैं तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं। आप काश्तकार की राय जानते नहीं, काश्तकार का इसके अन्दर भला हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज जब मर्जी चाहे, आपने जब मर्जी चाही पूर्व में प्रति बीघा 1 हजार किया, फिर 20 हजार कर दिया और कल को अगर कोई प्रेशर आ गया तो कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। मतलब उसको आपने ऐसा अधर झूल में लटका दिया है चाहे वह खरीददार हो या बेचान करने वाला हो, फंसा हुआ है। अब आपके सामने स्थिति आ गई है कि कितने काश्तकारों ने ऐसी जमीन बेची है और कितनों ने खरीदी है। इसके साथ आपने यह अवधि और बढ़ा दी है, इस अवधि के अन्दर क्या ऐसे इकरारनामे पेश नहीं किये जायेंगे। जो पूर्व में स्टाम्प्स खरीदे हुए हैं, बेनामी और उनमें इस प्रकार से नाम बढ़ा कर रजिस्ट्रेशन हो जायेंगे। और खरीद कौन रहा है? सभापति महोदय, पैसे वाले। पैसे वाला किसान है नहीं। वह किसान पंजाब से आता है। मैं कहता हूं कि आप इसको बिल्कुल बन्द क्यों नहीं कर दें। परमिशन देते नहीं हैं जो विदाउट परमिशन हुए उनको रेगुलेराइज करने जा रहे हैं, उनको भी बिल्कुल बन्द कर दें। आप उसको एनकरेज क्यों करते हैं। आप तो पैसा दे दो। आपने नियम कानून कायदे को तोड़े हैं तो कोई बात नहीं। आपने पैसा दे दिया 20 हजार प्रति मुरब्बा तो उसको लेकर सही कार्यवाही कर रहे हैं। इसका मतलब फिर काश्तकार बेचेगा। कोलोनाइजेशन का क्षेत्र बहुत लम्बा-चौड़ा है, मन्त्री महोदय, यह हजारों मील में फैला हुआ है वहाँ जमीनें हैं, जिसकी फिर खरीद फरोख्त होगी। आप इस प्रकार की जानकारी लें, काश्तकारों की राय लें, जन प्रतिनिधियों की राय लें जनता के हितों पर विचार करके फिर इसको फाइनल करने की सोचें। वरना बार-बार संशोधन कर देते हैं। काश्तकार का हित देखते हैं तो इस पर पाबन्दी लगा दें। कायदे-कानून को तोड़ता है और 20 हजार रु. मुरब्बा दे दें तो बिल्कुल सही हो जायेगा। यह परम्परा बहुत गलत है। इसको रोकना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, कालोनाइजेशन एक्ट 54 की धारा 13 और 13 (क) में अमेंडमेंट ला रहे हैं। इस अमेंडमेंट से जो मन्त्री महोदय ने फर्माया कि आम काश्तकार के हित को देखते हुए, हित को सोचते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इससे गरीब और अनजान अनपढ़ काश्तकार हैं उनका कतई हित नहीं होगा। जिनके पास पैसा है, जो इस मामले में समझते हैं और जिन किसानों ने इस मामले को समझते हुए पुराने समय के अन्दर पुराने

(श्री महाराम चौधरी)

स्टाम्प्स वगैरह खरीद कर और अब भी कबाड़ कर पुराने टाइम में कॉन्ट्रेक्ट कर लेंगे, लिखा पढ़ी कर लेंगे। यह वही करेंगे जिनके पास पैसा है। 20 हजार रुपये प्रति मुरब्बा आप पैसा जमा करा करने के बाद उसकी वैधता की जाँच करेंगे। समझ में नहीं आया कि इससे भयंकर भ्रष्टाचार बढ़ेगा या नहीं। वैध वही ट्रांजेक्शन्स माने जायेंगे जो आदमी इसकी वैधता की जाँच करने में सक्षम होगा और सक्षम वही होगा जो अधिकारियों की जेबों में पैसे डालेगा।

यह आपने जो 20 हजार, रु. प्रति मुरब्बा लगाया है, लगाया है तो ठीक है लेकिन इसके साथ-साथ अनपढ़ किसान, जिस आदमी को इस सम्बन्ध की पूरी जानकारी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं होगा और अगर मान लो कि उसके पास बीस हजार रु. होंगे भी तो देरी हो गयी तो पैनल्टी लगायी जायेगी, पैसे भी लगेंगे। एक मामूली सी अज्ञानता की वजह से यह जो कार्यवाही हुयी है उसके लिए एक ही काश्तकार को दो-दो सजायें एक साथ भुगतनी पड़ेगी। हम जब कभी भी बात करते हैं, किसी भी मामले में बात करते हैं तो एक आदमी को एक ही साथ एक मामले में दो सजायें नहीं दे सकते हैं लेकिन काश्तकार को देरी होने की वजह से उसकी अज्ञानता की वजह से या जो बहुत लम्बी दूरी पर लम्बे चौड़े एरिया में बैठे हुए होने के कारण जानकारी नहीं होगी, उसको वकीलों के पास जाना पड़ेगा उसको जानकारी करनी पड़ेगी। मैं तो सही कहता हूं कि काश्तकार की कागजों को तैयार कराने में वकील की तरफ से लूट होगी, अधिकारियों की तरफ से लूट होगी, पटवारी की तरफ से लूट होगी। इनीशियल स्टेज पर पटवारी से रिपोर्ट तैयार करानी होती है। उससे शुरू होकर और आखिर में नियमन करने में जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस समय के अन्दर बहुत लम्बा समय लगेगा। उस समय के दरमियान वह काश्तकार बुरी तरह से तंग आ जायेगा मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस काश्तकार की पैतृक जमीन थी, उसका ट्रांजेक्शन कर दिया है तो फिर तीसरे से यह 20 हजार रुपया किस बात का ले रहे हैं। वह तो उसका मालिक का था। दूसरे जो शहरी आदमी हैं। लेन-देन में दूसरे बिजनेस पाइंट आफ व्यू से जो लेन-देन करते हैं उसमें कुछ लगाते नहीं हैं। काश्तकार एक तरह से जो उसकी पैतृक सम्पदा मानी जाती है अगर उसको कोई दूसरा खरीद लेता है तो भी एक तरह से उसकी पैतृक सम्पदा है। इसलिए मन्त्री महोदय को न कोई राग है, न लगाव है, न इस तरफ कोई विशेष ध्यान दिया है, न कोई रुचि रखते हैं और कोई ध्यान नहीं दिया है। उनका ध्यान तो अभी भी दिल्ली में लगा हुआ है। सब को तो दिल्ली बुलाया है मुझे क्यों नहीं बुलाया। वह किसी प्रकार का मनन करने, चिन्तन करने, काश्तकार के हित में सोचने, इस अमेंडमेंट को लाने में काश्तकार को कितना क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा यह समझने में भी असमर्थ हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। हस्तांतरण में एक तरह से डिले होगी। वैधता की जाँच करने में लोगों को तकलीफ होगी इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह से सरकार रास्ते चलते-चलते जब चाहे कोई अमेंडमेंट ले आती है, कभी कुछ ले आती है। इस

(श्री महाराम चौधरी)

कालोनाइजेशन एक्ट और रेवेन्यू एक्ट या टिनेंसी एक्ट के अन्दर एक तरह से अमेंडमेंट लाने से पूर्व के अन्दर एक तरह से सही अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाकर एक साथ अमेंडमेंट कर दिया जाय तो आगे का न सोचना पड़े। हर काश्तकार के गले में तलवार लटक रही है। वह लटकती रहने की वजह से किसान संतुष्ट ढंग से खेती नहीं कर सकता है इससे देश के उत्पादन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह से नहीं करते हैं तो आप किस तरह से हामी भरते हैं कि यह काश्तकारों की सरकार है। काश्तकारों के हित में सोचने वाली सरकार है। मैं तो यह समझता हूं कि आज के समय के अन्दर काश्तकारों के साथ अन्याय हो रहा है ऐसा अन्याय अंग्रेजों के राज में, राजा महाराजाओं के राज में कभी शायद नहीं हुआ होगा। न आने वाले समय के अन्दर होगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो भूला हुआ नहीं समझा जाता। आप काश्तकार की तरफ देखें सुबह-शाम, धूप में और सर्दी में रात-दिन खेतों में काश्त करता है, उसकी राय जानकर कुछ करो। इस तरह चलते-चलते अमेंडमेंट मत लाओ उसको मारना है तो एक साथ मार दो। बिल्कुल खत्म कर दो। तलवार लटका कर काश्तकार को जिन्दा मत रखो।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री। श्री भूपाल सिंह—आप बोलेंगे।?

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि यह एक्ट जो आया है यह एक बंदर बांट की तरह से है। एक बेचने वाला अलग है एक खरीदने वाला अलग है कितने समय से वह काबिज था, उसकी तहसीलदार ने, रजिस्ट्रेशन आफिसर ने रजिस्ट्री की सब कुछ हुआ। जैसा बंदर बाँट करते हैं। दो टुकड़े आ जायें। इधर का टुकड़ा इधर रख दो उधर का टुकड़ा उधर रख दो और सारी रोटी खा जाये।

स्थिति तो यह है कि 20 हजार और चार हजार जो ये रखे हैं ये एक लूट है। एक तरफ तो किसान को बगैर पैसे भूमि अलॉट करने का इनका टिनेंसी एक्ट का कानून है। एक आदमी जो काबिज था जमीन पर और शिकमी काश्तकार खेती करता था उसको बिना किसी कंपेंसेशन के खातेदारी दिलवा दी। दूसरे लोगों की जमीन जिस पर काश्तकार था या दूसरे खेती कर रहे थे वर्षों से उसको किसी मुआवजा के अधिकार दिलवायेंगे। यहाँ जब सरकार का नंबर आया तो सरकार ने ये पैसा जो लगाया है यह एक लूट है। क्या देखें नहीं इससे 20 हजार रुपये दो साल के अन्दर उसको चार किश्तों में देना पड़ेगा क्या वह किसान दे सकेगा ?

इसी तरह मेरा अर्ज करना यह है कि ये टिनेंसी एक्ट जो है यह किसानों के संरक्षण के लिये बनाया गया था और समय और परिस्थिति के आधार पर बनाया गया था। अगर स्वयं अर्ज कर दूँ तो कोई हर्ज नहीं। जागीरदार और जमीदार लोगों के पास बहुत सारी जमीन थी उस पर लोग खेती करते थे उनकी आमदनी सालाना थी। उनको अधिकार दिलवाना था उनमें पौलिटिकल रीजन्स थे। इसलिये उनको तो भी दिलाया और अब यह आ गया और अन्दर

(श्री भूपाल सिंह)

लग गये। इसलिये मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। बिना किसी कम्पेंसेशन के या बिना किसी दंड के जो जमीन जोतता है, एक तरफ सरकार का नारा है, जो जमीन जोतेगा उसी की जमीन होगी और एक तरफ कहते हैं कि ला 7 हजार रुपये, 20-25 हजार रुपये। तो यह किसान नहीं दे सकेगा। उस गरीब किसान की जमीन छीन ली जायगी और पूंजीपति वह जमा करायेगा वह सारी जमीन, उसकी 50%, 60%, 70% पूंजीपतियों के पास चली जायगी, गरीब किसान के पास नहीं रहेगी। इसलिये न इसमें यह रखा गया है कि जिसके पास इतनी एकड़ जमीन है उसको फ्री दी जायेगी और न यह बताया गया है किसी के पास एक बिस्वा जमीन है चाहे एक मुरब्बा जमीन हो चाहे 25 मुरब्बा जमीन हो एक आदमी जिसके घर में दस आदमी हैं वह दस मुरब्बा जमीन खरीद लेगा, 1 लाख 40 हजार रुपये दे देगा और उस गरीब किसान की जमीन छीन लेगा। इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि यह किसान विरोधी संशोधन है इसका सख्त, कड़े से कड़ा विरोध करता हूँ।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : माननीय सभापति जी, जो भूमि एक्ट में प्रावधान ला रहे हैं और एक मुरब्बे का 20 हजार रुपया किया है, जो नहर और कमांड एरिया की जमीन है उस कमांड एरिया की जमीन के बारे में निवेदन करता हूं, पहली बात तो यह है कि राजस्थान में नहर है और नहर के पास जो जमीन है, जो एक मुरब्बा उठती है। बाहर के आदमी आ रहे हैं और एक-एक जमीन को दो-दो ठौर बेच रहे हैं। राजस्थान की नहर के पास में बेच रहे हैं। जहाँ-जहाँ छोटे-छोटे तालाब हैं उन छोटे तालाब के नीचे भी छोटे बाँधों के नीचे भी कमांड एरिया की जमीन बताते हैं। जो कानून राजस्थान की नहर के लिये बनाया है वह कानून हमारे छोटे तालाबों के ऊपर भी लागू हो तो पहले तो कमांड एरिया की जमीन का नजराना और मुआवजा लेते थे तो ये एक बीघे का 50 रुपया, और 25 रुपया लेते थे, उसको बढ़ा कर 300 कर दिया एक बीघे का। अब ये 20 हजार रुपये एक एकड़ का मुरब्बा का कर दिया। जब यह एक्ट लागू करें तो नहर के बारे में जो कानून बना रहे हैं वह छोटे बांधों पर भी लागू होता है। छोटे काश्तकार का इस प्रावधान के बाद में जमीन पर कोई भी हक नहीं रहता है। जो बड़े-बड़े आदमी हैं जो पैसे वाले हैं हजार रुपये वही दे सकते हैं। छोटे आदमियों के हाथ से जमीन निकल कर बड़े आदमी के पास में जायगी। जमीन माता पर तो सभी का हक है यह मानना चाहिए। मुझे तो यही सूझता है कि पशु और पक्षियों का भी जमीन पर हक है लेकिन इस प्रावधान से छोटे काश्तकारों का हक नहीं है, इस पर बड़े आदमियों का हक रहेगा। इस प्रावधान को नहीं लाना चाहिये। कलैक्टर साहब ने कहा कि जो कोई भी छोटा काश्तकार बेचे तो उसकी रजिस्ट्री कराएं, पहले पटवारी को रिपोर्ट करे, वह उसकी जाँच करे, एस. डी. ओ. उसकी जाँच करे और फिर कलेक्टर साहब के पास जाकर रजिस्ट्री करायें।

(श्री देवीलाल)

इस रजिस्ट्री के अन्दर भी मान लो 20 हजार रुपये की जमीन बेचे तो 5-4 हजार रुपये इसी में काश्तकारों के खर्च हो जायं। यह सीधा काम है कि रजिस्ट्री एस. डी. ओ. साहब से कराये वह तहसील के थ्रू रजिस्ट्री होनी चाहिये। काश्तकारों के हित की जो बात सोच रहे हो यह छोटे काश्तकारों के हित की बात नहीं है। यह तो बड़े-बड़े जो लखपति और करोड़पति हैं उनके हित की बात है। छोटे आदमी और छोटे काश्तकारों के लिये महात्मा गांधी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान इस प्रावधान से तो काश्तकारों का कोई भी हित नहीं होगा इसलिये यह प्रावधान नहीं लाना चाहिये। जो कमांड एरिया के बाहर की जमीन है उसके बारे में मंत्री जी ने बताया, चार हजार रुपये। कमांड एरिया के बाहर की जमीन के दूसरे पूंजीपति ही दे सकते हैं छोटे आदमियों के पास नहीं है। यही बात है इसलिये यह प्रावधान नहीं लाना चाहिये, मेरा तो यही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री इन्दोरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सचेतक जी ने जो अभी अमेंडमेंट पेश किया है उसके अन्दर विरोधाभास है। अतिक्रमण की हुई भूमि को वह अवैध मानते हैं और अवैध मानते हुए उसको वैध करार देते हैं। अवैध मानी है इसलिये तो उन्होंने पैनेल्टी लगा दी। उसको फिर वापस वैध मान लिया तो फिर पैनेल्टी तो माफ होनी चाहिये। यदि किसी चीज को अवैध मत मानो अवैध मानते हो फिर उसको वैध करार देते हो तो उस स्थिति में पैनल्टी नहीं लगानी चाहिये। आप उसको नियम संगत भी मान लेते हो फिर उसको दंडित भी करना चाहते हो। यह विरोधाभास है। सचेतक महोदय जब अपना जवाब दें, मैं आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसी चीज को वैध आपने मान लिया तो उस पर फिर उसको दंडित नहीं किया जाना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यह एक अपनी परंपरा नहीं पड़ जाय कि अवैध कामों को हम हमेशा के लिये वैध मानते रहें जैसे कि अब तक हम जमीन के बारे में यहाँ पर बराबर करते रहे हैं तो यह प्रमाणस्वरूप कोई परम्परा न बन जाय इसका आप कृपया ध्यान रखेंगे और आपने जो ये विधेयक पेश किया है उसका तो हम अन्ततोगत्वा समर्थन करेंगे ही।

श्री सभापति : श्री समरथ लाल।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, यह जो संशोधन किया जा रहा है इस संशोधन के पीछे कोई गहरा राज है। सभापति महोदय, आप जानते हैं जहां पर यह जमीन है, वह जमीन काश्त की जमीन है। उस जमीन के ऊपर राजस्थान के बड़े-बड़े लोगों की निगाहें शुरू से रही हैं और राजस्थान के बाहर के लोगों, पंजाब और हरियाणा के लोगों की निगाहें भी उस जमीन पर रही हैं। ऐसा लगता है, सभापति महोदय, उस भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों के अवैध अधिकार हैं उन्होंने उस पर अतिक्रमण कर रखा है। उसमें कई प्रकार

(श्री समरथ लाल)

के वर्ग हो सकते है, कुछ पैसे वाले लोग भी हो सकते हैं, राजस्थान के बाहर के लोग भी हो सकते हैं। सभापति महोदय, मुझे इस बात को कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि चूँकि अब चुनाव आ रहे हैं और इस सरकार को शायद यह भरोसा नहीं है कि इन चुनावों में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो इनके चहेते लोग हैं जिनके अतिक्रमण इस भूमि पर हैं। इसके अलावा हमारे राजस्थान की प्रशासनिक सेवा के बहुत से अधिकारी हैं, उन्होंने भी इनडायरैक्ट रूप से उस भूमि पर बहुत से अतिक्रमण कर रखें हैं और करवा रखे हैं। इस अमैण्डमैण्ट को लाने की जो मंशा है, इनकी यही मंशा है कि जो प्रभावशाली लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उनको इसके द्वारा रैगुलराइज कर दिया जाय।

इसके सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूँ कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। मन्त्री महोदय यह बतायें कि ऐसे कितने केसेज हैं ? उन लोगों को वह जमीन मुफ्त दी जानी चाहिए, मेरा यही निवेदन है।

श्री आत्माराम : सभापति महोदय, यह किसी और जमीन की बात नहीं है, अतिक्रमण की बात नहीं है यह तो उस जमीन की बात है, कोलोनाइजेशन एक्ट, 1954 के मुताबिक जितनी भी जमीन राज्य सरकार की थी कालोनाइजेशन में उस जमीन को राज्य सरकार ने ओपन मार्केट के अन्दर बेच दिया, या अलॉट कर दिया या दूसरी जमीन की एवज में जागीरदार वगैरह को हस्तान्तरित कर दी, उस जमीन का रैगुलेराइजेशन है। वह जो जमीन थी उस जमीन का कुछ लोगों ने बेचान कर दिया, यह उस जमीन की बात है, उस जमीन के रैगुलेराइजेशन की बात है। कहने का मतलब सिर्फ यह था कि जो जमीन 1954 के अन्दर राज्य सरकार की थी वह जमीन दूसरों को वैधानिक तौर से दे दी गयी थी। फिर जिनके पास पजेशन था उन्होंने उसको बेच दिया। कालोनाइजेशन एक्ट के मुताबिक, जो जमीन राज्य सरकार ने लोगों को दी उस जमीन की किश्त भरने के सात साल बाद लोगों को खातेदारी राइट्स दे दिये जाते हैं। यह जो जमीन का बेचान हुआ है उस जमीन के रैगुलेराइजेशन की बात है। यह जमीन राज्य सरकार ने अलॉट की हुई है और इसके पूरे पैसे राज्य सरकार को भर दिये गये हैं और सात साल पूरे हो गये, उसके बाद बेची गयी। उसमें भी राज्य सरकार और माननीय सदस्यों की गलतफहमी है कि गलत रैगुलेराइजेशन की बात है, या इस तरह की बात है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उस जमीन के सात साल पूरे हो गये, जिनकी किस्त भर दी गयी फिर भी राज्य सरकार उसके दुबारा पैसे ले रही है। इसी बात का तो रोना था। यही रोना 30 साल से रोया जा रहा है। यह अच्छा है कि इन्होंने सुनवाई तो की। सुनवाई ऐसी की है कि 30 साल से रोने वाले को इन्होंने रिलीफ नहीं देकर, पहले 17 हजार प्रति मुरब्बे की कीमत थी अब उसका 20 हजार प्रति मुरब्बा फिर ले रहे हैं। इसके बावजूद भी मेरे ख्याल से मन्त्री महोदय को भी पता नहीं होगा, अधि-

(श्री आत्माराम)

कारियों को भी पता नहीं होगा कि उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिलेंगे। हमारा कहने का मतलब यह है कि खातेदारी अधिकार भी दो-तीन तरह के होते हैं क्या ? कण्डिशन के मुताबिक सात साल बाद एक बार उनको खातेदारी राइट्स मिल गये फिर यह परमिशन वाला पचड़ा कैसे हो गया ? यह क्लैक्टर कौन बीच में आ गया ? राज्य सरकार कौन बीच में आ गयी ? खातेदारी है क्या ? हम यह कह रहे हैं, खातेदारी इतनी ही तो है कि बेचने के और खरीदने के अधिकार हमें मिल जाते हैं। यहां तो खातेदारी है। बाकी, खातेदारी अधिकार के अन्दर मिट्टी नहीं निकाल सकते, और हमारे यहां तो यह है और कई जगह ऐसा हुआ है कि कोई गड्ढा करते हैं तो उस पर पैनल्टी लग जाती है, पता नहीं क्या कर देते हैं, जमीन जब्त कर लेते हैं, तंग करते हैं। मतलब, जागीरदार का जो रोल था वही आज राज्य सरकार का रोल हो रहा है इस राजस्थान टिनैंसी एक्ट की वजह से और राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट की वजह से। हमारा कहना यह है कि जब आपको पूरा पैसा दे दिया गया और आपकी कण्डिशन के मुताबिक सात साल के बाद में हमको खातेदारी राइट्स मिल गये, उसके बाद जमीन बेच दी तो क्या गुनाह कर दिया ? खातेदारी राइट्स दो तरह के हैं क्या ? खातेदारी राइट एक सी तरह का है। और खातेदारी राइट का मतलब ही बेचने का है फिर यह परमिशन क्यों ? जहाँ इस तरह के मामले हुए हैं, 30 साल तक नहीं खोल सके, नहीं सम्भाल सके तो फिर जैसे शहरों के अन्दर लाखों रुपए की जमीन होती है, बगैर पैसा दिये हुए होती है उसी को रैगुलेराइज कर देते हैं तो इसकी तो पूरी कीमत दी हुई है, इसको वैसे ही रैगुलेराइज करना चाहिए। अगर कुछ पैनल्टी लगायें भी तो नॉमिनल पैनल्टी होनी चाहिए। इसके बावजूद आगे क्या होगा ? पूर्व में जो कण्डिशंस थीं उन कण्डीशन्स में कोई चेन्ज नही होगी, जो परमिशन लेने की बात थी वह परमिशन लेने में कोई लिनियेंसी बरतेंगे या उसमें चेन्ज कर देंगे, इस तरह की कोई बात राज्य सरकार ने नहीं बताई, इस तरह की कोई बात अभी तक हुई नहीं। आगे नहीं होगी, इस बात की क्या गारन्टी है। सारी बात, सारा प्रॉसिजर वैसे का वैसा है। आज 20 हजार भी दे देंगे और खातेदारी अधिकार भी नहीं मिलेंगे। जो कहते हैं कि खातेदारी अधिकार मिलेंगे तो मुझे यह समझा-दो आप लोग इससे पहले इन्होंने ओपन मार्केट के अन्दर राज्य सरकार की जमीन ली पूरे पैसे दे दिये, उनमें से किसी ने बेचान कर दिया। अब हमारे दिमाग में, आम आदमी के दिमाग में यह रहता है कि पैसा देने के बाद में राज्य सरकार परमिशन जरूर देगी। पैसे पूरे दिये हुए हैं। जागीरदारों की दूसरी जगह की एवज में जो जमीन ली थी उसके लिये भी राज्य की यह कण्डिशन है कि धारा 13 के मुताबिक परमिशन लेना जरूरी है। जिन्होंने परमिशन नहीं ली, चाहे पूरे पैसे दिये हुए हैं, चाहे किश्त भरी हुई हैं उसको भी गवर्नमेण्ट बेदखल कर सकती है, करने की मंशा है। नहीं किया, इनकी मेहरबानी है। इससे बेदखली से बच गये। इसके लिए तो सरकार धन्यवाद की पात्र है, लेकिन जो

(श्री आत्माराम)

17 हजार कीमत थी आज 20 हजार कर दी। दूसरी यह दुबारा री-ओपन की बात है। तो 54 में यह हुआ था, आज 84 है। 30 साल के केसेज को दुबारा यह री-ओपन कर रहे हैं। री-ओपन करने का मकसद क्या है ? तो 30 साल में सैटलमैण्ट में आ गये हैं, जिनके सैटल हो गये हैं, उनको यह नोटिस दे रहे हैं। इस तरह की कार्यवाही बिलकुल अवैधानिक है। अवैध है और यह तलवार है सिर्फ 13-ए के एबॉलिशन से ही मिट सकती है वरना नहीं मिट सकती। परमिशन का क्या मतलब रह गया है ? परमिशन की बात है, इस तरह की बात है तो जो कण्डिशंस है, जो काइटेरिया है उसको स्पष्ट कर दो इस तरह का झंझट नहीं हो। अब इन्होंने प्लैज नहीं किया कि आयंदा के लिए यह फैसेलिटी हो जायेगी। अगर इस तरह की मंशा है तो 83 कौन सा है, जिस दिन से यह एक्ट लागू हो उसी से एक साल तक के लिए ही कर दो, ताकि कुछ तो रिलीफ मिले।

श्री सभापति : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, इस एक्ट में जो पर्टिकुलर अमैण्डमैण्ट आया है उस सम्बन्ध में मुझे एक निवेदन करना है। जिस तरह की स्थिति माननीय सदस्य ने बताई उससे इस अमैण्डमैण्ट से हम कानूनन केवल मात्र पैनल्टी लेकर एक स्थिति को सुधारने की प्रक्रिया करना चाहते हैं। आप तो एडवोकेट हैं, सारे टिनेन्सी एक्ट में, चाहे वह कोलोनाइजेशन के तहत हो, चाहे दूसरी धारा के अन्तर्गत हो, बेदखली आज दिन तक राज्य सरकार ने नहीं की है और बेदखली केवल मात्र कागजों में होती है।

आपने प्रोविजन भी कर रखा है कि 6 महीने की सजा दी जायेगी लेकिन 6 महीने की सजा भी नहीं मिलती है। कुल मिलाकर इस टिनैंसी एक्ट में आपने जिस तरह की व्यवस्था की है उससे राजस्थान का दूसरा काश्तकार भी कब्जा करेगा, और यह विश्वास रखेगा कि पैसा लेकर राजस्थान सरकार हमको खातेदारी राइट्स दे सकती है। यह एक रॉंग प्रेक्टिस है, इस अमेन्डमेन्ट के जरिये राजस्थान के काश्तकारों को तैयारी कराने की। होना तो यह चाहिये था कि वास्तव में यदि हमको इस टेन्डेन्सी को रोकना है तो नॉन बेलेबल काग्निजेबल आफेन्स बनाना पड़ेगा। जब तक हम नॉन बेलेबल काग्नीजेबल ऑफेन्स नहीं बनायेंगे तब तक साधारण शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स और सीमान्त काश्तकार तो जमीन पर कब्जा नहीं कर पायेंगे, प्रभावशाली आदमी कब्जा कर लेगा। कब्जा करने के बाद में जैसा गंगानगर के अन्दर हुआ है, इन्होंने सन् 1954 के अन्दर जमीन अलॉट करवा ली और अलॉटमेन्ट करवाने के बाद में इन्होंने जमीन बेच दी। जमीन बेचने के बाद आप 20 हजार रुपये लेकर उसको रेगुलराइज करने की स्थिति कर रहे हैं तो इससे यह स्थिति बनेगी कि दूसरे जो प्रभावशाली काश्तकार हैं वह इस प्रक्रिया में और भागीदार बनेंगे। इसलिये मैं माननीय श्री खेतसिंह जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि 30-35 साल

(श्री सी. पी. जोशी)

में जितने टिनेन्सी एक्ट में, राजस्थान जो प्रोग्रेसिव स्टेट रहा है, हमने प्रोग्रेसिव लाज बनाये हैं, उस प्रोग्रेसिव लाज बनाने के बाद भी टिनेन्सी एक्ट का रिलीफ शिड्यूल्ड कास्टस् शिड्यूल्ड ट्राइब्स और साधारण काश्तकार को नहीं मिला है। इसके लेकुना का सारा फायदा प्रभावशाली आदमियों को मिला है। इस प्रक्रिया को हम इस अमेन्डमेन्ट द्वारा और प्रभावित कर रहे हैं। इसलिये मैं चाहूँगा कि इस अमेन्डमेन्ट के साथ यह अमेन्डमेन्ट मूव किया जाय कि ऐसी परिस्थितियों में यह नॉन बेलेबल काग्नीजेबल आफेन्स होगा। अब तो ये कमियाँ जाकर सुधरेंगी अन्यथा 10 साल बाद एक अमेन्डमेन्ट और लाना पड़ेगा। तब माननीय खेतसिंह जी की जगह जो मिनिस्टर होंगे यह 20 हजार की जगह 2 लाख रु. लेकर रेगुलेराइज कर देंगे। इस तरह से तो राजस्थान में टिनेन्सी एक्ट की प्रक्रिया सुधरने वाली नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसे नॉन बेलेबल काग्नीजेबल बनाया जाय।

श्री सभापति : श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, जो अमेन्डमेन्ट सरकार लाई है इसके सम्बन्ध में मेरा कुछ निवेदन है, जो काश्तकार जमीन पर कब्जा करने जा रहा था, जिस समय उसने कब्जा किया, बड़ी मेहनत की, उबड़-खाबड़ अनउपजाऊ जमीन पर लोगों ने अपना अधिकार जमाया और उसको काश्तकारी के योग्य बनाया। काफी प्रयासों, मेहनत और काफी लागत के बाद उन गरीब लोगों ने उस जमीन को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की....

श्री दिनेश डांगी (राज्य मन्त्री, श्रम) : यह गरीबों की जमीन नहीं है।

श्री हंसराज शर्मा : उनको अधिकार मिला है, खातेदारी राइटस् मिले हैं....

श्री आत्माराम चौधरी : खातेदारी राइट्स की बात नहीं है यह बारानी जमीन है....

श्री हंसराज शर्मा : उन लोगों को जमीन अलाट की। अलॉटमेन्ट इसलिये नहीं की कि उनका नाजायज कब्जा था....

(व्यवधान)

खातेदारी अधिकार देने के बाद काश्तकार....

श्री दिनेश डॉगी : आप क्या बोल रहे हैं ? किस विषय पर बोल रहे हैं यही पता नहीं है।

श्री हंसराज शर्मा : मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन लीजिये। यह कोई संजीवनी नहीं है, जमीन का मामला है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि काश्तकार को जब खातेदारी अधिकार है उसे पट्टा लेना है तो इतनी राशि देनी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि जब खातेदारी अधिकार है तो काश्तकार को अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंक में रहन रखने का, क्रय-विक्रय कर अपनी आवश्यकताओं

(श्री हंसराज शर्मा)

के लिये पैसा लेने का, उनका जो माध्यम है पैसा लेने का उस माध्यम से पैसा लेने का अधिकार उनको होना चाहिये। आप लोन देते हैं, ऋण देते हैं किन्तु जब आपका प्रतिबन्ध हो जायेगा तो जहां तक मैं समझ पाया हूँ सहकारी समितियों से जिन काश्तकारों ने जमीनें रहन रखकर लोन लिये हैं, सहकारी समितियों से काश्तकार जमीन रहन रखकर लोन लेते हैं वह नहीं ले पायेंगे। यदि काश्तकार को जमीन अन्य किसी व्यक्ति के नाम ट्रान्सफर करनी है तो 4 हजार रुपये तो बारानी का देना पड़ेगा। इस प्रकार से तो एक बहुत बड़ी राशि का उसके सामने संकट आ जायेगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार जमीन, जो उसकी प्रापर्टी है, उसको बेचने का उसको अधिकार है।

एक प्रावधान आपने यह भी किया है कि जो काश्तकार एक मुश्त राशि जमा करायेगा उसको 25 पर्सेन्ट की छूट होगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि गरीब काश्तकार एक मुश्त राशि जमा नहीं करायेंगे बड़े लोग जमा करायेंगे और बड़े लोग वास्तव में जमीन हड़पेंगे।

मैं आपको उदाहरण के रूप में निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो सरकार अमेन्डमेन्ट ला रही है वह ठीक है, सरकार की मर्जी है लेकिन इस सदन में बैठे हुये मन्त्रियों के परिवार के लोगों ने गंगानगर में कोलोनाइजेशन में जमीन को अलॉट करवा कर उसको छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जमीन अलाट करवा ली जिसकी कीमत आज 50-50 लाख रुपये हैं। उनका क्या करने जा रहे हैं? इस प्रकार से षड्यन्त्र करने वाले इस सदन में बैठने वाले मन्त्रियों के परिवार के लोगों ने गंगानगर के अनूपगढ़ में 50 बीघा जमीन सवाई माधोपुर जिले में प्राप्त कर ली जो कम से कम 40 लाख रुपये की है। आप क्या करेंगे उसका, क्या अमेन्डमेन्ट लायेंगे, बताइये?

इस प्रकार से सारे षडयन्त्रों को करने के लिये, घोटाले करने के लिये अपने चहेते लोगों को फायदा देने के लिये अपने चहेते लोगों का जो अनाधिकार कब्जा है उनका कब्जा कराने के लिए सरकार का यह अमेंडमेंट है। यह षड़यन्त्र है और चुनाव के समय पर इस प्रकार के षड़यन्त्र करके जो कार्यक्रम चल रहे हैं इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और कोई नहीं है?

एक माननीय सदस्य : आप ही बोल दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, विचारार्थ लेने के पश्चात् नौ माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं। आम तौर पर माननीय सदस्यों को एक तो यह शंका है कि यह जमीन उनको अलाट की गयी थी उसके पश्चात् उनसे पैनल्टी लेकर आज लोग यह फैसला क्यों कर रहे हैं। इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह जमीन एक फसली नहीं है, यह नहरी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जमीन है। यह जमीन जिस वक्त इनको अलाट की गई थी उस समय 17 हजार के अन्दर या 20 हजार के अन्दर उनको अलाट की गई थी। वह इनसे किश्तों में वसूल की गई थी। आज वह 4-4 लाख, 7-7 लाख की है। इसलिए आप यह कहते हो कि कोई बंजर जमीन है और उसका आलॉटमेन्ट है, ऐसी बात नहीं है। यह बहुत ही उपजाऊ जमीन है जो सन् 1954 से लेकर सन् 1983 तक कई लोगों ने बेची। पहले एक को बेची, उसके बाद फिर दूसरे को बेची-इस प्रकार से लाखों रुपये उन लोगों ने कमाये। उनसे यदि अगर 20 हजार रुपये नहरी जमीन के चार्ज किये जाते हैं, वह भी 4 इन्स्टालमेन्ट में तो यह कोई पैनल्टी नही है। यह सरकार की उसे कम्पाउन्ड करने की फीस है....

श्री देवीसिंह भाटी : पैनल्टी भी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम कम्पाउन्ड कर रहे हैं। हम उनसे कम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम उनसे राजीनामा कर रहे हैं। काफी वर्षों से जमीन पर काबिज थे, उनको हटाना तो मुश्किल था।...

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि नॉन बेलेबल काग्नीजेबल ऑफेन्स माना जाकर डेटेरेन्ट पनिशमेन्ट मिलना चाहिये। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रजातन्त्र है। प्रजातन्त्र में यह कभी नहीं हो सकता, इसलिये यह तय पाया गया कि हजारों की तादाद में खरीद करने वालों के अवैध से वैध करके उनसे यह कम्प्रोमाइज करने की फीस जमा करके बाद में अगर वह रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो उसके पश्चात् उन व्यक्तियों को जिन्होंने इस तरह से बिना परमिशन जमीन बेची है, को भी वह हक मिल जायेंगे जो अन्य लोगों को उपनिवेशन के हक मिले हुये हैं। वह हक उनको देने के लिए ही यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है। इसमें कुल मिलाकर····

श्री सी. पी. जोशी : जिसने बेच दिया है जो पैसा खा गया है उसके लिए कर रहे हो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया मन्त्री जी को उत्तर देने दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड : मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कुल 9360 एप्लीकेशन्स आई हैं और उनमें से करीब तीन हजार से ऊपर एप्लीकेशन का फैसला हो चुका है बाकी एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं उनके ऊपर निर्णय लिया जा रहा है। मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि आगे और बेच देंगे, उसके लिए हमने यह पाबन्दी रखी है इसके अन्दर कि आगे से बेचने से पूर्व उनको कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए यह प्रोविजन रखा गया है कि वह आगे और बेच नहीं दें।

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो पूर्व में भी प्रोविजन था कि कलेक्टर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां, यह पूर्व में

(खेतसिंह राठौड़)
था, पूर्व प्रोविजन ही नहीं था यह भी था कि उनको बेदखल कर दिया जायगा ।

श्री हेमाराम चौधरी . यह तलवार लटकाने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री जय देव प्रसाद इन्दौरिया : यह पहले पूर्व में था अब पश्चिम में कर दिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह केवल इसीलिये रखा है कि हजारों की तादाद के अन्दर काश्तकार हैं उनको बेदखल करना मुश्किल था, इसलिए यह सोचा गया कि उनको भी रेगुलेराइज कर दिया जाय और उनसे कुछ यह कम्पाउण्डिग फीस ले ली जाय । कम्पाउण्डिग फीस कोई ज्यादा नहीं रखी गई है । कैनाल इरिगेशन की जमीन की दो एक किलो मीटर जमीन की रेट भी 25-25 हजार रुपये हैं तो यह 20 हजार रुपये कुल एक मुरब्बा की कम्पाउण्डिग फीस रखी गई है, ज्यादा नहीं है । बारानी जमीन के लिए चार हजार रुपये, दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके लिए भी चार इन्स्टालमेन्ट्स रखी गई है एक-एक हजार की । इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को समझते हुए जनतान्त्रिक परम्पराओं को और जनता की तकलीफों को ध्यान में रखें और काश्तकारों को सुविधा मिले इस दृष्टि से यह जो बिल पेश कियागया है इसको विचारार्थ लीजिये ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, जिन लोगों ने सीलिंग में जमीन बेची उन लोगों का क्या होगा जो पहले जागीरदार थे सरकार ने कानूनन उनको परमीशन दी इन लोगों ने इस तरह से अवैध बेचान करके कब्जा कर लिया, अपने कब्जे के नाम पर । बीस हजार रुपये जमा करके वह पुनः आज जमीन के मालिक बन जायेंगे । आप कानून ठीक करते रहेंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इससे ताल्लुक नहीं है । वह 15 और 16 तारीख को टिनेन्सी का बिल आयेगा उसमें आप फर्मायें इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक का पारण

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय ।

श्री सभापति : कोई सदस्य बोलना चाहेंगे ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृति)

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया गया ।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984

(श्री सभापति)

परिनियत संकल्प

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1984 परिनियत संकल्प श्री कैलाश मेघवाल

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय महोदय, मैंने यह परिनियत संकल्प दिया है : यह सदन श्रीमन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 1984 को प्रख्यापित राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1984) को अस्वीकार करता है।

मैंने यह परिनियत संकल्प इस उद्देश्य से दिया है, माननीय सभापति महोदय, आखिर हम किसी कानून में संशोधन करते हैं, कोई नई व्यवस्था करते हैं तो उसका हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिये। यह सच है कि बड़े लम्बे समय से यह मांग उठती आ रही है कि बिक्री कर के बारे में जो रिविजन की शक्ति राजस्व बोर्ड को है और उसके बाद रेफरेन्स हाई कोर्ट को होता है उसके स्थान पर सैकिण्ड अपील के लिये कोई ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाय। इस बात की पूर्ति में यह अध्यादेश लाया गया है। मेरा निवेदन करना यह है कि हमारे कानून बनाने के अधिकार हैं उन अधिकारों के साथ इस कानून की क्या स्थिति होगी ? जो वर्तमान स्थिति है उसमें वह कानून किस प्रकार के संशोधनात्मक है या यह कानून किस प्रकार से जो व्यापारी है, जो सम्बन्धित पक्ष है उनको लाभ देगा। ऐसी स्थिति जब तक नहीं बनती है उस स्थिति में मेरा अपना निवेदन करना है ऐसा अध्यादेश लाने का कोई महत्व नहीं रहा है। अध्यादेश में क्या किया, राजस्व मण्डल की बजाय एक ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी जाय। ट्रिब्यूनल में कौन-कौन सदस्य होंगे, माननीय सभापति महोदय, आई. ए. एस। निरन्तर यह मांग की जाती रही है कि सैल्स टैक्स या बिक्री कर का जो प्रिन्सिपल है, इसकी जो कल्पना है और संविधान में इसकी जो कल्पना की गई है, जो डाइरेक्शन है कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया में, इसके आर्टिकल में जो इसकी कल्पना की गई है, सेल्स टैक्स की स्थापना की जाय और इसका सरलीकरण किया जाय। मेरा निवेदन करना यह है कि एक स्वतन्त्र सेल्स टैक्स एक्सपर्ट्स का ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिये। लेकिन सरकार ने इस अध्यादेश में मांग की है कि वह रेवेन्यू बोर्ड के सारे अधिकार ले करके इस ट्रिब्यूनल को ट्रान्सफर कर दिये जायं। इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार यह करने जा रही है। यह कहा गया है कि इससे 19 लाख का भार पड़ेगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इससे 19 लाख का नहीं, जो व्यवस्था सरकार करने जा रही है उससे मेरा मानना है कि 50 लाख से ऊपर का भार पड़ेगा। लेकिन बताया यह गया है कि 19 लाख का खर्चा होगा, यह गलत है। माननीय सभापति महोदय, यह जो कार्यप्रणाली है इसके आधार पर मैंने देखा, पचास लाख रुपया हर साल इस ट्रिब्यूनल पर खर्च करना चाहते हैं और इससे व्यापारियोंको कोई लाभ नहीं होगा। होना यहचाहिये था कि बिक्री कर की, दूसरे करों की, दूसरे कई तरह के लाइसेन्स देने की, एक व्यापारी जो व्यापार करता है, एक दूकान लगाने वाला अनेकानेक चीजों का व्यापार करता है, उनसे सम्बन्धित कई कानून हैं उनका सरलीकरण किया जाय जिससे कि व्यापारियों को राहत महसूस हो और इनके हित में हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सभापति महोदय, अगर

(श्री कैलाश मेघवाल)

ट्रिब्यूनल कायम किया, राजस्व मण्डल का एक सदस्य अगर कोई निर्णय लेता है तो उसके विरुद्ध सम्बन्धित डिविजन बैन्च में जाने का अधिकार है वह अधिकार समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद डिविजन बैन्च में अपील का, सेकण्ड अपील का अधिकार दिया है, यह सेकण्ड अपील का अधिकार है जिसको अपील कहते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे वित्त मन्त्रीजी विराजमान हैं, वो विधि वेत्ता भी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं यह अपील करने के अधिकार या रिविजन की स्थिति क्या हो जायगी ? जिस तरह से अध्यादेश लाये हैं उस अध्यादेश के आधार पर रिविजन और अपील दोनों की एक ही स्थिति रहती है उसमें आप किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह अध्यादेश जो जारी किया गया है इस अध्यादेश से व्यापारियों का हित नहीं होगा। इस अध्यादेश से जो वांछित उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता। इस अध्यादेश से कोई स्वतन्त्र ट्रिब्यूनल की रचना करके आपने अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। वित्त मन्त्रालय से आपका डिप्टी सैक्रेटरी डाइरेक्शन दे सकता है ट्रिब्यूनल को। यह कौनसा डाइरेक्शन है, वित्त सैक्रेटरी, आपका फाइनेन्स सैक्रेटरी, फाइनेन्स सैक्रेटरी का आदमी क्यों इधर जाय, उधर जाय। उसमें कई तरह की गुंजाइश है। मतलब इसमें प्रशासनिक परिधि से ऊपर उठकर के व्यापारियों को लाभ देने का क्या इसमें उद्देश्य निहित है, वह तो समझाने की कोशिश कीजिये। ऐसा नहीं है तो मेरा, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन है कि व्यापारियों ने इसका विरोध किया है। इसको वापस लीजिये, इस अध्यादेश को स्वीकार नहीं किया जाय और एक बहुत अच्छा लेजिस्लेशन, जिससे कि बिक्री कर की वसूली के बारे में व्यापारियों के हित में स्थिति बने, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री सभापति : गुलाब चन्द कटारिया
(अनुपस्थित)

डाक्टर उजला अरोड़ा।
(अनुपस्थित)
श्री नाथूसिंह
(अनुपस्थित)

प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर शंकायें सदन के सामने प्रस्तुत कीं मैं समझता हूं कि उनकी शंकायें निर्मूल हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आर्डिनेन्स हमने निकाला उस आर्डिनेन्स के निकलने के बाद जब रूल्स बनाने की प्रक्रिया हमने शुरू की तो उस प्रक्रिया में जो आधार मिले उसमें श्री मेघवालजी ने जो बताये उस आधार पर मैंने स्वयं उनको मानकर एक बिल्कुल ही इनकम टैक्स की ट्रिब्यूनल की तरह ही ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान रखा है। हमने जो नियमों में प्रावधान किया है उसमें एक चेअरमैन होगा और अन्य सदस्य होंगे, जिसमें जुडिशियरी के मैम्बर होंगे और उनके अलावा एक टैक्स एक्सपर्ट भी होगा।

इसी प्रकार से चूंकि हम जब एक ट्रिब्यूनल कायम करते हैं और वह भी

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

कान्स्टीट्यूशनल आवश्यकता की दृष्टि से तो उसकी पूर्ति करने की दृष्टि से यह जरूरी है। आपने जैसा बताया राजस्व मण्डल के जो अधिकार अभी तक थे वह के वह अधिकार ही उस ट्रिब्यूनल को ट्रान्सफर कर दिये जाये तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्व मन्डल में तो अभी तक खाली रिवीजन के अधिकार थे। जो यह ट्रिब्यूनल है सेकन्ड अपील करने का जो अधिकार है इसलिए इसमें क्वेश्चन आफ फैक्ट के ऊपर भी और क्वेश्चन आफ लॉ के ऊपर भी दोनों के ऊपर किये जा सकते हैं।

दूसरा इससे फायदा क्या है? हमने जो प्रावधान किया है आज तक जो रेफरेन्स किया जा सकता था आन ए पाइन्ट आफ लॉ वह केवल रेफरेन्स के लिये राजस्व मन्डल को कोरपोरेट करके रेवेन्यू बोर्ड को कर देते थे। हमने अब रेफरेन्स और रिवीजन दोनों ही के लिये प्राविजन कर रखा है, अगर कोई चाहे तो ओन ए पाइन्ट आफ ला रेफरेन्स कर सकता है। अगर पार्टी कुछ चाहे तो वह डाइरेक्टली रिवीजन फाइल कर सकती है हाईकोर्ट के अन्दर। उससे फायदा यह होगा कि कई दफा पाइन्ट आफ ला फ्रेम करने में भी गलतियां हो जाती हैं और कई फैक्चुअल मिस्टैक्स के आधार पर या कई ऐसी इल्लिगलिटीज कायम हो जाती हैं जो जाकर पाइन्ट आफ फैक्ट मान कर, जैसे कई ऐसे क्वश्चन्स होते हैं, पाइन्ट आफ फैक्ट और मिक्सड पाइन्ट आफ फैक्ट दोनों ही होते हैं। इसी आधार पर कोई डाइरेक्टली पार्टी रिवीजन फाइल हाई कोर्ट में कर सकती है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि इसमें हमारा इरादा बिल्कुल ही एक्सपर्ट की तरह ही ट्रिब्यूनल कायम करने का है उसको आप यह समझें, आज भी, जिस तरह रेवेन्यू बोर्ड में जुडिशियल मेम्बर्स भी हैं, आई० ए० एस भी हैं और भी हैं इसी तरह से हम यह चाहेंगे कि एक ब्राड बेस्ड ट्रिब्यूनल हो। जिसमें एक्सपर्ट रहेंगे और जिसमें चैअरमैन के लिए हमने यह रखा है कि वह सुपर टाइम स्केल से भी ऊपर जो स्केल है तीन हजार वाला स्केल है उसका व्यक्ति इसमें होगा। क्योंकि इसमें हम यह चाहते हैं कि Justice should not only be done, but it should appear to be done also. इसलिये मैं समझता हूं मेरे माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि इससे लाभ नहीं होगा व्यापारियों को, तो, व्यापारियों ने आज तक जिस दिन से यह आर्डिनेन्स निकला है उसके निकलने के बाद जो रीएक्शन दिया है वह बहुत ही अच्छा रीएक्शन दिया है। उनका तो एक ही रीएक्शन है कि साहब आपने रिविजन और रेफरेन्स दोनों का ही कर दिया इसमें। मैंने उनको समझा दिया है और वह बिल्कुल समझ गये है इसमें रिविजन और रेफरेंस की बात दोनों के ही हित में है। बाद में वह सेकन्ड अपील भी कर सकते हैं। कोई पाइन्ट आफ लॉ फ्रेम करके राजस्व मन्डल ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। इसके अलावा पार्टी खुद अगर रिविजन करना चाहती है तो कर सकती है। इसलिये यह पार्टी और पक्षधर के ही पक्ष में कानून है। इसको लोगों ने पसन्द किया है। बस यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन,) अध्यादेश, 1984 के सम्बन्ध में जो परिनियत संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया ।

प्रभारी मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे ।

विधेयक पर विचार

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह लाओ न भाई ।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय- कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : फिर पढ़िये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : श्री कमलेन्द्र सिंह ।

जनमत जानने हेतु विधेयक को परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभ नगर) : माननीय सभापति महोदय, इस बिल को लेते वक्त जो शंकायें प्रस्तुत की गयीं और उसका स्पष्टीकरण····

श्री सभापति : आप कोई प्रस्ताव रख रहे थे ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : हाँ साहब, प्रस्ताव रख रहा हूं ।

श्री सभापति : पढ़िये ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।

श्री सभापति : तीन माह के लिये ।

श्री कमलेन्द्र सिंह : तीन माह के लिए । परिचालित किया जाये ।

सभापति महोदय, एक शंका जो उठी थी कि इस बिल से जो राहत मिलनी चाहिये थी व्यापारियों को वह नहीं मिलेगी । उस शंका को नाकाम करने के लिये माननीय मन्त्री महोदय ने दो-चार शब्द कह दिये मैं समझता हूं कि जो सैकन्ड अपील का प्राविजन इसमें किया है वह स्वागत योग्य है । किन्तु सेकन्ड अपील से जो राहत मिल सकती है व्यापारियों को, इस पर विचार करना पड़ेगा । माननीय सभापति महोदय, एक टैक्सेशन के बारे में नये विचारों के अनुरूप टैक्सेक्शन वालों को टैक्स असेसमेन्ट करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए वातावरण चला है, मैं समझता हूं कि जो फाइनेन्शियल कमेटी और एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठती है वह हर वक्त अब इस चीज पर जोर देती है कि टैक्सेशन के लाज हैं उनका सरलीकरण करना चाहिए और असेसीज को भी कुछ न कुछ राहत प्रक्रिया में मिलनी चाहिये ताकि असेसी अपना असेसमेंन्ट ओनेस्टली और सीधे तरीके से करवा सके ।

माननीय सभापति महोदय, इस वातावरण के लिये जो फाइनेन्शियल रिपोर्ट और एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स को दृष्टि में रख कर देखा जाता है । लेकिन, सभापति महोदय, केवल एक चेअरमेन का छोटा सा

Page No.78

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

प्रोविजन करके और सैकन्ड अपील का प्रोविजन करके पूरी तरह से सेल्स टैक्स एक्ट को रिव्यू नहीं किया गया है। यह कमी जरूर रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा और सदन से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल टिंकरिंग जो हो रहा है लॉ में कि यह सैकन्ड अपील अलाऊ करदी है। कान्स्ट्रीट्यूशन में भी प्रावधान है कि एक ट्रिब्यूनल होना चाहिये। एक टिब्यूनल एक्सपर्ट की रहेगी और आप उसमें तीन हजार से ऊपर वाले स्केल वाले अधिकारी को चेअरमैन बनायेंगे इससे असेसी को कोई राहत मिल जायेगी। वह राहत असेसी को नहीं मिलने वाली है। मैं यह पोइन्ट भी रखना चाहता हूं कि जितना भी आज दिन तक का अनुभव हुआ है, असेसी का जो भी अनुभव है इसमें स्पष्ट रूप से यह सामने आता है कि अब टैक्स वसूली के इतने पीनल टैक्सेशन लॉ, कानून बन गये हैं कि इसमें असेसी को हर वक्त इस दृष्टि से देखा जाता है कि वह चोर है। चोर की दृष्टि से ही असेसमेंट इसका किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, यही कारण हैं कि आज हिन्दुस्तान में, भारत में जितने भी कानून टैक्सेशन के बने हैं उनके सन्दर्भ में हमारे यहाँ पर जितना भी असेसमेंट होता वह एक्चुअल जो टैक्स पेएबल होता है उससे कई गुना ज्यादा एक बार तो लगा दिया जाता है फिर असैसी को दर-दर घूमना पड़ता है, फिर दर-दर घूमता हुआ अपील और रिव्यू में जाता है। इसको उससे कैसे राहत मिल सकती है इसके लिये वह रास्ता सोचता है। इसलिये वसूली होती नहीं है। वह पहले रैवेन्यू बोर्ड में अपील करने जाता है। उसके बाद में वह हाई कोर्ट में अपील करने जाता है। उसको राहत नहीं मिलती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है। इस प्रकार जितना सरकार को टैक्स वसूली में लाभ होना चाहिये उससे उसमें फर्क पड़ जाता है और सरकार को जो लाभ होना चाहिये वह नहीं होता है। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ पर टैक्सेशन का कानून इतना पीनल हो गया है कि उसके कारण व्यापारी को जबरदस्ती चोरी करना सिखाते हैं।

(2 म. प.)

माननीय सभापति महोदय यह वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है और जितनी भी वर्ल्ड इन्सटीट्यूशन्स की रिपोर्ट्स हैं हिन्दुस्तान में जो व्हाइट मनी चलता है, सरकार मनी चलानी है उसका 60 पर्सेन्ट ब्लैक इकानामी में है, आर्थिक व्यवस्था में 60 पर्सेन्ट ब्लैक इकानामी चल रही है। समानान्तर एक सरकार और चल रही है पैसों के मामले में, खरीद के मामलों में और प्रचलन के मामलों में। यह जो पेरेलल इकानामी चल रही है इसका कारण यही है कि आपके टैक्सेशन लॉज बहुत पीनल हैं। बहुत हाई टैक्सेशन रेट्स हैं। टैक्सेशन रेट्स हाई होने से यह ब्लैक मनी का प्रचलन चलता है। पिछले तीन सालों में आर्थिक जितना भी व्यापार चलता है उसका 60 पर्सेन्ट पैसा ब्लैक मनी में समानान्तर व्यवस्था में चला जाता है। माननीय सभापति महोदय, इसको देखते हुए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम तो ए० सी० टी० ओ० को जो आपने असैसमेंट की पावर्स दे रखी हैं उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। आपने ए० सी० टी० ओ० को इतनी पावर्स दे रखी हैं कि वह जब चाहता है उस तरह से असेसमेंट करता है। कोई व्यापारी उसको खुश नहीं कर सकता। तो मैं आपको कई एग्जाम्पल देकर बता

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

सकता हूं कि जिस आदमी के दो हजार, तीन हजार रुपये बाकी रह गये होंगे टैक्सेशन के उसकी डिमाण्ड निकली होगी 80 हजार के करीब। जिस आदमी को केवल तीन हजार देने हैं और 80 हजार की डिमान्ड निकलता है तो अवश्य रूप से वह अपील में जायेगा, रिलीफ पाने के लिए कोशिश करेगा। किन्तु ए० सी० टी० ओ. को आपने ऐसी पावर्स दे रखी हैं कि डिमान्ड कायम होने के बाद उसके पैसे जमा करेगा उसके बाद रिव्यू में जा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। यह जो प्रावधान है यह बिल्कुल पीनल प्रावधान है। कोई भी आदमी जिसको देने हैं तीन हजार और 80 हजार की डिमाण्ड उसको पकड़ा दो कि उसका 40 हजार रुपया तो पहले जमा कराये और 40 हजार रुपया जमा कराने के बाद में आप अपील में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति आपने इस कानून में बना रखी है।

माननीय सभापति महोदय, अपील का जो प्रोविजन है, अपील का जो राइट है यह एक मौलिक राइट है हर असेसी को अपील में जाने का एक मौलिक राइट है लेकिन इस राइट के अवरोध में आपने यह कर दिया है कि आधा पैसा जमा कराये या वह असेसमेंट कर दे या जो डिमाण्ड खड़ी कर दे उसका आधा पैसा जमा कराएं और फिर अपील में जा सकता है। यह जो मौलिक राइट है उसमें यह अवरोध पैदा हुआ है इसलिए इसको हटाना बहुत ही आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, आज की स्थिति यह है कि एक ए. सी. टी. ओ. को इतनी आपने असेसमेन्ट की पावर्स दे दी हैं। इतनी पावर्स हाथ में दे दी हैं कि मैंने एक केस तो ऐसा देखा है कि बुक्स उनके सामने खुली पड़ी हैं और वह बुक्स देखने को तैयार ही नहीं हैं। केवल इसलिए उस तारीख को रिजेक्ट किया कि पावर आफ अटार्नी आपकी ठीक नहीं है। कानून का छोटा सा पाइन्ट है कि आज पावर ऑफ अटार्नी नहीं है तो कल वापस आ सकती है, किन्तु उसने अपनी तरफ से एक्स पार्टी असेसमेन्ट करके पकड़ा दिया ताकि उसको अपील में जाना पड़े। आज एक ए. सी. टी. ओ. सुबह निकलता है, अपनी मोटर साइकिल पर निकल करके जितने भी बड़े असेसीज समझता है या जिनके पास बड़ी डिमाण्ड निकल सकती है उनके घर घर सुबह जाकर चाय पीता है माननीय सभापति महोदय। यह स्थिति बन गयी है आपके टैक्सेशन लाज की। कोई भी आनेस्ट असेसी है वह कभी भी ऐसी स्थिति में उसको परेशान होना पड़ता है। जो डिसआनेस्ट असेसी है, क्योंकि उसकी पेरेलल इकानामी आलरेडी चल रही है, वह तो पैसा देकर अपना काम ऐसे ही करा लेता है। ऐसी स्थिति में, माननीय सभापति महोदय, जो आपने यह ट्रिब्यूनल बनाने का बिल रखा है यह पर्याप्त नहीं है। इसको पूरी तरह से रिव्यू आपको करना चाहिए। पूरी तरह से जब तक आप रिव्यू इस चीज को नहीं करते हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जो नागरिक अधिकार है अपील करने का, जिस अपील के लिए आपने यह भी प्राविजन लगा दिया कि इतना पैसा आपको जमा कराके फिर अपील करनी पड़ेगी तो उसके राइट

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

में जो फर्क पड़ता है,उस राइट पर जो आंच आती है उस अवरोध को, उस आंच को आप रिमूव करने के लिए कोई न कोई प्रावधान किसी न किसी बिल द्वारा इसमें जोड़ो, अमेन्डमेन्ट के द्वारा जोड़ो, कोई न कोई अमेन्डमेन्ट लाना आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह सुझाव रखते हुए यह भी कहना चाहता हूँ, जैसा माननीय खेतसिंह जी ने दो मिनट पहले ही कहा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था है और इसमें डेटरेन्ट पनिशमेन्ट नहीं होना चाहिए। यह जो पीनल पनिशमेन्ट दिया जाता है कि आप पहले पैसा जमा कराके फिर अपील में जाओ, यह भी डेटरेन्ट पनिशमेन्ट की संज्ञा में आता है। मैं समझता हूँ कि जो असेसीज हैं उनमें से 80 पर्सेन्ट ऐसे हैं कि खुल्लमखुल्ला जितना उनका पैसा बनता है वह सबसे पहले एक तारीख को जाकर जमा करा देते हैं। उसके सिवाय उनके पास यही है कि उनको असेसमेन्ट कराने के लिए भी फीस देनी पड़ती है। ए. सी. टी. ओ. को पैसा देना पड़ता है कि आज मेरा फैसला कर दो। ऐसी स्थिति आ गयी है। उसमें कोई रियायत वह नहीं मानते हैं। किन्तु फैसला लिखाने के लिए भी उसको पैसा देना पड़ता है, ऐसी स्थिति आ गयी है। इस स्थिति की राहत के लिए, असेसीज की राहत के लिए कुछ न कुछ आपको नया अमेन्डमेन्ट जरूर लाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि इसी बिल में यह अमेन्डमेन्ट भी हो सकता है, जुड़ सकता है अभी भी कि तब तक पैसा असेसी से नहीं मांगा जाये जब तक ट्रिब्यूनल द्वारा उनके खिलाफ आर्डर नहीं निकाल दिया जाये। अब वह ट्रिब्युनल से उस रिव्यू के लिए हाई कोर्ट में जाना चाहे तो 50 पर्सेन्ट या 30 पर्सेन्ट का जो भी आपने प्राविजन किया है वह प्राविजन ट्रिब्यूनल की अपील के टाइम पर लगाना चाहिए ताकि उसको दो अपील करने की, तीन अपील करने की, सैकण्ड अपील में जाने के लिए फ्रीडम मिल सके उसको आजादी मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी बुक्स को वापस चैक करा सके।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं सदन से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचलित कर दिया जाये ताकि टैक्सेशन को प्रक्रिया पर खुल्लमखुल्ला बाजार में, व्यापारियों के समक्ष चर्चा हो सके। इस प्रकिया को थोड़ा व्यावहारिक करने से आपकी वसूली भी टाइम से होगी और वसूली भी टाइम से होकर जो परेशानी आती है व्यापारियों को इस सैल्स टैक्स के बारे में वह परेशानी भी कम होगी।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव किया है उसके बारे में जो दलील दी है, तो आर्डिनेन्स तो जारी हो गया था उसके बाद जितने भी इसके ऊपर रीएक्शन आये उन रीएक्शन्स को भी हमने स्टडी किया है। जहां तक इस चीज

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

का संबंध है कि साहब बिलकुल आधा जमा कराने के बाद ही अपील होती है, तो इनकम टैक्स में भी यही प्रश्न उपस्थित होता है। जहां जहां भी लाज टैक्सेशन हैं उन टैक्सेशन लाज में यह स्थिति होती है लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति वहां जाकर अपील में एप्लाई करता है या जिस आथोरिटी को एप्लाई करता है तो मुनासिब केसेज में या तो इन्सटालमेन्ट कर दिये जाते हैं या उसको स्टे भी कर दिया जाता है। तो ऐसा कोई बैन नहीं है, साहब कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए शंका इस बात की निर्मूल है।

दूसरी बात भी है, आपने कहा कि असेसिंग आथोरिटीज जितनी भी हैं, ए. सी. टी. ओ. को बहुत ज्यादा अधिकार हैं। ए.सी.टी. ओज. की कई श्रेणियां हैं। कुछ ए. सी. टी. ओ. जो कि नये होते हैं उनको 2 लाख के भी अधिकार होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 5 लाख तक के अधिकार होते हैं और कुछ लोग ऐसे बड़े सीनियर आदमी होते हैं उनको पूरी पावर्स होती हैं। असेसमेंट में कोई भी शिकायत किसी वक्त आती है तो कमिश्नर की आथोरिटी को जांच का पूरा-पूरा अधिकार है। कोई ऐसी चीज आती है तो कमिश्नर, जो कि एक बहुत हाई आथोरिटी है, इस चीज को सर्टिफाई कर सकता है। बीच में भी सुआ मोटो भी, और तरीके से भी रिविजन एप्लीकेशन में भी वह रिकार्ड को मंगा करके देख सकता है। इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि वैसे तो हर एक टैक्सेशन लॉज के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है लेकिन हम उसको पूरी तरह अवाइड करने की कोशिश करते हैं। सैल्स टैक्स की अभी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में सिर्फ इतना ही जोड़ा है कि सैल्स टैक्स के रिविजन जो राजस्व मण्डल में जाते हैं उसे राजस्व मण्डल के बजाय हमने एक अपीलेट आथोरिटी ट्रिब्यूनल के रूप में कायम कर दी जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपील करने का पूरा-पूरा अधिकार है। इसलिये मैं समझता हूं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। भविष्य में इससे जनता को राहत ही मिलने वाली है इसलिये मेरा निवेदन करना है कि आपका जो संशोधन प्रस्ताव है, उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।
प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय।

(व्यवधान)

आपका प्रस्ताव है क्या ? माननीय सभापति महोदय, आपका एक संशोधन आया है, उसके ऊपर, वह तो अभी.... ।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री सभापति : राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984 पर खण्डशः विचार।

श्री भंवर लाल शर्मा : बोलना चाहूंगा, साहब। खण्डशः के पहले बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : नहीं, विचारार्थ तो ले लिया गया, प्रस्ताव स्वीकार भी हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बोल लेता हूं पाँच मिनट अब तो खण्डशः पर बोल लीजिए। आप बिराज जायें। सभापति महोदय, यह जो अमेन्डमेंट लाया गया है।

श्री सभापति : कौनसे पर बोल रहे हैं आप ? अभी खण्डशः विचार होगा तब आप बोलिये। पहले नहीं।

अब कौनसी स्टेज है ?

श्री कमलेन्द्र सिंह : एक स्टेज तो निकल गई।

श्री सभापति : वह स्टेज तो निकल गई।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे बोलना है।

श्री सभापति : आपको अवसर दे दूंगा। अभी तो कई अवसर आयेंगे।

श्री भंवर लाल शर्मा : साहब ऐसा है, वह सिक्वेन्स नहीं बैठेगा।

श्री सभापति : बैठ जायगा, आप बिराजें।

खण्ड 2 से 6 में कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड (7) श्री भंवरलाल शर्मा। अब आइये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है, आर्डिनेन्स लाया गया था, इसका व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जाय, यह दृष्टिकोण नहीं था। यह आर्डिनेन्स आप लाये हैं, 25 अगस्त को, आर्डिनेन्स तब लाते हैं जब कोई बहुत बड़ी आवश्यकता हो और विधान सभा चल नहीं रही हो। आपका काम चलना असम्भव हो गया है चल नहीं रहा हो, तब एक अधिकार है कि आप आर्डिनेन्स

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ला सकते हैं। फिर आप 25 अगस्त को ही क्यों लाये। यह आपने लिखा है–स्टेटमेंट ऑफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स में व्यापारियों की मांग कई दिनों से चल रही थी। तो आपको तो चार साल हो गये यहाँ बैठे। अगर आपके मन में ईमानदारी थी वास्तव में तो चार साल पहले ले आते इसको आप लेकिन अब क्योंकि यह चर्चा देश में चल रही थी कि लोक सभा के चुनाव जल्दी हो सकते हैं, सितम्बर में भी हो सकते हैं, अक्टूबर में भी हो सकते हैं....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप तो बीच में ही करा रहे थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, बीच में करा रहे थे आप।

यह जब ध्यान में आया तो सोचा कि व्यापारियों पर कैसे शिकंजा कसा जाय, व्यापारियों से कैसे पैसे वसूल किये जायं। उस जल्दबाजी में और उस दुर्भावना से यह आर्डिनेन्स प्रस्थापित किया आप उत्तर दें जब बता दें। तो 25 अगस्त को ऐसी कौन सी बात खड़ी हो गई थी जिससे आर्डिनेन्स आपको लाना पड़ा। अगर मेरा बयान सही नहीं है तो आप यह जानते थे कि विधान सभा आने वाली है, तो विधान सभा में बिल ले आते। फिर जब पता लगा कि चुनाव की बात तो गलत हो गई। श्रीमती गान्धी ने कहा, रोको चुनाव रोको, भाई अभी तो रामाराव वापस आ रहे हैं, कहाँ भराओगे आप तो तय आपने क्या किया यह आर्डिनेस लाने के बाद इसके अनुरूप आपने जो काम क्या किया अगर यह बहुत आवश्यक था और इसके बिना आपकी सरकार डूब रही थी, स्टेट को बहुत बड़ा घाटा हो रहा था या ऐसी कोई दुविधा में फंस गये थे तो जिस दिन आर्डिनेन्स पास किया, उसके तुरन्त बाद इसके अनुरूप कार्यवाही करनी चाहिये थी आपको किन्तु वह कार्यवाही नहीं की आपने। इसलिये मेरा यह कहना है कि यहां व्यापारियों ने बड़ा स्वागत किया, आप व्यापारियों के हित में यह लाये हैं, यह व्यापारियों के हित में नहीं है। यह केवल आपकी पार्टी के हित में है। आप इसलिए लाये हैं जैसा मैं आगे निवेदन करूंगा उससे और स्पष्ट होगा कि इसमें ऐसे प्रोविजन रखे हैं आपने जिससे व्यापारी आपके अंगूठे के नीचे दबे रहें।

माननीय सभापति महोदय, इसमें एक प्रोविजन आपने किया है कि व्यापारी का पैसा जमा हो जायगा। कोई विवाद खड़ा हो गया, विवाद खड़ा होने के बाद उसके पक्ष में फैसला हो गया और यह हुआ कि यह रुपया वापस लौटा दिया जाय, किसी भी सक्षम न्यायालय ने यह निर्णय कर दिया कि यह पैसा वापस कर दिया जाय तो एक क्लाज आपने यह जोड़ दिया कि यदि आपके अधिकारी को यह लगे कि यह पैसा लौटाना उचित नहीं है तो कमिश्नर को वह अपील करेगा कि यह पैसा वापस नहीं दिया जाय इसको अभी तक। केस जीत गया, तय हो गया तब भी जिसको आपका आफिसर या इबिन लोवर देन देट आफिसर यह कहेगा कि पैसा वापस मत लौटाओ। मान लीजिये किसी का 5 लाख रुपया उसका जमा है, आप दरखास्त दे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

देंगे कि यह पैसा अभी लौटाया नहीं जाय। तो यह पैसा लौटाया जाय या नहीं लौटाया जाय, यह कौन फैसला करेगा। इसका फैसला अदालत नहीं करेगी, कमिश्नर फैसला करेगा कि यह नहीं लौटाया जाय क्योंकि इसमें हम अपील करेंगे, ऊपर की अदालत में जायेंगे और हार गये सैल्स-टैक्स वाले तो इसकी अपील करेंगे इसलिये पैसा जमा न कराया जाय अगर व्यापारी को अपील करनी है तो वह पैसा जमा करा-लेगा पहले अगर व्यापारी को अपील करने का मौका दे रहे हैं तो पहले पैसा जमा करायेंगे आप और वह गरीब जीत गया तो फिर उसके बाद आपको अपील करने का अधिकार है। हम कहेंगे कानून से आपको मिलना चाहिये, यह हमारे पास जमा रहना चाहिये हम इसको नहीं देंगे। और फैसला कौन करेगा कमिश्नर। कमिश्नर कौन होगा साहब, किसका आदमी होगा, किसके अधिकार में होगा? माननीय बृज सुन्दर जी आपके अधिकार में होगा, वह आपके अण्डर में होगा। आप कह देंगे कि व्यापारी तो जीत गया लेकिन जीत का फायदा उसको नहीं मिलना चाहिये जो न्याय उसको मिल रहा है वह न्याय का फायदा उसको नहीं मिलना चाहिये। जो पैसा जमा है, इसका वापस नहीं मिले इस-लिये एक एप्लीकेशन लगाओ एक छोटी सी एप्लीकेशन लग जायेगी और कमिश्नर साहब कहेंगे कि मैं राज्य के हित में यह आवश्यक समझता हूं कि इस पैसे को लौटाया नहीं जाय। आप अब उसकी अपील करेंगे, मान लीजिये कर लेंगे तो अपील में जो समय लगता है उससे भी आप परिचित हैं। फिर हाई कोर्ट में जायगा और हाई कोर्ट तक जायेगा और बड़ा अमाउन्ट इन्वोल्व हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक जायेगा तो मतलब क्या हुआ?

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर।

हाउस में कोरम नहीं है और महत्त्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है।

(व्यवधान)

आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर। हाउस में कोरम ही नहीं है और इतना महत्त्वपूर्ण विधेयक चल रहा है।

(विराम)

श्री सभापति : कोरम है। आप अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो, माननीय सभापति महोदय, इस कमिश्नर के हाथ में यह अधिकार देना सही नहीं है कि किसी भी न्यायालय के द्वारा मिलने वाला यह निर्णय है, न्याय है उसके आधार पर व्या-पारी को धनराशि नहीं मिलेगी। वह तब तक नहीं मिलेगी जब तक कमिश्नर का निर्णय नहीं हो जाता। अब कमिश्नर का निर्णय क्यों होगा। किसी के यहां अपील भी नहीं है। कमिश्नर ने यह फैसला कर दिया कि जब तक हम सारे न्यायालयों को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पूर्ण नहीं कर लें तब तक यह पैसा वापस नहीं दिया जावे। इसकी कोई सुनवाई नहीं। अगर सुनवाई है तो मन्त्री महोदय के कक्ष में है। अब आप जानते हैं कि मन्त्री महोदय और मन्त्रि-मण्डल कैसे काम करता है। आप पण्डितजी खुद जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री देवीदत्त तिवाड़ी : आप भी मन्त्री थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह अलग सरकार थी, यह अलग सरकार है।

तो मेरा निवेदन यह है कि यह ऐसा निर्णय करा कर और कमिश्नर को यह पावर देकर इस बात के लिए आप अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं कि मौका पड़े तो व्यापारी को पैसा नहीं दिया जावे। जब तक वह हमारे लिए चन्दा, नहीं दे दे हमको खुश नहीं करे तब तक वह पैसा उसका लटका रहे। मान लीजिए कि दो साल के बाद, ट्रिब्यूनल में निर्णय होने के बाद हाई कोर्ट में जायेंगे। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में किस प्रकार के निर्णय होते हैं, कितने जल्दी निर्णय होते हैं। खास करके इस बड़ी भूमिका से कि इसमें कौन सी इम्पोरटेंस है। कौन से महत्व का विषय है। एक व्यापारी का मामला है। उसको पैस मिलेगा या नहीं मिलेगा फैसला कर देंगे, जल्दी क्या है इससे भी कई महत्वपूर्ण विषय हाई कोर्ट के सामने आते रहते हैं तो हाई कोर्ट इस मामले को सबसे काम महत्व देगी। इसका परिणाम यह होगा कि कई वर्षों तक हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग रहेगा। हाई कोर्ट में पेंडिंग रहने के बाद भी वह जीत गया तो फिर हमारे कमिश्नर साहब को हमारा सैल्स टैक्स आफिसर कहेगा नहीं साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की हमारे मन में है इसलिए अभी पैसा नहीं दिया जाय। तो सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे हम। दस साल वहां लग जायेंगे। 15 साल, 20 साल बाद उसके पक्ष में निर्णय हो गया तो वह लौट कर आपके पास आएगा कि मेरा पैसा दिलाओ। तब आप कहोगे, भाई, इतना पैसा तो बजट में ही नहीं है। पैसा जाने कहाँ रखा था। तो वह आपके चक्कर लगाता रहेगा। तो यह व्यवस्था किस बात के लिए की है? इसके पीछे कौन सी सद्भावना है? आप जवाब दें तब आप मुझे बताइये। इसलिए मैंने कहा कि यह 25 अगस्त आपको इस बात के लिए भयभीत कर रही थी कि लोक सभा के चुनाव बीच में हो गए तो पैसे का क्या इन्तजाम होगा। इसलिए आप आर्डिनेंन्स ले आए और ये प्रोविजन आपने रखें।

अब दूसरा प्रोविजन आपने रखा है जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, उधर तो आपने कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा वह फाइनल निर्णय करेगा। हाईकोर्ट निर्णय करेगा लेकिन इसके बीच में आपने यह जो सैक्शन रखा है, सब क्लाज (7) में:—

"The Commissioner may call for and examine the record of any

(श्री भंवरलाल शर्मा)

proceedings under this Act, and if he considers that any order passed therein by Commercial Taxes Officer or Assistant Commercial Taxes Officer is erroneous and is prejudicial to the interest of the State revenue, he may, after making or causing to be made such enquiry as he considers necessary, and after giving to the dealer a reasonable opportunity of being heard, pass such order thereon as the circumstances of the case justify, including an order enhancing or modifying the assessment or cancelling the assessment and directing a fresh assessment."

क्या मतलब हुआ, साहब इसका ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी अधिकारी ने, सेल्स टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर या अधिकारी ने कोई निर्णय कर दिया तो कमिश्नर अगर चाहे तो उस फैसले को अमान्य कर सकता है। यानि जैसा अभी माननीय कमलेन्द्रसिंहजी कह रहे थे कि पहले तो फैसला कराने के लिये उसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, समय खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद मान लो, निर्णय हो भी गया, तो कमिश्नर अपने आप भी उस व्यापारी के उस निर्णय को बदल लेगा, उसके खिलाफ उसका जो फैसला हुआ है उसके पक्ष में, उसको कहेंगे कि मेरे पास आओ मैं निपटारा करूंगा। फिर निपटारा जैसे करना होगा वह करेंगे। तो मेरा निवेदन करना यह है कि कोई आप अपील का अधिकार दे रहे हैं, अपील के लिये ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, अगर आपको भी कोई शिकायत है, आपके डिपार्टमेन्ट को लगता है कि अन्याय हुआ है आप के डिपार्टमेन्ट के साथ, कोई नुकसान हुआ है तो आप भी अपील में चले जाइये। यह कमिश्नर बीच में कहाँ से आ गया ? यानि रिविजनल पावर हाईकोर्ट को भी होगी। रिविजनल पावर किस-किस को देंगे आप ? कमिश्नर किसी भी प्रोसीडिंग को मंगा सकता है। अगर मान लो कि ट्रिब्यूनल में पैंडिंग है और आपको लगा कि यह तो आपके खिलाफ जाने वाली है या इसको हटाना है तो कहेंगे, "Send file to me" मैं देखूंगा, मैं इसको एग्जामिन करूंगा। आप बीच में कहाँ से आ गए ? How he comes in, जब आपने ट्रिब्यूनल कायम कर दिया तो अगर आपको कोई शिकायत है आपके अधिकारी के खिलाफ, आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी के खिलाफ कि उसने कोई गड़बड़ी की है या उसने फैसला ठीक नहीं दिया है तो आपको भी अपील करने का राइट दे दीजिए। आप भी अपील करिये। उसमें जो कुछ भी निर्णय होगा हो जायेगा। पर आप यह नहीं करना चाहते।

आपने कहा भी है कि हम व्यापारियों के हित को ध्यान में रख कर यह अमेंडमेंट ला रहे हैं। यह बात छपेगी आज के अखबार में कि व्यापारियों के हित में काँग्रेस ने यह बात की है, काँग्रेस सरकार ने यह बात की है। पर इसमें काँग्रेस का हित है, व्यापारी का हित नहीं है। इसमें तो आपने उस व्यापारी को, उसकी एक-एक बात को अंगूठे के नीचे रखने की कोशिश की है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ आपसे, जब आप उत्तर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दें तो बताइये मुझे कि यह रिवीजनल पावर आपने किसलिए दी हैं। रिवीजनल पावर किस बात के लिये हैं ? जब आप इतने सारे आफिस बना रहे हैं, अपीलेट आथोरिटी हैं, ट्रिब्यूनल है, दुनियाभर के ऐसे जब आप न्यायालय खड़े कर रहे हैं तो फिर यह कमिश्नर को अलग से पावर देने का क्या जस्टीफिकेशन है ? किसी स्टेज पर आपने उसको रैस्ट्रिक्ट भी नहीं किया है। मैं ऐसा समझता हूँ, इसको आप क्लियर करें कि हाईकोर्ट में मैटर पैंडिग है तो भी यह काल फार कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने अन-फटर्ड पावर दी है, कोई उस पर रैस्ट्रिक्शन नहीं है।

"The Commissioner may call for and examine the record of any proceedings under this Act,........"

इस कानून के तहत कोई भी कार्यवाही हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, उसको भुलाकर वह उसको एग्जामिन करेगा। अब मान लीजिये कि किसी व्यापारी ने आपके फैसले के खिलाफ कहीं अपील कर रखी है आपको लगता है कि अपील में इसका फैसला ठीक हो जायेगा, यह निकल जायेगा अपने हाथ से तो कमिश्नर साहब उसको नोटिस देंगे कि मेरे जँच गई है इसका मैं निपटारा करूंगा, इसलिये फाइल मेरे पास भेज दो। वह आपके पास आ जायेगी। यह प्रोविजन किस बात के लिए रखा है ? इससे कौनसी राहत आप देना चाहते हैं व्यापारी को ? आप कहते हैं कि व्यापारी को राहत मिले इस बात के लिये कानून ला रहे हैं। तो आप अपने जवाब में यह स्पष्ट करें कि इस में कौनसी राहत आप देना चाहते हैं और यह डुप्लीकेसी ऑफ पावर कैसे कर रहे हैं आप ? यह रिवीजन की पावर तो हाईकोर्ट को होती है, फिर यह रिवीजनल प्राविजन इसके बीच में कहाँ से आ गया ? तो जैसा मैंने, सभापति महोदय, निवेदन किया कि इस कानून में केवल आपकी जो मंशा है, मंतव्य है। आगे होने वाले लोकसभा के चुनाव जो आपको दिख रहे थे, परेशानी में डाला है आपको उसने और माननीय वित्त-मंत्री महोदय, अब वह डर तो निकल गया आपका, तो क्यों आप ऐसे कानून को बिगाड़ रहे हैं ? इसमें व्यापारी के सिर पर हमेशा आपके कमिश्नर की, आपकी तलवार लटकती रहें। कमिश्नर को यही पावर है कि........

श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमना रामगढ़) : आप तो व्यापारी को भुला रखो, काहे को तलवार लटकाते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही तो आप लाये हो। आप पधार गये थे, आप थे नहीं यहाँ जब वित्त मन्त्रीजी ने यह कहा कि व्यापारियों के हित के लिये हम यह लाये हैं। यह आपका स्टेटमेंट है। अब आप थे नहीं उस वक्त तो। आप दिनभर यहाँ थोड़े ही रहते हो। आप तो न जाने कहाँ-कहाँ घूमते हो। आपकी बात तो छोड़ो। आपको और भी कई कई काम करने पड़ते हैं, भाई कहाँ-कहाँ जाना पड़ता है आपको ? कोई एक ही घर थोड़े ही है आपका।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह कानून बीच में ले आये हैं वह केवल इसलिए लाये हैं। कमिश्नर को यह अधिकार है कि यदि पैनल्टी किसी पर लग जावे तो वह उसको माफ कर सकता है। यह अधिकार केवल कमिश्नर साहब को है। वह किसको कितनी माफ करें और किसी को बिल्कुल न करें, इसकी कहीं अपील नहीं है। अब किसी व्यापारी पर पाँच लाख की पैनल्टी लग गई और लगनी चाहिये कानून से तो कमिश्नर साहब को यह अधिकार है कि सारे कानून को एक तरफ रख कर वे कहेंगे कि नहीं भाई, पाँच लाख की पैनल्टी तो गलत लग गई है, इसमें दो सौ रु. ही बहुत है। अब दो सौ रुपये ही ले लीजिये उससे और बाकी पैसे का जो कुछ करना हो वह कर लीजिए। अगर मान लीजिये कि किसी पर दो सौ रुपये पैनल्टी हुई है और वह कहीं आपके खिलाफत में है, वह व्यापारी आपके खिलाफत में काम करता है तो फिर आप कहेंगे कि नहीं दो सौ नहीं, इसमें पाँच लाख या पचास हजार की पैनल्टी लगा दो, तो पैनल्टी लगा देंगे। तो ऐसा कानून आप बना रहे हैं। अन-फेटर्ड पावर्स कमिश्नर को काहे के लिए दे रहे हैं। It should be very liberal. जाने दीजिए ट्रिब्यूनल में सब मामलों को तो मेरा आपसे निवेदन यह है, कि जो आपका सेक्शन 7 है इसमें मैंने एक अमेंडमेंट पेश किया है इसको आप उदारतापूर्वक, विवेकपूर्वक स्वीकार करें। वह मैं फिर से यहाँ पढ़ देता हूं :—

"For sub-section (1) of section 15A Sought to be inserted by clause 7 of the Bill the following sub-section (1)shall be substituted, namely :—

"The Commissioner shall suo moto or when moved by any person, call for the records of the assessing authority, and in case he is satisfied that it is necessary to do so, direct the assessing authority or any officer subordinate to him to file an appeal against such order before the Tribunal."

आपको अगर यह लगता है, यह भी हो सकता है जैसा माननीय कमलेन्द्रसिंह जी ने कहा, आप कहेंगे तो नहीं पर मन में जानते हैं कि आपके जो सैल्स टैक्स आफिसर हैं जो कार्मशियल टैक्स आफिसर हैं वह कई तरह के फैसले करते हैं उससे सरकार को नुकसान होता है, टैक्स बचता है उससे। वे अपना टैक्स वसूल कर लेते हैं लेकिन सरकार का टैक्स वसूल नहीं होता। अगर आपको लगता है कि वास्तव में नीचे के अधिकारी ने कोई गड़बड़ी की है तो उसको कैसे रोकेंगे आप ? रोकिये आप उसको या तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिये, उसको भी नौकरी से निकालिए।

(व्यवधान)

पंडितजी सरकार में हैं न हो तो इससे क्या होगा। वह तो पंडित जी की सरकार है।

श्री सभापति : कृपया बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं पंडितजी के बारे में यह चार्ज लगाने की स्थिति में नहीं हूं इस वक्त। मैं उनको बड़ा सम्मान देता हूं। उनका जीवन कैसा भी हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिये वे सम्मान के पात्र हैं। आप कुछ भी कहिये। लेकिन आप कहते हैं तो मैं यह कहता हूं कि यह पैसा पंडित के पास इस तरह से आता है सरकार वही है, उन्हीं के पास आता है।

आप अगर, मान लीजिये, सोचते हों कि आपके सैल्स टैक्स आफिसर ने कोई गड़बड़ की है, बेइमानी की है तो आप मुझे अपने जवाब में यह बताना कि आज तक इस आधार पर कि आपके सैल्स टैक्स आफिसर ने कोई गड़बड़ की है, बेईमानी की है, पैसा खाया है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ऐसा बहम क्यों हुआ कि आपके अधिकारी बेईमानी करेंगे और उसके सम्बन्ध में आपको यह फाइल लगानी पड़ेगी? अगर आपका यह बयान तथ्यों के आधार पर है तो फिर आप यह बताना कि किसी पर कोई एक्शन लिया है क्या आपने आज तक। अगर किसी पर आपने एक्शन नहीं लिया तो यह माना जायेगा कि आप अपने अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि ईमानदारी से मेरे सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट में काम हो रहा है और सारे असेसमेंट ईमानदारी से हो रहे हैं। जब सारे असेसमेंट ईमानदारी से हो रहे हैं तो फिर यह क्लाज, धारा क्यों लगायी? अगर आपको बहम पैदा हो गया हो या मान लो वसूली में कोई दिक्कत पैदा कर रहे हों नीचे के अधिकारी, तो आप कहिये आपके कमिश्नर साहब को जब आपको यह लगे कि इस फाइल में घोटाला हुआ है, जितना टैक्स लगाना चाहिये था उतना नहीं लगाया गया है, ऐसी कोई गलत भूमिका से यह फैसले किये गये हैं तो उनको कहिये, he can issue directions. वे निर्देश देंगे अपने अधिकारियों को कि भाई यह तुमने फैसला किया है यह गलत है, तुम अपील में चले जाओ। अपील में जो फैसला होना है वह हो जायेगा। मेरा निवेदन यह है, जो सरकारी चगुल है उससे लोगों को निकालिये, इस डिपार्टमेंट और इस सारी प्रक्रिया को निकालिये। आप केवल व्यापारियों का नाम लेकर जो अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात आप कर रहे हैं वह कृपा करके यहां मत करिये। मेरा यही आपसे निवेदन है।

जो सैक्शन 15 है....

श्री सभापति : उस पर बाद में आइये खण्ड सात पर बोलिये पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा : खण्ड सात है वही सैक्शन 15 है।

तो उसमें मेरा निवेदन यह है कि इसको इस तरह से अमेंड कर दें "The Commissioner shall suo moto or when moved by any Person;" अगर किसी व्यक्ति को यह शिकायत पैदा हो गई कि इस आदमी ने या इस आफिसर ने व्यापारी से मिलकर घोटाला किया है तो उस व्यक्ति को भी यह अधिकार हो कि वह कमिश्नर के नोटिस में यह ला सकता है। कोई भी सार्वजनिक कार्यकर्ता, कोई भी विधायक,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस वाला तो कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई भी कहेगा, तो साहब, आपके अधिकारियों ने व्यापारी के साथ मिलकर गड़बड़ की है और इसमें बड़ा घपला है, तो वह भी आपके कमिश्नर के पास जा सकेगा और शिकायत कर सकेगा। उस शिकायत को सुनकर वह आपका, जिसको आपने अधिकृत किया है, यह कहेगा कि वास्तव में मुझे भी इसमें कुछ गन्ध आती है, आप इसकी अपील कर दीजिये। फिर अपील में जो निर्णय होगा वह उन दोनों के लिये मान्य होगा, या जो उसका तरीका है आगे का, वह हो जायेगा। मेरा आपसे निवेदन यह है कि कमिश्नर को अधिकार देने के बजाय, जब कमिश्नर खुद ही शिकायत सुन ले, खुद ही शिकायत-कर्ता हो जाय, और खुद ही स्थिति देकर निर्णय कर ले। सुओ मोटो का मतलब यही है कि उसके दिमाग में कोई बात आई कि भाई इस केस में गड़बड़ हुई है, इसकी जाँच होनी चाहिये, तो इस तरह से वह शिकायत कर्ता हो गया। उसके दिमाग में शिकायत है। शिकायतकर्ता को निर्णय करने वाला बना दिया आपने। वह फैसला भी करे, यह गड़बड़ है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि शिकायतकर्ता को मौका जरूर दीजिये। अगर वह समझता हो कि डिपार्टमेंट का हित नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से कार्यवाही करे। लेकिन कार्यवाही यह करे कि वह अपील जिस सम्बन्धित विभाग के, सम्बिन्धत न्यायाधिकरण के सामने हो सकती है वह अपील के लिये अपने डायरेक्शंस दे दें, वहाँ जाकर आप निर्णय करा लें। तब तो मैं समझता हूं आपकी जो मंशा इसको ठीक करने की है वह वास्तव में प्रकट हो जायेगी। आप चाहें कि नहीं भाई ये सारे व्यापारी, कोई भी हमारे कमिश्नर के चंगुल से बाहर निकल कर नहीं चले जाय, उसके ही इशारों पर नाचते रहें तब तो आपका यह लाया हुआ जो कानून है उसका मुझे विरोध ही करना पड़ेगा, भर्त्सना ही करनी पड़ेगी। उसकी तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं उसमें भी एक प्रोविजन जोड़ने के लिये निवेदन करता हूं।

"Provided that the Commissioner shall not give any such direction in respect of an order after passing of three years from the date it was passed, or when the order has already been subjected to an appeal before a higher authority than the assessing authority."

इसमें यह प्रोविजन जोड़ने के लिये मैंने निवेदन किया है कि यदि किसी निर्णय को किये तीन साल हो गये तो फिर यह नहीं है कि उसमें तीन साल के बाद आप कार्य-वाही कर सकें कि मैं रिओपन करूंगा। तीन साल तक अगर आप सो रहे हैं, तीन साल तक कमिश्नर को कोई चिन्ता नहीं हुई, कोई भी साधारण व्यक्ति आकर शिकायत नहीं करता है तो उस आर्डर को पास किये, उस निर्णय को 3 साल निकल गये हैं तो फिर आपको यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि तीन साल पहले का मामला आप खोलें। कानूनन भी यह अधिकार है, मान लो तीन साल पहले मेरे से रुपया श्रीराम जी उधार ले गये और मेरे द्वारा कई बार मांगने पर भी वे जमा नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करायें तो कानून के अनुसार मुझे उनसे वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर तो खा जायेंगे उस पैसे को, डूब गया मेरा पैसा। तो तीन साल का जो मैं कह रहा हूं कि यदि तीन साल तक आपका डिपार्टमेंट सोता रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है तो फिर तीन साल बाद तो वह स्टाप होगा नहीं तो क्या आप हमेशा जिन्दगी भर इस केस को ओपन रखकर, जब चाहेंगे तब नोटिस देकर बुलाते रहेंगे ? किसी को तीन साल से ज्यादा का इसमें समय नहीं मिलना चाहिये।

उसके आगे एक दूसरा प्रोविजन मैं जोड़ रहा हूं, वह यह कह रहा हूं, अगर मान लो, कोई मैटर आलरेडी किसी न्यायालय में चल रहा हो तो फिर कमिश्नर को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह बुलाकर उसका निर्णय अपने आप कर ले। तो मेरा यही सुझाव है। मेरा ऐसा विश्वास है जिन लोगों ने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया उनको तो मैं नहीं कहता लेकिन जिन लोगों ने ध्यान से सुना है, जैसे पंडितजी हैं, तिवाड़ी महाराज बैठे हैं थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, वे निश्चित तौर पर मेरे इस अमेंडमेंट का समर्थन करेंगे। मैं समझता हूं, आप भी इसको स्वीकार करेंगे, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातों के ऊपर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। पहली बात तो यह है कि साहब व्यापारियों को अपने चंगुल में फंसाये रखने की दृष्टि से यह सारा का सारा आर्डिनेन्स लाया गया है और बिल लाया गया है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप इनके चंगुल से निकल रहे हैं, इसकी तकलीफ है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें जो प्रावधान किये गये हैं वह तो प्रावधान आलरेडी जो पुराना सैल्स टैक्स एक्ट है उसमें मौजूद है। इसमें तो सिर्फ जो प्रावधान किया गया है वह यह किया गया है कि सैल्स टैक्स ट्रिब्यूनल नया बना कर से उसको क्या-क्या पावर दी जाये। जो बोर्ड के अधिकार में है, बोर्ड की जो रिवीजनल पावर्स थीं, उससे सैकण्ड अपील की पावर लेकर के ट्रिब्यूनल को दी गई है। जो प्रोसिजर प्रेस्क्राइब किया गया है, वह हर एक जगह जिस तरह का प्रोसिजर प्रेस्क्राइब होता है वही है।

आपने कहा कि साहब, कमिश्नर को सुओ मोटो रिवाइज करने का अधिकार क्यों दिया ? कभी भी आप देख लीजिये, सिविल प्रोसिजर कोड के सैक्शन 115 में मान लीजिये कोई इन्टर लोक्यूटरी आर्डर हो जाय, कोई आदमी, असेसिंग आथोरिटी ठीक तरह से उसको प्रोसीड नहीं कर रहा है, आदमी को सुनने से ही इंकार कर देता है, कोई इंटरिम आर्डर ऐसा पास कर देता है जो उसको प्रभावित करता है तो उसकी रेमेडी तो रिवीजन में ही है न। इसलिये सैक्शन 115 सी. पी. सी. में जिस तरह से रिवीजन की पावर्स हैं उन आर्डर्स के बारे में जो ए. सी. टी. ओ. और सी. टी. ओ. पास करते हैं, वे गलत आर्डर पास करते हैं कमिश्नर को, तो उनको वह रिवाइज करने की आथोरिटी रखते हैं।

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

यह कोआपरेटिव एक्ट में भी आपको मिलेगा, दूसरे एक्ट्स में भी है, यह सब जगह मिलेगा। लेकिन अगर कोई कमिश्नर आर्डर कर देता है तो उसकी अपील तो लाई करती है, इसलिये कमिश्नर को ही पावर दी गई, ऐसी बात नहीं है। कमिश्नर तो सिर्फ ए. सी. टी. ओ. और सी. टी. ओ. के आर्डर को रिवाइज कर सकता है। कमिश्नर के आर्डर के खिलाफ, हर आर्डर के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है। इसलिये आपकी यह शंका पूरी तरह से निर्मूल है।

दूसरा, आपने कहा कि कोई आर्डर कमिश्नर का है चाहे वह सी. टी. ओ. के खिलाफ हो, चाहे ए. सी. टी. ओ. के खिलाफ हो, पार्टी ट्रिब्यूनल में जाकर हर एक चीज को चैलेंज कर सकती है और अब तो ट्रिब्यूनल के अलावा भी अगर इस प्रकार की कोई चीज होती है तो हाई कोर्ट का स्पेशल जुरिस्डिक्शन है उसमें उसको सैट असाइड करा सकती है।

तो पार्टी के पास रिवीजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ दी हाईकोर्ट की पावर्स भी हैं। पार्टी को रिट ले जाने के पावर्स भी हैं उसको वहां कौन रोकता है। यदि इस प्रकार की ज्यादती हो तो जाकर उसको सैट असाइड कराया जा सकता है। इस प्रकार की रेमेडी मौजूद है।

दूसरा, आपने कहा कि रिफण्ड के बारे में, कमिश्नर के अलावा कोई भी रिफण्ड नहीं दे सकता है। मेरा अर्ज करना यह है कि कमिश्नर के पास पावर्स हैं कि किसी भी मामले में अपील फाइल की जाय या नहीं। कमिश्नर अगर मुनासिब समझता है कि वास्तव में अपील में जाना चाहिए। जब तक अपील का फैसला न हो तब तक तो उसको पावर्स हैं, लेकिन यह कहां है कि किसी भी ट्रिब्यूनल का फैसला हो जाने के बाद में अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में जाता है और हाईकोर्ट अगर उसको स्टे दे देती है तो कमिश्नर उसमें क्या करेगा इसलिए मेरा कहना है कि—

The supreme power in the ju-dici-ary lies with the High-Court. इसके अलावा कोई जुरिस्डिक्शन है, वह ज्युरिस्ड-क्शन अपने महकमे का है कि किसी भी तरह से रेवेन्यु का नुकसान न हो वरना आदमी पैसा जमा नहीं करायेगा और पैसा जमा नहीं करा करके ज्यादा रकम की चीज हुई और कहीं चलकर भाग गया तो कहाँ से वसूल करेंगे। तो फॉर दी सेफ्टी आफ स्टेट, रेवेन्यू की सेफ्टी के लिए यह जरूरी समझता है कि कमिश्नर किन्हीं शर्तों पर ही रिफण्ड के आर्डर कर सकता है। उस पर राइडर्स लगाये गये हैं। यह नहीं है कि हर एक को कमिश्नर रिफ्यूज ही कर देगा। जहाँ कमिश्नर यह समझता है कि हमको अपील में जाना चाहिये या रिवीजनल जुरिस्डिक्शन में जाना चाहिए, तभी जाकर कमिश्नर रिफण्ड को रोक सकता है कार्यवाही कर सकता है।

तीसरी चीज, आपने कहा साहब, तीन साल के बाद उनको रिविजनल पावर्स नहीं होनी चाहिये। इसमें तो पहले ही है कि कोई आर्डर पास हो गया तो तीन साल के

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

अन्दर-अन्दर रिवीजनल पावर्स अवेल कर सकता है। इसलिये आपका कहना कि कभी भी जाकर किसी भी वक्त कर दे, यह आप का कहना गलत है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि आपने जो अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है वह रिडण्डेण्ट है, इसको अस्वीकार किया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री महोदय, आपने जो उत्तर दिया है उसमें आपने इसको इस तरह से कहा कि कोई भी आदमी अगर परेशान हो ए.सी.टी.ओ. के फैसले से तो वह कमिश्नर के पास जा सकता है। ऐसा नहीं है। इसको जरा मैं पढ़ दूं, आप क्यों तकलीफ करें, मैं पढ़ देता हूं। 15-ए के बारे में निवेदन करना चाहता हूं,

"The Commissioner may call for........"

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं पढ़ देता हूं। हाई कोर्ट के आपके 15 में क्या होता है....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप एक मिनट बिराज जाएँ, आप बुजुर्ग आदमी हैं, मैं बोल दूं—

श्री बृज सुन्दर शर्मा : यह तो चलती रहेगी बहस।

श्री भंवरलाल शर्मा : "The Commissioner may call for and examine the record of any proceedings under this Act and if he considers that any order passed the rein by Commercial Taxes officer of Assistant Commercial Taxes Officer is erroneous and is prejudicial to the interest of the State revenue, he may, after making or causing to be made such enquiry as he considers necessary and after giving to the dealer...."

यह 'dealer' शब्द इसके लिए नहीं है। पढ़िए आप उसको, कहा है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अगर स्टेट इंट्रेस्ट में है तो वह खुद भी देख सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट बिराजें, भाग्य से इस समय जो सभापति महोदय कानून के बड़े ज्ञाता हैं इसलिए मेरी बात जल्दी समझ में आ जायेगी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मेरे को समझ में नहीं आयेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : आयेगी साहब, आप चाहते नहीं समझना, आपके तो आई हुई है—

The Commissioner may call for and examine the record of any proceedings under this Act and if he considers that any order passed the rein by Commercial Taxes Officer or Assistant Commercial Taxes Officer is erroneous and is prejudicial to the in-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

terest of the State revenue he may, after making or causing to be made such enquiry as he considers necessary and after giving to the dealer a reasonable opportunity of being heard, pass such order thereon as the circumstances of the case justify....

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह जो रिवीजन आप कहते हैं व्यापारी इस पर भी विचार करेगा। व्यापारी के हित का सवाल नहीं है वह केवल यह देखेगा कि जो सैल्स टैक्स आफिसर है उन्होंने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया जो प्रिज्युडिस्ड टू दी स्टेट गवर्नमेंट है। बस, यहीं तक सीमित है। अगर उनका निर्णय सरकार के हितों के खिलाफ है तो इन्क्वायरी करेंगे और उस निर्णय को बदल देंगे। इसमें कहीं भी नहीं है कि व्यापारी के खिलाफ कोई अन्याय हुआ है तो उसको भी देखेंगे। नहीं, व्यापारी का तो इसमें नाम ही नहीं है। स्टेट को कहीं नुकसान तो नहीं हुआ हो, इतना ही देखना है। अब मेरे और पंडितजी के बीच में इतना ही अन्तर पड़ रहा है कि मैं तो कहता हूँ कि कमिश्नर साहब केवल राज्य के हितों को देखेंगे। आपका कहना है कि नहीं, राज्य सरकार के हित को ही नहीं देखेंगे अगर किसी व्यापारी के साथ किसी प्रकार से अन्याय हुआ है तो उसको भी आप देखेंगे। यह इस सेक्शन के अन्तर्गत आप निर्णय करके मुझे समझा दें कि ये जो कहते हैं।

श्री सभापति : मैं यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूँ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं है ना आप। वही मैं कहना चाहता हूं। यह निर्णय नहीं करेंगे। यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं हैं। अगर निर्णय करते हैं तो मेरे पक्ष में आता है। तो आप मुझे समझा दीजिये कि किस प्रकार से आप यह कहना चाहते हैं कि जो साधारण डीलर हैं वे भी इससे लाभान्वित होंगे, यह मुझे समझा दीजिये। यह लाइन पढ़ लीजिए आप। वे केवल यह देखेंगे कि राज्य सरकार का अहित तो नहीं हो रहा है केवल इसको देखेंगे। इसमें व्यापारी कहाँ से आ गया? यह लाइन पढ़ दो आप तो।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इसमें डिस्क्रिशनिरी है। यह इरोनुयस लफ्ज जो लिखा गया है वह इरोनुयस इसलिए है कि पार्टी अगर इरोनुयस समझती है तो--on the face of it; it is apparently on record. अगर वह गलत है तो he has right to object.

कमिश्नर के पास कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। मैंने कहाँ कहा कि नहीं दे सकता। लेकिन कमिश्नर अगर सुओ-मोटो देखेगा तो स्टेट इंट्रेस्ट के खिलाफ जो चीज है तो वह रेकार्ड पाइन्ट आउट कर सकता है। तो इन एनी केस, चाहे वह सुओ-मोटो हो चाहे दूसरी एप्लीकेशन के रूप में हो— The application is not filed. यह के यह वर्ड दूसरे एक्ट में यूज किये गये हैं। जहाँ रिवीजनल पावर्स सुओ-मोटो भी होता है उन रिवीजनल पावर्स के अन्दर और

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

एप्लीकेशन के रूप में भी होती है। यह कोई जरूरी नहीं है। May call for the record है। इसलिए वह एप्लीकेशन कोई दे तो भी उसको रिकॉर्ड काल करना चाहिए। अगर वह साबित करता है कि कोई ऑर्डर इरोनुयस है तो he can revise that order.

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई संशोधन प्रस्ताव पर।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री भंवरलाल शर्मा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, क्या कागज में लिख रखा है कि अस्वीकार किया गया।

श्री सभापति : आप सभापति से यह पूछने के हकदार नहीं हैं कि क्या लिखा हुआ है।

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

खण्ड 8 से 9 तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 से 9 स्वीकार किये जाएँ।

(स्वीकृत)

खण्ड 8 से 9 स्वीकार किये गये।

खण्ड 10 में संशोधन। श्री भंवरलाल शर्मा प्रस्तुत करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, इसमें आपने एक नया सैक्शन जोड़ा है जिसको 23 (सी) के नाम से यहाँ संख्यांकित किया है इसमें लिखा है—

"Power to withhold refund in certain cases. Where an order giving rise to refund is the subject matter of an appeal or further proceeding or where any other proceeding under this Act is pending, and Commercial Taxes Officer or Assistant Commercial Taxes Officer is of the opinion that the grant of the refund is likely to adversely affect the State revenue, the said officer may, with the previous approval of the Commissioner, withhold the refund till such time as the Commissioner may determine."

तो मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूँ कि आपने राज्य सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया, किसी की मर्जी पर छोड़ दिया अगर कोई ए.सी.टी.ओ.साहब या सी.टी.ओ.साहब यह अनुभव

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करें कि इस व्यापारी का पैसा किसी हालत में उसे नहीं मिले, हालांकि आदेश हो गये हैं लेकिन यदि उसको मिल गये तो उससे उनको बड़ा नुकसान हो जायेगा, घाटा हो जायेगा तो वह इसके लिए एक एप्लीकेशन दे देंगे कमिश्नर साहब को कि जब तक सम्पूर्ण अदालतों से निर्णय नहीं आ जाय तब तक पैसा नहीं दिया जाय, रोक दिया जाए। यह अगर हर चीज में लगा देंगे तो फिर उसे नहीं मिलेगा। इसलिए उसको कहना पड़ेगा कि मैं जीत तो गया हूं लेकिन जीतने पर भी मुझे पैसा मिलेगा या नहीं, तो पहले इन गणेशजी को राजी करो, ए.सी.टी.ओ., सी.टी.ओ. ये गण हैं जो आपके विभाग के हैं। इन गणपति को राजी करो नहीं तो मेरे को जो मिलने वाले हैं वह नहीं मिलेगा। तो यह करप्शन चालू हो गया। जैसा माननीय कमलेन्द्रसिंह जी ने शुरू में ही कहा I also share with him. तो यह जो बड़े डिपार्टमेंट हैं इसमें अत्यधिक भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा आराम यह है कि शिकायत-कर्ता कोई नहीं मिलता। डिपार्टमेन्ट की शिकायत करने वाले मिल जाते हैं लेकिन इस डिपार्टमेन्ट की शिकायत करने वाला कोई नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है। डाकू, चोर की शिकायत नहीं होती है। पीछे से आकर बैठ जाओ और अपना काम कर के चले जाओ। दो घन्टे बैठ कर चले जाओ। अब क्या होगा। अब दुकानें खुल जायेंगी, केवल इस बात के लिये कि मेरा जो फैसला हो गया है उसका पैसा मिल जाने दो, इसका क्या पर्सेन्टेज लोगे, यह होगा। मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त न लगे। वह पैसा कब तक नहीं मिलेगा, इसकी कोई सीमा नहीं रखी है आपने। उसकी एक पीढ़ी को नहीं मिले, दूसरी पीढ़ी को नहीं मिले, तीसरी पीढ़ी को नहीं मिले, यह सरकार चली जाये, बर्बाद हो जाए, नई सरकार आ जाये, कोई भी आ जाय उसको पैसा नहीं मिले केवल इस बात पर कि ए. सी. टी. ओ. एक दरख्वास्त लगा देगा कि यह पैसा दे दिया आपने तो सरकार को बड़ा नुकसान होगा क्योंकि जो पैसा डिपार्टमैन्ट में व्यापारी का जमा होगा वह पैसा निकलेगा सरकार को नुकसान हो जायेगा। सरकार के खजाने में से दस रुपये भी जाते हैं तो नुकसान होगा, 100/- रुपये जाए तो भी नुकसान हजार जाय तो भी नुकसान, पांच हजार जाय तो भी नुकसान, कितना ही पैसा जाये नुकसान होगा। एक दरख्वास्त जिस पर टिकट नहीं लगता है वह लगा देगा। जब उनके जंच जायेगी अब मैंने सारा केस कन्सीडर कर लिया है और सरकार को नुकसान नहीं होगा और सर-कार की माली हालत बहुत अच्छी है तो पैसा लौटा दो। यह डिस्क्रिशन आप ए. सी. टी. ओ. को सी. टी. ओ. को देना चाहते हैं। कारण क्या है इसका हर स्टेज पर देना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले निवे-दन किया आपकी मंशा है कि व्यापारी आपके चंगुल में रहे। कहीं व्यापारी आपके चंगुल में से न निकल जाये। आपने इशारा किया, एक आपका जमवारामगढ़ का व्यापारी है। यह मेरे खिलाफ कार्यवाही करता है। मेरी शिकायत करता है। कई बातें करता है। और मेरे पीछे पड़ा है।....

एक माननीय सदस्य : जमवा रामगढ़ तो माननीय सदस्य का गांव है।....

(श्री भंवरलाल शर्मा)

श्री भंवरलाल शर्मा : भाग्यशाली हैं ।....वह मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी कई बातें करता रहता है । तो आप जैसे हीरे वहां मौजूद हैं । इसके साथ जाता हूं तो शिकायत करता है, मैं इसके साथ लाता हूं तो उसकी भी शिकायत करता है । अब वह फंस गया है । इसलिये उस व्यापारी को पैसा नहीं मिलना चाहिए तो ए. सी. ओ. से कह कर दरख्वास्त लगा दें और वहां दरख्वास्त लग जायगी । यह राजनैतिक षडयंत्र आप बना रहे हैं । व्यापारी तब जायेगा जब कि इसके रिफण्ड आर्डर होंगे ? ऐसे चला कैसे जायगा जब व्यापारी को रिफण्ड के लिये न्यायालय से आदेश मिल गया है तब आप क्यों नहीं देना चाहते हैं । आप अपील में जायेंगे, हारे आप हो । वह हारता तो पैसा जमा कराता और फिर अपील में जाता । यह पैसा उसको मिलेगा कब जब वह आपकी जीप में पैट्रोल डाल दे आप की जीप में पैसा डाल दे तो वह पैसा उसको मिल जायेगा । वह आपके चुनाव में पैसा खर्च कर दे और कहे भारद्वाज जी साहब मेरे से बड़ी भूल हो गयी अब मैं आपकी शरणागत हूँ । आप अब बोलो क्या हुक्म देते हो ।....

एक माननीय सदस्य : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे यहाँ सबके सामने कि यहाँ व्यापारियों की वकालात करने हमारी साइड में कोई नहीं मिलेगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वकालत थोड़े ही करते हैं । आप तो जलालत करते हो । व्यापारियों की वकालत हम करते हैं और जलालत आप करते हैं । और साहब क्या; अब देखिये....

(म. प. 2-53)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

कृपया मुझे बोलने दें । यदि मैं आपके बारे में बोलने लगूंगा तो विषय बदल जायेगा । माननीय सभापति महोदय अनुमति नहीं देते थे । अब तो अध्यक्ष साहब बिल्कुल नहीं देंगे ! इसलिये विषय नहीं रखिये ! इधर से आप एक चीज बोलोगे तो चार जवाब मिलेंगे ।

श्री भंवरलाल भारद्वाज : विषय से अलग नहीं हो रहा हूँ मैं तो कह रहा हूं । व्यापारियों के वकील साहब मौजूद रहते हैं । हित रक्षण के लिये....

श्री भंवरलाल शर्मा : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि23 (D) एक इन्होंने जोड़ा नया है इसको है मैं आपकी जानकारी के लिये पढ़ना उचित समझता हूँ । इसमें इन्होंने लिखा है.... Where an order giving rise to refund is the subject matter of an appeal or further proceeding or here any other proceeding under this Act is pending, and commercial Taxes Officer is of the opinion that the grant of the refund is likely to adversely affect the State revenue, the said Officer may, with the previous approval of the Commissioner, with hold the refund.

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यानि किसी भी न्यायालय से अगर पक्ष में फैसला हो जाये किसी डीलर के और यह कहे कि यह तो रिफण्ड उसको मिल जाना चाहिये। तब भी ए. सी. टी. ओ. या सी. टी. ओ. एक एप्लीकेशन देकर कमिश्नर से यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम अदालत में आगे कार्यवाही करना चाहते हैं आप इसको रिफण्ड न करें। मेरा इसमें निवेदन यह है कि इस एक्ट में यह प्राविजन है कि यदि व्यापारी हार जाता है तो उसको पहले पैसा जमा कराना पड़ेगा तब ही वह अपील में जा सकता है। आपको अपील करनी है तो जो व्यापारी है इसका पैसा उसको नहीं मिलना चाहिये और अनलिमिटेड टाइम के लिये नहीं मिलना चाहिये for no reason। रीजन यह है कि सरकार के खजाने को नुकसान होगा। तो सरकार के खजाने में कितना पैसा है उसका नुकसान होगा ही। मेरा सुझाव, निवेदन यह है कि अगर आपको लगता है कि कोई मामला गड़बड़ है, इसको नहीं देना चाहिये तो मैंने इसमें एक संशोधन दिया है, साहब वह यह है कि....

In section 23 C sought to be inserted after section 23 B of the principal Act by clause 10, the expression "till such time as the Commissioner may determine." shall be replaced by the expression "for a period not more than six months."

आप रखिये उसका पैसा। आपको अपील करनी है उसका पैसा मत जाने दीजिये हो सकता है कि उसको पैसा दे दो तो दुबारा पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। मान लेते हैं इस बात को तो फिर आप उसका पैसा रख लीजिये परन्तु अनलिमिटेड टाइम न रहे। 6 महीने के अन्दर अन्दर आप फैसला कर दीजिये और 6 महीने में अगर नहीं होता है तो उसका पैसा लौटा दीजिये आप तुरन्त मत दीजिये इसको आप अपने अधिकार को सुरक्षित रखिये स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान मत होने दीजिये इससे 6 महिने बाद भी अगर आप कोई फैसला नहीं करते हो छः महीने के बाद भी कोई निर्णय नहीं होता है तो फिर उसको कहिये कि भाई, अब तेरा पैसा ले जा। यह मेरा इसमें अमेण्डमेन्ट है कि 6 महीने की अवधि के बाद यदि आप उसके पैसे को रुकवाने के लिये आप किसी अदालत से अपील करके नहीं करवा सकते स्टे नहीं ले सकते तो फिर उसको आप लौटा दें। छः महीने रख लिया तो यह मेरा इसमें अमेण्डमेन्ट है। which is very reasonable just and accetapble.

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी।....

श्री बृजसुन्दर शर्मा प्रभारी मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सारी बहस जो की गयी है वह टेक्सेशन लाज के प्रिन्सीपल के बिलकुल विरुद्ध है। आपके शायद इसको पूरी तरह से ध्यान में नहीं लाया गया है वेअर....

Where an order giving rise to refund is the subject matter an app-

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

eal or further proceeding or where any other proceeding under this Act is pending,

इन तीनों राइडर्स के रहते हुए जब कोई अपील पेन्डिंग है या और कोई प्रोसिडिंग्स पेण्डिग हैं या और किसी मामले में है तो जाकर के जो रिफण्ड का मामला है वह कमिश्नर के नोटिस में लायेंगे और उसके बाद रिफण्ड किया जायेगा वरना बीच में जाकर पैसा लेकर कोई चला गया है तो उसकी सेफ्टी क्या है। इसलिये मैं समझता हूं कि स्टेट इन्टरेस्ट का कलाज रहना जरूरी है। यह तीनों शर्ते हैं उसके ऊपर ही जाकर यह क्लाज काम में आता है। अगर यह तीनों चीजें नहीं होती हैं और फिर भी ए० सी० टी० ओ० और सी० टी० ओ० नित नई सिफारिश करेंगे अपने कमर्शियल टैक्सेज आफिसर को कि रिफण्ड कर दिया जाये या न किया जाये तो फिर कमिश्नर अपील नहीं करता है या फरदर प्रोसिडिंग्स नहीं करता है तो कमिश्नर रिफण्ड का आर्डर दे सकता है। इसलिये मेरा कहना यह है कि यह जो अमेण्डमेन्ट पेश किया है वह असेप्टेबल नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि इस अमाउण्ट को आप 6 महीने तक मत दीजिये। बाकी आप सारे राइडर्स रखिये। रखिये सारे विवाद, मैंने कोई अमेंडमेंट नहीं दिया हैं। पढ़ें आप मेरे अमेंडमेंट। मैंने केवल उसमें यह कहा है यह पैसा रिफण्ड न करेंगे वह केवल 6 महीने रख लीजिये आप 6 महीने बाद रिफण्ड कर दें। इतना ही अमेण्डमेन्ट केवल है। इसमें लिमिट तो रखिये साहब कोई, इसकी कोई टाइम लिमिट रखिये। कब लौटाएंगे इसको जो कि उसका वाजिब है। रिफण्ड अमाउण्ट नहीं होता है जो अगले का वाजिब होता है तो जो वाजिब अमाउण्ट है उसको भी आप देंगे नहीं और वह भी अनलिमिटेड टाइम तक देंगे नहीं, यह क्या करना चाहते हैं।

श्री देवीदत्त : हर आदमी चाहे तो उसमें 6 महीने से ज्यादा समय तक नहीं रोके जायें। परन्तु इसमें यह है.

Provided this is pending.

श्री भंवरलाल शर्मा : पेन्डिग में नहीं मिलेगा।.... सारा निर्णय हो जाये, उसके बाद यह मान लीजिये वह रिफण्ड का हकदार है। सब बातों के निपटने के बाद तो छः महीने से ज्यादा मत रखिये उसका पैसा, फिर तो दे दीजिये....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फैसला हो जाय तो!

श्री भंवरलाल शर्मा : यहीं तो कह रहा हूं मैं आपको अनलिमिटेड टाइम तक क्यों रखते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फैसला हो जावे सवाल पैदा नहीं होता है।

Where ever it is pending.

श्री भंवरलाल शर्मा : यह देखिये न आप Where an order given rise to

(श्री भंवरलाल शर्मा)

refund कि इसको पैसा देना है कहीं भी और वह इतना हो जाता है कि रिफण्ड उसको मिलना चाहिये रिफण्ड तो तभी होगा । उसको रिफण्ड तो होगा ही जब यह मान लिया जायेगा कि इसको देय है refund means this बाकी तो टैक्स चलता है । तो यह मान लिया जाय छः महीने का समय

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । आर्डर प्लीज ।

प्रश्न यह है कि खण्ड-10 पर जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड-10 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 11 से 15 में कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 से 15 स्वीकार किये जायें ।

(स्वीकृत)

खण्ड-11 से 15 स्वीकार किए गये ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि ।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये गये ।

वित्त मन्त्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

विधेयक का पारण

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री कटारिया ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा निवेदन यह है कि जिस दृष्टिकोण से आप इसे लाये हैं अगर उसके पीछे उसके बैक ग्राउण्ड में आप जायेंगे तो शायद 80 के चुनाव में हमने इस सैल्स टैक्स को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और उस मुद्दे के आधार पर आपने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि हम सैल्स-टैक्स को समाप्त करेंगे । इस सैल्स-टैक्स की समाप्ति की बात का आप जब कर नहीं पाये और जब सारे लेवल पर आप फैल हो गये तो अपनी जान बचाने के लिए आपने कुछ न कुछ इस सैल्स टैक्स के नाम से मरे मुर्दे को एक बून्द पानी कैसे दिया जाय, उसका शायद यह आपने यहां प्रयोग मात्र किया है, अन्यथा यह सैल्स-टैक्स....

श्री अध्यक्ष : यह 77 में मुद्दा था कि नहीं सैल्स-टैक्स का ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : था । हम चले गये इसी सैल्स-टैक्स के साथ ही हम इसको स्वीकार कर रहे हैं । यह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वास्तव में सैल्स टैक्स, यहां हमारे कई माननीय सदस्य व्यापारियों को चोर और बेईमान बताते हैं। मेरा यह कहना है कि सैल्स टैक्स के बारे में व्यापारी केवल एक ट्रस्ट का काम करता है, आपके लिए वह पैसा इकट्ठा करता है, मजदूरी करता है, अपने कागजातों को भरता है। मतलब उसमें उसको किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, वास्तव में उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। इसलिए व्यापारी इस बात की बार-बार मांग कर रहे हैं कि सैल्स टैक्स को समाप्त किया जाय। सैल्स टैक्स के कारण से किस तरह से व्यापारी का शोषण किस तरह से उसके साथ जल्लाद का व्यवहार किया जाता है, किस तरह से उसको लांछित और बदनाम किया जाता है। दुनियां के सभी लोग एक ही बात को बोलने का प्रयत्न करते हैं कि व्यापारी ही चोर है। जब कि व्यापारी वास्तव में सैल्स टैक्स के लिए कहीं भी, किसी भी कीमत पर आपने तो उसको बेगार दे रखी है, आपके पैसे को इकट्ठा करने के लिए आपने उसको एक अपना नुमाइन्दे की तरह, उसकी मजबूरी का लाभ उठा कर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं अन्यथा आप सीधे ही इस सैल्स टैक्स को समाप्त करके किसी उत्पादन पर आय कर लगा दीजिये। उसके बाद न तो यह रिकार्ड रखना पड़ेगा और न पैसा आपको उसे देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वह तो एक-एक पाई को इकट्ठा करता है आपके लिए। लेकिन जब वह रिकार्ड लेकर जाता है तो उसके साथ किस ढंग का बर्ताव होता है, किस ढंग से उसको रास्ते से गुजरना पड़ता है, किन गलियों से उसको निकलना पड़ता है। वह उसके साथ साथ अपने आपको भी उसमें लिप्त करता है कि उसे गलियों में निकलने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, हर स्थान पर मुझको कुछ न कुछ लेना देना पड़ेगा और इसलिए वह सैल्स टैक्स की चोरी कर अपने आपको भी धनाढ्य बनाता है और सरकार के एक्सचेकर को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। यह हमने उसको एक ट्रस्टी के रूप में जो आदमी रखा था लेकिन हमने उसको उस सीमा तक ले जाने का प्रयत्न किया। मेरी आपसे प्रार्थना है अगर हम वास्तव में यह चाहते हैं कि न ही उस व्यापारी को किस तरह से इसमें राहत मिले जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं उसको राहत मिलनी चाहिये इसमें उसका किसी प्रकार से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिये मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि अगर आप वास्तव में इस सैल्स टैक्स के बारे में व्यापारी को आने वाली तकलीफों को हल ही करना चाहते हैं आप उसको कम करवाना चाहते हैं तो उसका कोई रास्ता निकालते। अगर आप सारे के सारे सैल्स टैक्स समाप्त करने की स्थिति में आज नहीं, अगर आपको यह डर लगता है कि स्टेट जो है पावरफुल स्टेट का सारा पैसा आता है, इस सैल्स टैक्स के माध्यम से आता है और हर स्टेट यह चाहेगा कि मुझको सैल्स टैक्स में मेग्जीमम आमदनी केन्द्र से किस तरह से मिले, उसके कारण से यदि स्टेट की यह मनोभावना बनती है कि हम सैल्स-टैक्स को समाप्त नहीं कर सकते तो कम से कम आप इस सैल्स-टैक्स में ऐसी रियायतें तो दे सकते हैं। जिनके माध्यम से व्यापारी को किसी तरह से सहूलियत मिल सके। व्यापारी सेल्स टैक्स की जो सीमा है, वह भी इतनी अधिक है। कहीं 3% अब स्वाभाविक है एक आदमी दिन भर से 100 रुपये की बिक्री करेगा तो उसको मार्केट में किस ढंग

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

से कम्पीटीशन करना पड़ता है उसको एक रुपये का भी मुनाफा नहीं मिलता है लेकिन 100 रुपये का एकाउन्ट नहीं रखे तो शाम को उसको तीन रुपये का लाभ हो जाता है, तीन रुपये का लाभ कमाने के लिए अपने आपको इस झंझट में डालता है। अगर आप इसको समाप्त कर दें तो निश्चित रूप से इन सारी बातों से निकल जायेगा। मेरी आपसे फिर यही प्रार्थना है कि आप यह कह कर कि हम व्यापारी को राहत देने के लिए उसको सैकण्ड अपील करने के लिए हमने यह अमेंटमेंट किया है यह उसके साथ धोखा है, उसको भुलावे में डालने की बात आपने की है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप यह बोलिये कि आप सैल्स टैक्स की इस बीमारी से उसको मुक्त करने के लिए क्या राहत दे रहे हैं, यह आप बताइये।

श्री अध्यक्ष : श्री भूपाल सिंह।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह ट्रिब्यूनल का जहां सवाल आया तो एक तो अदालत और बढ़ गयी, करोड़ों-लाखों रुपये का खर्चा बढ़ गया। जो भी वित्त मन्त्री आते हैं, कुछ न कुछ प्रसाद व्यापारियों को दे जाते हैं। मेरा जहाँ तक अनुभव है आपसे पूर्व वित्त मन्त्री महोदय ने सैल्स टैक्स के एक्ट के अन्दर एक प्रावधान रखा था कि अगर कोई सैल्स टैक्स चुरायेगा तो उसका अदालत में मुकदमा पेश किया जा सकता है और उसको छः महीने की सजा दी जा सकती थी यह तो आपसे पूर्व आने वाले वित्त मन्त्री महोदय विथड़ा कर गये यानी व्यापारी को खुली छूट दे दी कि वह कितना ही टैक्स चोरे लेकिन उसको एक दिन की सजा यह नहीं दे सकते हैं और अगर दूसरा आदमी दो रुपये पर एक नया पैसा चोर ले तो उसको बेवेदखल कर दें। व्यापारी के लिए कहा जाता है कि वह बेगार करता है। मैं अर्ज करता हूं कि एक तारीख से बीस तारीख तक जितना सैल्स टैक्स वसूल करते हैं वह दूसरे महीने में अदा नहीं कर सकते। एक डेढ़ महीने का सैल्स टैक्स हर वक्त उसके पास रहता है जो करोड़ों रुपये टैक्स देता है या 100 रुपये माहवारी देता है या जितनी जिसकी हैसियत है, वह सरकारी पैसा वहाँ पड़ा रहता है वह बेगार नहीं है। अब जहाँ तक सवाल आता है टैक्स चोरने का, वह चोरी कैसे बन्द हो। सैल्स टैक्स आफिसर साहब का गुजारा कहाँ नहीं लगे पहले नम्बर तो यह टैक्स कम होगा तो चोरी नहीं होगी, जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी ही चोरी होगी और चोरी को रोकने के लिए मेरी वित्त मन्त्री महोदय से सलाह है जैसे एक आदमी को एक हजार रुपया महीना या एक लाख रुपया महीने टैक्स देना पड़ता है। उतने ही उनके टिकट मिल जाने चाहिए ताकि हर बिल पर वह टिकट लगाकर माल बेचे। आपकी बकायात रहेगी नहीं, न अपील होगी न सपील होगी, न झगड़ा होगा न टन्टा होगा। आदमी आपका बाजार में फिरता रहे कि कोई व्यापारी बिना टैक्स के तो माल नहीं बेच रहा है। एक ही बात की निगरानी करनी है फिर कहाँ से वह पैसा लायेगी। यह कर दें लेकिन यह कोई नहीं करना चाहते हैं। व्यापारी भी परेशान है सरकार का स्टाफ भी परेशान है। लाखों करोड़ों रुपये बकाया हैं, इस बकाया को बन्द करने का केवल एक सीधा सा रास्ता है कि जब बिल दे उस बिल पर

(श्री भूपालसिंह)

सात रुपये सैल्स टैक्स बनता है या दो रुपये बनता है या 217 रु. बनता है उतने का टिकट उस पर चिपका दें....

श्री अध्यक्ष : बिल देवें ही नहीं, उसका क्या करोगे आप ?

श्री भूपालसिंह : वही तो अर्ज कर रहा हूं। इनका आदमी घूमता रहे कि यह बिना बिल माल ले जा रहा है या माल बिल से ले जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह आदमी कच्चा हो तो ?

श्री भूपालसिंह : यों तो फिर सभी कच्चे हो जायें तो। लेकिन वह बिना बिल के माल बेचता है तो उस पर फौजदारी का मुकदमा चलाना चाहिये। उसको दण्ड मिले। तो मेरा अर्ज करना यह था कि या तो टिकट दो या आप अपनी बिल बुक्स छापकर उनको दो। तब ही चोरी रोकी जा सकती है और इस टैक्स को कम कर दिया जाय जैसे अगर 10 प्रतिशत है तो 5 प्रतिशत कर दो और व्यवस्था सही कर दें तो मैं कहूंगा कि आपको आज से डेढ़ी अमादनी होगी और आम आदमी को भी परेशानी खास इसमें यह है और खरीददार को वह इसलिए महंगा पड़ता है कि बाहर से माल आता है जयपुर, जयपुर से छोटा व्यापारी खरीदकर ले जावे या दूसरा ले जावे जो आपने एक लाख तक की सीमा आपने तय कर दी। अब यहाँ पर टैक्स दे दिया फिर वहाँ जाओ नीचे। टैक्स एक जगह ही लगना चाहिए। किसी भी जगह हर जगह नहीं।

अब रही यह कि इनकी बकायात क्यों बहुत रहती है उसका मूल कारण यह है कि अगर कोई टैक्स जमा नहीं कराये तो एक रुपया सैकड़ा का ब्याज 12 पर्सेन्ट साल भर में। जो बैंक अलग-अलग तरीकों से, किश्तों में अगर पैसा जमा कराये तो एक रुपये का दो रुपया यानि सौ रुपये को दो सौ रुपये छः वर्ष में बैंक दे देती है। यानि व्यापारी को आज रुपया सैकड़ा में राजस्थान में कहीं उधार नहीं मिल सकता है लेकिन यह डिपार्टमेंट जो है रुपया सैकड़ा में उनको उधार देता है। इसलिये इन सैल्स टैक्स के आफिसरों और सबसे दबते हैं। जो यह दवाब की बात भंवरलाल जी कहते हैं उसका मैं समर्थन करता हूं। वे दबते इसलिये हैं कि उनके वह पैसे से कमाकर खाते हैं लाखों रुपया बहुत से तो ऐसे व्यापारी मिलेंगे आपको जो इन्हीं के पैसे से अपनी दुकान चलाते हैं। तो मेरा अर्ज करना यह है कि एक जगह सैल्स टैक्स वसूल हो। वह एक माह में जमा कराये उसके बजाय एक माह के लिए अगर यह टिकट इश्यू करने का एक्ट में प्रोविजन लाते तो हम स्वागत करते कि चोरी मिट जायेगी। आफिसर साहब का जो सालाना हिसाब बनाने का नजराना है वह भी बंद हो जायेगा और सब बातें खत्म हो जायेंगी। कोई बीमारी नहीं रहेगी सिर्फ एक ही बात रह जायेगी, एक ही कानून के बगैर बिल के अगर कोई माल बेचेगा तो उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकेगा और उसको सजा दी जायेगी तो यह ट्रिब्यूनल चाहिये न हाई कोर्ट जाने की जरूरत न सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत। जितना बड़ा आदमी है उतनी ही बड़ी चोरी है। और जितना गरीब है उसको चोरी का

Page No.104

(श्री भूपालसिंह)

अवसर नहीं है इसलिये जितने भी जुल्म होते हैं जिसको 100 रुपये सैल्स टैक्स देना है वह उससे परेशान है जिसको 10 लाख रु. महीने टैक्स देना है वह उसके लिये कोई बीमारी नहीं है वह सब साथ पीते है उनको अगर 10 लाख रु. महीने टैक्स देता है और अगर उसको कोई इन्सपेक्टर या सैल्स टैक्स आफिसर तंग करते हैं या हरैस करते हैं तो वह सीधा मन्त्री साहब के पास जाकर ट्रान्सफर आर्डर करा देगा। गया सत्ते से जैसलमेर। इसलिये मेरा तो यह सुझाव है कि ऐसी प्रथा चला दें और कानून बना दें तो इसका स्वागत मैं तो क्या करूं सभी गरीब लोग करेंगे। 25 प्रतिशत टैक्स जमा होता है 75 प्रतिशत की चोरी होती है। सारा बाहर के बाहर ट्रक आते हैं और माल उतारा जाता है यह सब जानते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि सजा दिला नहीं सकते हैं पकड़ ले तो हवा ले लो पैसा ले लो। डर तो है नहीं पकड़ कर क्या करेंगे मेरी पूंछ तो इनके हाथ में है नहीं, चोटी हाथ में है नहीं, यह करेंगे क्या। इसलिये सब कानून कायदे हैं उनकी जड़ यह नहीं है तो वह डर खत्म हो गया है। इसलिये टैक्स कम किया जाय और उसको सही ढंग से वसूल करने का यह तरीका है कि उसके ऊपर आप टिकट लगायें।

श्री अध्यक्ष : महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान में सैल्स टैक्स के मामले के अन्दर ट्रिब्यूनल बना करके अमेंटमेंट लाना चाहते हैं, एक और कोम्पलीकेशन्स पैदा कर रहे हैं और लोगों को लीगली उलझाना चाहते हैं। इस सैल्स टैक्स के मामले के अन्दर तो खोदा बाकर और निकला चूहा। उम्मीद तो यह कर रहे थे पिछले सालों से व्यापारियों की तरफ से और लोगों की तरफ से आम जनता की तरफ से पर असुविधा महसूस होती थी सैल्स टैक्स के मामलों में उसमें इस तरह का टैक्निकली पूरी समझ से बूझ से निकालेंगे जिससे व्यापारी को भी परेशानी न हो। सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसकी कोई व्यापारी वर्ग शिकायत करना नहीं चाहता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल से जालोर जिले में रायड़ा और जीरे के मामले में काण्ड हुआ था उस काण्ड के अन्दर मैंने उस वक्त भी विधान सभा में कहा था और मुझे भी दिख रहा था कि खाते हर कूटीजे पाड़ा कर गये तो पाड़े। जिसमें लास्ट में भी उसके अन्दर ऐसा हुआ सैल्स टैक्स के उच्च अधिकारियों ने जिन अधिकारियों ने यहां सैक्रेटेरिएट में बैठकर किया था गलत सर्कूलर निकालकर उस समय के वित्तमन्त्री ने कहा था कि हमारी यह गलती हो गयी है और गलती हो गयी कहाँ से तो यह सजा दी ऐसा आदमी को भी कि रामराम जैसा लायकी था। उन्होंने भी गलती यह की कि इस मामले के अन्दर काश्तकार के प्रति थोड़ी-सी सहानुभूति थी, थोड़ा लगाव था। सरासर गलत इन्टर-प्रिटेशन लगाकर अधिकारी वसूल करना चाहते हैं इस पर सरकार की तवज्जोह दिला दी, गलत काम हो रहा है उसका कोई उपाय कर लो यह करा उसकी उनको सजा दिला दी कि क्यों याद दिलाया, क्यों विधान सभा में इस चीज को उठवाया गया, क्यों सुजानसिंहजी को याद दिलाया काश्तकार को मरने देते, मरने दो उसको। काश्तकार को नुकसान होता है तो होने दो। उनको बेकार में मार दिया गया, अब सेल्स

(श्री महाराम चौधरी)

डिपार्टमेंट में इस तरह की गलतियां हो रही थीं कि अगर कोई गलत काम करता है तो कोई आदमी जिक्र करेगा तो उनके साथ में जो व्यवहार होता है वह ही होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेल्स टैक्स अगर घटा दें और सोच-समझकर समझ-बूझ कर सैल्स टैक्स में कोई सही रास्ता सुझा दें तो व्यापारी का हित होगा और अल्टीमेटली यह लगता तो आम जनता पर है तो जनता को फायदा होगा। इससे व्यापारियों को भी थोड़ी देर के लिए उनको अपने पास पैसा रखने का मौका मिलता है। इस तरह का पैसा रखने के जितने मामले हैं सब उच्च अधिकारियों की मिली भगत से होता है। मैं तो बृजसुन्दर जी से अपील करूँगा कि इसको आप जाने दें। इस मामले में आप अपनी बुद्धि से अपने विवेक से काम लेकर इस मामले में आमूल परिवर्तन, इस व्यवस्था में किसी तरह से परिवर्तत करके, आम व्यक्ति को किस तरह से सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसा सोच विचार कर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिस अमेंडमेंट बिल पर, जिस संशोधन पर विचार हो रहा है वैसे तो पिछले चुनाव के समय रूलिंग पार्टी ने कमिटमेंट किया था कि सैल्स टैक्स को समाप्त किया जायेगा।

लेकिन उस कमिटमेंट का निर्वाह करने की बजाय जो आज यह अमेंडमेंट वित्तमंत्री ने प्रस्तुत किया है उस बारे में व्यापारी इतना उलझा हुआ है कि आज भी व्यापारी को विभाग के अफसरों की जलालात का सामना करना पड़ता है और व्यापारी से अगर वे सेल्स टैक्स पहले से ही जमा करने की दृष्टि से एक फिगर्स दिये जाते हैं वे फिगर्स पूरे करने के लिए उनसे अगाऊ लिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई भी टैक्स हो उसकी वसूली के लिए कानून का सरलीकरण होना बहुत आवश्यक है लेकिन सरलीकरण करने की बजाय ट्रिब्यूनल का मामला जो प्रस्तुत किया गया अमेंडमेंट में, इससे यदि जो भी कोई रकम जमा होगी तो वह लौटायी नहीं जाएगी और एक तरह से नंगी तलवार उन पर लटकती रहेगी और ऑफिसर्स की दया पर व्यापारी को जीवित रहना पड़ेगा और आज यदि कोई भी टैक्स कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेशन टैक्स में या टैक्स की वसूली में यदि मान लें इस तरह का अमेंडमेंट लाकर यदि कानून को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति से व्यापारी टैक्स की और चोरी करेगा। तो चोरी से बचने के लिए टैक्स की यदि कोई व्यवस्था ठीक प्रकार से वसूली की हो तो उसके लिये ये ट्रिब्यूनल वाला अमेंडमेंट लाने की बजाय कंप्लिकेटेड बनाने की बजाय इसका सरलीकरण करते और कम्पिटेन्ट व्यवस्थाएँ करते जिसके आधार पर वर्तमान व्यवस्था जो है वो पर्याप्त थी और मैं सोचता हूं कि ट्रिब्यूनल वाला अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता नहीं थी और यदि इसी के तहत कंपिटेंट व्यवस्था के तहत वसूली होती तो निश्चित रूप से टैक्स की आमदनी भी ज्यादा होती

(श्री बन्शीलाल पटवा)

और व्यापारी भी परेशानी से बच जाता तो मेरा इसके बारे में यही कहना है कि यह ट्रिब्यूनल का जो अमेंडमेंट लाये हैं यह व्यापारी के हित की न हो करके उसको और जलील किया जायेगा और अफसरों की दया पर उसको जीवित रहना पड़ेगा, नौकरशाही की दया पर उसको जीवित रहना पड़ेगा और उसका प्रभाव व्यापारी पर पड़ने के साथ-साथ आम जनता पर भी पड़ेगा तो मेरा निवेदन है कि इस अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं और वित्तमन्त्री महोदय इसको वापस ले लें या सदन से मैं अर्ज करता हूं कि वह इसको अस्वीकार कर दें। मैं दूसरे सदस्य की भावनाओं के साथ जोड़ते-जोड़ते हुए आपके माध्यम से सदन से निवेदन करता हूं कि इस अमेंडमेंट बिल को अस्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : वित्तमन्त्री जी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस वाचन में वैसे तो कोई खास मुद्दे उठाये नहीं गये क्योंकि जहां तक सेल्स टैक्स का ताल्लुक है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सैल्स टैक्स एक्ट भी इसी सदन के द्वारा पास किया हुआ है। यह भी हम जानते हैं कि राजस्थान में सेल्स टैक्स से सबसे ज्यादा आमदनी होती है। गत वर्ष एक सेल्स टैक्स के लिए रैशनलाइजेशन कमिटी बनायी गयी थी उस रैशनलाइजेशन कमिटी की सिफारिशें गवर्नमेंट के पास आयीं और उनमें से बहुत सारी सिफारिशों को मन्जूर करके उसके बारे में आदेश प्रसारित कर दिया गया। टैक्सेबल टर्न ओवर जो है उसमें भी बढ़ोत्तरी की गयी और जहां तक कि कोशिश सरकार की रही है वह यह है कि वाजिब टैक्स की वसूली हो आम लोगों को उससे हरासमेंट नहीं हो और छोटे-छोटे लोगों को कोई परेशानी न हो। इस उद्देश्य से उस कमिटी की स्थापना की गई थी और उसमें वर्गीकरण में भी और सरलीकरण में भी और सभी में जा करके आम लोगों को उससे राहत पहुँची है। आपका कहना हमेशा यही रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण तो यही रहेगा कि हम तो टैक्स देते हैं फिर भी परेशान रहते हैं तो वह तो हर एक टैक्स के बारे में कही थी आपने। आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति जिसको टैक्स पे करना पड़ता है वह उस टैक्स को बुरा ही मानता है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स के बगैर खर्चा कैसे चलेगा। आपका कहना यह है कि साहब, आप टैक्स कम कर दीजिये आपकी आमदनी बढ़ जायेगी इस बात की गारण्टी क्या है? तो ये सारी की सारी ऐसी बातें हैं कि जिसके ऊपर बहुत जबर्दस्त थिंकिंग की और बहुत ज्यादा एब्सट्रेक्ट में बात करने की जरूरत नहीं है जो प्रयोगात्मक पद्धति है और जो-जो अनुभव हमारे होते रहे हैं उसके आधार पर हम इसको ठीक करते हुए चले आ रहे हैं। ये जो टैक्स ट्रिब्यूनल का जो प्रावधान करने की आवश्यता पड़ी वह भी तो इसी बात पर पड़ी न कि साहब बहुत ज्यादा एक्जीक्यूटिव में पावर निहित है और इसलिए एक्सपर्ट्स के एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए और इसी उद्देश्य को ले करके और यह बिल लाया गया। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छी चीज है और आम जनता के फायदे की चीज है इसलिए मेरा निवेदन करना है कि इसको पास कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 15 अक्टूबर, 1984 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 3.26 बजे दोपहर दिनांक 15 अक्टूबर, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का स्वीकृत ऋण-पत्र

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

अति-आवश्यक/आज ही जारी हो

क्रमांक एफ 4(11) आर.एच.सी./83-84/ऋण/1017 जयपुर, दिनांक 7-7-83

समस्त जिलाधीश :

विषय : ग्रामीण गृह-निर्माण योजना (ऋण) वर्ष 1983-84 के अन्तर्गत राशि का आवंटन ।

आपको भली-भांति विदित है कि वर्तमान सरकार राज्य में आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के उत्थान के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है । सरकार की नीति एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण गृहों के निर्माण हेतु जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन/लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन से एक करोड़ इक्कीस लाख रुपये की राशि चालू वर्ष में प्राप्त हुई है । इस राशि की सहायता से गांवों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, खेतिहर मजदूर/ग्रामीण कारीगर, लघु एवं सीमान्त कृषक व अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को जिनकी मासिक आय 350/- रुपये तक है, भवन निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा । यह ऋण 5,000/- रुपये प्रति परिवार के हिसाब से देय होगा ।

यह ऋण राशि 31-3-84 तक व्यय की जानी है, कृपया आप इसे जिले की पंचायत समितियों को उनकी मांग एवं कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर आवंटन करेंगे । आवंटन करते समय कृपया ध्यान रखेंगे कि आवंटित राशि समयावधि में उपयोग में आ जावे तथा बेकार नहीं पड़ी रहे । राशि का उपयोग निर्धारित तिथि से पूर्व किया जाये ।

मैं आशा करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में ग्रामीण गृह का त्वरित गति से निर्माण कराया जावेगा जिससे भविष्य में योजना में अधिक से अधिक ऋण राशि प्राप्त कर दलित एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास की मूल आवश्यकता उपलब्ध कराने में अपना पूर्ण योगदान देकर समाज को अनुग्रहित करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे ।

हस्ताक्षर

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

Page No.109

भाग (2) से सम्बन्धित सूची

क्र.सं.	नाम उन व्यक्तियों का जिन्हें ऋण स्वीकृत किया गया	राशि
1.	श्री अशगर अली पुत्र श्री रसूल मोहम्मद	5,000/-
2.	श्री रामनारायण पुत्र श्री बजरंगलाल कोली	5,000/-
3.	श्री बजरंगलाल पुत्र श्री मुकुट बिहारी सुनार	5,000/-
4.	श्री जयराम दास पुत्र श्री हंसानन्द सिन्धी	5,000/-
5.	श्री गोबरीलाल पुत्र श्री गोरू बैरवा	5,000/-
6.	श्री राम भरोश पुत्र श्री गोविन्दलाल ब्रा०	5,000/-
7.	श्री छीतरलाल पुत्र गोरधनलाल कोली	5,000/-
8.	श्री रामकिशन पुत्र श्री बजरंगलाल कोली	5,000/-
9.	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री गजानन्द ब्रा०	5,000/-
10.	श्री नानकराम पुत्र श्री हंसानन्द सिन्धी	5,000/-
11.	श्री रामनारायण पुत्र श्री छीतरलाल कोली	5,000/-
12.	श्री प्रभूलाल नागर पुत्र श्री कल्याण धाकड़	5,000/-
13.	श्री अलानूर पुत्र श्री कादरबक्स मुसलमान	5,000/-
14.	श्री राम्प्रसाद पुत्र श्री पन्नालाल खटीक	5,000/-
15.	श्री नाथूलाल पुत्र श्री गोविन्दलाल कोली	5,000/-

Page No.110

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 44 की सूची

(प्रपत्र "क")

जिला–भरतपुर

पंचायत समिति का नाम	क्र० सं०	कार्य का नाम
1	2	3
डीग	1.	मिसिंग लिंक पाथरी टू जनूथर
	2.	ए/आर टू सहेरी वादा खोदी
नगर	3.	सीकरी टू बुदली
	4.	गोपालगढ़ टू पीपलखेड़ा
	5.	गोपालगढ़ टू लाडमका
कामा	6.	ए/आर टू अमरका वाया सोनका जुरहेरा
	7.	गोपालगढ़ टू पापला
वैर	8.	मिसिंग लिंक रंधीरगढ़ टू पालनहेरा अप टू
	9.	डिस्ट्रिक्ट बोर्डर (अपग्रेडेशन टू बी/टी रोड।
	3.	ए/आर टू आइटममडा (1854)
बयाना छाछरेड	10.	टू इनटखेरा वाया मदनपुर
	11.	सिंगनारा टू तिरसमा वाया थाना डांग
	12.	कोट टू सवाईमाधोपुर वाया बागना परू-आकोधीपुरा
	13.	बन्ध बरहेथाटू सिघानिया मंगरोल
	14.	केलादेवी मोड़ (भरतपुर बयाना रोड़ मलिकपुर)
रूपवास	15.	जेतवासी टू रूपवास
	16.	डमरिया टू खेडिया मोड़ वाया भेंवनपुरा
	17.	मेरथा टू मिल्सवान

1	2	3
नदवई	18.	ए/आर टू बेचामंडी (2210) फोम बंसी टू खेड़ली गडासिया रोड
कुम्हेर	19.	ए/आर टू ताखा
	20.	मिसिंग लिंक बोराई टू आवर
	21.	मिसिंग लिंक राह टू सांतरूख
	22.	हेलक रेलवे स्टेशन टू गांधीनगर वाया हेलक विलेज
	23.	ए/आर टू आजू
	24.	ए/आर टू पालबा
	25.	बावेन टू कुम्बेर वाया जुरहेरा
	26.	ए/आर टू कुरवाड़ा
	27.	ए/आर टू उसरान
सेवर	28.	ए/आर टू मुरवारा फोम भरतपुर खेमहर रोड।

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न-संख्या 45 के ज्ञापन की प्रति

करोड़ों रुपयों के घोटालों के तथ्यों की रिपोर्ट

1. **विभागीय वाहनों का अव्यवस्थित संधारण** :

प्रति वर्ष विभागीय कार्य एवं योजनाओं की सफलता के लिये राज्य स्तर पर भारी संख्या में विभाग वाहन क्रय करता है और आज ये राजकीय वाहन कार, जीप, ट्रक, टैंकर, टैक्टर, ट्रोली एवं मोटर साइकिल इत्यादि के रूप में बहुत बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। उल्लेखनीय यह है कि इन वाहनों को व्यवस्थित एवं सुरक्षा के रूप में कहीं कोई स्थान नहीं है, जहाँ आधारभूत व्यवस्था का संतोष अनुभव हो। राजकीय कीमती वाहन प्रायः सुरक्षा के अभाव में खुले में विवशतावश खड़े किये जाते रहे हैं और इसका परिणाम इन वाहनों में चोरियों, तोड़फोड़ आदि के रूप में सामने नहीं आता हो। ऐसी भी बात नहीं है। परन्तु भ्रष्ट प्रशासनिक ढांचे में ढले इन विभागीय अधिकारियों के कानों पर जू भी नहीं रेंगती।

2. **कीमती भारी वाहनों का चालान** :

विभागीय मनःस्थिति का इससे अधिक चौंका देने वाला दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है कि ये विभागीय कीमती वाहन ऐसे कर्मचारियों से चलवाये जाते हैं जो कि वर्कचार्ज कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। वर्कचार्ज कर्मचारी राजस्थान सेवा नियमों एवं सामान्य लेखा एवं वित्त नियमों की परिधि में नहीं आने से उसकी निष्ठा अस्थाई एवं संदेहजनक है। परन्तु विभागीय भारी वाहनों को ऐसे कर्मचारियों को बिना किसी जमानत के सौंप देना वन प्रशासन का ही करिश्मा हो सकता है। उल्लेख योग्य यह तथ्य भी है कि दुर्घटना की अवस्था में नियमित वन कर्मियों की तरह इन्हें किसी प्रकार के हक हकूक की उपलब्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में एक स्पष्ट एवं ज्वलन्त प्रश्न यह उठता है कि फिर वन प्रशासन इस व्यवस्था के अधीन अपनी बुद्धिमता प्रदर्शन राज्य की जनता के हित में कर रहा है, राजकीय वाहन की कार्यकुशलता के हित में कर रहा है अथवा यह उस कर्मचारी के हित में कर रहा है, जिसे सैद्धान्तिक रूप से उक्त उपलब्धियाँ नहीं मिल सकती, अलवर एवं उदयपुर मन्डल में दो वर्कचार्ज वाहन चालक मारे गये जिनके आश्रितों को रोने तड़पने के सिवाय क्या मिला।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन वाहनों के चालक कर्मियों को नियमित किया जावे ताकि उपलब्ध सूचनाओं से वंचित न रहना पड़े।

3. **राजकीय वाहनों का दुरुपयोग** :

राजकीय वाहनों का दुरुपयोग वन विभाग में भ्रष्टाचार की सीमा तक तथा मनमाने ढंग पर किया जाना आम बात है। जो वाहन राजकीय उपक्रम

राज्य कार्य एवं विकास कार्यों को सम्पन्न कराने के लिये उपलब्ध है। इसका राज्य कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये उपयोग करना वाहन दुरुपयोग एवं अपराध की श्रेणी में आता है। परन्तु राजनीति एवं प्रशासनिक अधःपतन कुछ इतना गहरा हो चला है कि राज्य के कर्णधारी को भ्रष्टाचार एवं अनैतिक क्रियाकलापों में सत्य-असत्य, उचित-अनुचित कुछ भी दिखाई नहीं देता है। राजकीय वाहनों का दुरुपयोग पारिवारिक आमोद-प्रमोद के अतिरिक्त स्तरहीन रंगरेलियों तक में किया जाता है। इसके साथ ही राजकीय वाहनों का खुला दुरुपयोग अधिकारी स्वयं तो करते ही हैं वरन अपने मर्जीदान कर्मचारियों को भी इसका अवसर देकर उन्हें अनुग्रहित करते हैं उदाहरणार्थ :—

1. वन संरक्षक, कार्य आयोजना वृत्त, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 2333 दिनांक 19-10-81 द्वारा अपनी राजकीय जीप आर० आर० वी० 5809 को मरम्मत हेतु यूनाईटेड मोटर गैरेज को भेजने के आदेश किये। परन्तु उक्त जीप वहाँ न जाकर कार्यालय के कनिष्ठ लेखाकार श्री ज्ञानचन्द जैन के निर्देशानुसार दिनांक 20-10-81 को उन्हें व उनके परिवार को जीप किशनगढ़, नरेना, मौजमाबाद मौज-मस्ती के लिये ले जाई गई। अगले दिन उक्त राजकीय वाहन आर० आर०वी० 5809 को संघ के उड़नदस्ते ने रात्रि के 9·00 बजे पकड़ लिया। हालांकि इस गम्भीर कारनामें के लिये उक्त कर्मचारी को दण्डित किया जाना चाहिये था परन्तु सर्वश्री अमरसिंह, आई. एफ. एस. एवं वी० एम० अग्रवाल आई. एफ. एस. जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुचित संरक्षण ने इस कर्मचारी को दण्डित होने से बचा लिया। लेकिन गैर कानूनी संरक्षण के बावजूद भी श्री जैन के एक राजकीय वाहन की 270 किलोमीटर एदत फर्जी यात्रा का नियमन नहीं करा सके और अपराधी श्री ज्ञानचन्द जैन, कनिष्ठ लेखाकार को 400-500 रुपये राज्य कोष में जमा कराने के लिये विवश होना पड़ा।
2. भ्राता विवाह के सन्दर्भ में श्री एन० के० माथुर, उप-वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर को कार्यभार देकर श्री आर. एस. जैन, उप वन संरक्षक, पत्ता तेन्दू योजना अवकाश पर चले गये। दिनांक 6-3-84 को श्री माथुर के दौरे पर जाने के पश्चात पत्ता तेन्दू योजना के लागत लेखाकार भी विभागीय वाहन जीप नं आर. एन. डी. 4428 द्वारा दिनांक 7-3-84 को श्री जैन के भ्राता के आर्शीवाद समारोह में अपने कार्यालय कर्मियों सर्वश्री एस. आर. जैन, स्टेनो, आर. पी. सिंघल, क. लेखाकार, वेद प्रकाश, कनिष्ट लिपिक एवं श्री कस्तूरचन्द शर्मा, क. लि. साथ अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करने करौली पहुँच गये। दिनांक 8-3-84 को उक्त वन कर्मियों ने श्री केलादेवी के दर्शन किये। जयपुर लौटकर श्री सुभाषचन्द शर्मा, लागत लेखाकार ने लाग बुक में दिनांक 9-3-84 व 13-3-84 में 28 एवं 32 किलोमीटर जो यात्रा दर्शाई वह कतई फर्जी

थी और जिसका अंकन लाग बुक में वाहन रिपेयर के नाम पर किया गया था। हालाँकि उक्त 28 व 32 किलोमीटर श्री कैलादेवी की दर्शन यात्रा थी। इस प्रकार की कुत्सित प्रवृत्ति विभागीय अधिकारियों में आम है। मौज मस्ती की यात्राओं का समायोजन बहुत निर्लज्जता के साथ किया जाता है। श्री सुभाषचन्द शर्मा के इस काण्ड की सूचना उच्चाधिकारियों को दी जा चुकी है। अब देखना है कि भ्रष्टाचार को पुनः संरक्षण मिलता है अथवा नहीं।

भारी वाहनों की उपेक्षा :

भारी वाहन जैसे ट्रक, टैंकर आदि विभागीय अनिवार्य आवश्यकता है। इन वाहनों का दुरुपयोग कई तरह से किया जाता है यथा मिली भगत से धन अर्जित करने के लिये, निजी कार्य कर एवं राज्य कार्य के साथ चोर द्वार से अन्य कार्य द्वारा भी। इसके अतिरिक्त भी राजकीय वाहनों के दुरुपयोग के कारनामे विभागीय कार्य योजना के अधीन वन विभाग में बहुतायत में आये हैं। क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत विभागीय लकड़ी, बांस एवं कत्था का परिवहन बहुत मात्रा में लगभग सम्पूर्ण वर्ष है। राजकीय वाहन से विभागीय अधिकारियों को कोई लाभ नहीं होता। अतः वे इन विभागीय वाहनों को खड़ा करना अथवा ऐसी परिस्थितियों में ला देते हैं ताकि वह खड़ा हो जाय। ठेकेदारी के लाभकारी माध्यम से परिवहन का मार्ग सुलभ हो जावे। मानसिकता से रोगग्रस्त आइ. एफ एस. के तमगों से गर्भित इन विभागीय अधिकारियों की करतूत यहाँ तक बढ़ गई है कि विभागीय कार्य योजना के साथ 6 ट्रक खड़े करवा दिये गये। संघ ने इस षड़यन्त्र के विरुद्ध आवाज उठाई और अपने पत्र क्रमांक 21-25 दिनांक 21-11-81 द्वारा बीसवीं शिकायत उच्चाधिकारियों से की। तब कहीं विभागीय ट्रकों को ठेकेदारी ट्रकों के स्थान पर परिवहन के लिये विभिन्न क्षेत्रों में भेजना पड़ा।

5. **विभागीय वाहनों की मरम्मत में अनियमिततायें :**

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में विभागीय वाहन कार्यरत हैं। परन्तु इनके संधारण की व्यवस्था एकदम स्तरहीन एवं सोचनीय स्थिति में है। इसका मुख्य कारण प्रशासन में गहराई तक गया भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता भर नहीं है। वरन अधिकारी वर्ग में विवेकपूर्ण सोच एवं कर्त्तव्य निष्ठा का भी बहुत अभाव है। प्रभुसत्ता और उससे मिली-जुली अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं ने इन्हें और भी विकृत बना दिया है। ऐसी स्थिति में सामान्य जीवन में भी गुणावगुण का भेद मिटा जाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि राज्य वाहनों की मरम्मत में अत्यधिक अनियमिततायें निर्मिलता एवं संयम रहित हो रही है। वाहनों में निम्न स्तर का सामान, कल-पुर्जों की हेरा–फेरी, अकुशल कारीगरों द्वारा मरम्मत एवं फर्जी बिलों द्वारा धनराशि का बंटवारा-इन सब ने राजकीय वाहनों की उपयोगिता एवं क्रियाशीलता को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है।

हालाँकि इस प्रकार का अनाचार अब छुपा हुआ नहीं है और कहीं भी देखा जा सकता है। फिर भी निम्न उदाहरण देना प्रासंगिक होगा:—

1. दिनांक 12-11-81 को भरतपुर जेम सैन्चूरी के तत्कालीन गेम वार्डन श्री पनेसिंह राजकीय वाहन आर. एस. डी. 2079 (जीप) बिना चालक स्वयं ही ड्राईविंग कर जयपुर आते रहे और आदतन अपराधी की भांति उन्होंने सदा ही राजकीय वाहन का उपयोग नियम विरुद्ध ही किया है। श्री पनेसिंह की इस हरकत पर संघ को भी अपने पत्र क्रमांक 17-20 दिनांक 21-11-81 द्वारा उच्चाधिकारियों से शिकायतें करनी पड़ीं। भरतपुर पोस्टिंग के दौरान अक्सर राजकीय वाहन की मरम्मत के नाम पर वाहन को बिना चालक आप जयपुर लाते रहे और वांछित मरम्मत कार्य अधिकृत विक्रेता यूनाईटेड मोटर्स एवं सरकारी प्रतिष्ठान राजस्थान मोटर गैरेज में नहीं कराकर स्वेच्छापूर्वक कहीं भी मरम्मत कराते रहे हैं। इनके वाहन मरम्मत के अनियमित एवं नियम विरुद्ध बिलों की भरमार को देखते हुए तत्कालीन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक श्री के. एस. सांखला ने भी इन्हें फटकारा भी है। अनियमितताओं के कारण जब निर्धारित कार्यालय द्वारा इनके भारी बिलों का भुगतान समस्या बन गई है तो बिलों को रोक दिया गया। परन्तु बाद में परेशान होकर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय ने स्वतन्त्र रूप से बजट प्रावधान गेम वार्डन को देकर मामले को रफा दफा किया। बताया गया है कि इनके नाम बड़ी धनराशि अग्रिम थी सुना जाता है, श्री पनेसिंह का अभ्यास उदयपुर में भी जारी है। वे लाग बुक को कभी समय पर नहीं भरते हैं। इसकी जांच पुलिस अधिकारी द्वारा कराई जाय।

2. विभागीय कार्य मंडल, जयपुर के वाहन संख्या आर. एस. वी. 9935 (ट्रक) को प्राईवेट मिस्त्री को एस्टीमेट के लिये लिख भेजा गया। जहां ट्रक का मूल डिफरेन्स का सामान एवं व्हील, बियरिंग तथा गेयर का सामान खुलवा कर विक्रय कर दिया गया। परन्तु उक्त वाहन मरम्मत के अत्यधिक ऐस्टीमेट को अनुभव करते हुए उप वन संरक्षक द्वारा पुनः अधिकृत विक्रेता हिन्दुस्तान मोटर कं. एम. आई. रोड, जयपुर में ऐस्टीमेट के लिये भेजा गया। मरम्मत के दौरान पता चला कि डिफरेन्स का उक्त मूल सामान निकला हुआ था। फलस्वरूप वाहन मरम्मत पर हजारों रुपया अतिरिक्त व्यय हुआ। सुना है कि मिली भगत से श्री दिलीप कुमार लिपिक द्वारा पुराना सामान खरीद करवाकर आक्षेप की जाकर धनराशि का बंटवारा किया गया। उक्त मरम्मत में 2 माह की अवधि लगना विचारणीय है। अतः उक्त मामले की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा कराई जावे।

विस्तृत जांच करवाई जाने पर ऐसे एवं इससे भी घृणित काण्ड राज्य में बहुतायत से मिलेंगे। यदि संघ की मांग के औचित्य को देखकर कार्यशाला का निर्माण

अथवा गठन जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर तथा हनुमानगढ़ स्तर पर किया जाता तो इस प्रकार के अपव्यय पर हुई भारी धनराशि की लूट को रोका जा सकता था।

6. **अयोग्य एवं कन्डेम वाहनों की स्थिति :**

विभागीय वाहनों के अयोग्य हो जाने अथवा उनके स्थान की पूर्ति नवीन वाहन से हो जाने की अवस्था में उन्हें किस प्रकार उपेक्षित-सा डाल दिया जाता है। यह कार्मिक स्थिति हृदय को अन्दर तक छू जाती है। विभागीय प्रशासन का जंगलीपन खुलकर सामने आता है और राज्य की गरीब जनता की गाढी कमाई का यह बदशी मखोल क्षमा योग्य नहीं माना जाना चाहिये। संघ ने कुछ मामलों को देखने पर प्रयत्न किया है। विशेषकर जयपुर नगर एवं आसपास। उन वाहनों की दुर्दशा का विवरण देने से पूर्व हम उन तथ्यों की जानकारी भी देनी चाहेंगे जो लापरवाही के चर्म सी बिन्दु है।

1. वाहन को कन्डम अथवा अयोग्य किये जाने का निश्चित आधार होना चाहिये, परन्तु विभाग में केवल वाहन स्ट्रक्चर भी है। क्या वह अयोग्य अथवा कन्डेम वाहन की श्रेणी में आवेगा।

2. राजकीय वाहन को कहीं भी डाला जा सकता है अर्थात् इस अयोग्य वाहन के लिये निश्चित स्थान नही है।

3. अयोग्य वाहन की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। सभी वाहन का आधे से अधिक कलपुर्जा सामान निकाला जा चुका है।

4. अयोग्य वाहन की व्यवस्था के अभाव के कारण वाहन का कार्यभार किस पर होता है। यह पता लगाना भी कठिन होता है। प्रायः कार्यभारकर्ता अपने उस वाहन की जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर पाता।

5. अयोग्य अथवा कन्डेम वाहन को अयोग्यता के प्रमाण पत्र के पश्चात् भी मरम्मत कराकर काम में लिया जाता है।

6. कन्डेम एवं अयोग्य वाहन की फैक्ट्री, टूल्स, स्टेपनी एवं अन्य सामान का विवरण न रखना।

7. **अयोग्य अथवा कन्डेम वाहनों की दुर्दशा :**

विभागीय प्रयोग्य अथवा कन्डेम किये गये वाहनों की दुर्गति जाने बूझकर बेरहमी से साथ की गई है और की जा रही है। मैं इसका आरम्भिक विवरण इस विश्वास के साथ आपको दे रहा हूं कि आप इसका अवलोकन स्वयं करें और उस विपुल धनराशि की हानि की भी जांच कराये, जो इन राजकीय वाहनों को

यथा समय एवं नियमानुसार नीलाम न कराये से राज्य सरकार को उठानी पड़ी है। यह सिलसिला इतनी बड़ी हानि के बाद भी निरन्तर जारी है। इससे विभागीय कार्य प्रणाली का मूल्यांकन भी होगा।

1. तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक स्वर्गीय श्री एन. एन. सैन द्वारा वर्ष 1953 के पश्चात् 10 ट्रक बेडफोर्ड, 4 लेन्डरोड क्रय किये गये थे। परन्तु इन वाहनों की स्थिति विवरण कतई स्पष्ट नहीं है। इन वाहनों में कितने वाहन कन्डेम किये जाकर विक्रय किये गये अथवा अभी भी कितने कन्डम अवस्था में पड़े मड़ रहे हैं। यही अवस्था वर्ष 1953 से 1983 के मध्य क्रय किये गये राजकीय छोटे-बड़े वाहनों की है। नवीन वाहन का आवंटन कर दिया जाता है परन्तु पुराने वाहन के बारे में किसी प्रकार का विवरण विभागाध्यक्ष के पास नहीं होगा। उक्त अवधि के वाहन अयोग्य हुए कहां-कहां पड़े रहे और कितनी अयोग्य अवधि की दुर्गति सहकर इन्हें नीलाम अथवा विक्रय किया गया और इस दुर्गति काल में कितने कलपुर्जे आदि की लूट इन्हें सहन करनी पड़ी आदि-आदि उत्तरदायित्वों का जवाब विभागाध्यक्ष को देना होगा।

1. जयपुर मण्डल :

रामनिवास बाग के वन परिसर में अब से कुछ काल पूर्व निम्न वाहन वर्षों से अस्त-व्यस्त अवस्था में पड़े थे। उक्त वाहन किस चालक, स्टोर-कीपर अथवा अधिकारी के चार्ज में थे। एक रहस्य की अजूबी स्थिति थी। ये वाहन नियमानुसार कन्डेम कराये गये अथवा अयोग्य मानकर डाल दिये गये थे इसका भी विवरण नहीं मिल पाया। ये वाहन निम्न प्रकार हैं :—

क्र० सं०	वाहन किस्म	वाहन नम्बर	विवरण
1.	हकदा जीप	आर.जे.एस. 740	टूल्स एवं पुर्जों रहित
2.	,,	आर.जे.जेड. 46	अस्त-व्यस्त जिनमें भारी तोड़-फोड़ की गई।
3.	,,	आर.एस.एल. 8842	,,
4.	,,	आर.आर.एल. 986	,,
5.	,,	आर.जे.वाय. 3782	,,
6.	,,	नम्बर प्लेट नहीं है	,,
7.	बस	,, ,,	,,
8.	मोटर साइकिल	,, ,,	,,

सुना गया है कि जयपुर जू के निर्माण के समय एक तथाकथित कमेटी के माध्यम से गैर-जिम्मेदारी के साथ मंडल वन अधिकारी, जयपुर पूर्व ने पत्रांक भंडार/मवअ/3665 दिनांक 16-4-83 द्वारा ग्रास फार्म नर्सरी में वहाँ के कार्यरत फोरेस्ट गार्ड श्री श्याम सुन्दर को सम्भला दिया।

उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि इस तथाकथित निस्तारण समिति ने वाहनों की वास्तविकता एवं वर्तमान पर किस प्रकार विचार किया वस्तु-स्थिति विवरण स्पष्ट नहीं है। मूल वाहन के टूल्स, स्टेपनी, हुड, बैक शीट एवं अन्य यांत्रिक आधार का मूल्यांकन किया गया अथवा नहीं। उक्त तथाकथित समिति में अधिकृत विशेषज्ञ के रूप में राजस्थान मोटर गैरेज का प्रतिनिधि भी था अथवा नहीं। इस प्रकार के अवांछित प्रकरण की जाँच होनी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार का यह रूप उजागर हो सके।

आज भी मण्डल वन अधिकारी के रामनिवास बाग स्थित परिसर में दो वाहन अयोग्य पड़े हैं।

(क) जीप आर.जे.जेड. 4762 अजमेर वन मण्डल की है, इसे बहुत अर्से पूर्व कन्डेम कर दिया गया था। परन्तु तत्कालीन मण्डल वन अधिकारी, जयपुर श्री वी. एन. प्रधान, ने उक्त कन्डेम जीप को पुनः मरम्मत कर चला गया था। यह वाहन अयोग्य अवस्था में है।

(ख) जीप आर. जे. आर. 4173 झालावाड़ वन मण्डल की है। यह वाहन 1966, 1980 तक अर्थात् 17 वर्ष की लम्बी अवधि तक कार्यरत रहा। वर्तमान में उक्त वाहन वहां खड़ा है। नियमानुसार कन्डेम की है अथवा नहीं और किसके चार्ज में है यह भी स्पष्ट नहीं है।

उक्त उदाहरण से स्पष्ट होगा कि वाहन को जब चाहे कन्डेम कराया जा सकता है और उसके पश्चात् भी नियम विरुद्ध ठीक कराकर पुनः कार्य में लिया जा सकता है। इसके साथ ही यह प्रश्न भी उभरता है कि वाहन 24 वर्ष तक भली प्रकार कार्य कर सकता है तो इस गुणवत्ता को क्यों नजर अन्दाज किया जाकर प्रतिवर्ष वाहन खरीद पर राज्य की भारी राशि को निष्क्रिय बनाया जा रहा है। ये बिन्दु विशेष रूप से आपके विचारार्थ इस विश्वास के साथ दे रहा हूं कि अनावश्यक खरीद समाप्त की जाकर वाहन के संधारण स्तर में सुधार कराया जाये।

2. ग्रास फार्म नर्सरी :

खेमकरण क्षेत्र में भारत पाक के दौरान पेन्ट्न टैंकों का काम अमरीकियों एवं पाकिस्तानियों का दिल गहराई तक दिला गया था। उससे भी अधिक विभागीय वाहनों का दृश्य ग्रास फार्म नर्सरी में देखकर आपको भी पीड़ा देगा। इसमें सन्देह नहीं है क्योंकि यह कारनामा देश के दुश्मनों का नहीं है। वरन घर के अपने कहे जाने, हमारी अर्थ-व्यवस्था को स्पष्ट करने वाले दुश्मनों का है जिन पर काम और मुल्क जिम्मेदारी की जवाब देखी है कितना खोखला लगता है यह दावा ?

ग्रास फार्म नर्सरी पर 16 वाहन इस समय हैं परन्तु बहुत वर्षों से 5 ट्रक, 1 ट्रैक्टर एवं लैण्डलीवर लावारिश की तरह पडा हुए है, जिन पर नम्बर प्लेट भी हटा दी गई है। लैण्ड रीवर का भी मात्र कुत्ता है। गेयर एवं पहिया नदारद है। यही स्थिति कमोवेश इन सभी 16 वाहनों की है जिनका सामान्य यांत्रिक सामान गायब है। उक्त वाहनों को नियमानुसार क्यों कण्डम कराया जाकर राजस्थान मोटर गैरेज द्वारा नीलाम नहीं कराया गया, जाँच का विषय है। इस विपुल राजकीय धन हानि का पता लगाना विभागाध्यक्ष एवं श्रीमान का सिद्ध दायित्व है।

वन भवन परिसर—जीप आर. आर. एम. 5095 एवं एफसी 1347 भी वाहन भवन छोटे से परिसर में आयोग्य कर डाले हुए हैं। हालांकि अन्य राजकीय वाहनों की नीलामी प्रतिवर्ष की जाना राजस्थान मोटर गैरेज का नियम है परन्तु विभागीय उक्त वाहन जो 54 मॉडल का नीलाम न होना सन्देहजनक है।

4. जलेबी चौक वन प्रांगण :—

यहाँ तीन जीप एवं दो जीप ट्रॉली लावारिस अवस्था में पड़ी हैं। जीप आर. जे. वी. 4382, आर. आर. एम. 5091, आर. जे. क्यू. 9915 में से आर. जे. क्यू. 9915 एवं दो ट्रोली की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हैं। यह किस अधिकारी का वाहन है और किसके चार्ज में है। इन अयोग्य पड़े वाहनो की आंधी-पानी, धूप आदि से तो हानि पहुंचाती है, साथ ही कल पुर्जो की चोरी द्वारा भी हानि पहुंच रही है। बंदरों द्वारा फोडे गये हूंड व सीट की प्रति वाहन लागत 1200-1300 रु. उल्लेखनीय है कि अन्य हानि कितनी विपुल होगी।

जलेबी चौक वन प्रांगण में हालांकि संघ की मांग पर 2-3 वर्ष पूर्व गैरेज का निर्माण कराया गया था और उस गैरेज में 2-3 जीप आसानी से रखी जा सकती हैं। परन्तु मजेदार बात यह है कि यहां कि 3-4 नियमित जीप इसमें न खड़ी की जाकर बाहर खुले में रखी जाती है। कार्यालय समय में भी 2-3 साईकिलों के अतिरिक्त यह गैरेज खाली ही रहता आया है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वाहन में राजकीय हानि जान बुझकर कराई जाती है। जिनकी वसूली इन प्रशासनिक अधिकारियों से ही वसूल योग्य है।

5. कोयल डिपो शास्त्री नगर:—

यहां वर्षों से एक जीप बिना नम्बर प्लेट लावारिस सी पड़ी है। यह वाहन किस अधिकारी का है और कौन यहां छोड़ गया है स्पष्ट नहीं है। उक्त वाहन किसी के चार्ज में हो, यह भी भला कैसे स्पष्ट हो सकता है। गैर जिम्मेदार की उचाइयों को छूने वाली मिसाल हैं। इससे एक प्रश्न और उत्पन्न होता है—ज्वलन्त प्रश्न।

क्या यह संम्भव नहीं है कि इस तरह राजकीय वाहनों को लापता करा दिया जावे अथवा चोरी छिपे अवाञ्छनीय कार्यों में गलत तरीके से धन अर्जित का साधन बना लिया जावे। उक्त दोनों सम्भावनाएँ सत्य के बहुत करीब है। अतः नये पुराने समस्त विभागीय वाहनों की जांच कराई जावे ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके और इसका निपटारा किया जा सके।

6. राजधानी में वन प्रशासन का जब यह स्वरूप है तो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उसका विकृत रूप ही होगा। राज्य का प्रशासन कभी शहर से गांवों की ओर चल देता हैं कभी गांव से शहर की ओर। कृपया इस प्रशासन को वन विभाग की ओर भी तो लाइयेगा। जहां यथार्थ का दर्शन कर प्रशासन कृतार्थ हो जावे।

7. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में राजकीय वाहनों की कुछ आंशिक स्थिति निम्न प्रकार है:—

मंडल	वाहन	संख्या	स्थिति
1. बून्दी	ट्रक	1	अयोग्य एवं लावारिस
2. भरतपुर	ट्रक	2	,, ,,
3. जोधपुर	ट्रेक्टर	1	नर्सरी में 1957 से पडा है चेसिस एवं ईंजन मात्र हैं।
4. बीकानेर हनुमानगढ़	यहा काफी तादाद में वाहन पडे है वाहन विभिन्न स्थानों पर लावारिस पड़े हैं।		
5. व्यापार योजना से भर विभिन्न क्षेत्रों ये वर्षों से	20-25 वाहन अयोग्य पडे हुए है हालांकि 1983-84 में इस योजना से बहुत सारे वाहन नीलाम कराये गये है, ये क्यों रोक लिये गये, स्पष्टीकरण योग्य है।		

श्री ए. वी. माथुर, आई. एफ. एस. वन संरक्षक के रूप में किस दायित्व का निर्वाह करते है। जबकि इतने वाहने अयोग्य पडे हैं और उनका नीलाम नहीं कराया जा रहा है।

8. विभागीय भंडार :—

विभाग में निर्धारित प्रणाली द्वारा कार्य करने-कराने का बहुत अभाव है और यह अवस्था मनमानी के विकृत दौर में प्रकाष्ठ पर है। मेरा विश्वास एवं दावा है कि यदि 10-15 वर्ष के विभागीय स्टोर्स की वास्तविक खरीद एवं वितरण की राज्य स्तर पर जांच कराई जाये तो ऐसे सैकडों प्रकरण आपके सामने आवेंगे

जिनमें राजकीय सम्पत्ति की चंगेजी लूट मची है और आवाज नहीं हुई। यहां विभागीय चंगेज समायोजन, हेरा फेरी और मिली भगत आदि नये पुराने दांव पेचों के माहिर हैं जिससे मामला उठने से पूर्व अथवा उठते ही दम तोड़ देते हैं। लूट की आवाज कहां से आये।

विभागीय व्यवस्था में स्टाक संगणक (स्टोर वेरीफाई) का अभाव विभागीय स्टोर की बहुत बडी कमी है। यही कारण है कि अब तक जो खरीद की जाती रही उसमें माल के किस्म, माप-तोल इत्यादि पर कथनी-करनी में बहुत अन्तर रहा है और विभाग में ऐसा कोई प्रभाग नहीं है जो खरीद की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं विवरण रख सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि सभी खरीद भ्रष्ट आचरण एवं मनमानी से खरीदी एवं वितरित की जाती रही हैं। और राजकीय धनराशि जो विकास कार्यो में व्यय होनी चाहिये थी भ्रष्ट लोगों की जेबों में चली गई। विभागीय वाहनों के लिये अब कितनी वेटरीया एवं टायर खरीद किये गये और पुराने टायर एवं बेटरिया पुराना सामान की कितनी नीलामी की गई। वास्तविकता को समझाने एवं उक्त सामान के क्रय-विक्रय के अन्तर से वन प्रशासन को समझने के अवसर आपके समक्ष है। आपका विवेक आपको क्या सलाह देता है। यह निष्कर्ष निम्न उदाहरणों के पश्चात् भी कर सकते हैं।

1. वर्ष 1950 में लगभग जब स्वर्गीय श्री महेन्द्र प्रकाश माथुर (आई. एफ. एस.) स्विटजरलेन्ड से नये नये आये थे तो उन्होंने विभागीय आवश्यकताओं के लिये आधुनिक वैलिंग प्रेस मशीनें (इंगलिश) बड़ी साईज गास कटिंग मशीन, सफेद तार, वल्कनाईज 45 लगभग बन्डल इत्यादि सामान क्रय कराये थे। परन्तु उक्त सामान आज भी पेटियों में बन्द पड़ा हुआ है और सुना गया है कि इनके इन्द्राज स्टोक रजिस्टर में भी नहीं है। यदि यह सत्य के समीप हो इससे बड़ी अन्धेर गर्दी क्या हो सकती है।

2. रिसोर्सेज सर्वे योजना के अधीन वर्ष 71-72 में नई खरीद के अन्तर्गत भारी धनराशि से बड़े-बड़े लोहे के सन्दूक, कीमती ताले, फोल्डिंग लोहे एवं लकड़ी के पलंग, सर्वे सामान, फर्नीचर इत्यादि क्रय किये गये थे। बाद में उक्त योजना को समाप्त कर दिया गया जिसका समायोजन पत्ता तेन्दू योजना में कर दिया गया। यदि रिसोर्सेज सर्वे एवं पत्ता तेन्दू योजना के समायोंजन से पूर्व एवं पश्चात् विभागीय स्टोर की वास्तविकता जानना चाहेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि मूल क्रय सामान की शक्ल-सूरत और आकार-प्रकार में जमीन आसमान का फर्क हैं। यही नहीं, कितना ही सामान तो किसी भी रूप में नहीं रहा।

4. साहिबी नदी परियोजना के लिये वर्ष 1983 में क्रय किये गये ट्रक चेसिस से, योजना के शाहपुरा कार्यालय से, चार नये टायर मय रिम के निकाल लिये गये। जिनका अभी तक पता नहीं चला। यह पहला प्रकरण हो, ऐसा भी नहीं, इससे पूर्व कार्यालय के पंखे भी गायब हो गये हैं। इसका भी अभी तक पता नहीं है।

5. झालाना (जयपुर) नर्सरी से भी इसी वर्ष 1983 में ट्रक चेसिस से दो नये टायर मय रिम के उड़ा दिये। इनका भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला।

6. इसी प्रकार गत 5 वर्षों में दो टाईपराईटर मुख्य वन संरक्षक एवं एक विभागीय कार्य वृत, जयपुर के चोरी जा चुके है। परन्तु आज तक इस हानि का पता नहीं चला है।

ये ऐसे प्रकरण है कि जो पटरी से हटकर सोचने को विवश करते है और तब तक करते रहेंगे जब तक ईमानदारी और स्वच्छ प्रशासन उभर कर आगे नहीं आयेगा।

7. विभागीय उच्चाधिकारियों के कार्य कलापः—

राज्य को स्वच्छ प्रशासन मिल पायेगा—इसमें बहुत सन्देह है। क्योंकि जिन अधिकारी वर्ग पर मुल्क और कौम की तरक्की का दारोमदार है, वह सक्षम साधन-सम्पन्न और सुख सुविधाओं से भरपूर वर्ग ही अराष्ट्रीय कार्यों भ्रष्ट आचरणी में भागीदार पाया जाये तो कौम और मुल्क का ईश्वर मालिक है। यह विडम्बना है कि भ्रष्ट एवं कुख्यात से अधिकारी जिन्हें जेल में सड़ना चाहिये था वे आज ऐसी आराम की जिन्दगी ही नहीं जी रहे है वरन ले दे की काली नीतियों के आधार पर लगातार पदोन्नतियाँ भी लेते जा रहे हैं। यह भारतीय गणतंत्र से ही संभव है। ऐसे ही विभागीय हीरो हैः—

1. श्री ओ. पी. माथुर, आई. एफ. एस. तत्कालीन मंडल वन अधिकारी, चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़ के कत्था कान्ड के कुख्यात चंगेज खां हैं और वर्तमान में कई पदोन्नतियां प्राप्त कर विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों में है।

2. श्री एच. सी. गुप्ता, आई. एफ. एस. 1974-75 के तहलका मचा देने वाला कोटा पत्ता तेन्दू काण्ड के दूसरे लुटेरे चंगेज खाँ। तीन लाख से

अधिक पत्ता तेन्दू संग्रह कांड की इन लूट में आपके कुख्यात सिपहसाला श्री बी. एम. अग्रवाल, आई. एफ. एस. एवं श्री पी. पी. गुप्ता. आर. एफ. एस. धूर्त एवं धुरन्दर सहयोगी रहे है ।

3. श्री जी . एस. गुप्ता, आई. एफ. एस. सिरोही गोन्द कान्ड के तीसरे धूर्त चंगेज । ये काफी अरसे तक निलम्बित भी रहे हैं । इनके उक्त निलम्बित सेवाकाल में मगरमच्छी आंसू बहाकर दूसरों की सहानुभूति लेने के इनके इरादे किसी से छुपे हुए नहीं हैं ।

4. श्री मानमल जैन, आई. एफ. एल, कोटा कत्था काण्ड निर्लज्ज एवं कुख्यात चौथे चंगेजी । जो आज भी पैसा और ऐडी-चोटी का जोर मामले को दवाने में लगा रहे हैं ।

5. श्री लक्ष्मणसिह, आई. एफ. एस, भरतपुर के कुख्यात काण्ड पथ भ्रष्ट पाचवें चंगजी । जो पदोन्नति से वंचित रह गये हैं ।

6. श्री वी. के. पुरी, आर. एफ. एस. बीकानेर कान्ड के लिये ही कुख्यात नहीं हैं वरन विभागीय लुटेरी में यदि इन्हें सिसमोर कहा जावे तो अति-श्योक्ति नहीं होगी । अपनी करनी का परिणाम इन्हें यो ही भोगना पडा कि आपसे कनिष्ठतम दो आई. एफ. मुख्य वन संरक्षक के पद पर चले गये, जवकि आप आई. एफ. एस. भी नहीं बन सके, और पदोन्नति से वंचित रहकर अंत में सेवा निवृत्ति हो गये ।

इतने बड़े काण्ड के पश्चात् भी तेन्दू पत्ता योजना के संग्रह कलाप में कोई सुधार आया हो–आवश्यक नहीं है । अलवत्ता लूटमार की टेकनिक में अवश्य परिवर्तन हुआ प्रतीत होता है । पत्ता तेन्दू संग्रह कार्य 1974–75 से चल रहा है जिसकी कुछ प्रणाली भी वैसी ही है । अतः 1974 से 1983 तक के किसी भी ठेकेदार के किसी भी सीजन के फार्म नं. 6 लांच हेतु कम से कम 10-15 फार्म लिये जावे तो जांच के पश्चात् लगभग 40 प्रतिशत जाली अंगूठे एवं हस्ताक्षर मिल जावेंगे । विशेष रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा एवं झालावाड़ ऐसे ही कार्यक्षेत्र हैं ।

तथा कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर, उपवन संरक्षक अधिकारी पूर्वी वृत्त, जयपुर और उप वन संरक्षक अधिकारी, व्यापार योजना, जयपुर के तीनों स्टोरों की आप अगर जांच करेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि जैसे वेटरिया, पुराना सामान, टायर आदि में काफी घोटाले का पता चलेगा ।

कृपया उपरोक्त घोटालों की तुरन्त जाँच करवायें ताकि करोड़ों रुपयों के घोटालों का पता चलेगा तथा राजकीय राशि का दुरुपयोग होने से रोका जा सके।

राजस्थान राज्य वाहन चालक तकनीकी कर्मचारी संघ

(वन विभाग)

मांग-पत्र

1. वन विभाग में राजकीय वाहन बहुतायत में है जैसे–ट्रक, टैंकर, टैक्टर ट्रोलिया (छोटी-बड़ी) जीप, कार एवं मोटर साइकिलें हैं। परन्तु इन वाहनों के संधारण को कोई उचित एवं नियत व्यवस्था नहीं है, फलस्वरूप राष्ट्रीय निधि की हानि एवं बिखराव हो रहा है। राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा एवं उचित व्यवस्था के हित में विभागीय कार्यशाला (वर्कशाप) का निर्माण क्षेत्रीय स्तर पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं कोटा में किया जावे। विभागीय पुराने एवं निरस्त वाहन वर्कशाप में रखे जावें।

2. पुराने एवं निरस्त राजकीय वाहन भी विभागीय वाहन चालक के ही चार्ज में रखे जाते है परन्तु इन वाहनों के रखने का नियत एवं सुरक्षित स्थान न होने से प्रायः इनके कल-पुर्जे निकल जाते हैं और इसके लिए सम्बन्धित वाहन चालक को आरोपित किया जाता है। अतः राजकीय पुराने एवं निरस्त वाहनों का स्टोर के अधीन रखा जावे ताकि वाहन चालक तनाव रहित होकर अपनी ड्यूटी दे सकें।

3. राजकीय वाहन सम्बन्धित कार्यालयों में न रखे जाकर सम्बन्धित अधिकारी अपने निवास स्थान पर रखते हैं और वाहन की चाबी भी उन्हीं के पास रहती है। ऐसी अवस्था में वाहन का दुरुपयोग सम्भावित है, जबकि वाहन की सुरक्षा एवं दायित्व ये अधिकारी कदापि वहन नहीं करते। यही नहीं आकस्मिक दुर्घटना एवं लाग-बुक की कार्यवाही की पीड़ा भी वाहन चालक को वहन करनी पड़ती है।

अतः इस अनुचित व्यवस्था को समाप्त किया जावे और एक पूल की व्यवस्था की जावे ताकि वाहन एवं वाहन चालक व्यवस्थित से अपना कार्य अंजाम दे सके और अनियमितताओं पर अंकुश लग सके।

4. विभाग में वाहन चालक संवर्ग एक घुटन भरा संवर्ग है, जिसे जहां नियुक्ति मिलती है उसी पद से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है जबकि वाहन चाहक को स्थिर रखा जा रहा है–कितना भयानक मजाक है?

अतः विभाग में वर्कशाप एवं पूलों का क्षेत्रीय स्तर पर निर्माण कराया जाकर चालक संवर्ग को पदोन्नति के अवसर दिलाये जावें।

5. विभाग में वाहन तो अधिक है जबकि वाहन चालक कम है, ऐसी अवस्था में वर्कचार्ज वाहन चालक रखे जाते हैं। यह नियमों के विरुद्ध है। यह न राज्यहित में है और न कर्मचारी हित में है। विभागीय अनुभव है कि वर्कचार्ज/कर्मचारी दुर्घटना होने पर लाभ से वंचित रहता है, वही उसका परिवार नष्ट हो जाता है।

अतः विभागीय समस्त वर्कचार्ज चालकों को नियमित किया जावे। और भविष्य में वर्कचार्ज चालक को वाहन का कार्यभार न दिया जावे

6. विभाग में भारी वाहनों पर क्लीनर की अनिवार्यता को स्वीकारा तो गया है, परन्तु उनकी सेवा को मान्य नहीं किया गया और उन्हें वर्कचार्ज के रूप में रखा जाता है।

अतः उक्त व्यवस्था समाप्त की जावे तथा क्लीनर को संवर्ग के अधीन मान्य किया जावे एवं वेतन शृंखला दी जावे। चालक के पद पर पदोन्नति का प्रतिशत इसी संवर्ग से रखा जावे।

7. वाहन चालक के पद रिक्त होते हुए भी वरिष्ठ चालक का स्थानान्तरण किया जाकर वर्कचार्ज चालक को उसका कार्यभार दिलाया जाना गैर-कानूनी एवं चालक को तंग व परेशान करना है। इस प्रकार की अनुचित कार्यवाही बंद की जावे और श्री राधाकिशन, चालक का स्थानान्तर पुनः उसी पद पर किया जावे। संघ चालकों के प्रति इस प्रकार की विद्वेषपूर्ण कार्यवाही कभी सहन नहीं करेगा।

8. विभाग में देखा गया है कि अधिकारी अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके वाहन चालक की गैर मौजूदगी में उसके वाहन से कल-पुर्जे निकलवाकर अन्य वाहन में लगवा लेते हैं। इस प्रकार की गैरकानूनी और गैर जिम्मेदाराना कार्यवाही बंद की जावे तथा ऐसे अधिकारियों को दण्डित किया जावे।

9. राज्यादेश है कि एक जिले से दूसरे जिले में वाहन राज्य सरकार की बिना अनुमति के नहीं ले जाये जावें, परन्तु वन अधिकारी उक्त आदेश की परवाह नहीं करते। अतः विभागीय निर्देश द्वारा स्पष्ट कार्यवाही की जावे।

ह०/–

दिनांक :–21–9–81

(सत्यनारायण पारीक)
संयोजक
वन वाहन चालक कर्मचारी
संघ, जयपुर।

परिशिष्ट–4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

नवजीवन योजना के अन्तर्गत नई जीपों की खरीद

48. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल)
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने नवजीवन योजना के अन्तर्गत 78 पंचायत समितियों को नई जीपें खरीद कर दी थी और प्रत्येक जीप के साथ लगभग दस हजार की असेसरीज के दस किस्म के सामान भी देने थे ?

(2) क्या यह सही है कि जीपों के साथ असेसरीज नहीं देने की शिकायत होने पर विभाग द्वारा जांच कराई गई थी और सभी पंचायत समितियों ने यह रिपोर्ट भेजी कि उन्हें जीपों के साथ असेसरीज नहीं दी गई हैं ?

(3) यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है ? राज्य सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है और पंचायत समितियों की जीपों को अब कब तक असेसरीज उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हाँ । प्रत्येक जीप के साथ जो असेसरीज दी जानी थी, उसका ब्यौरा डिलीवरी रसीद में दर्ज है। इनमें छः एसेसरीज अर्थात् जैक, व्हील रिंच, प्लायर स्क्रू ड्राईवर डब्ल एण्ड स्पेनर एवं स्पेयर व्हील टायर एवं ट्यूब सहित सम्मिलित हैं । इनका मूल्य डिलीवरी में दिखाया नहीं गया है ।

(2) जी हाँ । जाँच चल रही है । अब तक की जांच से 55 पंचायत समितियों को पूरा सामान दिया जाना तथा 15 पंचायत समितियों को दिये गये सामान में कुछ कमी पाई गई है । 8 पंचायत समितियों में इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) जांच चल रही है । जांच पूर्ण होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

पुलिस थानों में मृत्यु

49. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रांत के विभिन्न थानों में 14 जुलाई, 1981 से एक सितम्बर, 1984 तक कितने लोगों की मृत्यु हुई ? कृपया थानानुसार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) विभिन्न थानों में हुई मृत्यु में कितनों को आत्म हत्या माना गया व कितनों को पुलिस की ज्यादती का कारण माना गया ?

(3) क्या उक्त हत्याओं में लिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध चालान पेश किया गया ?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यदि हां, तो कौन-कौन से केस में ? उनमें से कितनों में सजा हुई ?

उत्तर

(1) प्रान्त के विभिन्न थानों में इस अवधि में हुई मृत्युओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आत्म हत्या के केवल दो ही मामले जांच से पाये गये व 5 मामलों में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध केस रजिस्टर किये गये।

(3) एक मामले में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, जो थाना खैरोदा जिला उदयपुर में मोहनसिंह की मृत्यु से सम्बन्धित है। यह अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

पुलिस थानों में हुई मौतों की सूची :—

क्र. सं.	जिला	थाना	नाम मृतक
1	2	3	4
1.	जोधपुर	सदर कोतवाली	प्रीतमसिंह
2.	गंगानगर	सूरतगढ़	भंवरिया
3.	कोटा सिटी	कोथूनीपोल	हुकमचन्द
4.	सवाई माधोपुर	कैला देवी	भन्ता
5.	जयपुर ग्रामीण	गोविन्दगढ़	बद्री
6.	बांसवाडा	कुशलगढ़	कमजी
7.	उदयपुर	खैरोदा	मोहनसिंह
8.	कोटा ग्रामीण	कनवास	छीतर भील
9.	जोधपुर	सूरसागर	छोटिया
10.	अजमेर	नसीराबाद	मु० सुन्दरी
11.	भीलवाड़ा	कोतवाली	बाबू खां
12.	चितौड़गढ़	अरनोद	बग्गाजी
13.	झुन्झूनु	सूरतगढ़	महेन्द्र
14.	सिरोही	सिरोही	फैजूभाई

जयपुर में नगर निगम की स्थापना

50. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की कुल जनसंख्या वर्तमान में कितनी है तथा नगर निगम की स्थापना करने के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है ?

(2) क्या जयपुर नगर की जनसंख्या निगम बनाये जाने के लिए पर्याप्त है ? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार जयपुर नगर परिषद् के स्थान पर नगर निगम की स्थापना करके चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर की जनसंख्या वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 9,77,165 है। नगर निगम की स्थापना के लिए जनसंख्या का मापदण्ड निश्चित नहीं है।

(2) जयपुर नगर परिषद के स्थान पर नगर निगम बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर नगर की त्रिपोलिया बाजार स्थित दुकानें

51. श्री समरथलाल मीणा (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर के त्रिपोलिया बाजार की मेन दुकानों में से सरकार के स्वामित्व की कुल कितनी दुकानें हैं और उनमें से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सीधे देख-रेख में कौन-कौन-सी दुकानें किस-किस नाम से किस-किस व्यापारी को कब-कब कितने-कितने किराये से कितने वर्षों से किराये पर दे रखी हैं ?

(2) क्या यह बात सही है कि इनमें से कुछ दुकानों को उन्हीं दुकानदारों को मात्र रु. 7000/- में बेची गई है तथा वहीं आस-पास की दुकानें विभाग द्वारा वर्ष 1980 में एक की कीमत रुपये 93,510/- तथा वर्ष 1983 में 1,87,670/- रुपये की कीमत आंकी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि ये दुकानें कई पीढ़ियों से उन दुकानदारों के पास हैं ? क्या विभाग उनको उचित कीमत पर देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह भी सही है कि विभागीय लापरवाही एवं मरम्मत के अभाव में कई दुकानें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है ?

(5) विभाग द्वारा गत 10 वर्षों में किस-किस जीर्ण-शीर्ण दुकान पर कितनी-कितनी राशि मरम्मत कार्य पर कब-कब खर्च की गई ?

(6) त्रिपोलिया बाजार की दुकानें सार्वजनिक निर्माण विभाग के किस खण्ड के अधीन आती हैं ? गत 10 वर्ष में इनकी देखरेख किस खण्ड ने की ?

उत्तर

(1) वर्तमान में 27 दुकानें सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्वामित्व में हैं जिसकी सूचना सदन के पटल पर रख दी गई हैं। (प्रपत्र "अ")

(2) राजस्थान बनने से आज तक त्रिपोलिया बाजार की कोई भी दुकान 7000/- रुपये में विक्रय नहीं की गई है। दुकानों तथा सम्पत्ति का मूल्यांकन समय-समय पर होता रहता है। माननीय सदस्य द्वारा किसी दुकान विशेष का नम्बर आदि नहीं देने के कारण विवरण देना सम्भव नहीं है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्वामित्व की दुकानें काफी समय से किराये पर हैं। राजस्थान सरकार के स्वामित्व की नजूल सम्पत्तियों को विक्रय किये जाने की शक्तियां राज्य स्तर पर गठित अपेक्स कमेटी में ही निहित है जिन सम्पत्तियों को विक्रय करने का निर्णय अपेक्स कमेटी द्वारा ही दिया जाता है।

(4) जी नहीं।

(5) दुकानों की हालत ठीक है अतः कोई मरम्मत नहीं की गई।

(6) सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड प्रथम, जयपुर।

सूची "अ"

त्रिपोलिया बाजार में स्थित दुकानों की सूची जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग की देख-रेख में हैं और जिनका किराया प्राप्त हो रहा है व कुछ सम्पत्तियों के मामले न्यायालय में जेरकार हैं।

क्र. सं.	चौकड़ी/सम्पत्ति संख्या	किरायेदार का नाम	किराया प्रति-माह	किरायानामा किस दिन निष्पादन किया गया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	पी-62, सरहद	श्री बुन्दू खां पुत्र सुभान खां	186/-	फरवरी, 1980	
2.	पी-67, ,,	श्रीमती सूरजदेवी पुत्री दुर्गालाल	223/-	मार्च, 1980	
3.	पी-69, ,,	श्री मुन्नालाल जैन	140/-	नवम्बर, 1975	
4.	पी-68, ,,	श्री कोमलचन्द कैलाशचन्द	147/-	अप्रैल, 1980	
5.	पी-70, ,,	मैं० मदनलाल एण्ड ब्रदर्स	206/-	फरवरी, 1981	
6.	पी-71, ,,	श्री मदनलाल पुत्र देवीनारायण	26.75	मार्च, 1953	सम्पदाधिकारी के न्यायालय में मामला वास्ते बेदखली हेतु जेरकार है।

1	2	3	4	5	6
7.	पी-81, सरहद	मैं. राधाबल्लभ एण्ड सन्स	23.75	जयपुर रियासत के समय निलामी में किराये पर ली थी (1944)	16 नवम्बर, 1981 को संपदाधिकारी के न्यायालय से सरकार के विरुद्ध निर्णय हो चुका है पुनः दावा तैयार किया जा रहा है।
8.	पी-82, ,,				
9.	पी-65, सरहद	बोम्बे टैन्ट हाउस	192/-	सितम्बर, 1982	
10.	पी-86, ,,	मैं० देवकुमार गजकुमार	187/-	जनवरी, 1981	
11.	पी-87, ,,	मैं० गोपालदास बसन्त कुमार	180/-	जनवरी, 1980	
12.	पी-61, ,,	सीताराम	28.75	जनवरी, 1960	मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में जैरकार है।
13.	पी-72, ,,	प्रहलाद गैमानी	31.00	सितम्बर, 1953	सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में मामला वास्ते बेदखली जैरकार है।
14.	पी-63	श्री बल्लभ	24.00	नवम्बर, 1954	मामला जिला एवं सत्र न्यायाजय के यहां जैरकार है।

1	2	3	4	5	6
15.	पी-85 सरहद	श्रीमती रसालदेवी	28.00	1969	मामला जिला एवं सत्र न्यायालय के यहाँ जेरकार है।
16.	पी-64, ,,	श्री भैंरूबक्स	83,200/-	25% धनराशि प्राप्त हो चुकी है मामला अपेक्स में विचाराधीन है।	
17.	पी-66 ,,	इन्दरा एण्ड कम्पनी	95,850/-	मामला अपेक्स कमेटी में विचाराधीन है। 25% धनराशि प्राप्त हो चुकी है।	
18.	पी-73 ,,	श्री कन्हैयालाल पुत्र नारायण	84,800/-	84,800/- में बेचान का सौदा हुआ था। 1-1-1986 तक तीन किश्तें और प्राप्त की जानी हैं।	
19.	पी-76 ,,	श्री त्रिलोकनाथ मल्होत्रा	95,400/-	95,400/- में बेचान का सौदा हुआ था। 15-4-85 तक दो किश्तें और प्राप्त की जानी हैं।	
20.	पी-77 ,,	जयपुर टैन्ट हाउस	70,000/-	70,000 में बेचान किया जा चुका है परन्तु प्राप्त स्टाम्स अवधि बाहर हो जाने के कारण पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।	
21.	पी-78 ,,	श्री बेनीप्रसाद रामजीलाल	68,700/-	68,700 में बेचान किया जा चुका है व दिनांक 1-10-84 तक एक किश्त और प्राप्त की जानी है।	

1	2	3	4	5	6
22.	पी-79	श्री लक्ष्मणदास पुत्र छतुमल	1,55,200/-	1,55,200/- में बेचान किया गया था, बेचान की पूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। पंजीकरण कार्यवाही विचाराधीन है।	
23.	पी-80				
24.	पी-83	श्री गोपीनाथ पुत्र दुर्गालाल	83,200/-	83,200 में विक्रय किया जाना तय किया जा चुका है। दिनांक 1-2-86 तक चार किश्तें और प्राप्त की जानी हैं।	
25.	पी-84	कृष्ण मुरारी एण्ड कम्पनी	84,000/-	84,000/- में बेचान तय किया जा चुका है। बेचान की पूर्ण धनराशि प्राप्त हो चुकी है। पंजीकरण कार्यवाही जेरकार है।	
26.	पी-45	श्री मुरली ब्रदर्स	81,000/-	81,000/- में बेचान तय किया जा चुका है। दिनांक 16-5-85 तक दो किश्तें और प्राप्त की जानी हैं।	
27.	पी-46	श्री पुजारीलाल पुत्र घनश्यामदास	72,200/-	72,200/- में विक्रय का इकरारनामा किया गया, दिनांक 16-5-85 तक दो किश्तें और बकाया हैं जो प्राप्त की जानी हैं।	

टिप्पण :—कॉलम 4 में क्रम संख्या 1 लगायत 15 तक किराया है तथा 16 लगायत 27 तक बेचान राशि है।

ग्राम मूंगसका (अलवर) के निकट कुटीर हाउस में लगी भूमि का प्रकरण

52. **श्री जीतमल जैन (अलवर)** : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या वन विभाग द्वारा ग्राम मूंगसका (अलवर) के निकट कुटीर हाउस के साथ लगी जमीन श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल को सन् 1955 में ठेके पर दी गई थी ? क्या लक्ष्मी नारायण ने सन् 1956 में उक्त जमीन के खातेदारी हकूक अपने नाम करा लिये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा जमीन का अधिकार पाने हेतु न्यायालय में मुकदमा करने पर उच्च न्यायालय का फैसला दिनांक 4-2-1966 एवं उच्चतम न्यायालय का फैसला 20-9-1966 को वन विभाग के पक्ष में हुआ था ?

(3) विभाग द्वारा सन् 1966 से 1984 तक जमीन का कब्जा लेने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या उक्त जमीन का कुछ भाग श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा बिक्री कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो अब तक कितनी जमीन की बिक्री किन-किन व्यक्तियों के पक्ष में हो गई है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जमीन की बिक्री रोकने हेतु विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाये गये ? यदि हाँ, तो कौन अधिकारी इसके लिए दोषी हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, 1955 में ठेका दिया गया।

जी नहीं, श्री लक्ष्मीनारायण ने सन् 1963 में उक्त जमीन के गैर-खातेदारी हकूक अपने नाम करा लिये।

(2) जी हां।

(3) जमीन का कब्जा लेने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) इस सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

(5) जमीन की बिक्री के बारे में विभाग को जानकारी नहीं है जैसा कि पैरा 4 के उत्तर में अंकित किया गया है।

वन विभाग द्वारा भूमि का दखल लेने सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	विवरण/कार्यवाही	दिनांक
1.	श्री लक्ष्मीनाराण को इस जमीन पर काश्त करने मवेशी एवं घास काटने का 1955-56 में ठेका दिया गया	15-7-55
2.	ठेके की अवधि की समाप्ति	30-6-56
3.	श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा सहायक जिलाधीश की अदालत में इस्तगासा जिसमें उसने स्वयं को जमीन का खातेदार बताया फैसला उसके पक्ष में हुआ।	6-7-60
4.	उपरोक्त आदेश के विरुद्ध वन विभाग एवं तहसीलदार द्वारा अतिरिक्त आयुक्त जयपुर के न्यायालय में अपील की गई फैसला वन विभाग के पक्ष में हुआ।	15-11-61
5.	श्री लक्ष्मीनारायण ने उपरोक्त फैसले के विरुद्ध राजस्व बोर्ड में अपील की फैसला वन विभाग के पक्ष में हुआ (इस केस में तहसीलदार भी एक पक्ष था।)	14-5-62
6.	श्री लक्ष्मीनारायण ने उपरोक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की। फैसला वन विभाग के पक्ष में हुआ (तहसीलदार भी इस केस में एक पक्ष था)	4-2-66
7.	मण्डल वन अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले के आधार पर जिलाधीश से कब्जा हटाने के लिए निवेदन किया।	1-6-66
8.	उप मण्डल वन अधिकारी द्वारा तहसीलदार को धारा 91 के तहत कब्जा हटाने के आदेश जारी करने हेतु लिखा।	4-6-66
9.	सेटलमेंट विभाग ने श्री लक्ष्मीनारायण को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किया। वन विभाग इस कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं था। मुकदमा एक पक्षीय था।	1963

10. तहसील द्वारा सैटलमेन्ट विभाग द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण को और खातेदारी अधिकार देने के आधार पर धारा 91 के तहत कार्यवाही बन्द की गई।	3-1-1966
11. श्री लक्ष्मीनारायण ने उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सिविल लीव पिटीशन दायर की	
(I) श्री नानावटी सहायक सचिव को सरकार द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था।	10-10-66
(II) सर्वोच्च न्यायालय ने लीव प्रार्थना पत्र खारिज किया	20-9-66
(III) सर्वोच्च न्यायालय का फैसला विभाग की जानकारी में आया	1978
12. मण्डल वन अधिकारी के निवेदन के आधार पर जिलाधीश ने धारा 91 के अन्तर्गत कब्जा हटाने की कार्यवाही शुरू करने की सलाह दी।	15-9-78
13. वन विभाग द्वारा सहायक वन संरक्षक के न्यायालय में धारा 91 के तहत मुकदमा दायर किया।	4-10-1978
14. श्री लक्ष्मीनारायण ने सहायक वन संरक्षक के न्यायालय से मुकदमे को स्थानान्तरित करने की जिलाधीश से प्रार्थना की। जिलाधीश द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया।	—
15. श्री लक्ष्मीनारायण ने जिलाधीश के फैसले के खिलाफ राजस्व मण्डल अजमेर में अपील दायर की।	—
16. श्री लक्ष्मीनारायण ने सहायक जिलाधीश अलवर के यहाँ जमा बन्दी में स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का निवेदन किया। वन विभाग को इसमें पार्टी नहीं बनाया गया। वन विभाग ने इस हेतु जिलाधीश को निवेदन किया। अपीलार्थी का केस जिलाधीश द्वारा निरस्त किया गया।	16-1-1980
17. राजस्व मण्डल ने श्री लक्ष्मीनारायण के हित में बेदखली न करने का स्टे आर्डर दिया।	—

18. राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण में फैसला दिया गया तथा धारा 91 एल. आर. ए. के तहत कार्यवाही करने की सलाह दी। 3-2-83

19. धारा 91 के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक की अदालत में कार्यवाही शुरू की गई परन्तु श्री लक्ष्मीनारायण ने अतिरिक्त जिलाधीश की अदालत में केस दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त किया तदउपरान्त पत्रावली अतिरिक्त जिलाधीश को प्रस्तुत की गयी एवम पुनः प्रकरण 22/83 राजस्व मंडल अजमेर में दायर किया गया वो एडमिट हुआ एवम् अब इस प्रकरण में आगामी तारीख 9-11-84 नियत है इस प्रकरण से सम्बन्धित राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी डी. एल. आर. 44/80 भी विचाराधीन हैं जिसकी पेशी भी 9-11-84 नियत है।

———

अजमेर नगर में कुमारी शबाना बलात्कार प्रकरण से सम्बद्ध मेडिकल रिपोर्ट

53. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर के धान मण्डी स्थित कुम्हार मोहल्ले में 21 वर्षीय कुमारी शबाना के साथ दिनांक 27-4-1984 को हुए बलात्कार की डाक्टरी जांच कराई गई थी और प्रथम जाँच रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी ? यदि हां, तो सर्वप्रथम यह जांच किसने की थी ? कृपया इस जांच की मेडिकल रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इसी प्रकरण में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर के एक चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने कुमारी शबाना की जांच की थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि की थी ? यदि हां, तो इस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन थे ? कृपया बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच रिपोर्टों के निष्कर्षों में भिन्नता होने के क्या कारण है और सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। यह जांच डा. (श्रीमती) प्रभा लुहारिया, व्याख्याता स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित डाक्टर थे—

1. डा. आर. एन. झांझी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष सर्जरी, मेडिकल कालेज, अजमेर।

2. डॉ. (श्रीमती) पी. एल. गुप्ता प्रवक्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग, मेडिकल कालेज, अजमेर।

3. डॉ. बी. डी. कविया, व्याख्याता, फोरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल कालेज, अजमेर।

4. डॉ. (श्रीमती) पारस नवाल, व्याख्याता, पैथोलोजी, मेडिकल कालेज, अजमेर।

इस बोर्ड ने भी कुमारी शबाना के कथित बलात्कार की पुष्टि नहीं की। बोर्ड की रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) मामला "केमिकल एक्जामिनर" को रिपोर्ट हेतु भेजा गया है और रिपोर्ट के आने के पश्चात् ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। "केमिकल एक्जामिनर" की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

No. 787/1-5-84.

मैं अपनी अन्दरूनी जांच (P. V. Examination) **करवाने को तैयार हूँ।**

Case referred from Medical Jurist J.L.N. Hospital, Ajmer.

Name—Shabana D/o. Abdul Jamil

resident of Sarai Mohalla, Kashmiri Gate, Ajmer.

Case brought by—Smt. Janki No· 900, Constable.

Date & Time of Examination—1.30 P.M. on 28-4-84.

Marks of identification—

1. A scar on forehead about 1 Cm.
2. A rounded scar about IXI Cm. on Right. leg on ante.-lateral aspect about 4 inch from lat malidue.

on Examination.

Breast well developed, healthy axillary & pubic hair present.

No marks of injury over lower abdomen thighs or external genitalia Hymen torn, no sign of recent injury introcte admits one finger with difficulty Cervix & vagina healthy, Cervix down & backward uterus antiverted, antilined normal size from mobile, provix free vaginal swab & smear taken and sent for chemical examination.

Opinion—She is not habituated to sexual intercourse However final opinion can be given after chemical examiners report.

Sd/–
प्रभा लुहाड़िया
व्याख्याता
स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग,
मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय,
अजमेर

Seen
Sd./—
2–5–84
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग
कोर्ट नं० 2, अजमेर

MEDICAL BOARD EXAMINATION REPORT

Medical Board constituted, vide Supdt.·Letter No. 884 Estt-3/ F-5 dt. 3-5-84, examination of genitala for alleged rape.

Examination date and time : 8.30 a.m. on 4-5-84,

Place of examination : J. L N. Hospital, Ajmer.

Referred by : S.H.O.M.S. Ganj

Brought by : A.S.I. Banne Singh.

Name : Km. Shabana D/o. Abdul Jamil.

Resident of Sarai Mohalla, Purani Delhi.

Consent :—

मैं मेरे शरीर के अंगों की परीक्षा कराने की सहमति देती हूँ।

Sd./ R.T.I. of Shabana

N. I. 1.14 c.m. Linear transverse scar on fore head on its middle.

Marks of identification.

Examination : lenceral and local of genitalia.

Breast well developed and healthy. Axillary and pubic hairs present. No marks of recent injury over abdomen, thighs or external genital and breast. Hymen torn and old healed.

No Sign of recent injury.

Introctas admits 2 fingers easily and is patulong.

Corvignal vagina healthy. Cervie downward and backward uterus anteverted and antefloxed, normal size, firm, mobile, fornix free. Vaginal swab and smear taken for chemical examination.

Opinion–She is habituated to sexual intercourse. Opinion of recent sexual intercourse can only be given after the report of chemical examination.

Sd,-	Sd./-	Sd./-
Dr. P. R. Gupta	Dr. V. D. Kaviya	Dr. Paras
M.S.	M.D.	M.D.
Member	Member	Member

हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी

हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी

तीन वर्ष की उपलब्धियों के सन्दर्भ में पंचायतों द्वारा आयोजित कार्यक्रम

54. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री की तीन वर्ष की उपलब्धियों का प्रचार करने व काम का जायजा लेने के लिये राज्य की प्रत्येक पंचायत समितियों ने आम सभा तथा सम्मेलनों का आयोजन किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आयोजनों में आने वाले प्रतिनिधियों को टी. ए., डी. ए. दिया गया था ? यदि हां, तो भुगतान किस मद से और किसकी स्वीकृति से किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त आयोजनों में जो खर्चा किया है वह पंचायत समितियों की निजी आय से किया है ? यदि हां, तो क्या यह उचित है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) पंचायत समिति तथा अन्य संस्थाओं के सदस्य नियमानुसार यात्रा भत्ता उठा सकते हैं ।

(3) जी हां । यह आयोजन पंचायती राज की प्रगति एवं सिंहावलोकन के लिए किये गये थे और सर्वथा उचित है ।

अन्य विधान मण्डलों की समितियों हेतु व्यवस्थायें

55. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन विभाग) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अन्य विधान सभाओं से आने वाली विधान सभा की समितियों के स्वागत एवं ठहरने (प्रवास) की राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि उनकी यातायात की सुविधा के लिए राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज भुगतान के आधार पर गाड़ी मांगने पर भी असमर्थता प्रकट कर वाहन देने से इन्कार कर देते हैं ? यदि हां, तो किस कारण ?

(3) क्या राज्य सरकार अन्य राज्यों से इन आने वाली विधान सभा समितियों के लिए रेलवे स्टेशन से किसी ठहरने के स्थान तक आने व रेलवे स्टेशन तक जाने की कोई व्यवस्था करती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस संबंध में अन्य राज्यों से कोई पारस्परिक समझौता या निर्णय है ? यदि है, तो क्या ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य की समितियों के अन्य राज्यों में जाने पर वहां सरकारी अतिथि (स्टेट गैस्ट) माना जाता रहा है ? यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों में यह व्यवस्था है ?

(6) क्या राज्य सरकार ने किसी आगन्तुक समिति को कभी स्टेट गैस्ट माना

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) अन्य विधान सभाओं से आने वाली विधान सभा की समितियों के प्रवास हेतु विश्राम भवनों में प्राथमिकता एवं नियमानुसार भुगतान के आधार पर आरक्षण किया जाता है। स्वागत की व्यवस्था विधान सभा सचिवालय से की जाती है।

(2) समितियों द्वारा या राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा मांगे जाने पर प्रायः वाहन व्यवस्था करा दी जाती है। वाहनों की कमी अथवा अन्य महत्वपूर्ण कार्य में वाहन लगी रहने के कारण असमर्थता भी प्रकट की जाती है।

(3) वाहन की मांग करने पर नियमानुसार भुगतान के आधार पर व्यवस्था की जाती है।

(4) जी नहीं।

(5) इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(6) स्टेट गेस्ट नियमों में विधान सभा समितियों को राजकीय अतिथि माने जाने का प्रावधान नहीं है।

आवंटित व खुली बोली से विक्रयशुदा प्लाट्स

56. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट के अधीन बने नियमों में केवल आवंटित किये गये प्लाट्स को आवंटन की तिथि से दो वर्ष में तामीर न किये जाने पर आवंटन निरस्त करने का व पेनल्टी वसूल करने का प्रावधान है और खुली बोली में नीलाम किये गये प्लाट्स पर यह नियम लागू नहीं होता है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में जिलाधीशों को हिदायत भी दी है कि खुली बोली में नीलाम द्वारा बेच गये प्लाट्स पर पेनल्टी न लगावें और पूरी राशि जमा हो जाने पर लीज की रजिस्ट्री करदी जावे ?

(3) क्या नगर विकास न्याय, कोटा सरकार के इस आदेश की पालना कर रही है ? यदि हां, तो गत 4 वर्षों में खुली नीलामी में बेचे गये कितने प्लाट्स की रजिस्ट्रियां की गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्याय, कोटा खुली बोली में बेचे गये प्लाट्स पर भी निर्माण न किये जाने पर पेनल्टी राशि वसूल कर रही है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? अब तक कितनी राशि इस प्रकार से कितने व्यक्तियों से वसूल की गई ?

(नगर राज्य मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां। नगर सुधार न्यास भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधान के अनुसार जो भूखण्ड आवंटन द्वारा निष्पादित किये जाते हैं उन पर 2 वर्ष की अवधि में तामील कराना आवश्यक है अन्यथा भूखण्ड न्यास द्वारा निरस्त किया जा सकता है। नीलामी में बेचे गये भूखण्डों पर यह शर्त लागू नहीं होती है।

(2) राज्य सरकार ने जिलाधीशों को हिदायत नहीं भेजी केवल नियमों का स्पष्टीकरण कर समस्त न्यासों को परिपत्र दिनांक 24-10-79 को भेजा है कि जो भूखण्ड नीलामी में बेचे जाते हैं उन पर मकान तामील कराने की कोई अवधि नहीं है तथा बिना पैनेल्टी लिये उनके लाईसेंस की अवधि बढ़ा दी जावे। नियमों में प्रावधान के अनुसार नीलामी में बेचे गये भूखण्ड पर एक रिहायशी इकाई बनने के पश्चात् ही लीज डीड जारी की जा सकती है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। न्यास निर्णय के अनुसार यह पेनल्टी वसूल की जा रही है। न्यास द्वारा पिछले चार वर्षों में 31-3-84 तक 283 भूखण्डधारियों से 2,64, 205/– रुपये की शास्ति की वसूली की गई है।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में नई सड़कों का निर्माण

57. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनकी जनसंख्या 1981 के अनुसार 1500 से अधिक है लेकिन वे सड़क से जुड़े नहीं हैं? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में 1500 से अधिक आबादी वाले जो ग्राम बिना सड़क हैं, उनमें सड़कें बनाने के लिए सरकार कब तक व्यवस्था करेगी? कृपया ऐसे ग्रामों की तहसीलवार संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) बाड़मेर जिले में जिन बड़े-बड़े ग्रामों में अकाल राहत के तहत सड़कें बनाई गई हैं और जिनको मास्टर प्लान में भी लिया गया है उनको कब तक पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) 1981 की जनगणना पुस्तकें अभी तक सभी जिलों की प्राप्त नहीं हुई है। इसलिये 1981 की जनगणना के आधार पर 1500 से अधिक की आबादी वाले गांवों की सूचना देना सम्भव नहीं है।

(2) बाड़मेर जिले में 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 से अधिक आबादी का एक गांव सिघासवा हरजिया तहसील गुडामालानी अभी तक सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। इसे मास्टर प्लान में लिया हुआ है। वित्तीय साधनों के उपलब्ध

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री)

होने पर सड़क निर्माण का कार्य हाथ में लिया जावेगा। जैसलमेर जिले में 1500 से अधिक आबादी के सभी गांव सड़कों से जुड़े हुये हैं।

(3) वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर पक्की सड़कों से जोड़ दिया जावेगा।

उदयपुर में उद्योगों के दूषित पानी से उत्पन्न पेय जल समस्या

58. श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर) : क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर औद्योगिक क्षेत्र में ग्लास फैक्ट्री, रीलाइ स डिस्टलरी एवं पेस्टीसाइड्स इण्डिया उद्योग आदि का दूषित पानी आयड नदी में डाला जाता है जिसके कारण उदयसागर का जल पूर्ण रूप से खराब हो गया है एवं मछलियां भी मर गई हैं ? यदि हां, तो सरकार इन उद्योग-पतियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उदयसागर का पानी खराब होने के कारण जिंक स्मेल्टर में लगे नागरिकों एवं आस-पास के नागरिकों को पीने के पानी की समस्या हो गई है ? यदि हां, तो पेयजल की समस्या के निवारण हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, पेस्टीसाइड इण्डिया उद्योग को छोड़कर अन्य तीनों उद्योगों का दूषित पानी आयड़ नदी में डाला जाता है। आंशिक रूप से जल प्रदूषण आयड़ नदी तथा उदयसागर में होना पाया गया है। डिस्टलरी उदयपुर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न्यायालय के विचाराधीन है। विवरण संलग्न है।

(2) उदयसागर झील के पानी को पीने के लिये हिन्दुस्तान जिंक द्वारा पचार संयन्त्र से उपचारित कर प्रयोग में लाया जा रहा है। जल प्रदूषण को रोकने हेतु की जा रही कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

तारांकित प्रश्न संख्या 58 की सूची

उदयसागर झील में उद्योगों द्वारा प्रदूषण किये जाने सम्बन्धी मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण :—

1. **मैसर्स उदयपुर डिस्टलरी** :—यह उद्योग 1937 से उत्पादन में कार्यरत है तथा इसकी क्षमता प्रतिमाह लगभग 1·8 लाख लीटर पेय स्प्रिट बनाने की है। मण्डल के गठन के साथ ही, उद्योग को सर्वप्रथम नोटिस दिनांक 7-7-1975 को दिया गया तदनुपरान्त उद्योग के आश्वासन देने पर तदर्थ सम्मति फरवरी, 1976 में दी गई, जिसे उद्योग द्वारा समय-समय पर निवेदन एवं आश्वासन देने पर बढ़ाई गई परन्तु उद्योग द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिससे फरवरी 1983 में सम्मति रद्द कर दी गई उद्योग के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये सक्षम न्यायालय के समक्ष फरवरी, 1984 में स्थगन आदेश हेतु केस दायर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मई, 1984 में मण्डल के हित में स्थगन आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया परन्तु उद्योग द्वारा उच्च न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की। जिसकी अग्रिम तिथि दिनांक 15-10-85 नियत है। उद्योग के उच्छिष्ठ की मात्रा 100 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। उच्छिष्ठ की विश्लेषण रिपोर्ट में निम्न प्रदूषक तत्व पायें गये हैं :—

1.	पी. एच.	3.96
2,	बी. ओ. डी.	3,160
3.	सी. ओ. डी.	17,328
4.	सोडियम	610
5.	पोटेशियम	1,420

उद्योग की सम्पत्ति रद्द करने के पश्चात् उद्योग ने पुनः सम्मति हेतु आवेदन दिनांक 9-5-84 को मण्डल में प्रस्तुत किया, जिसको भी मण्डल ने 28-7-84 को पुनः रद्द कर दिया। उद्योग द्वारा फिजीबिलिटी रिपोर्ट दिसम्बर, 83 में प्रेषित की गई, जिसकी कि कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति मण्डल द्वारा दिनांक 28-7-84 को कर दी गई एवं उद्योग को संयन्त्र लगाने के लिए भी कहा गया। इसके साथ ही उद्योग को बाध्य किया गया है कि उद्योग परिसर से बिना उपचार दिये हुए उच्छिष्ट को निस्त्रावित न करें।

2. **रिलाइन्स कोमोटेक्स** :—इस उद्योग की स्थापना 1979 में डाइड यार्न 35 टन, ग्रे यार्न 70 टन, पोलिस्टर डाइड यार्न 35 टन, प्रतिमाह उत्पादन क्षमता

के साथ हुई। उद्योग द्वारा सम्मति पत्र जुलाई-78 में मण्डल को प्रस्तुत किया गया, जिसकी सम्मति दिनांक अप्रेल-79 तक दी गई। समय-समय पर मण्डल द्वारा उद्योग को उच्छिष्ठ उपचार हेतु संयन्त्र लगाने के लिये कहा गया तथा तदनुसार संयन्त्र लगाने हेतु आश्वासन मिलते रहने पर सम्मति जून-82 तक बढ़ाई गई। अनवरत पत्राचार के पश्चात् भी उपचार संयन्त्र न लगाने के परिणामस्वरूप अन्ततः अक्टूबर, 84 के प्रथम सप्ताह में सम्मति निरस्त कर दी गई। उद्योग द्वारा लगभग 25 एम०3 लीटर्स प्रतिदिन अनुपचारित उच्छिष्ठ निस्त्रावित किया जाता है।

विश्लेषक रिपोर्ट में निम्न प्रदूषक तत्व पाये गये :—

क्रमांक	पैरामिटर्स	विश्लेषक रिपोर्ट में पाई गई मात्रा
1.	टी० डी० एस०	470
2.	क्लोराइड	640
3.	सोडियम	94
4.	पोटेशियम	5
5.	मेगनिशियम हार्डनेस	92

3. **राजस्थान स्लायोक्सल** :—इस उद्योग की स्थापना फरवरी 1980 में हुई थी। स्लायोक्सल 90 मैट्रिक टन प्रतिमाह तथा सोडियम ऐरिस्टेट 30 मैट्रिक टन प्रतिमाह की उत्पादन क्षमता है। उद्योग द्वारा फरवरी, 79 में सम्मति हेतु मण्डल को निवेदन किया गया था। मण्डल ने प्रथम सम्मति पत्र फरवरी, 1980 तक जारी किया गया तत्पश्चात समय-समय पर उद्योग द्वारा उच्छिष्ठ उपचार संयन्त्र लगाने के आश्वासनों के आधार पर जून, 82 तक सम्मति अवधि बढ़ाई गई। उद्योग द्वारा गत माह में प्रस्तुत उच्छिष्ठ उपचार संयन्त्र लगाने हेतु फिजीबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो कि मण्डल में विचाराधीन थे। इस उद्योग से लगभग 27 मीटर क्यूल प्रतिदिन निस्त्रावित होता है। जिसके विश्लेषण में निम्न प्रदूषक पदार्थ पाये गये :—

क्रमांक	पैरामिटर्स	विश्लेषक रिपोर्ट में पाई गई मात्रा
1.	टी० एल० एस०	140
2.	सी० ओ० डी०	1,084
3.	फ्लोराइड	6·1
4.	परसेन्ट सोडियम	82
5.	पी० वी० वैल्यू	51

4. पेस्टी साइड इण्डिया लिमिटेड (उदयपुर) :—उद्योग की स्थापना 1960 में हुई जिसमें कि टैक्निकल कीटनाशक दवाइयाँ तथा उसके फोरमूलेशन तैयार किये जाते हैं। उद्योग द्वारा सम्मति चाहने हेतु फरवरी, 1976 में आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप जून, 1977 तक सम्मति मण्डल द्वारा प्रदान की गई। समय-समय पर उद्योग द्वारा उच्छिष्ठ उपचार व्यवस्था पूर्ण करते हुई आश्वासन देने पर तथा अगस्त 1979 में उपचार संयन्त्र लगा लेने के परिणामस्वरूप सम्मति 31-12-80 तक बढ़ाई गई थी। अग्रिम सम्मति अवधि बढ़ाये जाने की कार्यवाही मण्डल के विचाराधीन है। हाल ही में उद्योग द्वारा उपचार संयन्त्र का आवश्यक सुधार कर अधिक क्षमता वाली दहन भट्टी भी लगा दी गई है। तरल उच्छिष्ठ की मात्रा 3,000 लीटर प्रतिदिन है। जिसको कि सौर ऊर्जा द्वारा वाष्पित किया जाता है।

इस प्रकार उद्योग द्वारा वर्तमान में परिसर से बाहर कोई भी तरल उच्छिष्ठ वाहित नहीं किया जा रहा है।

इन उद्योगों के उच्छिष्ठ आयड़ नाले में मिलते हैं। यह अन्ततः उदयसागर की ओर जाता है। उच्छिष्ठों के विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:—

(1) मैसर्स उदयपुर डिस्टलरी द्वारा निकाले जा रहे उच्छिष्ठ के कारण मिलने वाले जलाशय में कार्बनिक लवण, कुल धुलित पदार्थ की मात्रा को अधिक कर सकती है, इससे जलाशय की स्वस्थता पर विपरीत प्रभाव अवश्यम्भावी है।

(2) मैसर्स रेलियेन्स क्रोमोटेक्स द्वारा निकाले जा रहे उच्छिष्ठ में लवण तथा कुल घुलित पदार्थ आयड़ नाले से जाते हैं, जिससे और भी निस्त्राव आ कर मिलते हैं।

(3) मैसर्स राजस्थान ग्लायोक्सल द्वारा अत्यधिक मात्रा में लवण कुल घुलित पदार्थ आयड़ नाले में डाले जाते हैं जो अन्ततः उदयसागर झील में मिलकर जलाशय की गुणता पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं।

(4) मैसर्स पेस्टीसाइड इण्डिया लि० द्वारा किसी भी प्रकार का उच्छिष्ठ निस्त्रावित नहीं किया जाता है। उच्छिष्ठ की सौर-ऊर्जा द्वारा वाष्पित किया जाता है, जिसके द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। मलवे को भट्टी में जलाया जाता है।

समदड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नति

59. **श्री धाराराम फुलवारिया** (सिवाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिले के समदड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को, समदड़ी व आस-पास के क्षेत्र की जनता के हितों की दृष्टि में रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। योजना मद में समुचित प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

उदयपुर में फतेहसागर झील के किनारे भूमि पर अतिक्रमण

62. **श्री कमलेन्द्र सिंह** (बल्लभनगर) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर में फतहसागर झील के किनारे-किनारे बनी रानी रोड पर नगर विकास प्रन्यास और ग्राम पंचायत बड़ी की कितनी जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अतिक्रमण के मामले चल रहे हैं ? कृपया अतिक्रमणियों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) सरकार अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) उदयपुर में फतहसागर झील के किनारे-किनारे बनी रानी रोड पर नगर विकास प्रन्यास की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई मामला विचाराधीन है।

(2) अतिक्रमण होने पर ही तुरन्त हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

बालोतरा में कॉस्टिक रिकवरी प्लांट की स्थापना

63. **श्री अमरा राम चौधरी** (पचपदरा) : क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा में कॉस्टिक रिकवरी प्लांट लगाने का प्रश्न अध्यक्ष, जल प्रदूषण बोर्ड के पास विचाराधीन है ? क्या सदस्य-सचिव, जल प्रदूषण बोर्ड ने प्लांट लगाने हेतु अपनी सहमति दे दी थी ? यदि हाँ, तो सहमति कब दी गई थी तथा किन कारणों से अभी तक अध्यक्ष, जल प्रदूषण बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है ?

(2) क्या बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण सम्बन्धी प्लांट लगाने के लिए विशेषज्ञों की रिपोर्ट के लिए राज्य में कुछ व्यक्तियों की सूची जारी की गई है ? यदि हाँ, तो कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ, बालोतरा में कास्टिक रिकवरी प्लांट लगाने का प्रश्न जल प्रदूषण बोर्ड के पास विचाराधीन है। शीघ्र ही विचारोपरान्त मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(2) सूची केवल बोर्ड के प्रयोगार्थ बनाई गई है। सूची सदन के पटल पर रख दी है।

LISS OF CONSULTANTS

1. Associated Industrial Consultants
   (Pollution Control Division),
   Air India Building.
   Bombay-400001.

2. Atkin Das Pvt. Ltd.
   21-A, Shakaspeare Sarani,
   Calcutta-700071.

3. Aquas Engineering Corporation.
   Aish Bagh Road,
   Lucknow-226004.

4. Batliboi Co. Limited
   (Pollutio Control Division)
   Bombay-400023.

5. Bombay Productivity Consultants,
   39, Devendra Shankar Marg,
   Bombay-400057.

6. Candy Filters (I) Limited
   (Mahalaxmi Chambers),
   22, Bhulabhai Dasai Road,
   Bombay-400036.

7. Clear Water (P) Limited
   404-406, Meghdoot,
   Nehru Place,
   New Delhi-110024.

8. Chemical & Mitallurgical Design
   Company Pvt. Limited.
   802. Vishal Bhawan,
   Nehru Place,
   New Delhi-110024.

Page No.150

9. C.P.I. Consultants
   C-77, Yash pata, Tilak Nagar,
   Jaipur-302 004.
10. Consulting Engineering (P) Ltd.
    591, 'O' Block, Alipore,
    Calcutta-700053.
11. Driplex Engineering (P) Ltd.
    901, Akash Deep, Barakhama Road,
    New Delhi-110001.
12. Dodsal Pvt. Ltd.
    Mafatlal House,
    Backbay Reclamtion,
    Bombay-400020.
13- Development Cousultants (P) Ltd.
    24-B, Park Street,
    Calcutta-700016.
1 . Envirnmental Engineering Consultants
    Rehman Building, 5th Floor,
    24, Veer Nariman Road,
    Fort, Bombay-400023
15. Environmental System
    Mahalaxmi Chembers,
    Bombay-400036.
1 . Engineers India Ltd.
    604, Kailash Building,
    26, Kasturba Gandhi Road,
    New Delhi-110001.
17. Ecotecy Coron.
    1-A, Shiram, Opp. Golden Tobacco,
    S. V. Road, Vile Parle,
    Bobay-400056.

18. Geo Miller & Co. Ltd.
D-2, NDSE Part II,
New Delhi-110009.

19. Garmon Nariman Ltd.
19, Bellaganj Road,
Calcutta-700010.

20. Hindustan Door Oliver
(International)
16, Queen Road Estate,
Bombay-400020.

21. Hydrolic & Genlo Engineering Ltd.
203, Arun Chembers, Tardev,
Bombay-400034.

22. Hydro Consultants
Post Box 402,
New Delhi-110020.

23. Hindustan Construction Co.
Construction House,
Wal Chand Heera Chand Marg,
Bombay-400038.

24. Humphery & Glasgow Consultants (P) Ltd.
Veer Sevarkar Marg,
Bombay-400025.

25. I-Un Exchange (I) Ltd.
502, Veer Savarkar Marg,
Bombay-400024.

26. Eimco Kop. Ltd.
38, Mount Road,
Madras-6C00001.

Page No.152

27. Industrial Plants & Waste Treatment Corpn.
Reliance Building, 4th Floor,
Dr. D. N. Road,
Bombay-400001.
28. Pollution Consultants,
Opp. Bharat Talkies,
Bhopal.
29. PHE Consultants
Botwala Building, 1st Floor,
7/10, Hariman Circle,
Bombay-
30. Managetechs Consultancy Services
Sharma Bhawan, South T. T. Nagar,
Bhopal.
31. Effluent Treatment Company
622, Linking Road, Khar,
Bombay-400052.
32. India Institute of Technology
Deptt. of Civil Engineering,
Kanpur.
33. Wadis & Sons
Walchand Terrace, Tardeo,
Bombay-400034.
34. Voltas Ltd. (Project Engineering Div.)
Mackangi Wadia Building,
127, Mahatama Gandhi Road,
Bombay-400023.
35. Industrial Consulting Bureau Ltd.
Oiji House, Ravel Line Street,
Bombay-400001.

36. Kirloskar Consultants Ltd.
917/19-A, Fergusson College Road,
Shivaji Nagar,
Puna-411004.

37. Paramount Pollution Control (P) Ltd.
76, Vishwas Colony, Alkapuri.
Baroda-395005.

38. Tata Consultancy Services
Bombay House, Modi Street,
Bombay-400001.

39. Pollution Engineering Co. (P) Ltd.
28, Chitrangan Avenue,
Calcutta-700012.

40. Richardson & Crudas (1972) Ltd.
1st Lane Beach, P. O. Box 1276,
Madras-600001.

41. Technamatics
Opp. Reay Poad Station,
Ready Road,
Bombay-400010.

42. Universal Enviroscience Pvt. Ltd.
31-32, Nehru Place,
New Delhi-110024.

43. Indopol Ltd.
NSE Industrial Estate, Goregaon,
Bombay-400052.

44. Prof. M. M. Dandekar
Deptt. of Civil Engineering,
M. R. E. Co. Engineering,
Jaipur.

45. Prof. M. B, Pathak
Deptt. of Civil Engineering,
M,B.M. Engineering College,
Jodhpur University,
Jodhpur.

46. Analyst
B-881, Raman Marg,
Jaipur.

47. Simon-Carves India Ltd.
Nirlon House, 254-B, Dr. Annie Besent Road,
Bombay-400025.

48. Bandekar Engineers
Sh. Verma Bandekar Building,
Post Box No. 31,
Vasco-Da-Gama-403802.

49. Shree Techno Economic Consultants
Polovictory Building,
Station Road,
Jaipur-302006.

50. Consulting Engineering Services (I) Pvt. Ltd.
57, Nehru Place, 5th Floor,
New Delhi-110024.

51. D. R. Research Centre
1000, Opera House, Salapose Road,
Ahmedabad-38001.

52. Chandra Trading Corporation
39, Industrial Area,
Jhotwara, Jaipur-302012.

53. Nuchem Plastics Ltd.
20/6, Mathura Road,
Faridabad-121006.

Page No.155

54. The Dharmasi Morarji Chemical Co. Ltd.
Regd. Office Prospect Chambers,
317/21, Dr. Dadabhai Naoroji Road,
Bombay-400001.

55. Enviro Control Associates
Ground Floor, Arvind Niwas,
Near Athwagate,
Surat-395001.

56. National Productivity Council
Productivity House,
Lodi Road,
New Delhi-110003.

57. Aquaire Control Systers Pvt. Ltd.
C-9, Amul Commercial Centre,
1st Road, Chember,
Bombay-400071.

58. Clean Environment
9, Vallabh Nagar,
Kota.

59. Environment Remedial Consultants
58, Nehru Park,
Jodhpur-342003.

रतनगढ़ जिले में चिकित्सीय सुविधा का विस्तार

64. श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1984-85 में नये चिकित्सीय संस्थान खोलकर रतनगढ़ क्षेत्र के कितने गांवों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रतनगढ़ अस्पताल में राजकीय रोगी वाहन है ? यदि हां, तो क्या विभागीय रेकार्ड में उसका अंकन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त वाहन की गत चार वर्षों में कब-कब मरम्मत कराई गई, और कुल कितनी धनराशि उस पर व्यय हुई ?

उत्तर

(1) राज्य में नये चिकित्सा संस्थान खोलने के मामले अभी विचाराधीन है, अतएव ग्रामवार सूची सदन के पटल पर अन्तिम निर्णय के पश्चात ही रखना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां। विभागीय रिकार्ड में उसका अंकन है।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) उक्त रोगी वाहन पर वर्ष 1981 में 391.00 रुपये व वर्ष 1984 में 5407.00 रुपये की धन राशि मरम्मत हेतु व्यय हुई।

बीकानेर में हुए पंचायत राज सम्मेलन की घोषणाओं की क्रियान्विति

65. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1981 में बीकानेर में सम्पन्न पंचायत राज सम्मेलन में क्या-क्या घोषणायें हुई ? क्या उनकी क्रियान्विति हो चुकी हैं ? यदि हां, तो किन किन की ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घोषणाओं के अनुसार पंचायतों को क्या अधिकार दिये गये ? कितना अनुदान पंचायतवार दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 में बीकानेर में कोई पंचायत राज सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ था।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

नगर परिषद् बीकानेर को अतिरिक्त वित्तीय सहायता

67. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति काफी दयनीय होने के कारण सड़कें, नालियां तथा छोटी-छोटी गलियों व टूटी सड़कों की मरम्मत

(श्री भगवानदास शास्त्री)

नहीं होने से गन्दगी का साम्राज्य बना रहता है ? यदि हां, तो नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है ? कब तक सड़कों व नालियों की मरम्मत के लिये विशेष सहायता उपलब्ध करायी जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं । नगर परिषद अपनी आर्थिक स्थित के अनुसार सड़कों, नालियों की मरम्मत करा रही है एवं शहर में सफाई की पूर्ण व्यवस्था है । नगर परिषद् को विशेष सहायता भी उपलब्ध कराने के लिए मामला सरकार के पास विचाराधीन है ।

जिला सीकर एवं झुंझुनू में सड़क निर्माण कार्य

68. श्री मालाराम (नीम का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर एवं झुंझुनू जिलों में कुल कितनी सड़कें वर्तमान में स्वीकृत हैं ? इन जिलों में कितने मील लम्बाई की सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि झुंझुनू जिले एवं विशेष कर पंचायत समिति, खेतड़ी में स्वीकृत सड़कें इसलिये अधूरी पड़ी हैं क्योंकि इनके निर्माण हेतु दी गई राशि अपर्याप्त हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक पूर्ण करवा दी जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में 1984-85 में सीकर में 20 तथा झुंझुनु में 54 सड़कें स्वीकृत हैं । कार्य प्रगति पर है ।

(2) एक सड़क मेहाड़ा से दूदवा वाया गोणीर की छोड़कर सभी सड़कों में स्वीकृत राशि पर्याप्त है । इसके लिये संशोधित स्वीकृति प्राप्त होते ही एक वर्ष में कार्य पूर्ण होने की संभावना है ।

पेंशनर्स को उपलब्ध चिकित्सीय सुविधा में व्यवधान

69. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार के पेन्शनर्स को कब से राज्य के किन किन स्थानों पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है ? किन-किन स्थानों पर कब से मुफ्त चिकित्सा सुविधा बन्द कर दी गई है और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मुफ्त चिकित्सा सुविधा के सन्दर्भ में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से निरन्तर कटौतियां की जा रही हैं लेकिन प्रान्त की राजधानी जयपुर के पेन्शनर्स को लगभग 2 वर्ष से यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है ? यदि हां, तो किस कारण से ?

(3) पेन्शनर्स को जयपुर नगर में मुफ्त चिकित्सा सुविधा के अभाव में हो रही असुविधा को देखते हुए सरकार कब तक यहां के पेन्शनर्स को उक्त सुविधा देना प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने पेन्शनरों को दिनांक 15-5-82 से सभी जिलों में (तहसील स्तर तक) मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। यह चिकित्सा सुविधा अभी केवल जयपुर नगर में 23-11-82 से बन्द है। बीच में कुछ समय के लिये यह सुविधा निम्न नगरों में भी उनके सामने अंकित अवधि के लिये बन्द रही है :—

नगर का नाम	बंद रहने की अवधि
1. कोटा	1-12-82 से 1-10-83 तक
2. बीकानेर	1-2-83 से 5-9-83 तक
3. जोधपुर	1-3-83 से 1-2-84 तक
4. उदयपुर	1-3-83 से 1-9-83 तक
5. अलवर	30-5-83 से 1-10-83 तक

इसका कारण दवा विक्रेताओं को समय पर राशि का भुगतान न हो पाना था।

(2) जी हां। कटौतियां की जा रही हैं। किन्तु जयपुर शहर में दिनांक 23-11-82 से पेन्शनर्स को यह सुविधा नहीं मिल पाने का कारण यह है कि जयपुर में की गई कटौतियों से प्राप्त रकम, भुगतान की जाने वाली रकम से काफी कम रही, जिसके फलस्वरूप सहकारी उपभोक्ता संघ समय पर दवाइयों की राशि के भुगतान न होने पर, संघ पेन्शनर्स को उक्त तिथि से सुविधा देना बन्द कर दिया।

(3) जयपुर नगर के पेन्शनर्स को उक्त सुविधा शीघ्र ही पुनः उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाहीजारी है।

पंचायत समिति सादुल शहर को उपलब्ध अनुदान राशि

70. **श्री महेन्द्र सिंह** (सांगरिया) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, सादुल शहर को वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में कितना अनुदान राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिये दिया गया है ?

(2) पंचायत समिति सादुल शहर द्वारा प्रत्येक पंचायत को कितना अनुदान दिया गया और उसमें से अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों के लिए कितना था ? कृपया पंचायतवार पंचायत समिति द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण, जिसमें अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों का नाम, पिता का नाम तथा किस कार्य के लिए दिया गया, का पूरा विवरण हो, सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गणेशगढ़ व डूंगरसिंहपुरा पंचायतों में अनुसूचित जाति व जन जाति के लिए आरक्षित अनुदान की राशि गैर हरिजनों के लिए दी गयी है ? यदि हाँ, तो कितनी राशि दी गई व किन-किन लोगों को दी ? कृपया ऐसा विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा गृह निर्माण हेतु अनुसूचित जाति/जन जाति एवं कृषि

(पंचायत राज्य मंत्री)

श्रमिक/लघु कृषकों तथा सीमान्त कृषक परिवारों के लिए निःशुल्क आवंटित भू-खण्ड पर गृह निर्माण के लिए निम्न प्रकार अनुदान की राशि पंचायत समिति सादुलशहर को दी गई है :

1. वर्ष 1981-82	1,50,000
2. वर्ष 1982-83	48,000
3. वर्ष 1983-84	45,000

(2) पंचायत समिति, सादुल शहर द्वारा प्रत्येक पंचायत को जितना अनुदान दिया गया और उसमें से अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों के लिए जितना अनुदान दिया था, पंचायतवार पंचायत समिति द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण जिसमें अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों के नाम, पिता का नाम तथा किस कार्य के दिया गया आदि का पूरा विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। हरिजन भी अनुसूचित जाति में ही सम्मिलित हैं। पंचायत गणेशगढ़ व डूंगरसिंहपुरा को कोई गृह निर्माण के लिए आरक्षित अनुदान राशि नहीं दी गई है। उपरोक्त स्वीकृत राशि में से ही गणेशगढ़ व डूंगरसिंहपुरा पंचायतों के अनुसूचित जाति व जन जाति के परिवारों को राशि दी है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

अनुदान गृह निर्माण वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक
(अनुसूचित जाति एवं जनजाति) के व्यक्तियों

वर्ष 1981-82 में दिये गये अनुदान :

क. सं.	पंचायत का नाम	नाम कार्य	कार्य जहां निर्माण किया गया	नाम मय पता	जाति	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	गणेशगढ़	गृह निर्माण हेतु	11 टी. के. डब्ल्यू	लालचन्द/नत्थुराम	मेघवाल	750.00
2.	"	"	"	मनोराम/सरदाराराम	"	750.00
3.	इन्द्रपुरा	"	इन्द्रपुर	आशाराम/गनेशाराम	"	750.00
4.	"	"	"	मंगलाराम/नानूराम	"	750.00
5.	"	"	"	श्योलाल/गोपीराम	"	750.00
6.	"	"	"	कपूरसिंह/महंगासिंह	"	750.00
7.	"	"	"	ओमप्रकाश/लालचन्द	"	750.00
8.	"	"	"	सुलतान/भोलूराम	"	750.00
9.	"	"	"	मोहन/पोखरराम	"	750.00
10.	"	"	"	मनोराम/नानूराम	"	750.00
11.	"	"	"	हनुताराम/मनोराम	"	750.00
12.	"	"	"	भगवाना/मनोराम	"	750.00
13.	"	"	"	भागीरथ/मंगलाराम	"	750.00
14.	"	"	"	भगवाना/जसराम	"	750.00
15.	"	"	"	जसराम/सूरजाराम	"	750.00
16.	"	"	"	पतरूराम/हुनताराम	"	750.00
17.	"	"	"	मोहनराम/मनोराम	"	750.00
18.	"	"	"	देवीराम/जेस्राम	"	750.00
19.	"	"	"	भगवान/चेतनराम	"	750.00
20.	"	"	"	भादर/चेतनराम	"	750.00
21.	मन्नो वाली	"	म. वाली	भराराम/रावतराम	"	750.00
22.	"	"	"	मोहनलाल/भेराराम	"	750.00

Page No.161

1	2	3	4	5	6	7
23.	मन्नोवाली	गृह नि.हेतु	मन्नोवाली	सूरजा/गोकुल	मेघवाल	750.00
24.	"	"	"	धनपत/मलूराम	"	750.00
25.	"	"	"	राम/गिरधारी	नायक	750.00
26.	"	"	"	गिरधारी/खोयाराम	"	750.00
27.	मोरजण्डखारी	"	सुन्दरपुरा	वैसुवाल/नन्दराम	नायक	750.00
28.	"	"	"	सजना/हरजी	"	750.00
29.	"	"	"	हेतराम/नन्दराम	नायक	750.00
30.	वहरामपुरा	"	लाखपुरा	गुरासिंह/प्रतापसिंह	हरिजन	750.00
31.	"	"	"	गरमलसिंह/सावतसिंह	मजवो	750.00
32.	"	"	"	छोटासिंह/कपरसिंह	"	750.00
33.	"	"	"	नाजरसिंह/चैतनसिंह	"	750.00
34.	हाकमावाद	"	16 वी.एन.डब्लू.	मोमनराम/लोलराम	धानक	750.00
35.	"	"	"	आदूराम/अर्जुनराम	नायक	750.00
36.	"	"	"	अर्जुनराम/वोखाराम	"	750.00
37.	"	"	"	वालराम/स्याकरण	"	750.00
38.	"	"	"	किसना/स्याकरण	मेघवाल	750.00
39.	"	"	"	भादर/नत्थराम	"	750.00
40.	"	"	"	रामप्रताप/वगैराज	"	750.00
41.	"	"	"	वैगराज/रामचन्द्र	"	750.00
42.	मम्मड़खेड़ा	"	जमौतसिंहवाला	मोठसिंह/जसवन्तसिंह	मजवो	750.00
43.	"	"	"	सरजोतकार/जसवन्तसिंह	"	750.00
44.	"	"	"	सरवनसिंह/अतरसिंह	"	750.00
45.	"	"	"	जगासिंह/मलसिंह	"	750.00
46.	"	"	"	जनरैलसिंह/नाजरसिंह	"	750.00
47.	नारायणगढ़	"	नारायणगढ़	चन्दसिंह/महंगासिंह	"	750.00
48.	"	"	"	अर्जुनसिंह/हरनामसिंह	"	750.00
49.	"	"	"	सरवनराम/मलराम	मेघवाल	750.00
50.	"	"	"	मनीराम/भलराम	"	750.00
51.	"	"	"	मगतराम/पुरखाराम	"	750.00

1	2	3	4	5	6	7
52.	नारायणगढ	गृहनि.हेतु	नारा.गढ	सहीराम/नानराम	नायक	750.00
53.	"	"	"	कालराम/रूपाराम	"	750.00
54.	"	"	"	दुलीचन्द/वैगराज	"	750.00
55.	"	"	"	प्रीतमसिंह/रूढसिंह	मजबी	750.00
56.	"	"	"	फतेहसिंह/मेहरसिंह	"	750.00
57.	"	"	"	भगवानसिंह/लालसिंह	"	750.00
58.	मारजन्डखारी	"	मारजन्डखारी	रतीराम/हेमाराम	नायक	750.00
59.	"	"	"	राजाराम/गंगाराम	"	750.00
60.	"	"	"	पारोदेवी/गंगाराम	"	750.00
61.	"	"	"	दयालसिंह/अर्जुनसिंह	मजबी	750.00
62.	"	"	"	हेतराम/आशाराम	नायक	750.00
63.	बहरामपुरा..	"	कालवासिया	मुखत्यारसिंह/गरनामसिंह	मजबी	750.00
64.	"	"	"	सोदागरसिंह/गजनसिंह	"	750.00
65.	"	"	"	हेतराम/लाधराम	नायक	750.00
66.	"	"	"	भादर/मनोराम	"	750.00
67.	"	"	"	मायादेवी/भराराम	"	750.00
58.	"	"	"	मलागरसिंह/गजनसिंह	मजबी	750.00
69.	"	गृहनिर्माण	"	लाधराम/गंगाराम	नायक	750.00
70.	डूँगरसिंहपुरा	"	15एस.पी.एम.	तखराम/मामराज	मेघवाल	750.00
71.	"	"	"	डूँगर/धनाराम	"	750.00
72.	"	"	डूँगरसिंहपुरा	सोहन/मनोरम	"	750.00
73	,,	,,	"	कृष्णा/गणपतराम	,,	750.00
74.	,,	,,	,,	साजन/मानाराम	,,	750.00
75.	,,	,,	,,	चेजन/नानराम	,,	750.00
76.	,,	,,	,,	गंगाजन/गनपतराम	,,	750.00
77.	,,	,,	,,	मोमन/हीराराम	,,	750.00

Page No.163

1	2	3	4	5	6	7
78.	डूंगरसिंहपुरा	गृहनि.हेतु	डूंगरसिंहपुरा	लालूराम/सुन्दरराम	मेघवाल	750.00
79	,,	,,	,,	भागीरथ/रतीराम	,,	750.00
80.	मम्मडखेड़ा	,,	चक केरा	कालासिंह/पर्णसिंह	मजवी	750.00
81.	,,	,,	,,	पूर्णसिंह/चन्दासिंह	,,	750.00
82.	,,	,,	,,	मुख्यतारसिंह/सम्पूर्णसिंह	,,	750.00
83.	मारजण्डखारी	,,	मारजण्डखारी	टोकराम/सूरजाराम	नायक	750.00
84.	भागसर	,,	5 एल.एन.पी	महेन्द्रसिंह/मीठूसिंह	मजवी	750.00
85.	,,	,,	,,	वन्ता/दलीप	,,	750.00
86.	,,	,,	,,	जगा/बक्खीस	,,	750.00
87.	मम्मडखेड़ा	,,	सरदारपुरा	ठाकूर/विचित्र	,,	750.00
88.	,,	,,	,,	वलवीरकौर/करतारसिंह	,,	750.00
89.	,,	,,	,,	माला/गजनसिंह	,,	750.00
90.	,,	,,	,,	ख्याली/भराराम	चमार	750.00
91.	,,	,,	,,	जगरूप/वख्तावर	मजवी	750.00
92.	,,	,,	,,	गुरुदेवसिंह/इन्द्रसिंह	,,	750.00
93.	,,	,,	,,	सन्तराम/राजीराम	,,	750.00
94.	हाकमावाद	,,	हाकमावाद	रामलाल/वीरूराम	नायक	750.00
95.	,,	,,	,,	मोहनलाल/लक्ष्मण	,,	750.00
96.	,,	,,	,,	जसराम/मंगलाराम	मेघवाल	750.00
97.	,,	,,	,,	वीरूराम/डूंगरराम	,,	750.00
98.	,,	,,	,,	लक्ष्मण/डूंगर	,,	750.00
99.	,,	,,	,,	ओमप्रकाश/रामकिशन	नायक	750.00
100.	भागसर	,,	5 एल.एन.पी	गुरमलसिंह/नाजरसिंह	मजवी	750.00
101.	,,	,,	,,	तारासिंह/बक्सीसिंह	,,	750.00
102.	,,	,,	,,	कालासिंह/जाजरसिंह	,,	750.00

1	2	3	4	5	6	7
103.	भागसर	गृहनि.हेतु	5एल.एन.पी	नाजरसिंह/हरनामसिंह	5एल.एन.पी	750.00
104.	,,	,,	,,	अपोसिंह/जीतासिंह	,,	750.00
105.	,,	,,	,,	जगतारसिंह/बक्सीसिंह	,,	750.00
106.	,,	,,	,,	जोगेन्द्रसिंह/नोकासिंह	,,	750.00
107.	,,	,,	,,	डागरसिंह/मलूसिंह	,,	750.00
108.	,,	,,	,,	किसनलाल/रेडाराम	नायक	750.00
109.	,,	,,	,,	ओमप्रकाश/मलराम	मेघवाल	750.00
110.	भाखरावाली	,,	भाखरावाली	भागीरथ/शेराराम	चमार	750.00
111.	,,	,,	,,	नन्दराम/शेराराम	,,	750.00
112.	,,	,,	,,	बिसनाराम/खोराज	,,	750.00
113.	,,	,,	,,	निहालसिंह/इन्द्रसिंह	मजबी	750.00
114.	करडवाला	,,	करडवाला	लिखमाराम/पुरखाराम	नायक	750.00
115.	,,	,,	,,	किसनाराम/भगवानाराम	,,	750.00
116.	,,	,,	,,	रूपाराम/वस्तीराम	मेघवाल	750.00
117.	,,	,,	,,	भराराम/रामकिसन	,,	750.00
118.	,,	,,	,,	मोटाराम/पुरखाराम	नायक	750.00
119.	मम्मडखेड़ा	,,	सरदारपुरा	गुरनामसिंह/साधूसिंह	मजबी	750.00
120,	,,	,,	,,	धोलासिंह/साधूसिंह	,,	750.00
121.	,,	,,	ढाणीओडान	अजमेरसिंह/नाजरसिंह	,,	750.00
122.	मन्नीवाली	,,	मन्नीवाली	राधाकिशन/नानूराम	मेघवाल	750.00
123.	,,	,,	,,	देवीराम/भेराराम	हरिजन	750.00
124.	,,	,,	,,	नन्दा/गिरधारी	नायक	750.00
125.	अर्लापुरा	,,	नरपुरा	बनेसीराम/चन्दूराम	मेघवाल	750.00
126.	पन्नीवाली	,,	पन्नीवाली	चेतराम/रामचन्द्र	हरिजन	750.00
127.	,,	,,	,,	बलवन्त/चन्दराम	,,	750.00

Page No.165

2	2	3	4	5	6	7
128.	पन्नीवाली	गृहनि.हेतु	पन्नीवाली	नाजरराम/गुरदयालसिंह	मजबी	750.00
129.	,,	,,	,,	सरवनराम/रामूराम	,,	750.00
130.	किसनपुरा	,,	इन्द्रगढ़	लाभसिंह/देवासिंह	,,	750.00
131.	,,	,,	किसनपुरा	मनोराम/कालूराम	हरीजन	750.00
132.	,,	,,	,,	सूरजाराम/भोलाराम	,,	750.00
133.	,,	,,	,,	नन्दराम/लाधूराम	,,	750.00
134.	,,	,,	,,	जग्गूसिंह/वतनसिंह	मजबी	750.00
135.	गनेशगढ	,,	गनेशगढ़	लीलाराम/नेतराम	मेघवाल	750.00
136.	,,	,,	,,	हनुमान/भागीरथ	,,	750.00
137.	,,	,,	,,	स्योपत/रूडराम	,,	750.00
138.	,,	,,	,,	नेतराम/टीकाराम	,,	750.00
139.	,,	,,	,,	खेतपाल/आशाराम	,,	750.00
140.	,,	,,	,,	गंगाजल/सरदाराराम	नायक	750.00
141.	,,	,,	,,	नन्थराम/गोपीराम	,,	750.00
142.	,,	,,	,,	कालूराम/मोतीराम	,,	750.00
143.	,,	,,	,,	सूरजा/तनसुख	,,	750.00
144.	,,	,,	,,	साधू/लछमन	,,	750.00
145.	खाटसजवार	,,	तखतहजारा	जगराजसिंह/आशासिंह	मजबी	750.00
146.	डूंगरसिंहपुरा	,,	डूंगरसिंहपुरा	साहबराम/रावतराम	मेघवाल	750.00
147.	,,	,,	,,	साधूराम/गंगाजल	,,	750.00
148.	,,	,,	,,	रजीराम/तुलछाराम	,,	750.00
149.	,,	,,	,,	लालचन्द/गणपत	,,	750.00
150.	,,	,,	,,	नन्थ/लेखाराम	,,	750.00
151.	,,	,,	,,	मूलचन्द/पूरणराम	,,	750.00
152.	,,	,,	,,	वीरबारी/हजारीराम	मेघवाल	750.00

Page No.166

1	2	3	4	5	6	7
153.	डूंगरसिंहपुरा	गृहनि.हेतु	डूंगरसिंहपुरा	मोमनराम/रूडराम	मेघवाल	750.00
154.	,,	,,	,,	रामलोक/पालाराम	,,	750.00
155.	,,	,,	,,	सोहनलाल/गणपत	,,	750.00
156.	,,	,,	,,	कृष्णा/जीताराम	,,	750.00
157.	,,	,,	,,	हरचन्द/हीराराम	बावरी	750.00
158.	करडवाला	,,	करडवाला	वीरूराम/स्योजीराम	नायक	750.00
159.	,,	,,	,,	वेगाराम/पनाराम	,,	750.00
160.	,,	,,	,,	मनफूल/जगूराम	,,	750.00
161.	,,	,,	,,	भागाराम/वीरबल	,,	750.00
162.	,,	,,	,,	ख्यालीराम/मलूराम	,,	750.00
163.	नारायणगढ़	,,	प्रतापपुरा	वलमाराम/बाबूराम	हरिजन	750.00

वर्ष 1982–83

1.	सन्तपुरा	गृह निर्माण हेतु	ढोलनगर	हरीसिंह/साधूसिंह	मजवी	750.00
2.	,,	,,	,,	विन्दरसिंह/खलीपासिंह	बाजीगर	750.00
3.	शाहपोनी	,,	शाहपोनी	सोहनलाल/मंगलाराम	,,	750.00
4.	,,	,,	,,	भागराम/सोहनलाल	,,	750.00
5.	नारायणगढ़	,,	नारायणगढ़	मुण्डासिंह/गुरुदयालसिंह	मजवी	750.00
6.	,,	,,	प्रतापतुरा	सरवनकुमार/खताराम	मेघवाल	750.00
7.	मरड़खेड़ा	,,	गरड़खेड़ा	सरजीतकौर/मुखतयारसिंह	मजवी	750.00
8.	धापीलाल	,,	धालीपाल	पृथ्वी/चुन्नीराम	चमार	750.00
9.	,,	,,	,,	मनरूल/सरजो	मरासी	750.00
10.	,,	,,	,,	कृपालसिंह/वगसिंह	मजवी	750.00
11.	खाटसजवार	,,	तखतहजटरा	लालूराम/मूलाराम	नायक	750.00
12.	,,	,,	,,	माजीराम/सिमरिया	,,	750.00

1	2	4	4	5	6	7
13.	किशनपुरा	,,	किशनपुरा	साधराम/हेमाराम	मेघवाल	750.00
14.	,,	,,	,,	मघराम/मोटाराम	,,	750.00
15.	,,	,,	,,	केसराराम/रूघराम	,,	750.00
16.	भागसर	,,	भागसर	रामस्वरूप/लछमन	नायक	750.00
17.	,,	,,	,,	करतारसिह/रामदातासिह	मजवी	750.00
18.	,,	,,	,,	मनीराम/बुद्धाराम	नायक	750.00
19.	,,	,,	,,	खोराज/जोगीराम	,,	750.00
20.	गणेशगढ़	,,	गणेशगढ़	बूलराम/नन्दराम	हरिजन	770.00
21.	,,	,,	ताखरावाली	चेतराम/हीराराम	बावरी	750.00
22.	लाधूवाला	,,	20 एम.एल.(वी)	लूणाराम/गणपतराम	नायक	750.00
23.	,,	,,	,,	मैन्सी/रावताराम	,,	750.00
24.	,,	,,	,,	गिरधारी/पालाराम	,,	750.00
25.	,,	,,	,,	तनसुखा/गणपत	,,	750.00
26.	लाधूवाला	,,	,,	भगराज/तवकरण	नायक	750.00
27.	8 एम.एच.	,,	,,	करतारसिंह/नत्थूसिंह	मजवी	750.00
28.	,,	,,	,,	राजसिंह/करतारसिंह	,,	750.00
29.	,,	,,	,,	करतारसिंह/वागसिंह	,,	750.00
30.	,,	,,	,,	शंकरसिंह/नानगराम	नायक	750.00
31.	,,	,,	,,	लाभसिह/सौदागरसिंह	मजवी	750.00
32.	पक्कासारनान	,,	पक्कासरनान	रजीराम/कुरडाराम	नायक	750.00
33.	,,	,,	,,	गिरधारी/ग्यानाराम	बावरी	750.00
34.	,,	,,	,,	नानूराम/आदराम	मेघवाल	750.00
35.	,,	,,	,,	भागीरथ/वनवारी	कापड	750.00
36.	मारजन्डसिखान	,,	मारजन्डसिखान	तोतासिंह/कृपालसिंह	मजवी	750.00
37.	,,	,,	,,	टेकसिंह/नाजरीसिंह	,,	750.00
38.	,,	,,	प्रतापनगर	बन्तासिह/चंदनसिंह	रामदासिया	750.00

Page No.168

1	2	3	4	4	6	7
39.	करडवाला	,,	अमरगढ़	मुन्शीराम/रामूराम	नायक	750.00
40.	,,	,,	करडवाला	केसूरा/नानराम	चमार	750.00
41.	,,	,,	ढाणीखोचडान	स्वीकरण/मनीराम	मेघवाल	750.00
42.	,,	,,	,,	सोहनलाल/रतीराम	मेघवाल	750.00
43.	,,	,,	,,	डेगरराम/नत्थुराम	,,	750.00
44.	डूगरसिंहपुरा	,,	डूगरसिंहपुरा	मनफूल/किसनाराम	,,	750.00
45.	,,	,,	,,	गनेशा/सुन्दर	यासो	750.00

वर्ष 1983–84

1.	8 एच.एच.	,,	9 एच.एच.	गोपीराम/नानूराम	नायक	750.00
2.	,,	,,	,,	सूरजाराम/हरीराम	मेघवाल	750.00
3.	,,	,,	,,	कोलासिंह/श्यामसिंह	मजबी	750.00
4.	लाधूवली	,,	20 एम.एल	भीखाराम/धनाराम	नायक	750.00
5.	,,	,,	,,	मनफूल/किसनाराम	,,	750.00
6.	,,	,,	,,	गोपाल/गनपत	,,	750.00
7.	,,	,,	,,	जगदीश/जीवनराम	,,	750.00
8.	शाहपीनीरू	,,	शाहपीनी	मुन्शीसिंह/भगतसिंह	रासदासिया	750.00
9.	नकेरा	,,	,,	धनसिंह/करतारसिंह	मजबी	750.00
10.	,,	,,	,,	बलवन्त/दीवानचन्द	बाजीगर	750.00
11.	,,	,,	,,	इन्द्रासिंह/पसमसिंह	मजबी	750.00
12	,,	,,	,,	तेगजा/धनाराम	नायक	750.00
13.	हरीपुरा	,,	हरीपुरा	मनफूल/ख्यालीराम	चमार	750.00
14.	,,	,,	,,	बृजलाल/मांगीराम	,,	750.00
15.	,,	,,	,,	गोरीराम/तारूराम	,,	750.00
16.	,,	,,	,,	कुरडाराम/दयालराम	,,	750.00
17.	,,	,,	,,	गोपीराम/माभनराम	नायक	750.00

1	2	3	4	5	6	7
18.	रासवाला	,,	रासवाला	मनीराम/सागरराम	मजवी	750.00
19.	पक्काभादवा	,,	पक्का भादवा	अर्जुनसिंह/जुगलसिंह	,,	750.00
20.	,,	,,	,,	जयहिन्द/चेतराम	डोम्री	750.00
21.	,,	,,	,,	ओमप्रकाश/रूठाराम	चमार	750.00
22.	गणेशराम	,,	गणेशगढ़	ओमप्रकाश/रूठाराम	मेघवाल	750.00
23.	,,	,,	,,	कृष्णालाल/लालचन्द	,,	750.00
24.	,,	,,	,,	गोपी/बीरबल	,,	750.00
25.	डूंगरसिंहपुरा	,,	डूगरसिंहपुरा	ओमप्रकाश/मामेनराम	चमार	750.00
26.	,,	,,	15एस.पी.एम.	रणवीर/बीरबल	,,	750.00
27.	,,	,,	,,	काशीराम/सुखपाल	मेघवाल	750.00
28.	,,	,,	,,	गुरुदयाल/मालीराम	महतर	750.00
29.	सन्तपुरा	,,	सन्तपुरा	रूपला/डूंगरराम	मेघवाल	750.00
30.	,,	,,	,,	महेन्द्रसिंह-भागीसिंह	मजवी	750.00
31.	,,	,,	,,	सरवनसिंह/प्रहलादसिंह	,,	750.00
32.	,,	,,	,,	दर्शनसिंह/महेन्द्रसिंह	,,	750.00
33.	,,	,,	,,	लालाराम/डूंगरसिंह	मेघवाल	750.00
34.	अलीपुरा	,,	त्रिगतानिया	पन्नालाल/हरखाराम	,,	750.00
35.	,,	,,	,,	नत्थूराम/हरीराम	,,	750.00
36.	,,	,,	परपुरा	काशीराम/नीकाराम	मजवी	750.00
37.	किसनपुरा	,,	किसनपुरा	पालाराम/रघुराम	मेघवाल	750.00
38.	करडवाला	,,	करडवाला	भागीरथ/पाचूराम	मेघवाल	750.00

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 को रूपरेखा

जैसलमेर मरु उद्यान में कराये गये कार्यों का विवरण

क्रमांक	कार्य का नाम	इकाई	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	डेजर्ट हैविटार को ह्रास से बचाने के लिए संरक्षण तथा देख-रेख	3162 वर्ग किमी	संख्या किया जा रहा है।
2.	**मरु क्षेत्र के पौधों का पुनर्जनन**		
	(अ) बाढ़बन्दी तथा संरक्षित क्षेत्र में पुनः बीज बुबाई	हैक्टर	1000 हैक्टर में कार्य करके देख-रेख की जा रही है।
	(ब) बाढ़बन्दी, पौधारोपण और परिभ्रषित क्षेत्र में स्थानीय घासों का पुनः बीजारोपण	हैक्टर	840 हैक्टर में कार्य करके देख-रेख की जा रही है।
	(स) बाढ़बन्दी तथा संरक्षित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार पुनः बीजारोपण	हैक्टर हैक्टर	2400 हैक्टर में कार्य करके देख-रेख की जा रही है।
3.	**वाटर होल्स का विकास तथा वन संरक्षण**		
	(अ) ट्यूबवेल्स की देख-रेख	नम्बर	2 ट्यूबवेल्स की देख-रेख की जा रही है।
	(ब) नाड़ियों की देख-रेख	नम्बर	पांच नाड़ियों की देख-रेख की जा रही है।
	(स) गजलर और टंकों के लिए पानी की व्यवस्था	नम्बर	दो गजलरों का निर्माण करके उनकी देख-रेख की जा रही है। 6 अतिरिक्त गजलर

	2	3	4
			बनवाने के लिए पैसे अधिशाषी अभियन्ता को जमा करा दिया है। चार टांकों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। दो टांकों के निर्माण के लिए पैसा जमा करा दिया गया है।
4.	ऊँटों की देखभाल	नम्बर	19 ऊँटों की देखभाल की जा रही है।
5.	संरक्षण चौकी	नम्बर	10 चौकियों बनाई जाकर देखभाल की जा रही है।
6.	वुड फॉसिल पार्क, अकाल	—	क्षेत्र की देख-रेख तथा संरक्षण किया जा रहा है।

जैसलमेर मरु उद्यान में किये गये व्यय का वर्षवार विवरण

वर्ष	किया गया व्यय
	(राशि लाख रुपये में)
1978–79	4–32
1979–80	0–04
1980–81	20–33
1981–82	34–24
1982–83	23–66
1983–84	16–07
योग	99–66 लाख रुपये

भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा

(अ)	तारबन्दी पुनः बीजारोपण एवं लोकल घास की उगाई	10460 हेक्टर क्षेत्र
(ब)	तारबन्दी सेटेलाईट एरिया	800 हेक्टर
		11260 हेक्टर
2.	**जल स्रोतों का विकास**	
	(अ) मजलरों का निर्माण	16
	(ब) टांकों का निर्माण	10
3.	**भवन निर्माण कार्य**	
	(अ) फील्ड डायरक्टर आफिस व स्टाफ क्वाटर	10
	(ब) प्रोटेक्सन स्टाफ क्वाटर	11
	(स) सेल्टर हट	14
	(द) स्टाफ क्वाटर इन सेटेलाईट एरिया इन्सपेक्सन हट इन इन्टीरियर एण्ड सेटेलाइट एरिया	16
4.	ऊँटों का क्रय	8

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 की सूची

नाम थाना	डकैती के दर्ज मुकदमे की संख्या	डकैतियों की संख्या जिनमें माल बरामद हुआ	डकैतियां जिनमें माल बरामद नहीं हुआ की स्थिति		
			पेंडिंग	एफ आर/अदमपता	चालान
1	2	3	4	5	6
1. खण्डार	2	3	—	—	—
2. गढ़मोरा	3	—	—	2	1
3. हिन्डौन	10	4	—	4	2
4. टोड़ाभीम	6	—	—	5	1
5. करौली	6	—	1	3	2
6. मासलपुर	9	3	—	5	1
7. कैलादेवी	2	2	—	—	—
8. सपोटरा	5	1	1	2	1
9. मण्डरायल	2	1	—	1	—
10. सलेमपुर	5	—	2	2	1
11. बौंली	3	2	—	—	1
12. खाजनाइमर	1	1	—	—	—
13. बामनवास	4	1	—	2	1
14. सवाईमाधोपुर	1	—	—	—	1
15. मण्डार	3	1	—	2	—
16. गंगापुर	2	—	1	1	—
17. वजीरपुर	3	1	—	1	1
योग	67	19	5	30	13

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 की सूची

धारा 74 के अन्तर्गत दर्ज मामलों की सूची

क्र. सं.	नाम समिति	दोषी व्यक्ति	राशि
1.	देवड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, देवड़ा	श्री गौरी शंकर व्यवस्थापक	618.00
2.	काम्पा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, काम्पा	श्री प्रकाश चन्द व्यवस्थापक	23352.00
3.	भूति वृहत बहुधंधी सहकारी समिति लि०,	श्री चम्पालाल भू. पू. व्यवस्थापक	1000.00
		योग	24970.00

पुलिस में दर्ज कराये गये मामलों की सूची

क्र. सं.	नाम समिति	नाम दोषी व्यक्ति	राशि (गबन/धोखा धड़ी)
1.	सरनाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	श्री बाबूराम, व्यवस्थापक	2237.00
2.	गोलासन ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	श्री छोगा राम	2781.00
3.	सरनाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	श्री बाबूराम, व्यवस्थापक	1620.60
4.	गोलासन ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	श्री हरिराम, व्यवस्थापक	577.00
5.	राजीकावास ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०,	श्री ब्रह्मदत्त, व्यवस्थापक	2500.00
6.	सरनाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	श्री बाबूराम, व्यवस्थापक	6634.70

————

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का विवरण

परिशिष्ट-1

ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिनमें मजमये आम लगाया गया

(कोटा इकाई)

1-पंचायत समिति इटावा—

क्रमांक	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1	2
1.	करवाड
2.	पीपल्दा वाला
3.	रजोपा
4.	अयाना
5.	गणेश गंज
6.	विनायका
7.	गेंता
8.	बम्बूलिया वाला
9.	अयानी
10.	जलौदा खातियान
11.	इटावा
12.	लुहावद
13.	लक्ष्मीपुरा
14.	करजोदा
15.	पीपल्दा खुर्द
16.	रनोदिया
17.	नोनेरा
18.	बूसोद
19.	रीण
20,	तलाव

Page No.178

1	2
21.	जोरावरपुरा
22.	जटवाडा
23.	खातोली
24.	बागली
25.	पियाना
26.	छीपरी
27.	ककरावादा
28.	बोरदा

परिशिष्ट–2

2–पंचायत समिति सांगोद

क्रमांक	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1.	दीगोद
2.	कमोलर
3.	सांगोद-सांगोद क्रय-विक्रय
4.	विनोद खुर्द
5.	कुन्दनपुर
6.	थूनपुर
7.	कनवास
8.	गंगापुर
9.	धुलेट
10.	हिंगोनिया
11.	रूपाहेड़ा
12.	देवली
13.	ढोटी
14.	कुराड़
15.	आवां
16.	ऊरना
17.	आमली
18.	सावन भादो
19.	मादल्याहेड़ी
20.	श्यामपुरा
21.	मुकन्दावद
22.	हींगी
23.	जोगड़ा
24.	बोरीनांकला

परिशिष्ट–3

3–पंचायत समिति लाडपुरा

क्र. सं.	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1.	झालीपुरा
2.	रामराजपुरा
3.	तायेड़
4.	मोखा
5.	धाकड़खेड़ी
6.	खेड़ा रसूलपुर
7.	कैथून
8.	जाखोड़ा
9.	बड़ोदिया
10.	बड़ोदिया
11.	दीपपुरा
12.	रानपुर
13.	मण्डाना
14.	गोपालपुरा
15.	डडवाडा
16.	बोराबास
17.	नान्ता
18.	गोरधनपुरा
19.	नान्दना
20.	देवली अरब
21.	बोरखंडी
22.	बोरखडी
23.	भदाना
24.	नयागांव
25.	सोगरिया
26.	अर्जुनपुरा

परिशिष्ट–4

4–पंचायत समिति सुल्तानपुर

क्रमांक	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1.	सुल्तानपुरा
2.	सुरेला
3.	मोरपा
4.	बडोद
5.	मडावरा
6.	सीमल्या
7.	भौरा
8.	गड़ेपान
9.	डूंगरज्या
10.	दीगोद
11.	वनेठिया
12.	किशोरपुरा
13.	खेरूला
14.	आड़गांव
15.	टाकरवाड़ा
16.	लाखसनीजा
17.	मदनपुरा
18.	कोटड़ादीपसिंह
19.	बूढादीत
20.	भण्डाहेड़ा
21.	रेल
22.	चोमाकोट
23.	तोरन
24.	नीमोदा
25.	पोलाई
26.	कोटसुवां

Page No.182

परिशिष्ट–5

5–पंचायत समिति अन्तता

क्रमांक	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1	2
1.	पलायथा
2.	ठीकरिया
3.	भोज्याखेडी
4.	बालाखेडा
5.	बालदडा
6.	खजूरता
7.	सोसतन
8.	मिर्जापुर
9.	जयनगर
10.	बडवा
11.	बम्बुलिया
12.	टारडा
13.	कावरो
14.	पचेलकलां
15.	रायथल
16.	अन्ता
17.	सीसवाली
18.	तिसाया
19.	उदयपुरिया
20.	पाटोन्दा
21.	मांगरोल

1	2
22.	मऊ
23.	बोहल
24.	जारेला
25.	ईश्वरपुरा
26.	पाडलिया
27.	किशन पुरान
28.	शाहपुरा
29.	भटवाडा
30.	मालबम्बोरी
31.	बम्बोरी

Page No.184

परिशिष्ट-6

6–पंचायत समिति–खेराबाद

क्रमांक	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1.	रोछडिया
2.	गोयन्दा
3.	खेराबाद
4.	उन्डवा
5.	मंवपुरा
6.	जुल्मी
7.	गादिया
8.	कुम्भकोट
9.	पोपाखेडी
10.	सुकेत
11.	खीमच
12.	बुढखाना
13.	मोडक
14.	पीपल्दा
15.	खुडारूद्धा
16.	रामगंजमंडी

परिशिष्ट–7

7–पंचायत समिति–बारां

क्र. सं.	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1.	बटावदा
2.	मण्डोला
3.	कोयला
4.	कलमण्डा
5.	वामला
6.	तुलसा
7.	फतहपुर
8.	नारेडा
9.	वराना
10.	वारां कर्णधार
11.	मेलखेडी
12.	सुन्दलक
13.	वढां
14.	मियाडा
15.	खेराली
16.	रटावद
17.	सीमली
18.	वैगना
19.	इकलेरा
20.	पाठेडा
21.	माधना
22.	लिसाडिया
23.	तिसाया

परिशिष्ट–8

8–पंचायत समिति–अटरू

क्र. सं.	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1.	रामलाथान
2.	कवाई
3.	कूंडी
4.	ननावता
5.	ढोटी
6.	आटोन
7.	भैंसड़ा
8.	खुरी
9.	कुंजेड
10.	पिपलोद
11.	अटरू
12.	मेरमाचाह
13.	करजूना
14.	सकतपुर
15.	टापरिया रिछन्दा
16.	अन्ताना
17.	बरलां
18.	पटना
19.	गोविन्दपुरा
20.	सहरोद
21.	मोठपुर
22.	मूंडलाविसोती
23.	मुसई गूजरान
24.	छजावा
25.	चरड़ाना
26.	कटावर

परिशिष्ट–9

9–पंचायत समिति–छीपाबड़ोद

क्र. सं.	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1.	छीपाबड़ोद
2.	दीगोद खालसा
3.	गोरधनपुरा
4.	गुलखेड़ी
5.	अजनावर
6.	ढोलम
7.	हरनावदा शाहजी
8.	दीगोद जागीर
9.	विलेंडी
10.	बमारीकलां
11.	सारथल
12.	राई
13.	सेतकोलू
14.	कचरारिया
15.	झंझनी
16.	सहजनपुर
17.	बमोरीघाटा
18.	गगचाना
19.	देवरीजोद
20.	मोखमपुरा
21.	फूलबड़ोद

परिशिष्ट–10

10–पंचायत समिति–छबड़ा

क. सं.	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1.	निपानियां
2.	पचपाड़ा
3.	पाली
4.	सेमली
5.	कडेयाबन
6.	कड़ैया नोहर
7.	भूडक्या
8.	कोलूखेड़ा
9.	वल्हारपुर
10.	भीलवाड़ा नीचा
11.	गोडियाधारण
12.	भूलोन
13.	वापचा
14.	जैंपला
15.	गोडिया नेहर
16.	मोतीपुरा
17.	राजपुरा
18.	छबड़ा

परिशिष्ट–11

11–पंचायत समिति–किशनगंज

क्र. सं.	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1.	किशनगंज लेम्पस
2.	बासथूनी
3.	भवरगढ़
4.	सुभाषधट्टी
5.	नाहरगढ़ लेम्पस
6.	गरड़ा लेम्पस
7.	दीगोदपार
8.	सौभागपुरा लेम्पस अजनावर/रामबढ़/पीपल्दा/ पंचायत भवन
9.	सौभागपुरा लैम्पस सेवनी/रेलावन पंचायत
10.	जलवाड़ा लेम्पस
11.	जलवाडा लेम्पस
12.	सखरावदा
13.	काकड़दा
14.	मिसाई

Page No.190

परिशिष्ट–12

12–पंचायत समिति–शाहबाद

क्र. सं.	नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति
1.	केलवाडा
2.	,,
3.	,,
4.	समरानिया
5.	शाहबाद
6.	,,
7.	,,
8.	,,
9.	,,
10.	देवरी
11.	,,
12.	,,
13.	कस्बाथाना
14.	,,
15.	,,
16.	,,

परिशिष्ट अ

सहकारी अभियान की प्रगति रिपोर्ट जिला कोटा

क्र.सं.	पंचायत समिति	संख्या समितियां	कुल आवेदन पत्र प्राप्त	धारा 75 के प्राप्त मामले सं.	धारा 75 के प्राप्त मामले राशि	धारा 75 के मामले मौके पर निपटाए गये सं.	धारा 75 के मामले मौके पर निपटाए गये राशि	धारा 75 के मामले पुनः जाँच हेतु प्रस्तावित हुए	सदस्यता वृद्धि कुल	सदस्यता वृद्धि कमजोर वर्ग	आई. आर. डी. पी. के तहत ऋण का भौतिक सत्यापन कुल सत्यापित मामले	सही पाये गए	द.	आंशिक मवेशी मरने के मामले	पास बुकें नई	पास बुकें पूर्ण कराई	मूल धन से अधिक ब्याज के मामलों में नोटिस जारी किये गये
1	2	3	4	5		6		7	8		9				10		11
1.	लाडपुरा	18	76	1	0.01	—	—	32	2	—	664	43	111	10	501	521	261
2.	इटावा	25	339	51	0.60	47	0.64	31	169	156	227	119	69	39	280	292	780
3.	अन्ता	31	63	29	0.69	23	0.62	75	42	11	92	56	31	5	152	2004	505
4.	सांगोद	26	158	77	1.39	71	1.27	5	59	3	535	327	70	138	4492	8829	599
5.	रामगंज मंडी	17	32	17	0.09	10	0.05	18	9	3	61	12	27	22	3447	2025	104
6.	सुल्तानपुर	18	160	86	1.08	30	0.33	22	17	15	212	94	116	2	200	321	245
7.	बारां	13	52	15	0.08	11	0.04	42	1	—	18	11	3	4	81	213	369
8.	शाहबाद	5	31	18	0.24	6	0.24	—	—	—	90	90	—	—	55	—	—
9.	किशनगंज	7	58	6	0.10	4	0.03	26	—	—	—	—	—	—	86	81	—
10.	अटरु	21	112	32	0.24	10	0.04	34	3	1	192	64	27	101	330	709	460
11.	छीपाबड़ोद	21	52	6	0.05	1	0.02	1	85	78	241	94	14	133	2302	186	368
12.	छबड़ा	15	230	197	2.24	—	—	36	14	8	170	60	15	95	74	110	639
	योग	217	1363	535	6.81	213	3.28	322	401	275	2002	970	483	549	12000	15291	4330

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 की सूचना

क. सं	शीर्षक	नाम थाना	दर्ज मुदा	अदम वकू	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफ.	चालान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	डकैती	कोतवाली	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	6	2	—	—	1	3
3.	हत्या	,,	3	—	—	—	1	2
4.	नकबजनी	,,	42	6	24	—	9	3
5.	चोरी	,,	80	4	52	—	8	16
6.	बलात्कार	,,	1	—	1	—	—	—
1.	डकैती	सदर	1	—	—	—	—	1
2.	लूट	,,	2			—	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	हत्या	सदर	1	—	—	—	1	—
4.	नकबजनी	,,	6	1	3	—	2	—
5.	चोरी	,,	42	8	22	—	5	7
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	उद्योगनगर	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	—	—	—	—	—	—
3.	हत्या	,,	1	—	—	—	1	—
4.	नकबजनी	,,	11	1	8	—	2	—
5.	चोरी	,,	32	4	16	—	3	9
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	मालाखेड़ा	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	1	[illegible]	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	हत्या	मालाखेडा	1	—	—	—	1	—
4.	नकबजनी	,,	8	—	5	—	1	2
5.	चोरी	,,	12	5	4	—	2	1
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	रामगढ़	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	3	—	1	—	—	1
3.	हत्या	,,	4	—	1	—	—	3
4.	नकबजनी	,,	1	—	—	—	—	1
5.	चोरी	,,	22	2	13	—	2	5
6.	बलात्कार	,,	2	—	—	—	—	2
1.	डकैती	बहरोड़	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	हत्या	बहरोड़	—	—	—	—	—	—
4.	नकबजनी	,,	8	—	3	—	1	4
5.	चोरी	,,	30	11	11	—	1	7
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	बनासूर	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	—	—	—	—	—	—
3.	हत्या	,,	2	—	—	—	1	1
4.	नकबजनी	,,	5	—	2	—	1	2
5.	चोरी	,,	40	10	14	—	3	13
6.	बलात्कार	,,	1	1	—	—	—	—
1.	डकैती	माढ़न	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	1	—	—	—	—	1
3.	हत्या	,,	3	—	1	—	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	नकबजनी	मांडन	7	—	3	—	2	2
5.	चोरी	,,	6	2	1	—	—	3
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	शाहजहाँपुर	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	1	1	—	—	—	—
3.	हत्या	,,	1	—	—	—	—	1
4.	नकबजनी	,,	1	—	—	—	—	1
5.	चोरी	,,	6	3	3	—	—	—
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	किशनगढ़	1	—	—	—	1	—
2.	लूट	,,	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	हत्या	किशनगढ़	2	—	—	—	1	1
4.	नकबजनी	,,	3	—	1	—	1	1
5.	चोरी	,,	22	5	10	—	1	6
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	तिजारा	1	—	—	—	1	—
2.	लूट	,,	1	—	—	—	—	1
3.	हत्या	,,	—	—	—	—	—	—
4.	नकबजनी	,,	4	—	—	—	2	2
5.	चोरी	,,	20	7	7	—	3	3
6.	बलात्कार	,,	2	1	—	—	—	1
1.	डकैती	टपूकड़ा	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	4	1	—	—	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	हत्या	टपूकड़ा	4	—	1	1	1	1
4.	नकबजनी	,,	6	2	3	—	—	1
5.	चोरी	,,	22	3	11	—	4	4
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	खैरथल	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	1	—	—	—	—	1
3.	हत्या	,,	1	—	—	—	—	1
4.	नकबजनी	,,	2	—	2	—	—	—
5.	चोरी	,,	17	6	6	—	1	4
6.	बलात्कार	[illegible]	1	—	—	—	—	1
1.	डकैती	कोटकासिम	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	1	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	हत्या	कोटकासिम	—	—	—	—	—	—
4.	नकबजनी	,,	2	1	—	—	—	1
5.	चोरी	,,	10	2	3	—	2	3
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	मुण्डावर	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	2	2	—	—	—	—
3.	हत्या	,,	8	—	1	1	—	2
4.	नकबजनी	,,	5	1	1	—	—	3
5.	चोरी	,,	25	8	10	—	—	7
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	लछमणगढ़	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	हत्या	लक्ष्मणगढ़	1	—	—	—	1	—
4.	नकबजनी	,,	6	1	4	—	1	—
5.	चोरी	,,	30	22	3	—	—	5
6.	बलात्कार	,,	1	1	—	—	—	—
1.	डकैती	कठूमर	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	—	—	—	—	—	—
3.	हत्या	,,	1	—	—	—	1	—
4.	नकबजनी	,,	6	1	—	—	1	4
5.	चोरी	,,	10	4	3	—	2	1
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	खेड़ली	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	2	1	—	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	हत्या	खेड़ली	3	—	—	—	—	3
4.	नकबजनी	,,	8	1	2	—	5	—
5.	चोरी	,,	20	4	8	—	4	4
6.	बलात्कार	,,	1	—	—	—	—	1
1.	डकैती	गोविन्दगढ़	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	3	—	—	—	1	2
3.	हत्या	,,	—	—	—	—	—	—
4.	नकबजनी	,,	1	—	—	—	—	1
5.	चोरी	,,	8	2	2	—	1	3
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	राजगढ़	1	—	—	—	1	—
2.	लूट	,,	1	—	—	—	1	—
3.	हत्या	,,	3	—	—	1	1	1
4.	नकबजनी	,,	6	1	1		3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	चोरी	राजगढ़	25	6	5	—	3	11
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	प्रतापगढ़	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	1	1	—	—	—	—
3.	हत्या	,,	—	—	—	—	—	—
4.	नकबजनी	,,	2	—	—	—	1	1
5.	चोरी	,,	4	1	1	—	1	1
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	टहला	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	—	—	—	—	—	—
3.	हत्या	,,	—	—	—	—	—	—
4.	नकबजनी	,,	1	—	1	—	—	—
5.	चोरी	,,	7	1	3	—	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	बलात्कार	टहला	—	—	—	—	—	—
1.	डकैती	थानागाजी	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	2	1	—	—	—	1
3.	हत्या	,,	—	—	—	—	—	—
4.	नकबजनी	,,	2	—	1	—	1	—
5.	चोरी	,,	2	—	—	—	1	1
6.	बलात्कार	,,	1	—	—	—	1	—
1.	डकैती	नारायणपुर	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	,,	1	—	—	—	—	1
3.	हत्या	,,	1	—	—	—	1	—
4.	नकबजनी	,,	5	—	1	—	2	2
5.	चोरी	,,	4	2	1	—	—	1
6.	बलात्कार	,,	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 की सूची

क्र. सं.	शीर्षक	वर्ष	पंजिबद्ध	जेर तफ	चालान	सजा	रिहा/ बरी	राजी-नामा	न्यायालय विचाराधीन	झूठे	अदम पता	अदम वकु.	157बी जा. फौ.	299 जा. फौ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	कत्ल	1980	28	—	21	9	7	—	5	—	7	—	—	—
		1981	40	—	27	9	8	—	10	2	11	—	—	—
		1982	38	—	32	8	4	—	20	—	5	—	—	—
		1983	55	—	40	—	2	—	37	4	9	—	—	—
	जनवरी	1984	4	—	3	—	—	—	3	—	1	—	—	—
2.	दुर्घटना	1980	230	—	185	43	24	68	50	5	37	2	—	—
		1981	308	—	234	96	15	—	123	19	53	2	—	—
		1982	268	—	185	30	15	11	119	16	66	6	—	—
		1983	322	—	254	15	—	18	221	12	54	2	—	—
	जनवरी	1984	22	—	21	1	—	—	20	—	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	आगजनी	1980	8	—	2	—	—	—	—	1	3	2	—	—
		1981	12	—	6	—	—	—	—	3	3	—	—	—
		1982	9	—	3	3	3	—	2	2	3	—	—	—
		1983	17	—	7	—	—	—	7	4	6	—	—	—
	जनवरी	1984	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
4.	चोरी	1980	977	—	338	187	81	21	49	96	533	4	5	1
		1981	1190	—	409	187	53	14	155	106	655	14	3	3
		1982	963	—	318	63	13	12	230	109	527	5	3	—
		1983	934	—	252	28	5	5	214	119	552	5	3	3
	जनवरी	1984	71	1	24	—	—	—	24	7	39	—	—	—
5.	लूट	1980	35	—	20	8	9	—	3	8	6	—	—	—
		1981	73	—	38	12	6	—	20	75	10	—	—	—
		1992	46	—	26	4	2	—	20	9	10	1	—	—
		1983	47	—	31	—	—	1	30	12	3	1	—	—
	जनवरी	1984	3	—	2	—	—	—	20	1	—	—	—	—

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 की सूची

क्र. सं.	भूमि खरीददार का नाम	कीमत प्रति वर्ग गज/मीटर
1	2	3
1.	श्री चन्दनसिंह पुत्र श्री पावन सिंह	0·75
2.	,, शेराराम पुत्र श्री मेघाजी सिरवी	1·52
3.	,, हरजीराम पुत्र श्री वनाजी चौधरी चावन्डिया	1·50
4.	,, देवाराम पुत्र श्री चौधरी जैतपुर	1·51
5.	,, प्रभूराम पुत्र श्री पन्नालाल चौधरी भार.ज.	1·52
6.	,, प्रतापसिंह पुत्र श्री लालसिंह भा.ज.	0·66
7.	,, अम्बालाल पुत्र श्री नथाजी दर्जी भा.ज.	0·64
8.	,, शिवदान पुत्र श्री हिम्मतसिंह रा.रा.म.ज.	1·48
9.	,, बक्सीसिंह पुत्र श्री नरसिंह रा.रा. वाडसा	1·50
10.	,, पारसमल पुत्र श्री जेवतराम सेवक भा.ज.	1·50
11.	,, मनोहरसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह भा.ज.	0·66
12.	,, शिवदानसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह भा.ज.	0·65
13.	,, पेमारामजी पुत्र श्री धीरारामजी भा.ज.	1·49
14.	,, ओमप्रकाश पुत्र श्री नथीलालशर्मा भा.ज.	0·64
15.	,, बाबूलाल पुत्र श्री हंसाजी गवारिया भा.ज.	0·61
16.	,, ओमप्रकाश पुत्र श्री ताराचन्द सोनी भा.ज.	1·50
17.	,, बाबूसिंह पुत्र श्री ओटाजी पुरोहित भा.ज.	1·00
18.	,, कन्हैयालाल पुत्र श्री बीजारामजी कुम्हार भा.ज.	1·50
19.	,, बनाराम पुत्र श्री सवाराम सिखो भा.ज.	1·00
20.	,, युनुस पुत्र श्री वहीदखां मुसलमान भा.ज.	0·90
21.	,, भंवर पुत्र श्री गेन्दाराम मीणा भा.ज.	2·50
22.	,, हरीसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह चौधरी भा.ज.	2·40

1	2	3
23.	श्री घेवरचन्द पुत्र श्री मगराज दर्जी भा.ज.	10·00
24.	,, रहीमनखां पत्नी श्री रूंड खां मुसलमान भा.	7.00
25.	,, तेजेन्द्रकुमार पुत्र श्री गंगारामजी मानव भा.ज.	0·60
26.	,, शैतानसिंह पुत्र श्री थानसिंह भा.ज.	1·00
27.	,, छोटू एस० पटेल पुत्र श्री सांवल पटेल भा.ज.	1·00
28.	,, अहमदखां पुत्र श्री फूलखां मुसलमान भा.ज.	5·00
29.	,, जवरसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह राजपूत हेम०खुर्द	1.00
30.	,, विपुलकुमार पुत्र श्री शिवलाल शर्मा भा.ज.	0·61
31.	,, रमेश पुत्र श्री रामचन्द्र गुर्जर भा.ज.	0·60
32.	,, देवाराम पुत्र श्री हंसाजी गवारिया भा.ज.	0·61
33.	,, गोविन्दराम पुत्र श्री बालूराम सैनिक भा.ज.	10·00
34.	,, वहीदखां पुत्र श्री कबीर खां मुसलमान भा.ज.	0·90
35.	,, कबीरखां पुत्र श्री वहीदखां मुसलमान भा.ज.	0·90
36.	,, घीसालाल पुत्र श्री सोहनलाल गुर्जर भा.ज.	0·75
37.	,, श्रवणकुमार पुत्र श्री रामलाल भा.ज.	0·75
38.	,, रामचन्द पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर भा.ज.	0·75
39.	,, गणपतसिंह पुत्र श्री गायडसिंह कुम्पावत गुडा रामसिंह	0·75
40.	श्रीमती दरियावकंवर पत्नी श्री कमलसिंह भा.ज.	0·75
41.	श्री प्रेमनाथ पुत्र श्री मूलनाथ भा.ज.	1·50
42.	,, मोहम्मदखां पीरमोहम्मद पुत्र रसूलखां भा.ज.	2·00
43.	,, नारायणलाल पुत्र श्री भूरजी दर्जी भा.ज.	3·00
44.	,, चम्पालाल पुत्र श्री घीसूलाल दर्जी भा०ज०	3·00
45.	,, नाथूलाल पुत्र श्री गुलाबजी हरीजन भा.ज.	0·25
46.	,, रामवर्धन पुत्र श्री शिवरामजी भा.ज.	0·65
47.	श्रीमती मनोहरमादेवी पत्नी श्री शिवराज भा.ज.	2·00

1	2	3
48.	श्री सूरज सीजन पुत्र श्री पोकरजी हरिजन भा.ज.	0·25
49.	श्रीमती घर्नी वेवा आदूजी हरिजन भा.ज.	0·25
50.	श्री रामलाल पुत्र नेमाजी कुम्हार भा.ज.	1·00
51.	,, बाबूलाल पुत्र श्री नेमाराम कुम्हार भा०ज०	1·25
52.	,, श्रोमप्रकाश पुत्र श्री नदीलाल शर्मा	0·62
53.	,, हनीफ पुत्र श्री अकबर खां भा.ज.	5·00
54.	,, गनी मोहम्मद खां पुत्र लाल मोहम्मदखान भा०ज०	2·00
55.	,, गणेश पुत्र श्री सोहनजी मेघवाल भा०ज०	—
56.	,, नाहरसिंह पुत्र श्री रूघसिंह भा.ज.	4·00
57.	,, मगनाराम पुत्र श्री बजाराम भा.ज.	0·50

अतारांकित प्रश्न संख्या 198 के भाग 2 से सम्बन्धित सूची

क्र० सं०	दस्तावेज सं०	दिनांक	वर्ग गज	कीमत	वि०वि०प्र०व० गज कीमत
1	2	3	4	5	4
1.	137/80	11-3-80	300	500	1.63
2.	144/80	13-3-80	200	1000	5.00
3.	145/80	13-3-80	600	2000	3.34
4.	157/80	20-3-80	600	1500	2.50
5.	158/80	20-3-80	600	1000	1.67
6.	164/80	25-3-80	450	2500	5.45
7.	166/80	25-3-80	260	1000	3.84
8.	175/80	31-3-80	300	500	1.67
9.	176/80	31-3-80	600	1500	2.50
10.	187/80	7-4-80	210	2000	9.54
11.	198/80	11-4-80	181	9999	55.25
12.	199/80	11-4-80	181	9999	55.25
13.	200/80	11-4-80	240	11000	46.00
14.	213/80	19-4-80	180	9951	55.00
15.	214/80	19-4-80	350	9951	28.50
16.	215/80	19-4-80	100	9951	99.51
17.	216/80	19-4-80	100	9951	99.51
18.	217/80	21-4-80	250	2500	77.40
19.	218/80	21-4-80	350	2500	77.40
20.	219/80	21-4-80	100	750	7.50

Page No.210

1	2	3	4	5	6
21.	224/80	23-4-80	400	1000	2.50
22.	225/80	23-4-80	400	999	2.50
23.	229/80	29-4-80	600	2500	4.16
24.	233/80	1-5-80	378	4000	10.50
25.	236/80	2-5-80	700	1500	2.14
26.	241/80	6-5-80	600	1500	2.50
27.	256/80	12-5-80	442	1500	3.25
28.	262/80	13-5-80	1156	1500	1·25
29.	263/80	13-5-80	300	6000	2.00
30.	269/80	14-5-80	600	500	0.91
31.	277/80	19-5-80	200	1500	4.50
32.	325/80	26-5-80	300	999	3.33
33.	326/80	26-5-80	300	999	3.33
34.	331/80	3-6-80	696	2500	3.59
35.	357/80	9-6-80	1600	1000	0.62
36.	384/80	16-6-80	150	2000	13.33
37.	415/80	27-6-80	200	500	2.50
38.	440/80	27-6-80	350	6000	1.70
39.	445/80	27-6-80	192	6000	31.10
40.	446/80	27-6-80	192	6000	33.30
41.	458/80	2-7-80	150	5000	9.95
42.	470/80	8-7-80	150	5000	2.50
43.	480/80	14-7-80	195	2000	9.95
44.	495/80	15-7-80	600	1500	2.50
45.	496/80	15-7-80	600	1000	2.66

Page No.211

1	2	3	4	5	6
46.	519/80	22-7-80	600	600	1.00
47.		22-7-80	300	800	3.79
48.	537/80	28-7-80	54	1500	28.00
49.	553/80	6-8-80	264	1000	3.79
50.	577/80	14-8-80	100	2000	20.00
51.	579/80	14-8-80	792	4000	50.00
52.	582/80	18-8-80	450	5000	11.00
53.	614/80	5-9-80	1200	700	11.00
54.	631/80	17-9-80	600	500	0.85
55.	934/80	19-9-80	600	2500	4.10
56.	639/80	22-9-80	600	1000	1.66
57.	663/80	8-10-80	200	500	2.50
58.	664/80	13-10-80	300	2000	6.66
59.	665/80	13-10-80	800	6000	7.55
60.	673/80	14-10-80	600	6000	10.00
61.	676/80	15-10-80	95	19991	286.61
62.	688/80	22-10-80	525	500	9.10
63.	691/80	23-10-80	400	1000	2.50
64.	694/80	24-10-80	700	4000	5.75
65.	707/80	28-10-80	300	6500	13.00
66.	717/80	1-11-80	18 मीटर	6000	333.00
67.	719/80	3-11-80	1625	6000	3.70
68.	720/10	3-11-80	1027	5000	3.98
69.	721/80	3-11-80	1027	5000	3.98
70.	722/80	3-11-80	1027	5000	3.98

1	2	3	4	5	6
71.	723/80	3-11-80	1027	5000	3.98
72.	724/80	3-11-80	1027	5000	3.98
73.	741/80	17-11-80	162	500	3.00
74.	742/80	17-11-80	100	3941	39.40
75.	744/80	18-11-80	100	3951	30.40
76.	763/80	28-11-80	600	1500	2.50
77.	775/80	7-12-80	150 मीटर	4000	26.66
78.	797/80	12-12-80	700	1500	2.10
79.	802/80	15-12-80	800	2000	2.50
80.	806/80	16-12-80	700	2500	3.50
81.	808/80	18-12-80	95	4000	42.00
82.	8/81	3-1-81	312	800	2.55
83.	10/81	5-1-81	95	4000	42.00
84.	19/81	8-1-81	290	5000	13.75
85.	24/81	14-1-81	216	1000	6.66
86.	34/81	20-1-81	300	2000	6 66
87.	35/81	20-1-81	300	2000	2.00
88.	76/81	28-1-81	300	600	2.00
89.	84/81	31-1-81	275	5500	20.00
90.	96/81	2-2-81	500	3000	6.00
91.	97/81	2-2-81	300	1500	5.00
92.	150/81	21-2-81	390	6000	15.50
93.	168/81	4-3-81	200	5000	25.00
94.	183/81	12-3-81	600	5000	8.33
95.	305/81	16-5-81	1200	1200	0.75

Page No.213

1	2	3	4	5	6
96.	331/81	25-5-81	300	1500	3.00
97.	332/81	,,	300	1500	5.00
98.	344/81	26-5-81	216	500	2.25
99.	363/81	3-6-81	1200	3000	2.50
100.	364/81	3-6-81	600	1500	2.50
101.	372/81	4-6-81	600	1000	2.66
102.	395/81	8-6-81	600	4000	5.66
103.	456/81	18-6-81	812	6000	7.40
104.	461/81	19-6-81	171	1000	5.75
105.	462/81	19-6-81	171	1000	5.75
106.	463/81	19-6-81	10 मीटर	9000	500.00
107.	530/81	14-7-81	360	1000	2.40
108.	691/81	16-10-81	555	2000	3.75
109.	694/81	17-10-11	1888	2850	1.50
110.	698/81	18-10-81	300	1000	3.33
111.	718/81	5-11-81	450	6000	13.00
112.	719/81	5-11-81	450	6000	13.00
113.	751/81	24-11-81	400	1000	2.50
114.	764/81	1-12-81	600	2000	3.66
115.	765/81	1-12-81	600	2000	3.66
116.	766/81	2-12-81	400	3000	3.66
117.	791/81	21-12-81	700	3000	7.50
118.	794/81	21-12-81	600	3000	4.30
119.	2/8I	15-1-82	1150 मीटस	2000	5.30
120.	27/82	13-1-82	1314	1500	1.95

1	2	3	4	5	6
121.	29/82	14-1-82	6000	4000	4.80
122.	31/82	15-1-82	600	1500	2.50
123.	32/82	15-1-82	600	150	2.50
124.	34/82	15-1-82	170 मीटर	500	3.00
125.	52/82	27-1-82	600	3000	5.00
126.	64/82	2-2-82	740	300	0.45
127.	88/82	10-2-82	396	2500	6.30
128.	108/82	20-3-82	—	700	4.10
129.	116/82	26-2-82	2147	24500	11.40
130.	135/82	12-3-82	450	3500	8.00
131.	152/82	22-3-82	792	4500	5.60
132.	195/82	19-4-82	600	1800	2.50
133.	200/82	23-4-82	6000	7000	10.11

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 की जांच रिपोर्ट

विषय :—सरपंच, ग्राम पंचायत घिनोई के द्वारा हजारों रुपयों का घोटाला।

प्रसंग :—आपका पत्रांक : 446 ता० 24-3-79 प्रासंगिक पत्र के अनुसार उक्त शिकायत की जांच पाइन्टवाइज निम्न प्रकार प्रेषित है :—

(1) इसकी जांच करने पर वा मजदूरों वा शिकायतकर्ता भूतपूर्व सरपंच श्री यादव के बयान लेने पर निम्न तथ्य सामने आये :

ट्रक व ट्रैक्टर से पत्थर डालना निम्न व्यक्तियों ने अपने बयान में बताया :—

1. श्री सूरजाराम पुत्र श्री भूधाराम बागडा, घिनोई
2. ,, कजोड़ पुत्र श्री छोटू कुम्हार, घिनोई
3. ,, कजोड़ पुत्र श्री गोधूराम बुनकर, घिनोई
4. ,, गौरीशंकर पुत्र श्री नारायण मीणा, घिनोई
5. ,, छोटू पुत्र श्री गोधा खाती, घिनोई
6. ,, लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मंगल, घिनोई
7. ,, रामेश्वर पुत्र श्री सूरजमल शर्मा, घिनोई
8. ,, राधेश्याम पुत्र श्री रणमल शर्मा, घिनोई
9. ,, बंशीधर दास — कानरपुरा
10. ,, रामनारायण पुत्र श्री गोधाराम अहीर, घिनोई

परन्तु इन निर्माण कार्यों के भुगतान की मस्ट्रोल देखने पर विदित होता है कि कहीं पर भी ट्रैक्टर व ट्रक से पत्थर लाना सिद्ध नहीं होता है। बिना किसी रेकार्ड प्रूफ के यह सिद्ध नहीं होता है कि इन निर्माण कार्यों पर पत्थर ट्रक वा ट्रैक्टर से डाले गये होंगे। अत: यह आरोप रेकार्ड से सिद्ध नहीं होता है। चूंकि सभी मस्टोलों का ऑडिट भी पूर्ण हो चुका है।

(2) मजदूरों को भुगतान कम दिया जाता है व हस्ताक्षर पूरे गेहूं का करवाया जाता है।

उत्तर—इस सम्बन्ध में कुल 29 आदमियों के बयान लिये जिनमें जांच के समय केवल श्री सूरजमल पुत्र भूथा बागड़ा, घिनोई ने अपने बयान में भुगतान मजदूरी नहीं होना बताया है। परन्तु मस्ट्रोल संख्या 31953 में (औषधालय के सामने कुएँ का पारा निर्माण) श्री सूरजमल के टिकट पर 352/– रुपये (320 किलो 100 ग्राम गेहूं) का भुगतान प्राप्ति पर हस्ताक्षर है (अंगूठा निशानी)।

इसके अलावा किसी भी मजदूर ने जांच के दौरान यह नहीं बताया कि मुझे मेरी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। इस कारण यह आरोप सिद्ध नहीं होता है।

(3) मस्ट्रोल में फर्जी इन्द्राजात किये जाकर, गेहूं ब्लेक किये जाते हैं।

उत्तर—जांच के समय किसी ने भी इस तरह के बयान नहीं दिये कि गेहूं का ब्लेक किया गया है। केवल शिकायतकर्त्ता श्री महन्त बन्शीधर दास ने ही अपने बयानों में बताया है कि गेहूं का ब्लेक किया गया है तथा भिन्न-भिन्न तारीखों में गेहूं बेचा गया है परन्तु रेकार्ड वा बयानों से यह कहीं पर भी सिद्ध नहीं होता है।

(4) यह कि ग्राम कारनपुरा में एक पानी की टंकी बनाने के नाम पर 28-2-79 तक बिना कार्य किये ही 8 क्वि. गेहूं की मस्ट्रोल भर ली गई किन्तु कार्य नहीं करवाया गया। जब गांव वालों ने इसकी शिकायत की तो अब काम चालू किया है। जो भी इतनी मजदूरी का नहीं होता जिसका निरीक्षण किया जाना जरूरी है।

उत्तर—ग्राम कारनपुरा में एक पानी की टंकी का निर्माण इस योजना में करवाया गया है जिसकी मस्ट्रोल संख्या 80550/80551 द्वारा कार्य करवाया गया है।

मस्ट्रोल संख्या 80550 का अवलोकन करने से विदित होता है कि यह मस्ट्रोल 10 मजदूरों की दिनांक 19-2-79 से 28-2-79 तक भरी गई है जिसका कुल खर्चा 882/- रुपये बताया है (गेहूं 8 क्वि. 11 किलो 800 ग्राम) तथा दूसरी मस्ट्रोल संख्या 80551 भी 10 मजदूरों की दिनांक 16-3-79 से 31-3-79 तक भरी गई है जिसका खर्चा 1262/- रुपये बताया गया है। अनाज (11 क्वि. 47 किलो 300 ग्राम)।

इस प्रकार इस टंकी पर कुल खर्चा 2144 रुपये (19 क्वि. 49 किलो 100 ग्राम गेहूं) बताया है तथा ओवरसीयर ने भी इसका मूल्यांकन 2223/- रु. का (स्पात के अलावा) बताया, जो पत्रावली में संलग्न है।

इस प्रकार दूसरी जाँच करने पर यह सिद्ध नहीं होता है।

इस प्रकार श्री महादेव प्रसाद भू. पू. सरपंच, घिनोई के विरुद्ध लगाये गये आरोप रेकार्ड से साक्षी से प्रमाणित नहीं होते। लेकिन मस्ट्रोलों का बारीकी से अध्ययन करने पर मस्ट्रोल संख्या 30561 खुर्रा निर्माण, स्वामियों की ढाणी, वार्ड नम्बर 8 में दिनांक 22-3-89 वा 23-3-79 तक श्री मोहनदास की हाजरी दर्ज है। जबकि श्री मोहनदास की मस्ट्रोल संख्या 32124 (रा० उ० प्रा० शा०, घिनोई) में भी 21-3-79 से 22-3-79 तक की दर्ज है जिसका भुगतान श्री मोहनलाल 1/2 रोज का डबल दिया जाकर श्री महादेव भू०पू० सरपंच ने अनियमितता बरती है।

सीमेन्ट :—

सीमेन्ट प्रकरण में छः कार्यों की भौतिक रूप से तकनीकी जांच ओवरसीयर द्वारा कराई गई, जिसकी रिपोर्ट साथ में संलग्न है।

संक्षिप्त में विवरण निम्नानुसार है :—

क्र०सं०	नाम कार्य	प्राप्ति सीमेन्ट स्टॉक से	ओवरसीयर की रिपोर्ट से उपयोग में ली गई सीमेंट
1.	दवाखाने के पास का कुआ	6 कट्टे	2-2 कट्टे
2.	नाली निर्माण, घिनोई	6 ,,	6 ,,
3.	टंकी निर्माण, कानरपुरा	35 ,,	29 ,,
	औषधालय भवन डण्डा	2 ,,	सीमेन्ट का उपयोग नहीं किया गया।
5.	बड़ का गट्टा घिनोई	14 ,,	14 कट्टे
6.	पीपल का गट्टा घिनोई	6 ,,	6 ,,

इस प्रकार ओवरसीयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्न कार्यों पर सीमेन्ट अधिक बताई गई है :—

1.	दवाखाने के पास कुआ	3.8 कट्टे
2.	टंकी निर्माण	6 ,,
3.	औषधालय डण्डा	2 ,,
		11.8 कट्टे

चूँकि ओवरसीयर ने 4-5 वर्ष बाद किये हुए कार्यों का मूल्यांकन किया है और पंचायतों के पास तकनीकी आदमी रहते नहीं हैं। यह निर्माण कार्य बी०एस०-आर० के अनुरूप अक्षारस करें। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण है फिर भी यदि अपव्यय मानकर मांना जाये तो यह राशि 11.8 कट्टे की सीमेन्ट की वसूली योग्य है।

रेकार्ड में किसी प्रकार की कांट-छांट ओवरराइटिंग कहीं पर भी दृष्टिगत नहीं हुई है।

अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित है :—

संलग्न :—

1. मूल शिकायती-पत्र मय पत्रावली पेज संख्या (19)
2. मूल जे०इ०एन० रिपोर्ट (2)

हस्ताक्षर
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति गोविन्दगढ़
जिला जयपुर।

क्रमांक/पंचायत/84/3666

दिनांक 29-9-84

प्रतिलिपि श्रीमान् उप-विकास आयुक्त (प्रशिक्षण), राज०, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हस्ताक्षर
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, गोविन्दगढ़
जिला जयपुर (राज०)

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 की सूची

प्रपत्र "क"

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कब्जे में भवनों के खर्चे की सूची

क्र० सं०	भवन का नाम	कार्यालय	तीन वर्षों के रख-रखाव व मरम्मत पर खर्च 1981-82	1982-83	1983-84	खर्चे का आधार
1	2	3	4	5	6	7
नगर खण्ड कोटा						
1.	—	डाक बंगला	27341	80732	53337	सालाना टूट-फूट की मरम्मत करवाना
2.	के.एन.आर.-9	पी.डब्ल्यू.डी. केन्टीन	72318	80967	93978	
3.	के.एन.आर. 77/1	पी.डब्ल्यू.डी. वर्कशॉप	11691	10446	14438	
4.	के.एन.आर. 35	पी.डब्ल्यू.डी. स्टोर (गोदाम)	6531	—	—	
5.	के.एन.आर. 35	स्टोर शेड	—	—	—	
6.	के.एन.आर./ 35 एफ	पी.डब्ल्यू.डी. स्टोर सैक्शन-2	—	12517	7868	
7.	के.एन.आर. 35/1	पी.डब्ल्यू.डी. बिल्डिंग स्टोर	—	—	—	
8.	के.एन.आर. 11 डी	पी.डब्ल्यू.डी. ओवरसीन स्टोर (लाल कोठी)	1062	3014	10625	
9.	के.एन.आर. 87	गार्डन ऑफिस	9800	9200	10800	
10.	के.एन.आर. 93	जे.ई.एन.आफिस स्टोर, लाडपुरा	—	--	—	
11.	के.एन.आर. 98	जे.ई.एन.स्टोर लाडपुरा	—	—	—	

Page No.220

1	2	3	4	5	6	7
12.	के.एन.आंर. 69	जल-मन्दिर	31747	39106	--	
13.	के.एन.आर. 57	साइकिल स्टेण्ड	—	13021	—	
जिला खण्ड कोटा						
1.	—	डाक-बंगला रामगंज मण्डी	2333	12669	18363	
2.	—	रेस्ट हाउस मोरक	—	—	—	
बारां						
1.	—	विश्रामगृह भवन	5970	24981	4330	
2.	—	पी.डब्ल्यू.डी. गोदाम	10618	7193	12052	
3.	—	कार्यालय सहा. अभि. निर्माण विभाग	2341	1534	496	
छबड़ा						
1.	—	विश्राम-गृह भवन	—	56162	50383	
2.	—	निर्माण विभाग कार्यालय	—	7346	4469	
			1,81,752-3	58,876-2	18,109	

———

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 61 का विवरण

प्रपत्र-"क"

पंचायत समिति रानी, देसूरी व मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 1980 से 1984 तक प्रारम्भ कराये गये राहत कार्यों की सूची :

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य

क. सं.	पंचायत समिति	क. सं.	नाम कार्य	पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5
1.	रानी	1.	खोड़ से जवाली सड़क	पूर्ण
		2.	रानी से मुण्डारा सड़क	अपूर्ण
		3.	खोड़ से रानी वाया नादान भाटान	,,
		4.	रानी से मोकमपुरा सड़क	,,
		5.	जीवन खुर्द से खारड़ा	,,
		6.	नाडोल से बीजोवा	,,
		7.	ए. आर. चाचोड़ी	पूर्ण
		8.	ए. आर. इठन्तरा मेडतियान	,,
		9.	कोजवे रानी (सुकड़ी नदी पर)	अपूर्ण
		10.	रामासिया नाडोल	पूर्ण रिपेयर वर्क
		11.	खिवाड़ा से पाचेटिया	अपूर्ण
		12.	नाडोल से सोमेसर	,,
		13.	धनला से वागोल सड़क	,,
		14.	पाचेटिया से सोमेसर वाया इन्दरवाडा	,,
		15.	खिवाडा से सोमेसर वाया पिलावनी	,,
		16.	वरकाना से दादाई	,,
		17.	ए. आर. किरवा	,,

Page No.222

1.	2	3	4	5
2. देसूरी		18. जवाली से परसराम महादेव		अपूर्ण
		19. घाणेराव दुदापुरा		,,
		20. सादड़ी से टाउन बाईपास		,,
		21. बाढ़ बचाव कार्य सादडी		,,
		22. देसूरी से अना गिराली		पूर्ण
		23. सिन्दरली से मुण्डारा		,,
		24. बागोल से जोजावर		,,
		25. ए. आर. डायलाना		,,
		26. घानेराव से मुच्छाला महावीर		,,
		27. रामासिया नाडोल		रिपेयर वर्क्स
3. मारवाड़ जंक्शन		28. माण्डा से राणावास		अपूर्ण
		29. साण्डा से वागोल पनोता सड़क		,,
		30. जाडन से मारवाड जंक्शन		,,
		31. धनला से वागोल		,,
		32. सारण से झामुण्डा सड़क		पूर्ण
		33. मारवाड़ जंक्शन से वोपारी वाया चिरपटिया		अपूर्ण
		34. इसाली से राणावास		,,
		35. सोजतरोड़ से बवान सड़क		पूर्ण
		36. खोरवा से कामलीघाट सड़क		,,
		37. मारवाड़ जंक्शन से बिठुडाकला		अपूर्ण
		38. खारची रेलवे फाटक से आउवा		,,
		39. राणावास से इसाली वाया झामुण्डा		,,
		40. आउवा से कराड़ी वाया बांता		,,
		41. गुडा अजबाजी से बासनी		,,

1	3	3	4	5

42. मारवाड़ जंक्शन से हेमसियावास — अपूर्ण
43. मारवाड़ जंक्शन से बागावास — ,,
44 गोलाई से सेखावास सड़क — ,,
45. धामली से भिमालिया सड़क — ,,
46. खिवाड़ा से गादाणा वाया पाचेटिया आऊवा — ,,
47. बांतावास से बाता रेलवे स्टेशन — ,,
48. बोरी माता से सारणा झामुण्डा — ,,
49. गेलावास से गुडा आगुंडी सड़क — ,,
50. खैरवा से खारची सड़क — पूर्ण
51. निम्बोड़ा क्रोसिंग से पाचेटिया — अपूर्ण
52. गुड़ा केशरसिंह में गुड़ा मोखामसिंह — ,,
53. धामली से बाता रेलवे स्टेशन — ,,
54. सेखावास से कंटालिया — ,,

सिचाई विभाग के कार्य :—

1. फुटिया एनिकट — पूर्ण
2. सिचाना एनिकट — ,,
3. रेंजिग ऑफ रेणिया — ,,
4. जोगडावास बांध — ,,
5. गढ़वाल की नाल — ,,
6. पातेला बांध — ,,
7. कराड़ी एनिकट — ,,
8. सातोप नालिया — ,,
9. गुडा रामसिंह एनिकट — ,,
10. काई एनिकट — ,,
11. जाडाकिया एनिकट (धमली) — ,,
12. अर्जुनसागर एनिकट — ,,

1	2	3	4	5
		13.	बाबामण्डी एनिकट	पूर्ण
		14.	गजला की नाल (भगोड़ा)	,,
		15.	करमाल एनिकट	,,
		16.	चिरपटिया	,,
		17.	सारण बांध	,,
		18.	पुलाद बांध	,,
		19.	डिगोर बांध	,,
		20.	मेवदा एनिकट	,,
		21.	राजीला की नाल	,,
		22.	रोडावास एनिकट	,,
		23.	चोकडिया एनिकट	,,
		24.	खाजूरो का टोडिया एनिकट (गुडा सूरसिंह)	,,
		25.	आखबास एनिकट	,,
		26.	लम्बा एनिकट	,,
		27.	बाता एनिकट	,,
		28.	कुम्हारों का नाल एनिकट	,,
		29,	पुलाद एनिकट	,,
		30.	पाचेटिया तालाब का एक्सटेन्शन	,,
		31.	कुम्हारों का वाला एनिकट	,,
		32.	बोगला एनिकट	,,
		33.	सिरीयारी	अपूर्ण
		34.	कंटालिया	,,
		35.	बोरखाडी एनिकट	,,
		36.	चिरपटिया बांध	,,
		37.	रेजिंग आफ जोगड़ावास बांध	,,
		38.	बोरीमादा एवं (कातून की नालपर)	,,
		39.	कालपुरा एनिकट	,,

Page No.225

1	2	3	4	5
		40.	रेजिंग आफ फुलाद बांध	अपूर्ण
		41.	मार्जीसा का नावोडा एनिकट	,,
		42.	छापरिया नाड़ी एनिकट	,,
		43.	मानी एनिकट को ऊँचा करना	,,
		44.	कंटालिया एनिकट	,,
		45.	नरसिंह पुरा एनिकट	,,
		46.	सारण एनिकट	,,
		47.	आंगदोष एनिकट पीचिंग का कार्य	,,
		48.	दुदोड़	,,
		49.	रोडावास बाढ़ बचाव	पूर्ण
		50.	जोगडावास गांव बाढ़ बचाव	,,
		51.	सुकड़ी नदी पर बेस फले रोकना	अपूर्ण
		52.	मेलावास बाढ़ बचाव कार्य	,,
		53.	नादाना भाटान	पूर्ण
		54.	बिंगरला एनिकट	,,
		55.	बिंगरला बांध	,,
		56.	मरम्मत कार्य चाचाड़ी तालाब	,,
		57.	किशनुपुरा एनिकट	,,
		58.	डारिया बांध	अपूर्ण
		59.	राणाजी की पाल	,,
		60.	जीवन कला गांव बाढ़ बचाव	,,
		61.	पिपल गांव बाढ़ बचाव	,,
		62.	खावेद गांव बाढ़ बचाव	,,
		63.	रामपुरिया गांव बाढ़ बचाव	,,
		64.	खिवाड़ा गांव बाढ़ बचाव	,,
		65.	धानडी तटबन्ध	,,
		66.	इतेन्द्रा मेडतीयान बाढ़ बचाव	,,
		67.	सियावा एनिकट	,,
		68.	सुन्दरनाडी एनिकट	,,

Page No.226

1	2	3	4	5
		96. वागोल एनिकट/बांध		पूर्ण
		70. काना		,,
		71. राजपुरा बांध		,,
		72. कोलर बांध		,,
		73. गुडा गोपीनाथ		,,
		74. खेतलाजी		,,
		75. सादड़ी		,,
		76. मेवी एनिकट		,,
		77. विरमपुरा एनिकट		,,
		78. सोनाना एनिकट		,,
		79. बाजारवाड़ा		,,
		80. सेली की नाल		,,
		81. धोडधडा		,,
		82. मगरतालाब		,,
		83. रेजिंग आफ केसूली बांध		,,
		84. डेडवान केनाल		,,
		85. छोड़ावाला केनाल		,,
		86. परसराम महादेव एनिकट		,,
		87. मोरला बांध		,,
		88. मालारी एनिकट		,,
		89. माडोल बांध		,,
		90. सिन्दरली बांध/तालाब		,,
		91, पनोता एनिकट		अपूर्ण
		92. आशापुरा एनिकट		,,
		93. कोटा सोलंकीयाम एनिकट		,,
		94. सारगवास सोभावास		,,
		95. वाड़ीघाटी बांध/एनिकट		,,
		96. मांडीगढ़ बांध का सुधार कार्य		,,
		97. मुथाना बांध को ऊंचा करना		,,
		98. गुडा अखेराज एनिकट		,,

1	2	3	4	5
			99. दादाई गांव बाढ़ बचाव	पूर्ण
			100. दुआरिया बांध	,,
वन विभाग के कार्य :				
1. मारवाड़ जंक्शन			1. जोजावर "ए"	पूर्ण
			2. जोजावर "बी"	,,
			3. जोजावर "सी"	,,
			4. सारण	,,
			5. सिरयारी	,,
			6. भंगोडा	,,
			7. कोट	,,
			8. सारण	,,
			9. जोजावर "डी"	,,
			10. जोजावर "ई"	,,
			11. भगोडा	,,
			12. जोजावर "एफ"	,,
			13. भगोड़ा "ब"	,,
			14. सारण "ब"	,,
			15. कन्टालिया	,,
			16. सिरयारी	,,
			17. जोड़ गुडा उम्मसिंह	,,
			18. वोरनाडी नर्सरी	,,
			19. दूदोड	,,
			20. जोजावर	,,
			21. गजनीपुरा	,,
2. रानी			22. वोजवा	,,
			23. रानी खुर्द	,,
			24. भभालिया	,,
			25. वीजवा	,,
			26. केसूली	,,
			27. बीजवा	,,

1	2	3 4	5
3. देसूरी		28. सिन्दरली	पूर्ण
		29. देसूरी	,,
		30. सेसली	,,
		31. डालोप	,,
		32. तिखी माडपुर	,,
		33. काणा भाकर	,,
		34. खोबा का गुडा	,,
		35. देसूरी प्लान्टेशन	,,
		36. देसूरी नर्सरी	,,
		37. सिरी माडपुर	,,
		38. केसूली	,,
		39. सिन्दरली	,,
		40. जवाली	,,
		41. वडोद	,,
		42. वारा सालकियान	,,
		43. रानी से वरकाना	,,
		44. देसूरी से सादड़ी	,,
भू-संरक्षण विभाग के कार्य :			
1. मारवाड़ जंक्शन		1. सिनला समोच्च रेखा बन्दी कार्य	पूर्ण
		2. इसाली गोचर सुधार कार्य	,,
		3. तालका तालाब कार्य	,,
		4. सिनला गोचर सुधार कार्य	,,
		5. सिनला–II	,,
		6. दुदोड	,,
		7. सिनला II	,,
		8. दुदोड ,,	,,
		9. सिनला ,,	,,
		10. तालका तालाब ,,	,,
		11. जाडन गोचर सुधार कार्य	,,
		12. जोजावर ,,	,,
		13. हिंगोला ,,	,,

Page No.229

1	2	3	4	5
		14. भिमालिया	,,	,,
		15. अखवास	,,	,,
		16. तालका	,,	,,
		17. धामली	,,	,,
		18. दुदोड	,,	,,
		19. मारवाड़ जंक्शन बाढ़ बचाव		,,
		20. हेमलियावास	,,	,,
		21. गादाना	,,	,,
		22. खारडा	,,	,,
		23. राजकियावास	,,	अपूर्ण
		24. घामली खडीन कार्य		,,
		25. सुगालिया गोचर सुधार कार्य		रदद
		26. माडा		,,
		27. रेवडिया गोचर सुधार कार्य		,,
2. देसूरी		28. ढालोप गोचर सुधार कार्य		पूर्ण
		29. आणा	,,	
		30. दादाई	,,	,,
		31. केसूली	,,	,,
		32. सिन्दरली	,,	,,
		33. आणा	,,	,,
		34. डायलाना	,,	,,
		35. डालोप	,,	,,
		36 यिपल	,,	,,
		37. मगरतालाब	,, तालाब	,,
		38. सादढ़ी	,,	,,
		39. देसूरी	,,	,,
		40. करणवा	,,	,,
		41. वागोल	,, तालाब	
		42. सादड़ी गोचर सुधार कार्य		पूर्ण
		43. देसूरी	,,	
		44. सरथूर	,,	,,
		45. गिराली	,,	,,
		46. मादा	,,	,,

Page No.230

1	2	3	4	5
		48.	सिनन्दरली सुधार कार्य	पूर्ण
		49.	कोठड़ा ,,	,,
		50.	परखेडा नाडोल ,,	,,
3.	रानी	51.	कवरकाना गोचर सुधार कार्य	,,
		52.	माण्डल ,,	,,
		53.	काकडावास ,,	,,
		54.	खरडा ,,	,,
		55.	खोड ,,	,,
		56.	बूसी-1 ,,	,,
		57.	किरवा ,,	,,
		58.	चाचेड़ी ,,	,,
		59.	गुडा देवड़ा ,,	,,
		60.	चागवा ,,	,,
		61.	खारडा ,,	,,
		62.	बिजोवा ,,	,,
		63.	जवाली ,,	,,
		64.	आकड़ावास ,,	,,
		65.	माण्डल ,,	,,
		66.	जवाली ,,	,,
		67.	खारडा ,,	,,
		68.	माण्डल ,,	,,
		69.	बिजोवा ,,	,,
		70.	आकड़ावास ,,	,,
		71.	भगवानपुरा ,,	,,

1	2	3	4	5
		72.	बालराई गोचर सुधार कार्य	रद्द
		73.	बूसी-I ,,	,,
		74.	बूसी-II ,,	,,
		75.	खोड ,,	,,
		76.	निम्बेड़ा बाढ़ बचाव कार्य	,,
		77.	खोड गोचर सुधार कार्य	अपूर्ण
		78.	सेदरिया ,,	,,
4.	देसूरी	79.	मगरतालाब ,,	,,
		80,	तापी ,,	,,

———

परिशिष्ट–15

प्रश्न संख्या 62 की सूची

अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1. श्री आर०एस० रेखी, महाप्रबन्धक (प्रोजेक्ट)
2. ,, के०सी० भार्गव, महाप्रबन्धक (वाणिज्य)
3. ,, हरी शंकर, मैनेजर कॉटन
4. ,, सुधीर कुमार, लेखाकार
5. ,, नारायणराम फगोड़िया, शाखा सहायक
6. ,, ज्ञानचन्द शर्मा, किस्म सहायक
7. ,, तेजसिंह निर्वाण, किस्म निरीक्षक
8. ,, महेन्द्र कुमार तिवारी, किस्म निरीक्षक
9. ,, इन्दरजीतसिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
10. ,, मुकन्दसिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
11. ,, रामगोपाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

परिशिष्ट—"अ"

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 65 का विवरण

कार्यालय स्पेशल आडिटर, सहकारी समितियाँ, भीलवाड़ा पं. स. मांडलगढ़

क्र. सं.	नाम संस्था	नाम मय पद जिसके विरुद्ध बकाया निकाली	वर्ष जबसे बकाया निकाली है	निर्णय दि.	निर्णित राशि	राशि वसूली हुई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	खाचरोल ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री वन्शी लाल पाराशर भू. पू. व्यव.	76–77	29.4.82	381.02	—	वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
		2. श्री फतेहसिंह मन्त्री	,,	,,	275.96	380.18	वसूली हो चुकी है।
2.	सिमोली ,, ,,	1. श्री वन्शीलाल नाई व्यव.		19.6.78	4687.51	—	वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।
		2. श्री हनुमान प्रसाद देबानिया	,,	—	5557.41	—	,, ,,
3.	नीम का खेड़ा ,, ,,	1. श्री भुरदास मन्त्री	,,	29.5.78	578.82	—	,, ,,

Page No.234

1	2	3	4	5	6	7	8
	नीम का खेड़ा ग्राम सेवा स. स. लि.	2. श्री शंकर सिह सदस्य		29.5.78	364.74	—	वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया
		3. श्री देवा		,,	134.46	—	
		4. श्री कृष्ण गोपाल		,,	364.74	—	,, ,,
		5. श्री नगजीराम		,,	364.74	—	,, ,,
		6. श्री गोरीदास		,,	364.74	—	,, ,,
		7. श्री नारायण		,,	230.26	—	,, ,,
		8. श्री गौरीशंकर चौबे भू. पू. व्यव.		,,	2143.16	—	,, ,,
4. खाचरौल	,, ,,	1. श्री जानमोहम्मद भू. पू. व्यव.	76–77	23.10.78	8548.45	—	सहायक शासन सचिव, सचिवालय जयपुर के यहाँ अपील चल रही है।
		2. श्री रणजीतसिंह ,,		,,	9098.86	—	,, ,,
5. सिगोली	,, ,,	1. श्री हनुमान प्रसाद देवानिया, व्यव.		24.10.78	12661.25	—	118 (1) का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।

1	2	3	4	5	6	7	8
6. महुआ	ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री छगनसिंह मन्त्री	77–78	13.11.79	2442.54	—	118 (1) का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
7. श्यामपुरा	,, ,,	1. श्री रघुवीरसिंह भू. पू. व्यव.		23.5.80	540.10	—	,, ,,
8. ,,	,, ,,	1. श्री रघुवीरसिंह ,,	78–79	,,	445.00	—	,, ,,
9. मालका खेड़ा	,, ,,	1. श्री मोहनलाल तुरकिया ,,	,,	21.5.80	26716.96	—	118 (1) का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
10. नीम का खेड़ा	,, ,,	1. श्री गौरीशंकर	,,	13.11.80	4089.45	1950.00	118 (1) वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
		2. श्री शंकरसिंह	,,	,,	300.00	351.00	वसूली प्राप्त हो चुकी है।
11. खटवाड़ा	,, ,,	1. श्री शंकरसिंह व्यवस्थापक	76–77	8.8.78	2196.27	2855.45	,, ,,
12. खाचरौल	,, ,,	1. मोहनलाल बिडला भू. पू. व्यव.	,, 79–80	22.6.81	235.00	—	वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
13. काछोला	ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री मदनलाल टेलर, भू. पू. मन्त्री	79–80	3.1.83	300.00	—	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया।
पंचायत समिति जहाजपुर							
14. वागकेझोपड़ो	,, ,,	1. श्री दुर्गालाल पारीक, भू. पू. व्यव.	76–77	27.5.78	405.46	—	,, ,,
		2. श्री बरदीचन्द भू.पू. व्यव.	,,	,,	541.61	—	,, ,,
15. आदर्श गौर	,, ,,	1. श्री रघुवीरसिंह मन्त्री	,,	30.5.78	122.40	—	,, ,,
		2. श्री दशरथसिंह व्यवस्थापक	,,	,,	14.00	—	,, ,,
		3. श्री शक्तिसिंह, व्यवस्थापक	,,	,,	393.40	—	,, ,,
16 अमरगढ़	,, ,,	1. श्री लक्ष्मणसिंह अध्यक्ष	,,	26.6.78	988.00	—	,, ,,
17. पीपलूद	,, ,,	1. श्री महावीर प्रसाद जैन	,,	29.1.80	3893.55	—	,, ,,
18. आमल्दा	,, ,,	1. श्री मूलसिंह अध्यक्ष	77–78	30.1.80	2859.00	—	,, ,,
19. भरपीकला	,, ,,	1, श्री उगमलाल मीणा, व्यव.	,,	29.9.80	4425.32	—	,, ,,
20. ,,	,, ,,	1. श्री उगमलाल मीणा ,,	76–77	,,	17673.00	—	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
21. विहाड़ा	ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री शफीमोहम्मद, व्यव.	76–77	13.10.80	100.00	100.00	वसूली हो चुकी हैं।
22. अमरवासी	,, ,,	1. श्री भवरलाल जैन, कोषा.	,,	23.12.80	2106.97	—	वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।
23. अमरवासी	,, ,,	1. श्री ओंकारसिंह भू.पू. व्यव.	78–79	14.1.81	2001.55	2001.55	वसूली हो चुकी हैं। ,,
24. त्रिलैठा	,, ,,	1. श्री सत्यनारायण ,,	,,	2.3.81	929.50	929.50	,, ,,
25. इटुन्दा	,, ,,	1. श्री वन्शीलाल, अध्यक्ष	,,	20.4.81	41.60	—	वसूली की कार्यवाही जारी है।
26. खेरावाद वृ. ग्रा. कृ. ऋण स.		1. श्री ज्ञानप्रकाश नामराणी भू. पू. व्यव.	79–80	7.6.82	273.20	273.20	वसूली हो चुकी है।
27. वैरूणा ग्राम सेवा स. स. लि.		1. श्री हरिसिंह, व्यवस्थापक	80–81	7.6.82	50.00	—	वसूली की कार्यवाही जारी है।
28. विहाड़ा	,, ,,	1. श्री शफीमोहम्मद, भू.पू. व्यव. ,,	,,	38.2.83	6130.00	—	,, ,,
29. इटुन्डा	,, ,,	1. श्री भवानीराम मीणा ,,	,,	17.3.84	7.00	—	,, ,,
		2. श्री ब्रह्म प्रकाश	,,	,,	685.34	—	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
इटुन्दा		3. श्री प्रहलाद मीणा	80–81	17.3.84	557.29	—	वसूली की कार्यवाही जारी है।
		4. श्री हीरालाल मीणा	,,	,,	1223.63	—	
		5. श्री वन्शीलाल भू.पू. अध्यक्ष	,,	,,	454.70	—	,, ,,
30. जहाजपुर	ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री कन्हैयालाल वर्मा, भू. पू. प्रशा.	,,	28.4.83	2608.00	—	,, ,,
31. बिलेठा	,, ,,	1. श्री कन्हैयालाल वर्मा	,,	,,	1420.00	—	,, ,,
		2. श्री रामसिंह भू. पू. व्यव.	,,	,,	410.00	—	,, ,,
32. बिहाड़ा	,, ,,	1. श्री शफी मोहम्मद ,,	,,	,,	7049.27	—	अति. रजि. सहकारी विभाग के यहाँ अपील चल रही है।
33. शंकरगढ़	,, ,,	1. श्री कन्हैयालाल शर्मा भू. पू. प्रशा.	,,	28.5.83	2003.00	—	वसूली हेतु 118(1) का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
		2. श्री जगदीश चन्द्र; व्यव.	80–81	,,	23.25	—	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	गन्धेर आदर्श ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री शक्तिसिंह भू. पू. व्यव.	81–82	3.10.83	2102.00	—	वसूली हेतु 118 (1) का
35.	कुन्डियाकला	1. श्री बंशीलाल पुरोहित, भू. पू. व्यव.	76–77	16.10.70	7319.60	—	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।
36.	जसवन्त पुरा " "	1. श्री सुरेशचन्द जोशी	79–00	20.2.81	244.07	—	वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
37.	बनैडा " "	1. श्री कवरअली भू. पू. अध्यक्ष	"	1.6.81	2450.20	—	वसूली की कार्यवाही जारी है।
38.	डाबला " "	1. श्री धनरूप ओझा भू. पू. मन्त्री	"	30.3.79	632.39	—	"
		2. श्री नानूराम भू. पू. व्यव.	76–77	"	14449.21	—	"
		3. श्री शंकरलाल दरगड "	"	"	239.00 239.00		वसूली हो चुकी है
39.	लुलास " "	1. श्री सोहनलाल सुवालका मंत्री	"	29.9.70	820.50	—	वसूसी की कार्यवाही जारी है।
40.	लाम्बिया " "	1. श्री ओमप्रकाश व्यास, भू. पू. व्यव.	"	2.8.82	985.49	—	"

1	2	3	4	5	6	7	8
41. उपरेडा	ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री धन्नादास वैष्णव भू. पू. व्यव.	79–80	2.2.81	103.00	113.00	वसूली हो चुकी है।
42. भीमपुरा	,, ,,	1. श्री रोशन लाल ,,	80–81	12.10.83	16658.10	—	वसूली की कार्यवाही जारी है।
43. सरदारनगर	,, ,,	1. श्री धन्नालाल जाट	82–83	26.6.82	58077.00	—	,,
पंचायत समिति, आसीन्द							
44. करमाकावडिया	,, ,,	1. श्री दुर्गासिंह मन्त्री	82–83	11.9.78	5231.69	—	,,
		2. श्री रामसिंह भू. पू. व्यव.	76–77	,,	67.25	—	,,
		3. श्री महाराम गूजर	,,	,,	555.70	—	,,
45. प्रतापपुरा	,, ,,	1. श्री नाथूराम कुमावत	,,	26.4.79	3286.92	—	,,
46. दौलतगढ़	,, ,,	1. श्री इन्द्रसिंह	,,	8.4.82	2056.94	—	,,
47. चैतपुरा	,, ,,	1. श्री राधेश्याम गर्ग	77–78	21.9.81	844.82	—	,,
48. बेदनोर	,, ,,	1. श्री मोहनलाल	81–82	15.3.82	211.50	—	अति. रजि. के यहाँ मामला अपील में चल रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8
49. ब्राह्मणी की सरेरी दुग्ध उत्पा.		1. श्री सोहनलाल अध्यक्ष	80–81	14.12.82	411.40	477.65	वसूली हो चुकी है
50. प्रतापपुरा ग्राम सेवा स. स.		1. श्री भागूराम तेली भू. पू. व्यव.	"	"	50.00	—	वसूली की कार्यवाही जारी है
	" "	2. श्री मनोहरलाल "	"	"	732.96	—	"
		3. श्री सोहन लाल "	"	"	410.40	275.00	"
51. गांगलास	" "	1. श्री हीरालाल	81–82	7.3.83	12535.00	—	"
		2. श्री सोहनलाल अध्यक्ष	81–82	"	1921.40	—	"
52. पुवालिया	" "	1. श्री गोविन्दसिंह तंवर भू. पू. व्यव.		"	3529.00	—	"
53. पुवालिया	" "	1. श्री रोशनलाल जैन, व्यव.	81–82	5.4.83	1300.00	—	अति. रजि. के यहां मामला अपील में चल रहा है।
54. वाजून्दा	" "	1. श्री दयालसिंह राजपूत व्यव.	82–83	24.1.84	1900.00	—	वसूली प्रमाण-पत्र जारी हो चुका है।

1	2	3	4	5	6	7	8
55. दातडा	ग्राम सेवा स. स.	1. श्री रामेश्वर लाल शर्मा	82–83	22.11.83	127694·00	—	अति. रजि. के यहां मामला अपील में चल रहा है।
पंचायत समिति, मांडल							
56. मांडल क्रय विक्रय स. स. लि.		1. श्री रोशनलाल गोखरू भू. पू. लेखा.	76–77	27.5.78	1819.85	—	वसूली प्रमाणपत्र जारी हो चुका है
57. चिलेश्वर ग्राम सेवा स. स. लि.		1. श्री जैठमल स्वर्गकार मंत्री	76–77	7.1.81	3536.25	3800.00	वसूली हो चुकी है
58.	,, ,,	1. श्री जैठमल स्वर्गकार मन्त्री	79–80	20.7.81	5114.00		वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है।
59. ज्ञानगढ़	,,	1. श्री माणक लाल भू. पू. व्यव.	78–79	10.3.81	63.50	63.50	वसूली हो चुकी है।
		2. श्री सोहनलाल, कोषाध्यक्ष	78–79	,,	1730.30	2868.50	— ,,
		3. श्री गंगाराम, अध्यक्ष	,,	,,	538.00	538.00	— ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
60.	चिताम्बा ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री प्यारचन्द कोषाध्यक्ष	79–80	10.8.81	390.00	—	वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया।
61.	मांडल क्रय विक्रय स. स. लि.	1. श्री लक्ष्मीलाल जोशी. भू. पू. व्यव.	79–80	6.3.81	750.35	—	,,
62.	,, ,,	1. श्री लक्ष्मीलाल जोशी भू.पू.व्यव.	78–79	7.5.81	295.95	—	,,
63.	शिवपुर ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री जुगराज जैन, भू. पू. व्यव	79–80	4.12.81	19467.20	—	,,
		2. श्री नाथूसिंह, भू.पू. व्यव.	79-80	14-12-81	1711.76	—	वसूली प्रमाण पत्र जारी हो चुका है
		3. श्री गोर्धन लाल नागदा	,,	,,	531.45	—	,, ,,
64.	तोरडिया ग्राम सेवा स.स.लि.	1. श्री रामकुवार शर्मा, भू.पू.व्यव.	,,	18-1-82	8454.22	4100.00	,, ,,
65.	,, ,,	1. ,,	80-81	16-6-82	360.61	—	,, ,,
		2. श्री योगेशकुमार ओझा	,,	,,	53.54	—	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. श्री हरदेव जाट, व्यवस्थापक	08-81	16-6-82	5.40	—	व. प्र.पत्र जारी हो चुका है।
66. शिवपुर	,,	1. श्री गोर्धनलाल नागदा	,,	23-8-82	1495.00	1000.00	,, ,,
67. भभापा	,,	1. श्री जयदेव सिंह	,,	22-2-83	176.00	180.00	वसूली हो चुकी है।
		2. श्री भैरूलाल भू.पू. व्यव.	,,	,,	711.00	—	प्रमाण पत्र जारी किया
		3. श्री शम्भूसिंह	,,	,,	436.00	—	,, ,,
68. लुहारडिया	,,	1. श्री रामस्वरूप मूंदडा	,,	3-10-83	[illegible]208.00	—	,, ,,
		2. श्री योगेश कुमार ओझा	,,	,,	1130.30	—	,, ,,
पंचायत समिति सहाडा							
69. कांगनों	,,	1. श्री बालूराम पिछोलिया भू.पू. व्यव.	,,	3-5-78	304.17	—	,, ,,
70. ,,	,,	1. श्री जगदीश प्रसाद	76-77	29.9.78	463.40	—	,, ,,
		2. श्री रामेश्वर लाल गोयल	,,	,,	402.34	—	,, ,,
71. शिवरनी	,,	1. श्री श्यामलाल/सुवालाल अग्र.	78-79	18-2-80	4431.36	—	सहायक शासन सचिव, सचिवालय में मामले में अपील चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8
72.	सरगांव ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री भगवती लाल भू.पू.व्यव.	77-78	24-6-80	5112.00	—	वसूली हेतु 118 (1) का प्रमाण पत्र जारी हो चुका है
		2. श्री ओमप्रकाश गोयल	78-79	,,	100.00	—	,,
73.	सोनीयाना ,,	1. श्री मांगीलाल शर्मा	,,	11-1-82	19581.20	—	सहायक शासन सचिव, सचिवालय के यहां पर मामले में अपील चल रही है।
74.	जलोदिया दुग्ध उत्पा. स. स.	1. श्री भगवती लाल भू.पू.व्यव.	79-80	21-1-83	1297.91	100.00	वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हैं।
		2. श्री भंवर सिंह	,,	,,	2223.74	—	,, ,,
		3. श्री गिरधारी लाल, भू.पू.अ.	,,	,,	1053.00	—	,, ,,
75.	खरगांव ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री बदरीलाल शर्मा, भू.पू.व्यव.	81-82	22-5-84	35841.00	—	,, ,,
		2. श्री किशन लाल नाई भू.पू.च.	,,	,,	3579.00	—	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
पंचायत समिति सुवाना							
76.	कान्दा ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री जगदीश चन्द्र, भू.पू.व्यव	78-79	26-3-80	15094.14	--	व. प्र. पत्र जा..कि.जा.चु.है
77.	नई ईरास ,,	1. श्री जयशंकर शर्मा, अध्यक्ष	,,	30-3-80	947.64	581.00	,, ,,
		2. श्री जीवन सिंह मन्त्री	,,	,,	935.65	—	,, ,,
78.	आरलिया ,,	1. श्री रमेश चन्द्र व्यास, भू.पू.व्यव.	79-80	21-5-80	200.00	—	अति. रजि. स. स. जयपुर के यहां मामला अपील में चल रहा हैं ।
79.	आटूप ,,	1. श्री रतन लाल पारीक, भू.पू.मं.	,,	7-1-81	4076.75	--	सहा. शासन सचिव सचिवालय जयपुर के यहां मामला अपील में चल रहा है ।
80.	स्वरुपगंज ,,	1. श्री उमरावसिंह भू.पू.व्यव.	,,	22-6-81	1575.70	1500.00	वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है
		2. श्री हरिसिंह चौबे, मन्त्री	,,	,,	4731.00	--	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. श्री भंवरसिंह, भू.पू.व्यव.	79-80	22-6-81	413.70	411.00	वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
81.	बड़ामहुआ ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री शंभूलाल ,,	,,	21-9-81	320.00	355.40	वसूली हो चुकी है।
82.	सिदडियास ,,	1. श्री योगसिंह राजपूत भू.पू.म.	,,	19-10-81	2646.80	—	वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।
83.	बडा महुआ ,,	1. श्री रामेश्वर लाल चौहान भू.पू.व्यव.	,,	23-11-81	847.69	—	,, ,,
84.	कोरोई ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री जानकीलाल	76-77	30-11-79	66.00	—	वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया।
		2. श्री छीतरमल लेखक	,,	,,	54.00	—	,, ,,
85.	स्वरूपगंज ,,	1. श्री हरीशंकर चौबे, भू.पू.म.	79-80	8-11-82	45.00	—	,, ,,
		2. श्री गणपतलाल रेवारी, भू.पू.व्य.	,,	,,	72.00	—	,, ,,
86.	आरलिया ,,	1. श्री मांगीलाल लुहार ,,	82-83	2-5-83	200.00	1000.00	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
87.	गांडरमाला ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री रामनाथ भू.पू.अध्यक्ष	80-81	17-5-83	561.94	1000.00	व. प्र. प. जा. कि.गया
88.	सुवाणा दुग्ध उत्पा.स.स.	1. श्री रामचन्द्र भू.पू.व्यव.	,,	,,	7646.00	—	,, ,,
		2. श्री गणेशलाल ,,	,,	,,	300.00	—	,, ,,
		3. श्री जगन्नाथ ,,	,,	,,	278.00	—	,, ,,
89.	सुवाणा ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री देवीलाल अध्यक्ष	82-83	8-3-84	21.00	—	,, ,,
पंचायत समिति शाहपुरा							
90.	शाहपुरा प. स. कर्म स. स.	1. श्री बुद्देव शर्मा	76-77	28-6-78	475.22	—	,, ,,
91.	नोम ग्राम सेवा स. स. लि.	1. श्री भंवर लाल शर्मा	,,	27-12-78	3722.30	—	,, ,,
92.	फुलियाकला ,,	1. श्री नाथूलाल लढा व्यव.	77-78	27-10-78	1330.00	1330.00	वसूली हो चुकी है।
93.	शाहपुरा ,,	1. श्री महादेव सिंधी भू.पू.व्य.	,,	7-2-79	15443.42	—	वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया।
94.	सांगरिया ,,	1. श्री सोहनलाल वैष्णव ,,	78-79	11-2-79	509.85	236.80	,,
ς9.	शाहपुरा हाथकर्धा वस्त्र उत्पा.	1. श्री उदयलाल कोठारी ,,	78-79	15-10-80	8066.33	—	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
पंचायत समिति–हुरड़ा							
96. जालमपुरा	ग्राम सेवा सह० समिति	1. श्री रामचन्द्र प्रजापत भूतपूर्व व्यवस्थापक	75-76	6-6-78	17.80	17.80	वसूली हो चुकी है।
		2. श्री रामकुमार शर्मा भूतपूर्व व्यवस्थापक	75-76	,,	1971.81	—	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।
97. तसवारिया	,,	1. श्री गोपाललाल लखारा	76-77	10-10-78	2160.34	—	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।
98. गागेडा	,,	1. श्री गोकलचन्द अध्यक्ष	,,	6-11-79	119.78	135.22	वसूली हो चुकी है।
		2. श्री मोठालाल भूतपूर्व व्यवस्थापक	,,	,,	1519.96	—	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया।
99. आंगूचा	,,	1. श्री वासुदेव हेटला भू.पू.व्यव.	,,	24-7-79	126.36	126.36	वसूली हो चुकी है।
		2. श्री रामस्वरूप मून्दड़ा कोषाध्यक्ष	,,	,,	1886.52	—	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. श्री रामनिवास भूतपूर्व व्यवस्थापक	76-77	24-7-79	331.78	126.36	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया ।
100.	गुलाबपुरा ग्राम सेवा सह. स.	1. श्री केदारमल तौपनीवाल कोषाध्यक्ष	77-78	19-5-79	29.22	29.22	वसूली हो चुकी है ।
101.	कराडिया ,,	1. श्री गोपाल लखारा भूतपूर्व व्यवस्थापक	,,	26-12-79	9739.22	8841.96	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया ।
102.	रूपाहेली खादी ग्रामोद्योग स०स०	1. रामेश्वरलाल जोशी व्यवस्थापक	,,	29-2-80	2117.68	2117.68	वसूली हो चुकी है ।
		2. श्री गणपतपुरी गोस्वामी भूतपूर्व	,,	,,	20617.85	1514.62	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया ।
103.	खेजड़ी ग्राम सेवा सह०स०लि०	1. रामकुवार शर्मा भूतपूर्व	80-81	15-6-83	1985.00	500.00	,,
104.	कवलियास ,,	1. श्री मोतीलाल मन्त्री	78-79	2-4-80	356.40	—	,,
105.	हुरडा लक्ष्मी श्रमिक ठेका सह०स०	1. कमरुद्दीन मुसलमान	,,	2-7-80	31609.60	—	,,
106.	गुलाबपुरा मार्केटिंग	1. श्री भैंरूलाल सैल्समैन	,,	24-1-83	29.75	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. श्री सज्जनसिंह मोडोत व्यवस्थापक	78-79	24-1-83	70.00	70.00	वसूली हो चुकी है।
107.	भादीकोकोडटी दुग्ध उत्पादन स०स०	1. श्री महावीर चौधरी भूतपूर्व व्यवस्थापक	82- 3	3-10-83	45.00	—	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया।
		2. श्री बीसालाल चौधरी	,,	3-10-83	87.00	—	,,
	पंचायत समिति–रायपुर						
108.	कोट ग्राम सेवा सह० स० लि०	श्री गणेशलाल व्यवस्थापक	76-77	7-1-78	602.63	487.57	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।
109.	खड़नान्दसा ,,	श्री मोहनलाल भूतपूर्व व्यवस्थापक	77-78	22-8-79	209.47	—	—
110.	वीराना ,,	श्री राजेन्द्रसिंह	78-79	30-12-80	12059.67	1500.00	—
111.	कांगनी ,,	श्री भैंरूलाल राय	79-80	,,	1336.00	1340.00	वसुली हो चुकी है।

1	2	3	4	5	6	7	8
112. खडनान्दसा	ग्राम सेवा स. स. लि.	श्री सोहनलाल कोठारी भूतपूर्व मन्त्री	79-80	30-12-80	12973.75	134.00	अति. रजि.महो.स. स. राज. जयपुर के यहां मामला अपील में चल रहा है।
113. योशपा	ग्राम सेवा. स. स. लि.	1. श्री राजेन्द्रसिंह भूतपूर्व व्यवस्थापक	,,	17-8-81	726.00	—	सहायक शासन सचिव सचिवालय जयपुर के यहां पर मामला चल रहा है।
		2. श्री गणपतलाल	,,	,,	306.00	—	,,
		3. ,, गोर्धनलाल	,,	,,	143.38	—	,,
		4. ,, हीरालाल	,,	,,	118.15	—	,,
		5. ,, व्याखद	,,	,,	145.70	—	,,
114. देवरिया	,,	1. श्री भैंरूलाल राठी	80-81	12-5-82	9740.00	—	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।

1	2	3	4	5	6	7	8
पंचायत समिति–कोटड़ी							
115.	माताजी का खेड़ा ग्रा.से. सह.स.लि.	1. श्री गणपतीलाल मन्त्री	76-77	10-12-79	13296.86	—	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।
		2. श्री फतहसिंह मोहम्मद भूतपूर्व व्यवस्थापक	,,	,,	17704.85	17704.85	वसूली हो चुकी है।
116.	वनकाखेड़ा ,,	1. श्री श्रीचन्द डांगी भूतपूर्व व्यवस्थापक	77-78	10-12-79	11383.87	4500.00	वसूली प्रमणा-पत्र जारी किया गया।
117.	मालाजी का खेड़ा ,,	1. श्री गणपतसिह भूतपूर्व मन्त्री	,,	7-7-70	17005.78	3200.00	,,
		2. श्री फतहसिह भूतपूर्व व्यवस्थापक	,,	,,	36216.84	795.15	,,
118.	कोटड़ी कृपक सेवा स० स०	1. श्री नेमीचन्द्र भूतपूर्व व्यवस्थापक	,,	11-7-80	9246.13	5200.00	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. श्री जीवनलाल भूतपूर्व कोषाध्यक्ष	77-78	11-7-80	811.28	5200.00	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया।
		3. श्री बालूलाल बलाई भूतपूर्व मन्त्री	,,	,,	1678.59	—	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।
		4. श्री भैरूलाल शर्मा भूतपूर्व मन्त्री	,,	,,	3483.83	—	अति.रजि. सहकारी समितियां जयपुर के कार्यालय में अपील में चल रहा है।
		5. श्री बालूराम पारासर भूतपूर्व व्यवस्थापक	,,	,,	2489.56	—	,,
		6. श्री प्यारचन्द तेली भू.पू.व्यव.	,,	,,	1678.59	—	,,
		7. श्री शंकरलाल काष्ट भूतपूर्व व्यवस्थापक	,,	,,	2750.72	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
119.	समतपुरिया ग्राम सेवा स०स०लि०	1. श्री गुलाबचन्द मून्दड़ा भूतपूर्व व्यवस्थापक	76-77	18-11-80	22739.27	5200.00	अति.रजि. सहकारी समितियाँ जयपुर के कार्यालय में अपील में चल रहा है।
120.	आकोला ,,	1. श्रीमती सुगनबाई/ वंशीलाल भूतपूर्व मन्त्री	77-78	18-6-80	10000.00	—	,,
121.	सातोलाकाखेड़ा ,,	1. श्री गुलाबचन्द मून्दड़ा भूतपूर्व व्यवस्थापक	80-81	23-11-81	3638.50	—	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।
122.	पारोली ,,	1. श्री जीवनलाल शर्मा भूतपूर्व व्यवस्थापक	76-77	15-6-83	53883.15	—	,,
	भीलवाड़ा शहर						
123.	भीलवाड़ा मलेरिया विभाग कर्मचारी सह० स० लि०	1. श्री कांतीलाल जैन भूतपूर्व मन्त्री	77-78	2-5-79	715.75	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. श्री सुरेशचन्द्र शो.पा.व्यव.	77-78	2-5-79	37.96	5200.00	वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।
124.	भीलवाड़ा सह० उप० भन्डार वार्ड नं० 3—4	1. श्री सत्यनारायण वाहेती सेल्समैन	79-80	,,	1853.85	—	,,
		2. श्री रामस्वरूप सामरिया व्यवस्थापक	,,	,,	3445.29	—	,,
125.	भीलवाड़ा कृषि अति० सेवा निर्माण सह० समिति	1. श्री लहरचन्द सुवालका व्यवस्थापक	,,	23-6-82	13811.45	—	सहायक शासन सचिव सचिवालय जयपुर के यहां मामला अपील में चल रहा है।
		2. श्री विनोदकुमार झंवर व्यवस्थापक	,,	23-6-82	1011.31	511.00	,,
		3. श्री शिवकुमार शुक्ला व्यवस्थापक	,,	,,	15568.70	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
126.	गंगापुर पिछड़ी जाति भवन निर्माण स० स० लि०	श्री श्यामसुन्दर त्रिपाठी व्यवस्थापक	78-79	21-5-80	160.00	160.00	राशि जमा हो चुकी है
127.	भीलवाड़ा सह० उप० भण्डार	श्री रामप्रसाद सोमानी एका.	79-80	21-3-83	30.00	30.00	,,
		,, कैलाशचन्द काबरा से.मैन	,,		93.25	93.25	,,
		,, मदन मोहन विजय अ० अधिकारी	,,		735.00	600.44	बकाया राशि हेतु कार्यवाही जारी है।
		,, गोपालसिंह वाहन चालक	सम्मिलित				
128.	गंगापुर क्र० वि० स० स० लि०	श्री सुलहसिंह गौड़ से.मैन	81-82	—	61277.00	—	धारा 74 के तहत सुनवाई जारी है।
		,, सुरेन्द्रसिंह सैल्समैन	,,				
		,, सुलहसिंह गौड़ व्यवस्थापक सम्मिलित	,,		26723.00	—	,,
		,, बंशीलाल स्टोर कीपर	,,				

1	2	3	4	5	6	7	8
		श्री सुन्दरलाल बागोटिया सेल्समैन	81-82				
		,, सुल्हेसिह गौड़ व्यवस्थापक सम्मिलित	,,	—	29138.87	600.44	धारा 74 के तहत सुनवाई चल रही है।
		,, बालमुकन्द सोनी एका०	,,				
		,, सुल्हेसिह गौड़ व्यवस्थापक सम्मिलित	,,	—	1147.00	—	,,
		,, सुल्हेसिह गौड व्यव.	,,	—	15898.13	—	,,
129.	गुलाबपुरा क०वि०स०स०लि०	श्री सुवालाल शर्मा सेल्समैन	,,	—	31351.49	—	,,
130.	माडल क०वि०स०स०लि०	श्री बापूलाल कोठारी व्यव.	,,	—	575.46	—	,,
		,, केदारमल बिड़ला सेल्समैन	,,				
		,, ललिता शंकर भट्ट सेल्समैन	,,	—	6102.23	—	,,
		,, सत्यनारायण कोठारी सेल्समैन	,,				

1	2	3	4	5	6	7	8
		श्री बंशीलाल बिड़ला एका. सम्मिलित	81-82				
		,, कैलाशचन्द बिड़ला से.मैन	,,	—	3904.49	600.44	धारा 74 से तहत [illegible] सुनवाई जारी है।
		,, ललिताशंकर भट्ट से.मैन	,,				
		,, लक्ष्मीलाल से.मैन सम्मि.	,,				
131.	सुभाष नगर गृह नि०स०स०लि०	श्री सुखदेव प्रसाद चौधरी प्रशासक	82-83	—	2800.00	—	,,
132.	सरदार नगर दुग्ध उत्पादक	श्री अर्जुनलाल जोरावर सहायक निरी.	79-80	—	7499.41	—	,,
		,, मुहम्मद खां, हमीद खां	,,				
133.	सरदार नगर दुग्ध उत्पादक	श्री उम्मेद खां, मुहम्मद खां	76-77	—	5981.84		,,
		,, अर्जुनलाल, हमीद खां					

Page No.260

1	2	3	4	5	6	7	8
134,	धरसनी दुग्ध उत्पादक	श्री मथुराप्रसाद व्यवस्थापक	82-83	—	2430.15	600.44	धारा 74 के तहत सुनवाई जारी है।
		,, उमंमलाल गुजर अध्यक्ष					
		,, देवीलाल उपाध्यक्ष,					
		,, समरथसिंह सेल्समैन,					
		,, तेजमल, भागचन्द,					
		,, प्यारचन्द					
135.	जालमपुरा दुग्ध उत्पादक	श्री गणपतलाल, व्यवस्थापक	81-82	—	3624.35	—	,,
136.	बातड़ा ,,	श्री गणपतसिंह, जग्गू व्यव.	,,	—	2675.58	—	,,
137.	प्रतापपुरा ,,	श्री धन्नालाल, अध्यक्ष	,,	—	1211.10	—	,,
		,, सवाईसिंह, भूतपूर्व व्यव.					
138.	बराना ,,	श्री सुखदेव, व्यव. भीमरा भूतपूर्व व्यवस्थापक	82-83	—	4327.31	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
139. अनुसूचित जाति गृह नि० गुलाबपुरा		श्री छगनलाल खटीक मन्त्री	81-82	--	832.75	—	धारा 74 के तहत सुनवाई जारी है।
140. सुवाना	जी० एस० एस०	,, भंवरलाल चपलोत अध्यक्ष	66-67	—	15001.50	—	,,
141. सुरास	,,	,, बंशीलाल, छोगालाल, रामलाल, मानूराम, रामचन्द्र-	79-80	—	65701.14	—	,,
142. कमलिवास	,,	श्री मनीराम, परिहार	80-81	—	2561.29	—	,,
143. रूडनानवा	,,	,, राजेन्द्रसिंह, भूतपूर्व व्यव.	81-82	—	2289.53	—	,,
144. बोराना	,,	,, राजेन्द्रसिंह, भूतपूर्व व्यव.	81-82	—	14535.01	—	,,
145. कनेनकता	,,	श्री रामस्वरूप शर्मा, व्यव.	82-83	—	2283.00	—	,,
146. बीलियां	,,	श्री ओमप्रकाश व्यास, व्यव.	81-82	—	14535.14	—	,,
147. बनेडा	,,	श्री नानूराम तेली, व्यव.	,,	—	600.00	—	,,
148. मिडोलिया	,,	श्री हजारीला. भूतपूर्व व्यव.	,,	—	546.00	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
149. शाहपुरा	जी. एस. एस.	श्री रामस्वरूप शर्मा, व्यव.	82-83	—	2407.40	—	धारा 74 के तहत सुनवाई जारी है।
150. गोडकानिम्बाहेडा	,,	श्री सूरजमल, व्यवस्थापक	,,	—	924.25	—	,,
151. दालेड़ा	,,	श्री जगदीशचंद, व्यवस्थापक	,,	—	2946.25	—	,,
152. सापोड़ा	,,	श्री रामप्रकाश, सैल्समैन	,,	—	226.20	—	,,
153. जालिया	,,	श्री देवीलाल, भूतपूर्व व्यव.	,,	—	1226.37	—	,,
		श्री बहादुरसिंह, व्यवस्थापक					
154. रूपचचालेल	,,	श्री प्रभूलाल नायक, सैल्समैन	,,	—	7707.43	—	,,
155. श्यामपुरा	,,	श्री चांदमल मंडोरा, व्यव.	,,	—	3284.79	—	,,
		श्री धर्मीचन्द डांगी, भूतपूर्व व्यवस्थापक					
156. छोटीबिजोलिया	,,	श्री जगन्नाथ जाकड़, व्यव.	,,	—	2776.25	—	,,
157. मुवालिया	,,	श्री रोशनलाल जैन व्यव.	,,	—	898.62	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
158. जालमपुरा	जी.एस.एस.	श्री मिट्ठूदास, व्यव.	82-83	—	6690.41	—	धारा 74के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।
159. बराठिया	,,	श्री मिट्ठूलाल, व्यव.	,,	—	2866.60	—	,,
160. सोनियाना	,,	श्री रामचन्द्र आचार्य, व्यव.	,,	—	2728.00	—	,,
		श्री माँगीलाल शर्मा, भूतपूर्व व्यवस्थापक					
161. गीरिलिया	,,	श्री मिठालाल व्यव.	81-82	—	3367.19	—	,,
162. पीपली	,,	श्री सत्यप्रकाश सोमानी भूतपूर्व व्यव.	82-83	—	57371.51	—	,,
163. भोजपुरा	,,	श्री पूनमसिंह, व्यव.	,,	—	7710.39	—	,,
164. पाटन	,,	श्री लक्ष्मीलाल जैन, भूतपूर्व व्यवस्थापक	,,	—	3721.08	—	,,
		श्री रामेश्वरलाल व्यव.					
165. कावलास	,,	श्री रामेश्वरलाल. व्यव.	,,	—	2488.31	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
166. धनोक	जी. एस. एस.	श्री कैलाशचंद, व्यव.	83-84	—	2808.13	—	धारा 75 के तहत सुनवाई जारी है।
167. राजयास	,,	श्री बंशीलाल, भूतपूर्व व्यव. श्री शंकरलाल, सेल्समैन	,,	—	6958.76	—	,,
168. मोटरास	,,	श्री लादूराम कुमावत, व्यव.	,,	—	1913.90	—	,,
169. गागवास	,,	श्री सोहनलाल, श्री अध्यक्ष, मुबारक हुसेन पठान, व्यव.	,,	—	5254.38	—	,,
170. छापरेल	,,	श्री लक्ष्मणसिंह, व्यव.	,,	—	3093.19	—	,,
171. चेलेश्वर	,,	श्री गंगाराम, भूतपूर्व व्यव. श्री प्रतापसिंह, तत्कालीन सैल्समैन श्री जेठमल स्वर्णकार, भूतपूर्व मन्त्री	,,	—	2338.95	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
172. पोखास	जी. एस. एस.	श्री रतनसिंह राठोड़, सैल्समैन	82-83	—	17701.26	—	धारा 74 के तहत सुनवाई जारी है।
		श्री गणेशलाल, व्यवस्थापक					
		श्री शंकरसिंह, सैल्समैन					
173. जामोती	,,	श्री सफी मोहम्मद, भूतपूर्व व्यवस्थापक	81-82	—	18140.50 479.28	—	,,
		श्री गुलाब शंकर, भूतपूर्व व्यव.					
174. नारी	,,	श्री जगदीशचन्द, व्यवस्थापक	82-83	—	8000.00	—	,,
175. कोट	,,	श्री जेठमल, व्यवस्थापक	,,	—	3330.66	—	,,
176. सोनयाना	,,	श्री सम्पतलाल जैन, व्यव.	,,	—	1685.00	—	,,
177. सरगांव	,,	श्री बद्रीलाल, भूतपूर्व व्यव.	,,	—	12384.27	—	,,
		श्री शोशमल जैन, व्यव.					
178. गंगापुर	,,	श्री रजाक मोहम्मद, व्यव.	,,	—	38842.27	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
179. बोराना	जी. एस. एस.	श्री राधेश्याम, व्यवस्थापक	82-83	—	14356.80	—	धारा 74 के तहत सुनवाइ जारी है।
		श्री हरिसिंह, सैल्समैन		—	1152.99	—	,,
180. नन्दराम	,,	श्री मदनलाल कालरा, व्यव.	,,	—	19546.99	—	,,
		श्री अलादीन, व्यवस्थापक					
		श्री भंवरसिंह, उपाध्यक्ष					
		श्री रामेश्वरलाल, व्यवस्थापक					
		श्री करणसिंह, मंत्री					
		श्री कन्हैयालाल, व्यवस्थापक					
181. लसारिया	,,	श्री अल्लादीन, भूतपूर्व व्यव.	,,	—	6285.77	—	,,
182. खातोली खेड़	,,	श्री देवीलाल आचार्य, व्यव.	,,	—	6045.63	—	,,
	,,	श्री वंशीलाल, भूतपूर्व व्यव.	,,	—	31025.40	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
184. पारोली	जी. एस. एस.	श्री जीवनसिंह, भूतपूर्व व्यव.	82-83	—	23944.57	—	धारा 74 के तहत सुनवाइ जारी है।
		श्री दौलतसिंह, व्यवस्थापक			2833.71		
		श्री अलादीन, व्यवस्थापक			2604.00		
		श्री महावीर जैन, व्यवस्थापक			268.94		
		श्री राधेश्याम कालरा, व्यव.			6.85		
		श्री विजयसिंह, व्यवस्थापक			248.10		
		श्री मदनलाल पारीक, व्यव.			20000.00		
		श्री वंशीलाल, व्यवस्थापक			740.00		
185. अजमेर	,,	श्री कैलाशचन्द मूंदरा, व्यवस्थापक	82-83	—	759.22	—	,,
		श्री रामकिशन, भूतपूर्व व्यव.			213.10		

1	2	3	4	5	6	7	8
186. देवली	जी. एम. एस.	श्री गौरीशंकर, व्यवस्थाप	82-83	—	5385.34	—	धारा 74 के तहत कार्यवाही जारी है।
		श्री गिरधारी बरवास, सहायक व्यवस्थापक			2766.10		
		श्री सूरजसिंह, व्यवस्थापक			2158.86		
		श्री बंशीलाल तिवाड़ी, भूतपूर्व व्यवस्थापक			254.02		
187. सीयड़ियास	,,	श्री जगदीशचन्द सुधार, व्यवस्थापक	,,	—	640.00	—	,,
		श्री गोपालदास बेरागी, सेल्समैन			54.00		
188. कान्दा	,,	श्री हरसलाल बिरला, भूतपूर्व व्यवस्थापक	,,	—	12302.65	—	,,

परिशिष्ट–17

तारांकित प्रश्न संख्या 67 की सूची

"अ"

कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

(1) योजना क्षेत्र

1. जयनारायण व्यास नगर योजना
2. सादुलगंज योजना
3. नागनेचोजी योजना
4. मुक्ता प्रसाद योजना
5. इन्द्रा नगर योजना
6. जवाहर नगर योजना
7. मघाराम वैद्य योजना
8. मुरलीधर व्यास नगर योजना
9. ट्रांसपोर्ट नगर योजना

(2) कच्ची बस्तियों की सूची (घोषित)

राजस्थान राज्य सरकार जयपुर दिनांक 5-9-56 क्रमांक डी/10503/एफ 1(क) (1) एल.एच.जी./55 के अन्तर्गत 25 कच्ची बस्तियां घोषित की गई। यह कच्ची बस्तियां सन् 1971 से पूर्व की हैं---

1. मोहल्ला पंजाबगिरान
2. मोहल्ला भटान
3. ,, घोषियान
4. ,, धावड़ियान
5. ,, रानीसर मालियान
6. ,, मेघवालान रोशनीघर
7. ,, हलाल खोरान
8. ,, टीकलीयान स्वामीयान
9. ,, जसोजाई मेघवालान
10. ,, बागवानान

11. मोहल्ला हरिजनान इस्टसाईड भटिन्डा रेल्वे लाइन
12. ,, मेघवालान आउटसाइड पाबूबारी
13. ,, नायकान गजनेर रोड
14. ,, नायकान गजनेर रोड
15. ” जस्सूसरबास मालियान और मेघवालान
16. ” नथुसरबास मालियान और भाटान
17. ” हरिजन आउट साइड नथुसर गेट
18. ” नायकान गंगाशहर रोड
19. ” हरिजन आउटसाइड गोगागेट
20. ” अमरसर वेल (अमरसर कुआँ)
21. ” रानीबाजार मालियान
22. ” मेघवालान अमरसिंहपुरा
23. ” नीयर रेल्वे टैन्ट (सर्वोदय बस्ती)
24. ” रानीसर मालियान आउटसाइड शीतलागेट
25. ” नायकान हनुमान हत्था

न्यास द्वारा समय-समय पर घोषित कच्ची बस्तियां जिनका विवरण निम्न हैं, **यह कच्ची बस्तियां 1971 के बाद घोषित हुई हैं**––

1. सादुलगंज
2. मोहल्ला पंचमुखा हनुमानजी
3. ” गुजरान कब्रिस्तान
4. मुक्ता प्रसार योजना (रामपुरा बस्ती)
5. बंगला नम्बर 10 के पीछे
6. इण्डस्ट्रीयल एरिया
7. चौखूंटी सांसियान
8. कच्ची बस्ती इनसाइड जस्सूसर गेट (मघाराम वैद्य योजना)
9. जस्सूसर गेट बाहर
10. मोहल्ला हरिजन कोरियान
11. सर्वोदय बस्ती नृसिंहसागर
12. सुभाषपुरा
13. कमला कॉलोनी

14. फतीहपुरा मेघवालान
15. हमालों की बारी भादाणियों की बगीची के बाहर
16. इन्द्रा नगर कच्ची बस्ती
17. पाबूबारी प्रताप बस्ती, हरिजन बस्ती

अन्य कच्ची बस्तियाँ जो न राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं ना ही न्यास द्वारा स्वीकृत हैं।

1. सागर रोड
2. भाटों का बाग
3. गुजरान का कब्रिस्तान के पूर्व में
4. कसाइयों की बारी के बाहर खटीकान
5. गुजरान गोगों गेट
6. गेरसरियान लाइन के पास
7. रोशनीघर चीलों के पास
8. रथखाना नाले के पास।

"ब"

कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

	वर्षवार व्यय			
(1) योजना क्षेत्र	1981-82	1982-83	1983-84	अगस्त-1984
1. जयनारायण व्यास			659812.00	
नगर योजना	1095800.00	997900.00	441512.00	385184.63
2. सादुलगंज योजना	511800.00	489500.00	82026.00	41760.50
3. नामनेचीजी योजना	193500.00	135700.00	124383.00	18606.45
4. मुक्ताप्रसाद योजना	—	200.00	2641.00	2918.50
5. इन्दा नगर योजना	24600.00	24000.00	10742.00	1755.00
6. जवाहरनगर योजना	39100.00	135200.00	73280.00	12936.70
7. मघाराम वैद्य नगर योजना	179600.00	43700.00	16219.00	—
8. मुरलीधर व्यास नगर योजना	—	2600.00	422619.00	17454.50
8. ट्रांसपोर्ट नगर योजना	13600.00	439700.00	241130.00	73440.00
(2) कच्चीबस्ती(घोषित)	804000.00	1310100.00	968873.00	251011.15
(3) आयोजना क्षेत्र (बीकानेर शहर की चाहर दीवारी से बाहर नगर परिषद की सीमा तक	1870000.00	3315400.00	3563963.00	500483.00

"स"

कार्यालय नगर विकास न्यास, जयपुर

	बजट प्रावधान 81-82	82-83	83-84	84-85
(1) योजना क्षेत्र				
1. जयनारायण व्यास नगर योजना	1095800.00	997900.00	307473.00	5036000.00
2. सादुलगंज योजना	511800.00	489500.00	82026.00	500000.00
3. नागनेचाजी ,,	193500.00	135700.00	124383.00	514000.00
4. मुक्ताप्रसाद ,,	—	200.00	2641.00	1475000.00
5. इन्द्रा नगर ,,	24600.00	24000.00	10742.00	—
6. जवाहरनगर ,,	39100.00	135200.00	73280.00	610000.00
7. मघाराम वैद्य ,, नगर योजना	179600.00	43700.00	162:9.00	300000.00
8. मुरलीधर व्यास नगर योजना	—	2600.00	422619.00	1225000.00
9. ट्रांसपोर्ट नगर योजना	13600.00	439700.00	241130.00	2175000.00
(2) कच्ची बस्ती (घोषित)	804000.00	1310100.00	968873.00	2000000.00
(3) आयोजना क्षेत्र (बीकानेर शहर की चाहर दीवारी के बाहर नगर परिषद की सीमा तक	1870000.00	3315400 00	3563963.00	11388000.00

परिशिष्ट–18

प्रश्न संख्या 71 की सूची

बीकानेर जिले में गत तीन वर्षों में उपलब्ध कराई गई नवीन सुविधायें ।

1. बीकानेर जिले में अधिक उद्योग लगाने हेतु गत तीन वर्षों में बिछवाल नापासर एवं लूणाकरणसर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये हैं । बिछवाल एवं लूणकरणसर में सड़क, पानी एवं बिजली उपलब्ध है एवं इन क्षेत्रों में उद्यमियों को सभी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं । नापासर में डब्ल्यूजीएम सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं पानी की व्यवस्था हेतु निगम इस क्षेत्र में कुंए खुदवाने पर विचार कर रहा है । ताकि शीघ्र ही उद्योग को जल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके ।

2. बीकानेर जिले में लघु उद्योगों को पन्द्रह प्रतिशत एवं वृहद व मध्यम उद्योगों को दस प्रतिशत स्थाई पूँजी विनियोजन अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

3. दिनाँक 1-1-1982 से जनरेटिंग सेट लगाने पर उद्यमियों को क्रय मूल्य का पचास प्रतिशत अथवा 2.5 लाख रुपये तक, जो भी कम हो, अनुदान उपलब्ध कराया गया है ।

4. अनुसूचित जाति, जन जाति के उपक्रमियों को भूखण्ड आवंटन पचास प्रतिशत की रियायती दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं ।

5. स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा पंचायत समिति/पंचायत/सहकारी समिति द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर भू-विकास अनुदान 33.33 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराया जाता है ।

6. उद्यमियों द्वारा डी. जी. सेट के माध्यम से उत्पादित विद्युत पर 6 पैसे प्रति यूनिट विद्युत शुल्क के स्थान पर 2 पैसे प्रति यूनिट विद्युत शुल्क लिया जाता है ।

7. शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार की नई योजना राज्य में 15 अगस्त, 1983 से प्रारम्भ की गई है, जिससे जिला बीकानेर के शिक्षित बेरोजगार भी लाभान्वित हुए हैं ।

बीकानेर जिले की लघु उद्योग इकाइयों को निर्धारित दर पर लोहा व इस्पात कच्चा माल का आवंटन किया गया जिसकी

सूची, वर्ष 1982–83

क्र. सं.	इकाई का नाम		मात्रा
1.	खादी मन्दिर चूना उद्योग, बीकानेर	सी. आर. शीट्स	6.553
			2.032
			0.602
2.	आजाद आयरन एण्ड. बीकानेर	गर्डर	2.085
		,,	2.294
		जी.पी.	1.376
3.	अब्दुल मसिक अब्दुल रहमान आयरन इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	गर्डर	1.817
		बी. पी. शीट्स	1.459
		जी. पी.	1.275
4.	हाजी मोहम्मद बख्श शौकत अली बीकानेर	गर्डर	1.734
5.	जमालदीन एण्ड सन्स, बीकानेर	गर्डर	1.823
6.	बीकानेर आयरन सेन्टर	गर्डर	1.972
7.	जहीरदीन हाउस, बीकानेर	जी. पी	1.254
8.	नेशनल फर्नीचर वर्क्स, बीकानेर	जी. पी.	1.251
9.	उस्मान गनी राठौड, बीकानेर	,,	1.298
10.	मोहम्मदी आयरन वर्क्स, बीकानेर	,,	1.357
11.	जय श्री इण्डस्ट्रीज	,,	1.254

क्र. सं.	इकाई का नाम		मात्रा
12.	मोहम्मद इशाक मो. हुसेन, बीकानेर	जी. पी.	1.018
13.	अब्दुल रहमान लोहार, बीकानेर	जी. पी.	0.481
		सी. आर.	0.020

वर्ष 1983-84

1.	आजाद आयरन एण्ड.	बी. पी. शीट्स	1.767
2.	मोहम्मदी आयरन वर्क्स	जी. पी.	1.013
3.	उसमान गनी राठौड़	जी. पी.	2.020 1.980
4.	मोहम्मद फारूख पुत्र गफूर वर्क्स	जी. पी.	1.029
5.	अनवर अली पुत्र फकीर मोहम्मद	जी. पी.	0.425
6.	मोम्मद ईशाक मोहम्मद हुसेन	जी. पी	1.864
			0.940

वर्ष 1982–83 में फैक्टरी भवन निर्माण कार्य हेतु बीकानेर जिले की इकाइयों को सीमेन्ट आवंटन हुआ उसकी सूची

1.	मैसर्स सारदा वूलन मिल्स, बीकानेर	10 मै. टन
2.	,, जय श्री इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	10 ,,
3.	,, शक्ति स्कयोरिंग एण्ड मिलिंग मिल्स	12 ,,
4.	,, जे. के. वूलन इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	10 ,,
5.	,, दी बीकानेर वूलन मिल्स, बीकानेर	10 ,,
6.	,, नौलखा गम एण्ड दाल मिल्स	10 ,,
7.	,, नौलखा गम एण्ड दाल मिल्स	10 ,,

8.	मैसर्स श्रीराम सीमेन्ट प्रोडक्ट, बीकानेर	35 मै. टन
9.	,, राजकमल इण्ड० औ० बस्ती	10 ,,
10.	,, चित्रा आईस एण्ड कोल्ड इण्ड०	20 ,,

वर्ष 1983-84

1.	मैसर्स लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स	10 मै. टन
2.	,, सोमानी वूलन मिल्स, बीकानेर	10 ,,
3.	,, यूनाइटेड स्ट्रक्चर्स इण्डिया प्रा० लि०	10 ,,
4.	,, राठी आइल्स फै०, बीकानेर	10 ,,
5.	,, जोइया आयल एण्ड दाल मिल्स, लून	10 ,,

Page No.278

बीकानेर जिले में वर्ष 1982-83 में उत्पादन हेतु लघु उद्योग इकाइयों को सीमेन्ट **आवंटन हुआ उसकी सूची (अप्रेल, 82 से मार्च 83 तक)**

क्र.सं.	नाम इकाई का	द्वितीय 82	तृतीय 82	चतुर्थ 82	प्रथम 83	योग
1	2	3	4	5	6	7
		(मै.टन)	(मै.टन)	(मै.टन)	(मै.टन)	(मै.टन)
1.	राज बिल्डिंग मैटेरियल	10	—	10	10	30
2.	बी. के. भाटी सीमेन्ट उद्योग	10	—	10	—	20
3.	रुरल स्पन पाइप फै. नापासर	—	42	—	—	42
4.	श्री राम सीमेन्ट प्रोडक्ट, नोखा	40	—	—	—	40
5.	ओसवाल सीमेन्ट प्रोडक्ट, बीकानेर		22	22	22	66
6.	लाईफ टाईम ए. सी. प्रोडेक्ट		18	18	16	52
7.	के. जी. टाईल्स फै. बीकानेर		30	30	30	90
8.	आर. एम. टाईल्स इण्डस्ट्रीज, बीकानेर		22	22	22	66
9.	श्री टाईल्स एण्ड मार्बल		30	30	30	90
10.	ए. के टाईल्स फै.		18	18	18	54
11.	सैनिक टाईल्स फै. बीकानेर		22	22	—	44
12.	खंजाची टाईल्स, बीकानेर		30	30	30	90
13.	ओम टाईल्स फै. भीनासर		10	10	10	30
14.	हनुमान टाईल्स एण्ड पाईप फै.		28	28	28	84
15.	प्रकाश टाईल्स फै. नापासर		28	28	28	84
16.	सन्तोषी सीमेन्ट प्रोडक्ट, नापासर		12	12	—	24

1	2	3	4	5	6	7
17.	जगदम्बा टाईल्स फै., नोखा		10	10	10	30
18.	वर्मा टाईल्स फै., नोखा		12	12	12	36
19.	सौनी टाईल्स फै.		10	10		20
20.	मघाराम टाईल्स फैक्टरी, नोखा		12	12	12	36
21.	सिम्पलेक्स टाईल्स इण्ड.		24	24	24	72
22.	कोठारी टाईल्स फै.		18	18	18	54
23.	जय संतोष टाईल्स फै.		10	10	10	30
24.	गहलोत टाईल्स फैक्टरी, बीकानेर		10	10	10	30
25.	गहलोत सीमेन्ट प्रोडक्ट		12	12		24
26.	भारत सीमेन्ट फैक्टरी		10	10		20
27.	भगवानाराम रघुनाथ प्रसाद		10	10		20
28.	सन्तोषी सीमेन्ट उद्योग		12	12	12	36
29.	नथमल लक्ष्मीनारायण, बीकानेर		10	10		20
30.	ओरियन्ट सीमेन्ट फैक्टरी		10	10		20
31.	कैलाश सीमेन्ट इण्ड. नापासर		10	10		20
32.	मोदी सीमेन्ट इण्ड.		10	10		20
33.	नेशनल कलर एण्ड कैमि. इण्ड.		10	10		20
34.	मोदी टाईल्स फैक्टरी, बीकानेर		—	10		10

बीकानेर जिले में वर्ष 1983-84 में उत्पादन हेतु लघु उद्योग इकाइयों को सीमेन्ट

आवंटन हुआ उसकी सूची (अप्रेल, 83 से मार्च, 84 तक)

क्र.सं.	नाम इकाई	द्वितीय 83 (मै.टन)	तृतीय 83 (मै.टन)	चतुर्थ 83 (मै.टन)	प्रथम 84 (मै.टन)	योग (मै.टन)
1	2	3	4	5	6	7
1.	औसवाल सीमेन्ट प्रोड. इण्ड.	18	22	18	16	74
2.	लाईफ टाईम ए. सी. प्रो.	12	16	12	16	56
3.	के. जी. टाईल्स फै.	26	30	26	30	112
4.	श्री टाईल्स एण्ड मार्बल	26	30	26	28	110
5.	आर. एम. टाईल्स इण्ड.	18	22	18	22	80
6.	ए. के. टाईल्स फैक्टरी	14	18	14	28	74
7.	सैनिक टाईल्स फैक्टरी	18	22	18	22	86
8.	खजांची टाईल्स फै.	26	30	26	30	122
9.	ओम टाईल्स फैक्टरी, भीनासर	10	10	--	10	30
10.	हनुमान टाईल्स एण्ड पाईप	24	28	24	28	104
11.	प्रकाश टाईल्स फैक्टरी	24	28	24	28	104
12.	सन्तोषी सीमेन्ट प्रोडक्ट	12	—	12	--	24
13.	जगदम्बा टाईल्स फैक्टरी	10	10	10	10	40
14.	वर्मा टाईल्स फैक्टरी, नोखा	12	12	12	12	48
15.	मघाराम टाईल्स फैक्टरी	12	12	12	10	46
16.	सिम्पलेक्स टाईल्स फैक्टरी	20	24	20	22	86
17.	कोठारी टाईल्स फैक्टरी	14	18	14	18	64
18.	जय सन्तोषी टाईल्स फै.	10	10	10	10	40

Page No.281

1	2	3	4	5	6	7
19.	गहलोत टाईल्स फैक्टरी	10	10	10	10	40
20.	गहलोत सीमेन्ट प्रोडक्ट	10	—	10	—	20
21.	भारत सीमेन्ट फैक्टरी	10	—	10	—	20
22.	भगवानाराम रघुनाथ प्रसाद	10	—	10	—	20
23.	सन्तोषी सीमेन्ट उद्योग	12	12	12	10	46
24.	नथमल लक्ष्मीनारायण, बीकानेर	10	—	10	—	20
25.	ओरियन्ट सीमेन्ट फैक्टरी	10	—	10	—	20
26.	कैलाश सीमेन्ट इ.ण्ड.	10	—	10	—	20
27.	मोदी सीमेन्ट इण्ड.	10	—	10	—	20
28.	नेशनल कलर एण्ड केमि.	10	—	10	—	20
29.	रूरल स्पन पाईप फैक्टरी	—	42	37	46	125
30.	श्रीराम सीमेन्ट प्रो.	—	40	—	—	40
31.	मोदी टाईल्स फैक्टरी	—	10	10	10	30
32.	राज बिल्डिंग मेटेरियल	—	10	—	10	20
33.	सोनी टाईल्स फैक्टरी, बीकानेर	—	—	—	10	10

बीकानेर जिले की लघु उद्योग इकाइयों को कच्चा माल कोल/कोक (कोयला) का

आवंटन वर्ष 1982-83 व 1983-84

क्र. सं.	इकाई का नाम	मात्रा 82-83	मात्रा 83-84
1	2	3	4
1.	खादी मन्दिर, बीकानेर	287.950	337.7
2.	शक्ति इण्ड. बीकानेर	—	57.8
3.	स्वास्तिक लाईम इण्ड. बीकानेर	143.1	173.300
4.	बीकानेर वूलन इन्ड. बीकानेर	57.350	171.450
5.	चोरड़िया इण्ड. बीकानेर	22.4	116.1
6.	डूडी गम एण्ड दाल इण्ड. नोखा	—	83.850
7.	जाजडा इण्ड. बीकानेर	28.950	—
8.	दुर्गा कोटन इण्ड. नोखा	27.950	87.6
9.	ओसवाल वूलन मिल्स	108.0	57.4
10.	भारत वूलन मिल्स, बीकानेर	23.1	59.150
11.	छलानी वूलन मिल्स, बीकानेर	22.1	62.8
12.	नवलखा दाल एण्ड आयल मिल्स	—	58.750
13.	श्याम दाल एण्ड आयल मिल	27.950	28.950
14.	राजस्थान वूलन मिल्स, बीकानेर	22.1	55.350
15.	जनता कार्डिंग एण्ड स्पीनिंग	50.850	59.950
16.	सूरज इण्ड.	158.350	203.7
17.	राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, बीकानेर	88.670	112.050
18.	शक्ति स्क्योरिंग एण्ड मिलिंग मिल्स	—	28.0

1	2	3	4
19.	जय भारत आयल मिल्स, नोखा	—	86.9
20.	राज प्लास्टर प्रा. लि., बीकानेर	182.80	209.6
21.	अमर बिक्स कोरपोरेशन, शिवबाडी	227.7	30.150
22.	शिव शंकर मिनरल इण्ड. बीकानेर	29.0	122.350
23.	जय भैरू कोल इण्ड.	232.1	101.9
24.	बीकानेर कोल इण्ड. बीकानेर	--	54.3
25.	देव इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन	91.825	54.2
26.	माडॅन प्लास्टर वर्क्स, बीकानेर	55.9	186.650
27.	शाह चाक इण्ड. बीकानेर	26.8	83.550
28.	सिपानी इण्ड. बीकानेर	—	57.00
29.	अशोका वूलन मिल्स, बीकानेर	—	60.450
30.	जे. के. वूलन इण्ड.	—	59.4
31.	एलाईड फाईबर एण्ड टैक्सटाईल्स नं. 1	217.950	90.750
32.	लक्ष्मी वूलन मिल्स, बीकानेर	37.550	59.250
33.	कालू खां दीनमोहम्मद	83.600	117.3
34.	मनोज लाईम वर्क्स बीकानेर	28.600	144.00
35.	बीकानेर सिरेमिक्स प्रा. लि.	219.700	77.9
36.	सुराणा वूलन टैक्सटाईल्स, बीकानेर	--	57.2
37.	तापड़िया उद्योग, बीकानेर	—	60.5
38.	सी. के प्लास्टर एण्ड कैमि.	158.725	91.5
39.	भारत मेटल आयरन वर्क्स, बीकानेर	172.200	159.3
40.	राठी आयरन इण्ड.	--	22.6
41.	रा-प्रोडक्ट प्लास्टर एण्ड फर्टीलाईजर	126.971	56.650

1	2	3	4
42.	दुर्गा गम ग्वार फैक्ट्री, नोखा	27.500	61.5
43.	महावीर आयल मिल्स, बीकानेर	53.400	29.6
44.	लक्की पेन्ट एण्ड कैमीकल्स, बीकानेर	28.800	26.8
45.	स्नो वाईट प्लास्टर इण्ड.	51.400	26.750
46.	महेश आयल मिल्स, बीकानेर	28.500	—
47.	उमा कोल इण्डस्ट्रीज	7.455	—
48.	शिव गोपाल लक्ष्मी नारायण	54.430	—
49.	किशन गम इण्डस्ट्रीज, नोखा	21.850	—
50.	श्रीगणपती वूलन मिल्स, बीकानेर	23.100	—
51.	बीकानेर लाईम वर्क्स, बीकानेर	28.850	—
52.	झाम इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	28.850	—
53.	हनुमान गम इण्डस्ट्रीज, नोखा	27.500	—

बीकानेर जिले में वर्ष 1982–83 व 83–84 की इकाइयों को
आवंटन हुआ पैराफिन वैक्स की सूची

क्र. सं	इकाई का नाम	82–83 मात्रा बोरी में	83–84 मात्रा बोरी में
1.	मैसर्स बन्शीलाल कोटेज एम्पोरियम	12	—
2.	,, राजस्थान कैण्डल वर्क्स, बीकानेर	80	—
3.	,, जय कैमीकल्स वर्क्स, बीकानेर	5	—
4.	,, राष्ट्रीय उद्योग भवन, बीकानेर	17	—
5.	,, हनुमान कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	—	10
6.	,, महावीर कैण्डल वर्क्स, बीकानेर	10	—
7.	,, प्रदीप कैमीकल्स, गंगाशहर	5	—
8.	,, रमेश मोमबत्ती उद्योग, बीकानेर	10	—
9.	,, सुभाष मोमबत्ती उद्योग, नोखा	5	5
10.	,, सिन्थेटिक मोम केण्डल वर्क्स	—	20

बीकानेर जिले में वर्ष 1982–1983 व 83–84 में लघु उद्योग इकाइयों
को फेटी एसिड का आवंटन किया गया उसकी सूची

क्र. सं.	इकाई का नाम	82–83 मात्रा ड्रम	83–84 मात्रा ड्रम
1.	राज सोप कैमीकल वर्क्स	28	23
2.	राम राज सेवा सदन, बीकानेर	11	18
3.	श्री गणेश कैमिकल्स इण्ड०	21	18
4.	बीकानेर कैमीकल्स लेबोरेटरी	10	—
5.	वी. के. कैमीकल्स	—	9

बीकानेर जिले में उत्पादनार्थ सीमेण्ट का निदेशालय स्तर पर आवंटन वर्ष 1984–85

क्र.सं.	इकाई का नाम व पता	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	योग
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स ओसवाल सीमेंट प्रोडेक्ट्स, 30, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	18	18	36
2.	,, लाईफ टाइम ऐ. सी. प्रोडेक्ट्स जानवरों के अस्पताल के पास, गोगा गेट बाहर, बीकानेर	18	18	36
3.	,, श्री कृष्णगोपाल टाइल्स फैक्ट्री, रानी बाजार, बीकानेर	32	28	60
4.	,, आर. एम. टाइल्स इण्डस्ट्रीज रानी बाजार, बीकानेर	22	22	44
5.	,, श्री टाइल्स एण्ड मार्बल्स, 19, औद्योगिक वस्ती, बीकानेर	32	28	60
6.	,, ऐ. के. टाइल्स फैक्ट्री, रानी बाजार, बीकानेर	10	16	26
7.	,, सैनिक टाइल्स फैक्ट्री, रामपुरिया आइस फैक्ट्री के पास, पावर हाउस रोड, बीकानेर	22	22	44
8.	,, खचान्ची टाइल्स फैक्ट्री, कोट गेट अन्दर, बीकानेर	28	28	56
9.	,, ओम टाइल्स फैक्ट्री, भीनासर, बीकानेर	10	10	20

1	2	3	4	5
10.	मैसर्स हनुमान टाइल्स एण्ड पाइप फैक्ट्री, स्टेशन रोड, नापासर (बीकानेर)	28	28	56
11.	,, प्रकाश टाइल्स फैक्ट्री, पोस्ट–नापासर (बीकानेर)	28	28	56
12.	,, सन्तोषी सीमेंट प्रोडेक्ट, स्टेशन रोड, नापासर (बीकानेर)	10	10	20
13.	,, जगदम्बा टाइल फैक्ट्री, हरिजन मोहल्ला, नोखामंडी (बीकानेर)	10	10	20
14.	,, वर्मा टाइल्स फैक्टी, हायर सैकण्डरी स्कूल के पास, नोखा (बीकानेर)	10	10	20
15.	,, मंघाराम टाइल्स फैक्ट्री, पोस्ट–नोखा (बीकानेर)	10	10	20
16.	,, सोनी टाइल्स फैक्ट्री सुजान देशर, गंगाशर (बीकानेर)	10	10	20
17.	,, सिम्पलेक्स टाइल्स इण्डस्ट्रीज, 16, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	22	22	44
18.	,, कोठारी टाइल्स फैक्ट्री बी-2, औद्योगिक बस्ती, बीकानेर	18	16	34
19.	,, जय सन्तोषी टाइल्स फैक्ट्री, पट्टो पेडा, औद्योगिक क्षेत्र, रानी बाजार, बीकानेर	10	10	20
20.	,, गहलोत टाइल्स फैक्ट्री, पत्थर पट्टी पेडा, पुराना औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	10	10	20

Page No.288

1	2	3	4	5
21.	मैसर्स सन्तोषी सीमेंट उद्योग, पोस्ट–नापासर, जिला बीकानेर	10	10	20
22.	,, राज बिल्डिंग मेटेरियल, जानवरों के अस्पताल के पास, गोगा गेट बाहर, बीकानेर	—	10	10
23.	,, गहलोत सीमेंट प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्रीज, पुराना पट्टी पेडा, रानी बाजार, (बीकानेर)	10	10	20
24.	,, भारत सीमेंट फैक्ट्री, गोगा गेट, घूम चक्र, बीकानेर	10	10	20
25.	,, भगवानाराम रघुनाथ प्रसाद, रेल्वे साइडिंग, रानी बाजार, (बीकानेर)	10	10	20
26.	,, नथमल लक्ष्मीनारायण रेल्वे साइडिंग, रानी बाजार, बीकानेर	10	10	20
27.	,, ओरियन्ट सीमेंट फैक्ट्री, गोगा गेट, घूम चक्र के पास (बीकानेर)	10	10	20
28.	,, कैलाश सीमेंट इण्डस्ट्रीज, नापासर, जिला बीकानेर	10	10	20
29.	,, मोदी सीमेंट इण्डस्ट्रीज दाऊजी रोड, बीकानेर	10	10	20
30.	,, रूरल स्पन पाइप फैक्ट्री स्टेशन रोड, नापासर (बीकानेर)	44	44	88
31.	,, श्रीराम सीमेंट प्रोडेक्ट्स इण्डस्ट्रीज बीकासर (बीकानेर), नोखा	44	44	88
32.	,, मोदी टाइल्स फैक्ट्री, धोबी तलाई, रानी बाजार (बीकानेर)	10	10	20
		536	+ 542	=1078

बीकानेर जिले में निर्माण कार्य हेतु सीमेंट का निदेशालय स्तर से आवंटन सन् 1984–85

1	2	3	4	5
1.	मैसर्स वसन्त इण्डस्ट्री, बिछवाल, 11-ए, औद्योगिक क्षेत्र, रानी बाजार, बीकानेर	15	—	15
2.	,, कपूर पौटरीज, के. ई. एम. रोड, बीकानेर	20	—	20
3.	,, फैंटीसिटी फैल्ट एण्ड टैक्सटाइल मिल्स फैल्ट हाऊस, रानी बाजार, बीकानेर	—	10	10
4.	,, एन. एच. इण्डस्ट्रीज, एफ-102-103, औद्योगिक क्षेत्र, लूणकरणसर (बीकानेर)	—	10	10
5.	,, ऊनी खादी ग्रामोद्योग संस्थान, संस्थान भवन, रानी बाजार, बीकानेर	—	10	10
		35	+ 30	= 65

	इकाइयां	मात्रा
उत्पादन कार्य हेतु	32	1078
निर्माण कार्य हेतु	5	65
कुल आवंटन		1143

मोम

क.सं.	इकाई का नाम व पता	84-85 में मोम की मात्रा
1.	मैसर्स जय केमिकल वर्क्स, बीकानेर	5 बोरी
2.	,, लक्ष्मी कैण्डल इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	45 ,,
3.	,, गुलाब इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	13 ,,
		63 बोरी

पाप फैटी एसिड

1.	मैसर्स राज सोप केमिकल वर्क्स, बीकानेर	12 ड्रम्स
2.	,, रामराज सेवा सदन, बीकानेर	12 ,,
3.	,, श्री गणेश इण्डस्ट्रीज, मुकाम बोदरा, बीकानेर	9 ,,
4.	,, सर्वश्री बी. के. केमिकल्स, बीकानेर	4 ,,
		37 बोरी

जिला उद्योग केन्द्र. बीकानेर द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को निर्माण कार्य हेतु लोहा एवं इस्पात आवंटन की सूची

वर्ष 84-85 (सितम्बर, 84 तक)

क्रमांक.		नाम इकाई	दिये गये माल का विवरण	
1.	मेसर्स	गौतम उद्योग, बीकानेर	जी.सी. शीट्स	6 नग
2.	,,	महेश आयल मिल्स, बीकानेर	,,	4 नग
3.	,,	डीलक्स इण्डस्ट्रीज, बीकानेर	,,	80 नग
4.	,,	जी. एस. इण्डस्ट्रीज, बिछवाल	,,	66 नग
5.	,,	एन. एच. इण्डस्ट्रीज, लूणकरणसर	,,	175 नग
6.	,,	देवाराम रूपाराम, बीकानेर	,,	110 नग
7.	,,	फेडिलिटी फेल्ट एण्ड टैक्सटाइल्स, बीकानेर	,,	125 नग
8.	,,	धामू इण्डस्ट्रीज, बिछवाल	,,	30 नग
9.	,,	जे. के. आयल मिल्स, बीकानेर	,,	40 नग

जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर द्वारा लघु उद्योग इकाइयों के मरम्मत हेतु आवंटन की गई सीमेंट की सूची

वर्ष 84-85 (सितम्बर 84 तक)

क्र.सं.		नाम इकाई		आवंटित सीमेंट की मात्रा
1		2		3
1.	मैसर्स	जय भवानी केमिकल्स,	बीकानेर	10 बैग्स
2.	,,	शिवशंकर मिनरल इण्डस्ट्रीज,	,,	10 ,,
3.	,,	चौधरी रियर इण्डस्ट्रीज,	मीनाशहर	8 ,,
4.	,,	राज फुड प्रोडेक्ट,	बीकानेर	8 ,,
5.	,,	बिस्सा ब्रादर्स,	,,	10 ,,
6.	,,	राजस्थान केण्डल वर्क्स		8 ,,

Page No.292

1	2		3
7.	मैसर्स भंवरलाल लूकड़ एण्ड कम्पनी		2 बैग
8.	,, राजस्थान कारपेट वूल एजेन्सी		5 ,,
9.	,, सुमन वूलन मिल्स,	बीकानेर	10 ,,
10.	, महेश इण्डस्ट्रीज,	,,	8 ,,
11.	,, कंचन खाद्य फैक्ट्री,	भूडसर	8 ,,
12.	,, कमल इण्डस्ट्रीज,	बीकानेर	5 ,,
13.	,, प्रदीप इण्डस्ट्रीज,	,,	5 ,,
14.	,, पी० पी० इण्डस्ट्रीज,	,,	5 ,,
15.	,, बीकानेर वूलन मिल्स, प्रा०लि०		8 ,,
16.	,, दी बीकानेर वूलन मिल्स,	बीकानेर	10 ,,
17,	,, भारत वूलन मिल्स,	,,	8 ,,
18.	,, सी० एच० वूलन मिल्स,	,,	10 ,,
19.	,, देव इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन,	,,	10 ,,
20.	,, रेखी वूलन इण्डस्ट्रीज,	,,	10 ,,
21.	,, शक्ति रोलर फ्लोर मिल्स, यून-2		10 ,,
22,	,, ,, ,, यून. 1		5 ,,
23.	,, श्री टैक्सटाइल मिल्स,	बीकानेर	8 ,,
24,	,, श्याम पापड़ उद्योग,	,,	5 ,,
25.	,, इण्डिया स्टील फैक्ट्री		5 ,,

जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को कोल/कोक/ कोयला के आवंटन की सूची वर्ष 1984-85

क्र.सं.	नाम इकाई	आवंटित कोयले की मात्रा वेगन्स में
1	2	3
1.	मैसर्स पापड़िया उद्योग, औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
2.	,, प्रेम सिरेमिक्स वर्क्स, औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
3.	,, खादी मंदिर उद्योग भवन, औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
4.	,, देव इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, औ. क्षेत्र, बीकानेर	1
5.	,, भारत मेटल आइरन वर्क्स, स्टील री-रोलिग वर्क्स, रानी बाजार, बीकानेर	1. ½
6.	,, भारत वूलन मिल्स, इकाई संख्या 1, औ. क्षेत्र, बीकानेर	1
7.	,, सूरज इण्डस्ट्रीज, औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
8.	,, बीकानेर वूलन मिल्स, औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
9.	,, राजस्थान खादी कार्पोरेशन, संस्था संघ वूलन फिनिशिंग प्लांट, बीकानेर	2
10.	,, एलाइड एण्ड फाइर्स एण्ड टैक्सटाइल्स कार्पोरेशन, यूनिट नं. 1, बीकानेर	½
11.	,, ज. के. वूलन इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	½
!2.	,, अशोका वूलन मिल्स, गजनेर रोड़, बीकानेर	½
13.	,, सीपाणी इण्डस्ट्रीज, औ. क्षेत्र, बीकानेर	½
14.	,, शक्ति स्क्योरिंग्स एण्ड मिलिंग मिल्स, औ. क्षेत्र बीकानेर	½

1	2	3
15.	मैसर्स चालानी वूलन मिल्स, गजनेर रोड, बीकानेर	½
16.	,, लक्ष्मी वूलन मिल्स, ,, ,,	1
17.	,, सोमानी वूलन मिल्स, जसोसर गेट के बाहर, बीकानेर	½
18.	,, सुराणा वूलन टैक्सटाइल, औ. क्षेत्र, बीकानेर	½
19.	,, ओसवाल वूलन मिल्स, ,, ,,	1
20.	,, राजस्थान वूलन मिल्स, गजनेर रोड, बीकानेर	½
21.	,, जनता कार्डिंग एण्ड स्पिनिंग इण्डस्ट्रीज, गजनेर रोड, बीकानेर	½
22.	,, राव प्रोडक्ट प्लास्टर एण्ड फर्टीलाइजर फैक्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	2. ½
23.	,, सी. के. प्लास्टर एण्ड केमिकल्स, औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
24.	,, राज प्लास्टिक प्रा. लि., औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
25.	,, शाह चाक इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	2
26.	,, लक्की पेन्ट एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज, औ. क्षेत्र, बीकानेर	1
27.	,, स्वास्तिक लाईम एण्ड केमिकल वर्क्स बीकानेर	2
28.	,, जाजरा इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	1
29.	,, शिव शंकर मिनरल्स, इण्डस्ट्रीज, औ. क्षेत्र, बीकानेर	1
30.	,, चोरीरा इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक सम्पदा क्षेत्र, बीकानेर	1
31.	,, शो वाइट प्लास्टर इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक सम्पदा, बीकानेर	½
32.	,, मोडर्न प्लास्टर वर्क्स, इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर	4
33.	,, दुर्गा कॉटन इण्डस्ट्रीज. बीकानेर रोड, नोखा	½

1	2	3
34.	मैसर्स हनुमान गम इण्डस्ट्रीज, बीकानेर रोड, नोखा	½
35.	,, महेश आयल मिल्स, औद्योगिक सम्पदा, बीकानेर	½
36.	,, श्री श्याम दाल एण्ड आइल मिल्स, औ. क्षे., बीकानेर	½
37.	,, महावीर आयल मिल्स, औ. क्षेत्र, बीकानेर	½
38.	,, नवलखा गम एण्ड दाल मिल्स, रानी बाजार, बीकानेर	1
39.	,, जय भारत आयल मिल्स, नोखा	1
40.	,, लक्ष्मी आयल एण्ड आइस मिल्स, औ.क्षे., बीकानेर	½
41.	,, हनुमान आयल एण्ड फ्लोर मिल्स, लूणकरणसर	½
42.	,, कालूखां दीन मोहम्मद, वेटनरी हॉस्पिटल के नीचे, बीकानेर	½
43.	,, मोडर्न लाइम वर्क्स, रानी बाजार, बीकानेर	½

डाइरेक्ट स्पोन्सर

1.	मैसर्स बीकानेर सरेमिक्स प्रा. लि., औ. क्षेत्र, बीकानेर	8

जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को कोल/कोक (कोयला) के आवंटन की सूची वर्ष 84-85

क्र. सं.	नाम इकाई	आवंटित कोयले की मात्रा वैगन्स में
1	2	3
1.	मैसर्स पापड़िया उद्योग, औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
2.	,, प्रेम सिरेमिक्स वर्क्स, औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
3.	,, खादी मंदिर उद्योग भवन, औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
4.	,, देव इण्डस्ट्रीयल कोरपोरेशन, औ. क्षेत्र, बीकानेर	1
5.	,, भारत मेटल आयरन वर्क्स, स्टील री-रोलिंग मिल रानी बाजार, बीकानेर	1, 1/2
6.	,, भारत वूलन मिल्स, इकाई संख्या 2 औ. क्षेत्र, बीकानेर	1
7.	,, सूरज इण्डस्ट्रीज, औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
8.	,, बीकानेर वूलन मिल्स, औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
9.	,, राजस्थान खादी कोरपोरेशन संस्था संघ वूलन फिनिसिंग प्लान्ट, बीकानेर	2
10.	,, एलाइड एण्ड फाइवर्स एण्ड टैक्सटाइल्स कारपोरेशन यूनिट नं. 1, बीकानेर	1/2
11.	,, जे. के. वूलन इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	1/2
12.	,, अशोका वूलन मिल्स, गजनेर रोड, बीकानेर	1/2
13.	,, सीपाणी इण्डस्ट्रीज, औ, क्षेत्र, बीकानेर	1/2
14.	,, शक्ति स्क्योरिंग्स एण्ड मिलिंग मिल्स, औ. क्षेत्र बीकानेर	1/2
15.	,, चालानी वूलन मिल्स, गजनेर रोड बीकानेर	1/2
16.	,, लक्ष्मी वूलन मिल्स, गजनेर रोड, बीकानेर	1
17.	,, सोमानी वूलन मिल्स, जसोसर गेट के बाहर, बीकानेर	2/1

1		2	3
18.	मेसर्स	सूराणा वूलन टैक्सटाइल, औ. क्षेत्र, बीकानेर	1/2
19.	,,	औसवाल वूलन मिल्स, औ. क्षेत्र, बीकानेर	1
20.	,,	राजस्थान वूलन मिल्स, गजनेर रोड, बीकानेर	1/2
21.	,,	जनता कार्डींग एण्ड स्पिनिंग इण्डस्ट्रीज, गजनेर रोड, बीकानेर	1/2
22.	,,	राव प्रोडक्ट प्लास्टर एण्ड फर्टीलाइजर फैक्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	2,.1/2
23.	,,	सी. के. प्लास्टर एण्ड केमीकल्स, औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
24.	,,	राज प्लास्टर प्रा. लि., औ. क्षेत्र, बीकानेर	2
25.	,,	शाह चाक इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	2
26.	,,	लक्की पेन्ट एण्ड कैमीकल इण्डस्ट्रीज, औ. क्षेत्र, बीकानेर	1
27.	,,	स्वास्तिक लाइम एण्ड कैमीकल वर्क्स, बीकानेर	2
28.	,,	जाजरा इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	1
29.	,,	शिव शंकर मिनरल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, औ. क्षे., बीकानेर	1
30.	,,	चोरीरा इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक सम्पदा, बीकानेर	1
31.	,,	शो वाइट प्लास्टर इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक सम्पदा	1/2
32.	,,	मोडर्न प्लास्टर वर्क्स, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, बीकानेर	4
33.	,,	मैसर्स दुर्गा कोटन इण्डस्ट्रीज, बीकानेर रोड, नोखा	1/2
34	,,	हनुमान गम इण्डस्ट्रीज, बीकानेर रोड, नोखा	1/2
35.	,,	महेश आयल मिल्स, औद्योगिक सम्पदा, बीकानेर	1/2
36.	,,	श्री श्याम दाल एण्ड ओयल मिल्स, औ. क्षे., बीकानेर	1/2

1	2	3
37.	,, महावीर ओयल मिल्स, औ. क्षेत्र, बीकानेर	1/2
38.	,, नवलखां राम एण्ड दाल मिल्स, रानी बाजार, बीकानेर	1
39.	,, जय भारत आयल मिल्स, नोखा	1
40.	,, लक्ष्मी आयल एण्ड आईस मिल्स, औ. क्षेत्र, बीकानेर	1/2
41.	,, हनुमान आयल एण्ड फ्लोर मिल्स, लूणकरणसर,	1/2
42.	,, कालूखां दीन मोहम्मद, वेटनरी होस्पीटल के नीचे, बीकानेर	1/2
43.	,, मोडर्न लाईम वर्क्स, रानी, बाजार बीकानेर	1/2
	डाइरेक्ट स्पोन्सर	
1.	**मैसर्स बीकानेर सेरेमिक्स प्रा. लि., औ. क्षेत्र, बीकानेर**	8

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 72 की सूचना

प्रपत्र—"क"

सराड़ा निर्वाचन क्षेत्र के तहत स्वीकृत अकाल राहत कार्य संवत् 2037 (81-82)

क्र. संख्या	कार्य का नाम	व्यय राशि
1	2	3
1.	सेमारी कल्याणपुर सड़क	842000/-
2.	कल्याणपुर टोकर सड़क	331740/-
3.	चावण्ड परसाद सड़क	351094/-
4.	सम्पर्क सड़क चावण्ड	90000/-
5.	डीगरी नठारा की पाल	614932/-
6.	हल्दुघाटी जयसमन्द	4182/-
7.	सम्पर्क सड़क सराड़ा बसी डीगरी सड़क	——
8.	जयसमन्द जरजगत	——
9.	पीलाधर अदवास सड़क	730/-
10.	सराड़ा बलुआ सड़क	240844/-
11.	नीमड़ी गेम सेन्चुरी	198000/-
12.	सम्पर्क सड़क सगतड़ी	371692/-
13.	सम्पर्क सड़क प्रताप स्मार्क	25000/-
14.	ओड़ा जावर माइन्स	173306/-
15.	जावद भालड़िया देवपुरा	750140/-
16.	पराई खाराड निवोदा की पार	602630/-
17.	टोठर इन्टाली खेड़ा	136421/-

1	2	3
18.	सेमारी राठोड़ा	291397/-
19.	परसाद से सरोपाल	145498/-
20.	पाल सेमारी सराड़ा	213664/-
21.	केवड़ा बावरमाल सड़क	46524/-
22.	कातनवाड़ा छाणी का फला सखाखट	241637/-
23.	जयसमन्द गामड़ी सेमाड जावद	162888/-
24.	जय समन्द सेरिया केजड़	321363/-
25.	नेशनल हाइवे चणावदा	214400/-
26.	जावला से पाटिया	58436/-

संवत् 2038 (1982–83)

1	2	3
1.	ओरडा जावरमाइन्स सड़क	43206/-
2.	चावण्ड डिगरी थाना	462728/-
3.	सम्पर्क सड़क अदवास	85224/-
4.	सम्पर्क सड़क नठारा की पार	243686/-
5.	सम्पर्क सड़क भालड़िया	92761/-
6.	उदयपुर जयसंमन्द सड़क	462658/-
7.	सेमारी से सगतड़ी की पाल बलुआ	288752/-
8.	सम्पर्क सराड़ा	69285/-
9.	केवड़ा बाबरमाल सड़क	37307/-
10.	सहाड़ा बिम्बोदा पाल खारवर	672000/-
11	जयसंमन्द से भामड़ी सेमाल	116089/-
12.	सराड़ा बलुआ रिखावदेव	350100/-
13.	सम्पर्क सड़क कातनवाड़ा	230872/-

1	2	3
14.	नाल अलकार खोड़ी मोड़ी	169052/-
15.	सेमारी राठौड़ा	191903/-
16.	सम्पर्क सड़क कम्थोड़ा	74684/–
17.	सम्पर्क सड़क इन्टाली से बड़ावली सराड़ा डिगरी	37338/–
18.	सेरिया केजड़ सड़क	61450/–
19.	बस्सी डिगरी सड़क	22174/–
20.	सम्पर्क सड़क घिगला मेथुडी वाया जगत	61051/–
21.	इन्टाली ठोड़ा टोकर	110344/–
22.	जगत घिगला	8806/–

संवत् 2039 (1983–84)

1.	केजड़ सराड़ा बलुआ रिखवदेव सड़क	286858/–
2.	भालड़िया देवपुरा समाल चांदघाटी	487560/–
3.	सगतड़ी की पाल वाया धनकावड़ा	203809/–
4.	नठारा की पाल	268114/–
5.	पाल सराड़ा से सन्थल सेमारी	152310/–
6.	सम्पर्क सड़क कातनवाड़ा	248331/–
7.	जयसमन्द गामड़ी सेमाड	112794/–
8.	ओडा से जावरमाइन्स	119594/–
9.	इन्टाली बडावली बड़गाँव	—
10.	केजड़ नीमच सराड़ापाल निवोदा खारवर सड़क	1019705/–
11.	नाल अलकार खोडी मोडीचावण्ड	68488/–
12.	केवडा खेरवर झामड कोटड़ा	25949/–

1	2	3
13.	रिंग रोड़ सराड़ा	6310/–
14.	उदयपुर जयसंमन्द सड़क	18359/–
15.	सेमारी करणपुरिया सड़क	21399/–
16.	विरपुरा कनथोड़ा सड़क	20255/–
17.	पाटिया भावला सड़क	84900/–
18.	नेशनल हाईवे चणवदा	123527/–
19.	बस्सी कनथोड़ा सड़क	268231/–
20.	इन्टाली वढ़ावली डीगरी सड़क	206260/–
21.	केजड़ से सगतड़ा थाठरडावराड़ा	85604/–
22.	गोडासर से सगतावतों का गुडा	30274/–
23.	बस्सी से सलारा सड़क	59062/–

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 76 का विवरण

शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु स्वरोजगार योजना की वर्ष 1983–84
(अगस्त, 83 से अगस्त, 84 तक) की प्रगति

[इकाई—संख्या में
राशि—लाखों में]

क्रमांक	जिला	प्राप्त आवेदन पत्र	बैंकों को आवेदन पत्र चयन उपरान्त भेजे गये		ऋण स्वीकृति			ऋण वितरण		
			संख्या	राशि	लक्ष्य	उपलब्धि	राशि	लक्ष्य	उपलब्धि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	जयपुर	24717	2849	498·00	1200	2053	238·92	1200	1416	153·13
2.	अजमेर	7914	1427	249·20	800	844	111·78	500	552	65·67
3.	अलवर	3899	1101	187·86	800	750	121·53	500	553	65·40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	भीलवाड़ा	5177	1117	198·54	800	863	130·00	500	555	75·18
5.	जोधपुर	6281	1149	212·34	800	431	60·60	500	336	60·00
6.	पाली	2914	1262	234·74	800	615	111·14	500	373	67·00
7.	कोटा	8131	1405	283·20	800	1096	190·00	500	910	150·69
8.	उदयपुर	5314	1131	220·86	800	753	149·59	500	641	117·50
9.	नागौर	3011	929	116·91	550	373	56·69	350	353	50·66
10.	बांसवाड़ा	1696	787	129·47	550	427	71·65	350	254	41·29
11.	सीकर	3474	732	143·90	550	502	88·97	350	323	39·00
12.	चित्तौड़गढ़	3049	782	109·74	550	464	63·83	350	394	49·25
13.	भरतपुर	2527	677	116·62	550	448	74·62	350	268	30·10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	बीकानेर	4068	941	196·36	550	655	131·97	350	390	73·60
15.	गंगानगर	7669	711	124·19	550	610	107·63	350	551	91·80
16.	सवाई माधोपुर	3887	1197	142·09	550	604	67·49	350	359	36·00
17.	झुंझुनू	5927	782	137·14	550	617	109·06	350	439	60 00
18.	टोंक	2450	684	99·97	550	453	56·88	350	306	30·90
19.	बाड़मेर	1200	446	81·00	300	248	42·10	200	159	31·30
20.	जैसलमेर	765	268	59·89	300	144	27·27	200	100	20·00
21.	डूंगरपुर	1190	452	68·78	300	307	44·54	200	233	28·00
22.	जालौर	700	382	72·12	300	244	47·67	200	177	31·00
23.	सिरोही	953	477	75·00	300	311	66·36	200	216	31·00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	झालावाड़	1995	442	73·00	300	329	56·00	200	226	26·00
25.	चूरू	2423	622	89·75	300	376	54·13	200	266	30·00
26.	बूंदी	1664	394	64·12	300	337	55·09	200	214	20·00
27.	धौलपुर	896	288	38·91	300	200	29·96	200	121	11·80
		–113876	23414	3983·46	15000	–1554	2365·30	10000	10691	1500·00

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न संख्या 77 की सूची

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को छठी पंचवर्षीय योजना में आई. सी. ए. आर. एवं यू. जी. सी. से प्राप्त अनुदान की सूची

(आय करोड़ों में)

अनुदान राशि	1980–81	1981–82 (रुपये करोड़ों में)	1982–83	1983–84	1984–85 (सम्भावित)	कुल योग
आई. सी. ए. आर. नई दिल्ली	1·69	2·14	2·06		3·39	12·23
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	0·8	0·15	0·11		0·28	0·72